

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया



CHECKED

Checker

कार्य तथा कार्य-पद्धति

मूल्य रु १ (डाक खर्च अलग)

श्री. जी. पेन्द्रारकर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के आर्थिक सलाहकार (Economic Adviser to the Reserve Bank of India) द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया के लिये प्रकाशित और प्यारेलान्त साहू द्वारा टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, बम्बई, भारतमें मुद्रित ।

प्राक्कथन

कुछ समय पहले रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अपने "कार्य तथा कार्य-पद्धति" पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया था। यह पुस्तक अंग्रेजी में थी। यह आवश्यकता अनुभव की गई कि इस राष्ट्रीय संस्था के कार्यों को, जिसका सबंध जनकल्याण से बहुत घनिष्ठ है, अत्यधिक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। अतः रिजर्व बैंक ने देश की विभिन्न मुख्य प्रादेशिक भाषाओं में इस पुस्तक के अनुवाद को प्रकाशित करने का निश्चय किया। हिन्दी में यह अनुवाद प्रोफेसर पी सी मलहोत्रा ने किया है। प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद साधारणतया मुक्तरूप से किया गया है। इसलिये यह सम्भव है कि अगले एव प्रादेशिक भाषाओं के अनुवाद में कुछ विभिन्नता पैदा हो गई हो। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजी निर्वचन को ही प्रमाणिक मानना अच्छा होगा।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया,
बम्बई,
जनवरी १९६२

एच व्ही आर. आपगर,
गवर्नर

विषय-सूची

पृष्ठ

प्राक्कथन

(१)

भूमिका

बैंक की स्थापना - प्रारंभ में शेयर होल्डरो का बैंक -
राष्ट्रीयकरण-केन्द्रीय तथा स्थानीय बोर्ड-आन्तरिक संगठन
तथा व्यवस्था - बैंक के मुख्य प्रकार्य

१-६

(२)

मुद्रा एव साख का नियमन - १

सामान्य अवलोकन - नोट प्रचालन से संबंधित परिणियत
प्रावधान - नोट प्रचालन संबंधित प्रशासन प्रबन्ध : नकदी
तिजार्जिया - मुद्रा सचलन में ऋतुकालीन एवं अन्य उतार-
चढाव

७-१३

(३)

मुद्रा एव साख का नियमन - २

साख नियन्त्रण का क्षेत्र तथा रीतियाँ - भारतीय द्रव्य बाजार
का ढाचा - सामान्य साख नियन्त्रण के साधन-बैंक दर-खुले
बाजार की क्रियाएँ-अस्थिर प्रारक्षण आवश्यकताएँ -
विवेचनात्मक एव प्रत्यक्ष साख नियमन-नैतिक प्रभाव

१४-३३

(४)

बैंको का पर्यवेक्षण एव नियन्त्रण

लाइसेन्स देना - पूजी, प्रारक्षण तथा रोक-परिसंपत्ति-
शाखा विस्तार - निरीक्षण - समामेलन - व्यवस्था की
शर्तें - परिसमापन-बैंक की पूजी के जारी करने पर
नियन्त्रण-बैंकिंग में प्रशिक्षण-बैंकिंग विकास ..

३४-४१

(५)

सरकार का बैंकर

केन्द्रीय सरकार के साथ समझौता-राज्य सरकारों के साथ समझौते - प्रशासनिक व्यवस्थाएँ - नये ऋण तथा राज्य-कोष पत्रों का जारी करना - अर्थोपाय अग्रिम-भारत के उच्च आयोग को सहायता - वैयक्तिक मामलों में सरकार का सलाहकार

४२-४९

(६)

रिजर्व बैंक तथा ग्रामीण माल

कृषि माल नीतियों का उद्भव - ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति, अनौपचारिक सम्मेलन तथा अखिल भारतीय ग्रामीण माल आपरीक्षण समिति की सिफारिशों - रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त वैयक्तिक सहायता - महकदमी बैंकों का निरीक्षण-कृषि माल के लिये स्थायी सलाहकार समिति - पुनर्भ्रष्टान की योजनाओं का निर्धारण - महकदमी कर्मचारियों का प्रशिक्षण - बैंक द्वारा कृषि माल-प्रदान का संचालन करने वाले प्रावधान

५०-६८

(७)

रिजर्व बैंक तथा औद्योगिक वित्त

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम - राज्य वैयक्तिक निगम - बैंक तथा औद्योगिक वित्त - उद्योगों के लिए पुन वित्त प्रबन्ध करनेवाला निगम

६९-७५

(८)

द्विनिमय नियंत्रण

बैंक के द्विनिमय सञ्चालन कर्तव्य - स्टैबिलिटी धोन में प्रवृद्ध - द्विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य-अधिकार प्राप्त व्यापारी - विदेशी द्विनिमय में प्रेषण-भारत की पूंजी की प्रेषणा-गोना खादी-निर्यात नियंत्रण - आभूषणों, मुद्रा, नोटों तथा ऋणपत्रों की निर्मात - साहित्यकीय विवरण

७६-८३

(९)

आर्थिक एव सांख्यिकीय अनुसंधान ८४-८६

(१०)

बैंक का आंतरिक संघटन

बैंक के कार्यालय तथा शाखाएँ - बैंकिंग विभाग - लोक खाते
 - लोक ऋण - जमा खाते - ऋणपत्र - प्रचालन विभाग -
 केन्द्रीय कार्यालय विभाग - सचिव का कार्यालय - मुख्य
 लेखा अधिकारी का कार्यालय - निरीक्षण विभाग -
 कानून विभाग - विनियम नियंत्रण विभाग - बैंकिंग विकास
 का विभाग - औद्योगिक वित्त विभाग - कृषि साख विभाग
 - बैंकिंग क्रियाओं का विभाग - अनुसंधान एव सांख्यिकी
 विभाग

८७-९८

(११)

साप्ताहिक आवेदन, तुलन-पत्र तथा प्रकाशन

रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक आवेदन - प्रचालन विभाग -
 देयता तथा परिसंपत्ति - बैंकिंग विभाग देयता तथा
 परिसंपत्ति - एक सप्ताह में विभिन्नता की व्याख्या - एक
 वर्ष में विविधता का विश्लेषण - अनुसूचित बैंकों की
 सर्पिडित स्थिति के साप्ताहिक आवेदन - साप्ताहिक तथा
 वार्षिक विभिन्नताओं की व्याख्या - रिज़र्व बैंक का आय-
 व्यय - बैंक के प्रकाशन

९९-११६

(१२)

निष्कर्ष ११७-११८
 ग्लासरी ११९-१२४
 अनुसंधानिका १२५-१३५

(१)

भूमिका

बैंक की स्थापना

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया की स्थापना १ अप्रैल सन् १९३५ में हुई। यह इस प्रकार की सस्था को स्थापित करने के लगातार प्रयत्नों का फल था। केन्द्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता का सबसे पहला विवरण कदाचित् धारन हेस्टिंग्स के सन् १७७३ ई. के सरकारी पत्र में मिलता है जिसमें जनरल बैंक आफ बंगाल और बिहार की स्थापना की सिफारिश की गई थी। बाद में इस सम्बन्ध पर समय समय पर विभिन्न मुद्दाव दिये गये परन्तु इस शताब्दी के दूसरे दशक सन् १९२० के पश्चात् ही इस मुद्दाव को एक निश्चित रूप दिया गया। केन्द्रीय बैंकिंग संस्था की अत्यधिक आवश्यकता को स्वीकार किया गया तथा जब १९२१ में तीन प्रेसीडेन्सी बैंकों को मिलाकर इपीरियल बैंक आफ इंडिया की स्थापना की गई तो यह आशा की जाती थी कि यह सस्था संपूर्णतः केन्द्रीय बैंक का रूप ले लेगी। वास्तव में, इपीरियल बैंक ने केन्द्रीय बैंक के कुछ कार्य किये भी, जैसे, सरकार के बैंकर का कार्य करना, यद्यपि नोट जारी करना केन्द्रीय सरकार का ही सीधा उत्तरदायित्व रहा। सन् १९२६ में भारतीय मुद्रा एवं वित्तशाही आयोग ने (जो हिल्टन पैग कमीशन के नाम से विख्यात है) अनुभव किया कि वह आर्थिक प्रणाली जिसके अन्तर्गत मुद्रा वा साख पर दोहरा नियंत्रण था, जिसमें भारत सरकार तथा इपीरियल बैंक में उत्तरदायित्व बँटा हुआ था तथा जिसमें इन दोनों की नीतियों में भिन्नता होने की संभावना रहती थी, दोषपूर्ण थी; इसलिये कमीशन ने चार्टर द्वारा, "उन तरीकों पर जो तजुर्वे द्वारा ठीक साबित हो चुके थे" केन्द्रीय बैंक स्थापित करने की सिफारिश की। इस सिफारिश के आधार पर एक प्रस्ताव विधान सभा में जनवरी सन् १९२७ को प्रस्तुत किया गया, परन्तु कई स्थल पार करने के पश्चात् संबंधानिक कारणों से आगे नहीं बढ़ सका। केन्द्रीय बैंक का प्रश्न सन् १९३३ में भारतीय सर्वधानिक सुधारों के ऊपर ब्रह्माइट पेपर के प्रकाशन के समय फिर महत्वपूर्ण हो गया। ब्रह्माइट पेपर के ३२ वे अनुच्छेद के अनुसार केन्द्रीय शासन में ब्रिटेन द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपना, राजनैतिक प्रभाव में स्वतंत्र रिज़र्व बैंक की स्थापना तथा उसके सफलतापूर्वक कार्य करने पर निर्भर बना दिया गया। इसने केन्द्रीय बैंक की स्थापना के प्रस्ताव को पुनर्जीवित कर दिया। फलतः ८ सितम्बर सन् १९३३ को भारतीय विधान सभा में एक नया बिल पेश किया गया, जो कुछ समय के अनन्तर पास हो गया तथा उसको ६ मार्च सन् १९३४ को गवर्नर

जनरल की स्वीकृति मिल गई। बैंक ने अपना कार्य १ अप्रैल सन् १९३५ को प्रारंभ कर दिया। बर्मा के भारत से पृथक होने तथा बाद में भारत के भारत सघ तथा पाकिस्तान में विभाजित होने एवं सघ में देशी रियासतों के विलीनीकरण के कारण पिछले कुछ वर्षों में, रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन हो गया। अप्रैल सन् १९३७ में बर्मा के पृथक होने के पश्चात् ५ जून सन् १९४२ तक रिजर्व बैंक आफ इंडिया उस देश के मुद्रा-अधिकारी के कार्य तथा ३१ मार्च सन् १९४७ तक बर्मा सरकार के बैंकर का कार्य करता रहा। देश के विभाजन के पश्चात् ३० जून सन् १९४८ तक बैंक पाकिस्तान राज्य को अपनी बैंकिंग सेवाएँ देता रहा।

प्रारंभ में शेयर होल्डरों का बैंक

विदेशों के मुख्य केन्द्रीय बैंकों के नमूने पर बैंक आरंभ में शेयर होल्डरों का बैंक बना जिसकी कुल शेयर पूंजी ५ करोड़ रुपये रखी गई, जिसे पाँच लाख के सौ सौ रूपयों के पूर्णतया शोधित शेयरों में बाटा गया। प्रारंभ में कुल शेयर पूंजी, सिवाय २,२०,००० रु के अभिहित मूल्य के शेयरों के, जिन्हे (प्रारंभिक एक्ट* की धारा ४(८) के अंतर्गत) केन्द्रीय सरकार को बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के डाइरेक्टरों के बीच उन लोगों को अल्पिष्ठ पात्रता (Minimum Qualifications) प्राप्त करने के लिए सममूल्य पर देने के लिये दिया गया, वैयक्तिक शेयर होल्डरों के पास थी। परन्तु बैंक के कार्य सार्वजनिक प्रकृति के होने के कारण, यह उचित समझा गया कि विधान में शेयर रखने तथा शेयर होल्डरों को दिये जाने वाले लाभांश की दर सबधी धारणा शामिल की जावे। इसी प्रकार एक्ट में बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों की पात्रता के बारे में, जिनमें अधिकांश शेयर होल्डरों द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले थे, नियम बनाये गये। उनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस विषय में केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, गवर्नर (Governor) तथा दो उप-गवर्नरों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। सार्वजनिक हित की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार को यदि उसकी राय में बोर्ड विधान द्वारा नियत दायित्व को पूरा नहीं कर रहा हो तो, केन्द्रीय बोर्ड को भंग करने का भी अधिकार दिया गया।

राष्ट्रीयकरण

बैंक तथा सरकार की नीतियों में निकट अनुकूलन की आवश्यकता की दृष्टि से बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बार बार उठाया जाता रहा। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्, बदले हुए जनमत के वातावरण में ही बैंक के राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया गया। इस सम्बन्ध में यह लिखना उचित होगा कि युद्ध समाप्त

* जब तक इसके विपरीत न दिया गया हो, इस पूरे प्रकाशन में 'एक्ट' रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट, १९३४ को लक्ष्य करता है।

होने के तुरत बाद कई युरोपीयन केन्द्रीय बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनमें बैंक आफ इंग्लैंड तथा बैंक आफ फ्रान्स भी शामिल थे। इस प्रकार सन् १९४८ के रिज़र्व बैंक (राष्ट्रीयकरण) एक्ट के अनुसार, बैंक की कुल शेयर पूजी शेयर होल्डरो को हानिपूर्ति देकर (११८ रु. १० आने प्रति १०० रु. मूल्य दर से) केन्द्रीय सरकार द्वारा ले ली गई। निर्धारित तिथि १ जनवरी सन् १९४९ को भारत सरकार ने बैंक के सभी शेयर ले लिये तथा उस दिन से रिज़र्व बैंक ने एक राष्ट्रीयकृत सस्था के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया। सन् १९४८ के एक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को, बैंक के गवर्नर की सम्मति से, जनहित की दृष्टि में, बैंक को आवश्यक आदेश देने का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त बैंक के कार्य तथा उस की व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। एक्ट के अन्दर न्यूनतम सशोधन थे जो स्वाभित्व के अंतरण के लिये तथा उसके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों, जिनमें केन्द्रीय तथा स्थानीय बोर्डों के विधान में परिवर्तन भी शामिल थे, आवश्यक थे। सशोधित एक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय बोर्ड के सब संचालक जिनमें गवर्नर तथा उप-गवर्नर भी शामिल हैं, तथा स्थानीय बोर्डों के सब सदस्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं।

केन्द्रीय तथा स्थानीय बोर्ड

बैंक का सामान्य अधिक्षण तथा संचालन इस समय केन्द्रीय संचालक बोर्ड के हाथ में है। केन्द्रीय संचालक बोर्ड में १५ सदस्य हैं—गवर्नर तथा तीन उप-गवर्नर, केन्द्रीय सरकार द्वारा एक्ट की ८ (१) (क) धारा के अन्तर्गत नियुक्त, चार संचालक (चारों स्थानीय बोर्डों में से प्रत्येक बोर्ड में से एक एक के हिसाब से), धारा (१) (ख) के अनुसार नियुक्त, ६ संचालक, धारा ८ (१) (ग) के अन्तर्गत तथा एक राजकीय अधिकारी, धारा ८ (१) (घ) के अन्तर्गत। धारा ८ (१) (ग) के अन्तर्गत नियुक्त हुए संचालक चार वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं तथा उनके बारी बारी से निवृत्त होने की व्यवस्था है, जब कि धारा ८ (१) (ख) के अन्तर्गत नियुक्त होनेवाले संचालकों के पद की अवधि उनकी स्थानीय बोर्डों की सदस्यता पर निर्भर रहती है। केन्द्रीय बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम ६ बार तथा हर तिमाही में कम से कम एक बार होनी आवश्यक है। व्यावहारिक सरलता के दृष्टिकोण से बोर्ड ने एक्ट की धारा ५८ (२) के अन्तर्गत बनाये परिनियत नियमों द्वारा अपने कुछ कार्य एक कमेटी को सौंप दिए। इस कमेटी की बैठक बैंक के उस कार्यालय में जहाँ उस समय गवर्नर बैंक के चालू कार्यों को देखने के लिये अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किये हुए उपस्थित हो, साधारणतया सप्ताह में एक बार होती है। देश के चार क्षेत्रों में प्रत्येक के लिये एक-एक स्थानीय बोर्ड है जिनके मुख्य कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली में हैं। स्थानीय बोर्डों में ५ सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति चार वर्ष की अवधि के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। जहाँ तक सम्भव होता है ये सदस्य क्षेत्रीय तथा आर्थिक स्वार्थों तथा सहकारी एवं देशी बैंको के प्रतिनिधि होने हैं।

स्थानीय बोर्डों के कार्य हैं—उन मामलों पर जो साधारणतया व मुख्यतया उनके पास उनकी राय के लिये भेजे गये हों, परामर्श देना तथा उन कार्यों को करना जिन्हें केन्द्रीय बोर्ड नियमों द्वारा उन्हे सौंपे ।

आंतरिक संघटन तथा व्यवस्था

केन्द्रीय संचालक बोर्ड का अध्यक्ष तथा उसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गवर्नर होता है (और उनकी अनुपस्थिति में उनका मनोनीत उप-गवर्नर)। गवर्नर को ऐसे नियमों की सीमा में जो गवर्नर के केन्द्रीय बोर्ड के बनाये नियमों के अन्तर्गत आती हैं बैंक सम्बन्धी सभी कार्य करने का अधिकार है—केन्द्रीय बोर्ड द्वारा उन सब कार्यों के करने का अधिकार होता है जो बैंक द्वारा किये जा सकें । गवर्नर के कार्य में सहायता देने के लिये तीन उप-गवर्नर हैं । इनमें से प्रत्येक के अधीन बैंक सम्बन्धी कार्य का निश्चित क्षेत्र दिया हुआ है । वर्तमान कार्य व्यवस्था के अनुसार एक उप-गवर्नर नोट प्रचालन, विनिमय नियंत्रण, जनता के खातों, जमा खातों, खुले बाजार की लेन-देन, मार्वाञ्जनिक ऋण, तथा संचालन से संबंधित आम कार्यों का उत्तरदायी होता है, दूसरा बैंकिंग के कार्यों का उत्तरदायी है तथा तीसरा उप-गवर्नर ग्रामीण साख, बैंकिंग के विकास तथा औद्योगिक वित्त की देखभाल करता है । गवर्नर तथा सभी उप-गवर्नर केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के समय में निर्धारित ५ वर्षों की अवधि तक अपने पद पर रहते हैं तथा उनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है । बैंकिंग, वैज्ञानिक, एवं आर्थिक ज्ञान, अनुसंधान तथा सलाह का कार्य बैंक के प्रधान सलाहकार के अधीन संघटित किया जाता है तथा इसे बैंक की समस्त वर्मात्मक प्रकार्यों से मग्न किया जाता है ।

बैंक का केन्द्रीय कार्यालय बम्बई में है तथा इसमें मुख्य एकाउन्टेन्ट के विभाग के अतिरिक्त, सचिव का विभाग तथा कानून विभाग, अनेक विशेषज्ञ विभाग जैसे कृषि साख विभाग, बैंकिंग क्रियाओं का विभाग, बैंकिंग विकास विभाग, औद्योगिक वित्त विभाग, विनिमय नियंत्रण विभाग तथा अनुसंधान एवं सांख्यिकी विभाग भी हैं । केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभाग बैंक की नीतियां निर्धारित करने में बैंक के व्यवस्थापकों की सहायता करते हैं तथा सरकार को वैज्ञानिक, बैंकिंग तथा आर्थिक मामलों पर सलाह देते हैं । इन विभागों के कार्यों का वर्णन नवे तथा दगवे परिच्छेदों में विस्तारपूर्वक दिया गया है ।

देशभर में बैंक के प्रकार्यों के सन्तोषजनक निष्पादन के लिये बैंक ने स्थानीय कार्यालय/शाखाएँ, जिनमें बैंकिंग तथा प्रचालन विभाग हैं, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, नागपुर तथा नई दिल्ली में स्थापित कर रखी हैं । अन्य स्थानों में वह अपने एजेंटों—स्टेट बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ हिंदुस्तान तथा बैंक आफ मंगूर—द्वारा प्रतिनिधित्व हैं । इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग की एक शाखा

लदन में भी है। पिछले बरों में व्यापारिक बैंकों एवं सहकारी बैंकों के कार्यों के निरीक्षण अथवा पर्यवेक्षण का कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया है तथा बैंकिंग क्रियाओं के विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय ऊपर लिखे हुए सब स्थानों में (बंगलौर के अतिरिक्त) तथा त्रिवेन्द्रम में स्थापित किये गये हैं। कृषि साख विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली में स्थित हैं तथा विनिमय नियंत्रण विभाग के कार्यालय इन तीनों स्थानों तथा कानपुर में हैं।

बैंक के मुख्य प्रकार्य

बैंक का प्राथमिक प्रकार्य, आर्थिक स्थायित्व का प्रवर्तन करने एवं सरकार की सामान्य आर्थिक नीति की सीमा में अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होने के उद्देश्य से, देश की मुद्रा प्रणाली का नियमन करना है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट, १९३४ की मूमिका के अनुसार बैंक का मुख्य प्रकार्य "बैंक नोटों के प्रचालन का नियमन करना तथा भारत में मुद्रा स्थायित्व स्थापित करने के उद्देश्य से प्रारक्षण में रखना तथा मुद्रा अथवा साख प्रणाली का, देश के हित की दृष्टि से क्रियाकरण करना है।" मुद्रा कला-विन्यास (Mechanism) के नियमन में देश की चलन, मुद्रा, बैंकिंग तथा साख प्रणाली का नियंत्रण शामिल है। इस कार्य के लिये, बैंक को नोट प्रचालन करने का एकाधिकार दिया गया है तथा वह व्यापारी बैंकों तथा कुछ अन्य वैयक्तिक संस्थाओं के, जिनमें राज्य सहकारी बैंक भी शामिल हैं, बैंक का कार्य करता है, उनको नकद निधिया अपनी रक्षा में रखता है तथा उनको विवेकपूर्ण रीति से आर्थिक निभाव प्रदान करता है। साख के नियमन-कर्ता के कर्तव्यों का पालन करने के लिये बैंक के पास केवल साधारण साख नियंत्रण के साधन जैसे बैंक दर, खुले बाजार की क्रियायें, तथा बैंक की निधि संबंधित आवश्यकताओं को कम ज्यादा करने की शक्ति ही नहीं है वरन् उसको मन् १९४९ के बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट के अन्तर्गत विवेचनात्मक एवं सीधे साख नियंत्रण के विस्तृत अधिकार भी प्राप्त हैं। बैंक का एक और महत्वपूर्ण प्रकार्य जो शायद सबसे अधिक पुराना है, सरकार की बैंकिंग तथा वैयक्तिक क्रियाओं का संचालन है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय आर्थिक विकास एवं कल्याण के एक दूसरे के ऊपर निकट रूप से आश्रित होने के कारण बैंक को रुपये के विनिमय मूल्य को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। यह वास्तव में केन्द्रीय बैंक के आर्थिक तथा वैयक्तिक स्थिरता बनाये रखने के विस्तृत उत्तरदायित्व का एक पहलू है। अब इस बात पर साधारणतया सब एक मत है कि ब्रुनियादी तौर से आंतरिक स्थिरता तथा बाह्य स्थिरता में परस्पर विरोध नहीं है तथा दोनों न्यूनार्थिक रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस कार्य को करने के लिये, रिजर्व बैंक देश के अन्तर्राष्ट्रीय प्रारक्षण की रक्षा तथा व्यवस्था करता है। सरकार द्वारा व्यापार नियंत्रण के समनुरूप वह अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी तथा प्राप्त सम्बन्धी व्यवहार के ऊपर नियंत्रण भी रखता है।

आर्थिक विकास के कार्यों को नया महत्व तथा प्रेरणा मिलने के कारण बैंक के प्रकार्यों का क्षेत्र लगातार विस्तृत होता जा रहा है। बैंक अब विभिन्न प्रकार के विकासनात्मक एवं प्रवर्धनात्मक प्रकार्य करता है जो पहले साधारणतया केन्द्रीय बैंकिंग के कार्यक्षेत्र से बाहर समझे जाने थे। परम्पराप्राप्त साख नियमन के अतिरिक्त बैंक के उत्तरदायित्व में, न केवल वाणिज्य एवं व्यापार वरन् कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त तथा उचित बैंकिंग प्रणाली का विकास करना भी शामिल है, जिनके लिये वित्त व्यवस्था के संस्थानात्मक (Institutional) प्रबन्ध बहुत मद गति से विकसित हुए थे। यद्यपि कृषि साख की उपलब्धि के साधनों का विस्तार करना बैंक की स्थापना के समय से ही उसका परिचालित उत्तरदायित्व रहा है, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति पिछले कुछ वर्षों में ही हुई है। बैंक ने औद्योगिक वित्त के साधनों के विकास के लिये भी बचम उठाया है। मुद्रा एवं साख का नियमनकर्ता तथा सरकार का बैंकर होने के कारण, सामान्यत आर्थिक मामलों पर तथा विशेषतः वित्तिक समस्याओं पर सरकार के सलाहकार के रूप में बैंक के कर्तव्यों का महत्व भी बढ़ता जा रहा है।

बैंक वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों की क्रियाओं, अदायगी शेष (Balance of Payments), कपनी तथा सरकारी वित्त तथा ऋण-पत्र बाजार के आकड़े एकत्र करता है तथा उन पर आधारित साप्ताहिकी एवं विश्लेषण अपनी पत्रिकाओं में नियत समय पर प्रकाशित करता है। बैंक प्रतिमाह एक विवरण पत्र (Bulletin) (साप्ताहिक सांख्यिकीय परिशिष्ट के साथ) तथा प्रतिवर्ष सामान्य आर्थिक, वित्तिक तथा बैंकिंग संबंधी सूचना, जिनमें बैंक के कार्य तथा नीतियां, जैसे केन्द्रीय संचालकबोर्ड की रिपोर्टें, भारत में बैंकिंग की प्रगति की प्रवृत्तियों की रिपोर्टें, भारत के सहकारी आंदोलन का निरूपण (दो वर्षों में एक बार) तथा मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्टें प्रकाशित करता है। पहली दो परिचालित रिपोर्टें हैं जिन्हें क्रमानुसार रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट, सन् १९३४ की धारा ५३ (२) के तथा बैंकिंग कपनीज़ एक्ट, सन् १९४९ की धारा ३६ (२) के अंतर्गत भारत सरकार को भेजना होता है।

इस प्रकार बैंक के कार्य विस्तृत तथा विभिन्न हैं, जो रूढ़िवादी केन्द्रीय बैंकिंग प्रकार्यों के ऊपर नये दृष्टिकोण के अध्यारोपण को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बैंक के कार्यों की विस्तृत व्याख्या तथा उन कठिन प्रकार्यों को पूरा करने के लिये आन्तरिक व्यवस्था के वर्णन की ओर बढ़ते हैं।

(२)

मुद्रा एवं साख का नियमन - १

सामान्य अवलोकन

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया का देश में नोट प्रचालन पर पूरा आधिपत्य है (एक रुपये के सिक्के, नोट तथा छोटे सिक्कों के अतिरिक्त जिनकी मात्रा तुलना में कम है)। मुद्रा एवं साख नीति के अन्तर्गत मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा के सभरण का नियमन करना है। अत्यधिक मानसिक प्रभाव द्वारा रिज़र्व बैंक की नीतियां, क्योंकि वह देश के बदलते हुए आर्थिक दृष्टिकोण की सूचक होती हैं, प्रायः देश की मौद्रिक एवं आर्थिक प्रवृत्तियों पर प्रभाव डालती हैं। मुद्रा के सभरण पर औपचारिक नियंत्रण होने के कारण, बैंक जनता में मुद्रा सभरण की मात्रा पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। बैंक द्वारा जमा राशि का निर्माण आधार रूप में उनके नकद प्रारक्षण पर निर्भर करता है जिनका अंतिम स्तर भी रिज़र्व बैंक है। बैंक के पास मुद्रा सभरण को नियमन करने के अनेक साधन हैं जिनकी इन आगे आनेवाले परिच्छेदों में चर्चा की जाएगी। रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के पास नियमन के उपलब्ध साधनों में से अनेक वे हैं जो साधारणतया केन्द्रीय बैंकों के पास होते हैं; उनमें बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएँ तथा अस्थिर प्रारक्षण आवश्यकताएँ (Variable Reserve Requirements) शामिल हैं। यह साधन सीधे साख के आधार (Credit Base) पर प्रभाव डालकर अथवा रिज़र्व बैंक के निभाव की उपलब्धि एवं मूल्य में रद्दीबदल करके प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक को बैंकिंग कपनीज एक्ट, १९४९, के अन्तर्गत बैंकिंग प्रणाली के सीधे एवं विवेचनात्मक नियमन के विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु यह कहना ठीक होगा कि व्यवहार में मुद्रा सभरण पूर्णतया या अधिकांश मात्रा में भी बैंक के नियंत्रण में नहीं है। यह अधिक मात्रा में सरकार के बजट सबधी कार्यों द्वारा, जिन पर बैंक का बिलकुल नियंत्रण नहीं है, प्रभावित होता है यद्यपि इस विषय में सरकार को परामर्श देने के अवसर बैंक को प्राप्त हैं। कुल मुद्रा सभरण को निश्चित करने में देश के अंतर्राष्ट्रीय सौदों का भी हाथ है। मुख्यतः कुल मिला कर सरकार की आर्थिक नीति का विस्तृत ढांचा केन्द्रीय बैंक की अपनी नीतियों की अपेक्षा, सामान्य मौद्रिक स्थिति का नियमन करने में अधिक महत्व रखता है, विशेषतया क्योंकि बैंक

द्वारा सरकार को साख देने की कोई परिनियत सीमा नहीं है। इससे मौद्रिक स्थिरता बनाये रखने के बैंक के उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करने में सरकार के सहयोग की आवश्यकता प्रगट होती है।

इस सामान्य अवलोकन के पश्चात् हम मुद्रा एव साख के विस्तृत विवरण की ओर अग्रसर होते हैं। इस परिच्छेद में हम बैंक के मुद्रा प्रचालन संबंधित परिनियत आवश्यकताओं तथा प्रशासन संबंधी व्यवस्थाओं का पर्यावलोकन करेंगे। अगला परिच्छेद रिज़र्व बैंक द्वारा साख नियमन के विषय में है।

नोट प्रचालन से संबंधित परिनियत प्रावधान

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट के अनुसार, बैंक के नोट प्रचालन तथा सामान्य बैंकिंग से संबंधित कार्य दो अलग विभागों—प्रचालन तथा बैंकिंग—द्वारा किये जाते हैं। प्रचालन विभाग की परिसंपत्ति जो नोट प्रचालन की साहाय्य होती है, बैंकिंग विभाग की परिसंपत्ति से विलकुल अलग रखी जाती है। परन्तु व्यवहार में इस भेद का आधिक महत्व बहुत कम है।

जनता में नोटों का वास्तविक प्रचालन तथा उनको संचालन (Circulation) से वापस लेने के कार्य बैंक के बैंकिंग विभाग द्वारा किए जाते हैं। प्रचालन विभाग नोटप्रचालन अथवा ग्रहण केवल अन्य बैंकों के नोटों, या विधान द्वारा बैंक की परिसंपत्ति बनने के लिए स्वीकृत मुद्रा, स्वर्ण तथा ऋणपत्रों के बदले में ही करता है। एक्ट की धारा ३३ के अनुसार बैंक की परिसंपत्ति में जिसकी पुष्टि पर वह नोट जारी कर सकता है, निम्नलिखित होने चाहिए—जैसे स्वर्णमुद्रा, स्वर्ण, विदेशी ऋणपत्र तथा रुपये के सिक्के, भारत सरकार के रुपये के ऋणपत्र एव इस प्रकार के विनिमय बिल तथा भारत में भुगतान होनेवाले हक्के जो बैंक द्वारा खरीदे जाने के लिए ग्रहणीय हों। व्यवहार में इस प्रकार के बिल तथा हक्के, उचित बिल बाजार के न होने के कारण बैंक की परिसंपत्ति के अंग नहीं हो पाये थे। मूल एक्ट में नोट प्रचालन के साहाय्य के लिये सोने अथवा विदेशी ऋणपत्रों के अनुपातिक प्रारक्षण का निर्देशन था, जिसके अनुसार कुल संपत्ति में कम से कम ४० प्रतिशत भाग स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण तथा विदेशी ऋणपत्रों का होना चाहिये था, इस ध्वेज के साथ ही स्वर्ण मुद्रा तथा स्वर्ण विरी भी समय ४० करोड़ रुपये के मूल्य से कम के नहीं होने चाहिये। बीस वर्ष से अधिक समय तक यह अपेक्षा नहीं बदली। नोट प्रचालन को विदेशी प्रारक्षणों से सम्बद्ध करने का सिद्धान्त एक प्रकार से उम्र समय से चला आ रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान (Gold Standard) प्रचलित था। दूसरी ओर युद्ध काल में तथा युद्ध के बाद के वर्षों में केन्द्रीय बैंकिंग विधानों की सामान्य प्रवृत्ति विदेशी प्रारक्षणों को नोट प्रचालन से पृथक करने की रही। यह सत्तर भर में स्वीकार कर लिया गया है कि

विदेशी विनिमय प्रारक्षण का मुख्य उद्देश्य देश को अदायगी शेष की प्रतिकूल अवस्था पर काबू पाने योग्य बनाना है। भारत में विकास योजनाओं द्वारा दिये जानेवाले प्रोत्साहन के फलस्वरूप आर्थिक क्रियाओं में द्रुतप्रगति तथा अर्थव्यवस्था के द्रव्य पर आधारित क्षेत्र (Monetised Sector) के विकसित होने के कारण मुद्रा में अत्यधिक प्रसार की आवश्यकता पड़ी है। योजना के अर्थ-प्रबंधन के लिये भी बैंक के विदेशी प्रारक्षण की भारी मांग आवश्यक हुई। इन परिस्थितियों की उत्पत्ति की पहले से आशा होने के कारण, सन् १९५६ के रिजर्व बैंक आफ इंडिया (सशोधन) एक्ट में, जो ६ अक्टूबर सन् १९५६ से लागू हुआ अनुपातिक प्रारक्षण प्रणाली (Proportional Reserve System) के स्थान पर केवल न्यूनतम मात्रा में विदेशी प्रारक्षण, ४०० करोड़ रुपये विदेशी ऋणपत्रों में, तथा ११५ करोड़ रुपये स्वर्ण मुद्रा तथा स्वर्ण में, अथवा कुल मिला कर ५१५ करोड़ रुपये, की व्यवस्था की गई। साथ ही, जहाँ ६ अक्टूबर सन् १९५६ से पूर्व बैंक के स्वर्ण का मूल्य ८.४७५१२ ग्रेन प्रति रुपये या २१.२४ रु. प्रति तोले* की दर से निर्धारित होता था, सशोधित एक्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा निश्चित अधिकारीय समान मूल्य (Official Parity Price), अर्थात् २.८८ ग्रेन शुद्ध सोना प्रति रुपये या ६२.५० रु. प्रति तोला की दर से पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था की गई। यह परिवर्तन पूर्णतया औपचारिक था तथा इसका उद्देश्य अधिकारीय समान मूल की दर से बैंक के स्वर्ण भंडार का मूल्यांकन करना था। इसके फलस्वरूप, स्वर्ण के मूल्यांकन के साथ साथ, स्वर्ण के रूप में रखे जानेवाले न्यूनतम प्रारक्षण की मात्रा ४० करोड़ रुपये के स्थान पर ११५ करोड़ रुपये स्थिर की गई। परिसंपत्ति के संधारण संबंधित व्यवस्था में, ३१ अक्टूबर सन् १९५७ को, एक अध्यादेश द्वारा, जिसका नाम " रिजर्व बैंक आफ इंडिया (सशोधन) अध्यादेश १९५७ " था, तथा जिसका रिजर्व बैंक आफ इंडिया (द्वितीय सशोधन) एक्ट, १९५७ ने स्थान ले लिया, पुनः परिवर्तन किया गया। इस एक्ट में निर्देशन था कि प्रचालन विभाग के पास स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण एवं विदेशी ऋणपत्र कुल मिलाकर किसी समय २०० करोड़ रुपये के मूल्य से कम के नहीं होने चाहिये; इसमें से स्वर्ण का मूल्य (धातु तथा मुद्रा मिलाकर) ११५ करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिये था अर्थात् उतना ही जितना अध्यादेश के जारी होने से पूर्व था।

जैसा अन्य केन्द्रीय बैंक के परिणियमों में है पहिले से पता न चलनेवाली विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिये विदेशी विनिमय निधि से संबंधित नियमों को स्थगित करने की व्यवस्था भी रखी गई है। १९५७ के द्वितीय सशोधन एक्ट के अंतर्गत रिजर्व बैंक को अधिकार है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेकर, विदेशी ऋणपत्रों को अपने पास बिलकुल न रखे, परंतु उसके पास ११५ करोड़ रुपये का स्वर्ण होना आवश्यक है।

* एक तोला एक आऊंस का ३।८ भाग है।

नोट प्रचालन संबंधित प्रशासन प्रबंध :

नकदी तिजोरियां (Currency Chests)

सरकार के व्यवहार तथा बैंको एव जनता की विनिमय तथा मुद्रा प्रेषण संबंधी आवश्यकताओं को सहूल करने के लिये पर्याप्त मात्रा में मुद्रा के संभरण के लिये रिजर्व बैंक उत्तरदायी है। बैंकिंग विभाग को नोट जारी करने के अतिरिक्त बैंक का प्रचालन विभाग, जनता को मागने पर नोटों के बदले रुपये के सिक्के तथा सिक्कों के बदले नोट देता है। इन प्रकार्यों को पूरा करने के लिये बैंक ने विस्तृत प्रशासन प्रबंध किये हैं। वर्तमान समय में बैंक के प्रचालन विभाग के सात कार्यालय बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, नागपुर और नई दिल्ली व दो उप-कार्यालय गोहाटी तथा हैदराबाद में, तथा नकदी तिजोरिया (१) उसके अभिकर्ताओं अर्थात् स्टेट बैंक आफ इडिया, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद तथा बैंक आफ मंगूर की शाखाओं के पास, तथा (२) राज्य-कोपो तथा उप-राज्य-कोपो में जहां बैंक के अभिकर्ताओं की शाखा की अनुपस्थिति में राजकीय कार्य होता है, स्थापित हैं। नकदी तिजोरियों की संख्या लगभग १,३०० है तथा वे देश के सभी प्रमुख केन्द्रों में हैं। इसके अतिरिक्त बैंक ने विभिन्न स्थानों पर अपने अभिकर्ताओं (अर्थात् स्टेट बैंक आफ इडिया, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद तथा बैंक आफ मंगूर) की प्रार्थना पर, तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुमति से राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित स्थानों पर अतिरिक्त नकदी तिजोरियां उपलब्ध करना स्वीकार किया है। जनता को छोटे मूल्य के सिक्के देने के लिये, प्रचालन विभाग ने छोटे सिक्कों की राजकीय आगारें (Depots) स्थापित कर रखी हैं।


नकदी तिजोरिया वह पात्र हैं जिनमें नये अथवा पुनः प्रचालित होने योग्य नोट तथा रुपये के सिक्के संचय किये जाते हैं। राज्य कोप या बैंक के अभिकर्ता को एक नकदी तिजोरी दी जाती है जिससे, जब किसी दिन उसके भुगतान उसके शेष धन से अधिक हो वह आवश्यकतानुसार राशि निकाल सके, तथा आवश्यकता में अधिक राशि हो तो उसमें जमा कर सके। इस प्रकार इन तिजोरियों की उपलब्धि के कारण नकदी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं रहती, यद्यपि इस प्रकार का प्रेषण एक केन्द्र पर प्राप्ति से अधिक भुगतान के लिये लगातार माग की दशा में आवश्यक हो सकता है, उदाहरण के लिये जब कि एक राज्य-कोप एक विशेषण के स्थान के निकट हो या उसके विपरीत। इस प्रकार नकदी तिजोरियों का बलाविन्यास केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का विशेष रूप से सहायक होता है क्योंकि इसके कारण राज्य कोप अपेक्षित कम मुद्रा राशि से कार्य कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त इन तिजोरियों के द्वारा रुपये के सिक्कों का नोटों में बदलना तथा कम मूल्य के नोटों के बदले में बड़े मूल्य के नोटों का देना तथा उनके विपरीत, या पुराने तथा गन्दे नोटों के बदले नये नोट देना संभव होता है। नकदी तिजोरिया बैंको तथा जनता को धन के प्रेषण के लिये सुविधाएँ देने का साधन भी बन जाती है।

नकदी तिजोरियों में बन्द नोट संचलन में नहीं माने जाते, जब कि रुपये के सिक्के (तथा एक रुपये के नोट) जो कि तिजोरियों में बन्द रहते हैं प्रचालन विभाग की संपत्ति का अंश होते हैं। इस प्रकार नकदी तिजोरियों में नोटों के जमा करने का अर्थ प्रचालित (संचलित) नोटों की मात्रा में कमी करना होता है, जबकि तिजोरी में रुपये के सिक्के जमा करने का अर्थ होता है, सिक्कों की रकम में, जो संचलित नोटों के साहाय्य स्थापित कोष का अंग होती है, वृद्धि करना। दूसरी ओर नकदी तिजोरी में से नोट निकालने का अर्थ होता है संचलित नोटों की मात्रा में वृद्धि जब कि नकदी तिजोरी में से रुपये के सिक्के निकालने का फल होगा, सिक्कों की रकम में जो संचलित नोटों के साहाय्य कोष का अंग होती है, कमी करना। इस प्रकार एक नकदी तिजोरी में नोट या सिक्के जमा करने से अन्य नकदी तिजोरी के स्थान पर नोट या सिक्के का प्रचालन किया जा सकता है, बिना जमा की हुई मात्रा तक वास्तविक रूप में धन भेजने तथा बिना प्रचालित नोटों के साहाय्य सिक्कों की मात्रा में वास्तविक परिवर्तन किए हुए।

मुद्रा संचलन में ऋतुकालीन एवं अन्य उतार-चढ़ाव

वर्षों से मुद्रा में ऋतुकालीन उतार-चढ़ाव का लक्षण भारतीय अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। यह करीब करीब ताल-बद्ध ज्वार भाटा के समान तथा मदी और व्यस्त ऋतुओं में जो मुख्यतया खेती की फसल के समय तथा उपज के स्थानान्तरण से संबंधित है, मुद्रा के प्रवाह में प्रतिबिम्बित होता है। मुद्रा में ऋतुकालीन उतार-चढ़ाव औद्योगिक देशों में भी होते हैं, जैसे किसमस या अवकाश के समय, परन्तु यह "ऋतुएं" आय के अत्यधिक व्यय से संबंधित होती हैं न कि आय की प्राप्ति से। भारत में महत्वपूर्ण बात वर्षों का लगभग दो बराबर ऋतुओं में बटा होना है। इसके मुख्य कारण अर्थ-व्यवस्था की प्रकृति तथा नकद सौदों का बाहुल्य है। साधारणतया व्यस्त ऋतु, जिसमें मुद्रा की अधिक आवश्यकता होती है अक्टूबर के महीने में जब फसले काटी तथा स्थानान्तरित की जाती है, प्रारंभ होती है, तथा लगभग अप्रैल के अन्त तक समाप्त होती है। इस संबंध में यह ध्यान रखना लाभप्रद होगा कि गत युद्ध काल में भी जब मुद्रा का लगातार प्रसार हो रहा था (तथा मदी की ऋतु में भी प्रसार में कमी नहीं होती थी) मदी की ऋतु का प्रभाव फिर भी विदित होता ही था क्योंकि मुद्रा का विस्तार मदी की ऋतु में व्यस्त ऋतु की अपेक्षा कम होता था। युद्ध की समाप्ति तथा शांति स्थापित होने के साथ ऋतु प्रधान ढांचा फिर अधिक दृष्टिगोचर होने लगा तथा युद्ध समाप्ति के बाद के प्रारंभिक वर्षों की व्यस्त ऋतुओं में मुद्रा नियमित रूप से खप जाती थी तथा मदी की ऋतु में वापिस कर दी जाती थी। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में द्वितीय तथा तृतीय क्रम के व्यवसाय क्षेत्रों में वृद्धि के कारण, जैसे आयोजित विकास से प्रोत्साहन मिला, मुद्रा में ऋतुकालीन उतार-चढ़ाव कुछ हद तक स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होते।

जनता के पास द्रव्य मन्तरण की ऋणधार्मिक प्रवृत्तियाँ
१९४१-१९५८



इस स्थान पर, मुद्रा के ऋणधार्मिक प्रसार एवं प्रसार में कमी के साधारण कला-विन्यास को संक्षेप में समझाना उचित होगा। व्यस्त ऋण में व्यापारियों तथा उद्योग-पतियों द्वारा अपना रुपया अथवा अपने व्यापार तथा उत्पादन के लिये माल के त्रय के लिये स्वीकृत ऋण राशि निकालने के कारण व्यापारिक वाणिज्य बैंको से नकदी का निवल उत्पादक होता है। जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बैंक, कुछ मात्रा में, अपनी नकद राशि जिसमें रिजर्व बैंक के पास अपना धन भी शामिल होता है, निकालते हैं। यह राशि आवश्यकतानुसार रिजर्व बैंक से ऋण लेकर तथा/अथवा बैंक को या बाजार में अपने निवेश बेचकर पुनः पूरी की जाती है। बैंकों द्वारा नकद रुपया निकालने तथा सरकार के खाते में धेको की अदायगी के रूप में सरकारी अभिकर्ताओं तथा अन्य लोगों की नकद राशि साधारण आवश्यकताओं के न्यूनतम स्तर से कम हो जाती है। अपनी नकद राशि को फिर से पूरा करने के लिये बैंकिंग विभाग बराबर मात्रा में नकदी के बदलने में प्रचालन विभाग को अपनी ग्रहणीय परिसंपत्ति जैसे स्टॉक ऋणपत्र या रुपयों के ऋणपत्र हस्तान्तरित करता है। बैंकिंग विभाग में इनका सभरण बैंको तथा सरकारी अभिकर्ताओं की नकद रुपयों की अधिक मांग को पूरा करने के दौरान ही में बढ़ जाता है। इस प्रकार नकद रुपयों की जनता द्वारा अधिक मांग सर्व प्रथम वाणिज्य बैंको की घटी हुई नकद राशि में तथा उनके द्वारा बैंकिंग विभाग की नकद राशि में प्रतिबिम्बित होती है तथा अन्त में इसके फल-स्वरूप बैंकिंग विभाग से प्रचालन विभाग को ग्रहणीय ऋणपत्रों के हस्तान्तरण द्वारा मुद्रा का प्रसार होता है। जनता की बढ़ी हुई नकद रुपयों की मांग तथा उससे पूर्व सरकारी अभिकर्ताओं द्वारा और भी अधिक भुगतान, बैंक के पास सरकारी शेष धन

में कमी तथा उसी प्रकार की बैंकिंग विभाग के शेष धन में कमी के रूप में प्रतिबिम्बित होते हैं। यदि सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं होता तो वह बैंक से अर्थोपाय उधार (Ways and Means Advances) ले सकती है या बैंक को राज्य कोष बिल जारी कर सकती है (पाचवा परिच्छेद देखिए)।

मदी की ऋतु में विपरीत क्रिया होती है। ग्रामीण जनता द्वारा औद्योगिक तथा अन्य सामान क्रय करने के साथ नकद रूपया नगरो की ओर पुनः प्रवाहित होता है। संचालित मुद्रा की वापसी अथवा ऋण की अदायगी के फलस्वरूप वाणिज्य बैंकों के पास आवश्यकता से अधिक नकद रूपया जमा हो जाता है जो फिर ऋण की अदायगी अथवा ऋणपत्रों के क्रय करने अथवा बैंक के पास अपने प्रारक्षण में वृद्धि करने के रूप में रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग को हस्तान्तरित हो जाता है। इस सब व्यवहार के फलस्वरूप बैंकिंग विभाग के नकद शेष धन में वृद्धि हो जाती है। जो मात्रा बैंकिंग विभाग द्वारा साधारणतया रखे जानेवाले शेष धन से अधिक होती है, समान मूल्य की परिसंपत्ति के बदले में प्रचालन विभाग को वापस कर दी जाती है। बैंकिंग विभाग में नोटों के स्थान पर अन्य परिसंपत्ति आ जाती है; प्रचालन विभाग में उसके साथ-साथ परिसंपत्ति तथा देयता (अर्थात् प्रचालित नोटो) में कमी हो जाती है। सरकार द्वारा भुगतान की अपेक्षा प्राप्त के आधिक्य के समय बैंकिंग विभाग में सरकार के शेष धन में वृद्धि हो जाती है, उतनी ही वृद्धि बैंकिंग विभाग के नकद शेष धन में भी होती है। इस अवस्था में, अतिरिक्त सरकारी शेष धन अर्थोपाय उधार को अदा करके अथवा बैंक को पहिले विक्रय किये राज्यकोष बिलो को रद्द करके (अर्थात् मुक्त करके) कम कर दिया जाता है।

मुद्रा एवं साख का नियमन - २

साख नियंत्रण का क्षेत्र तथा रीतियां

साख के नियमन के लिये साख सस्थाओं के, जिनका रिजर्व बैंक से सीधा सम्बन्ध होता है, प्रधानतः वाणिज्य बैंको की परिसंपत्ति के ढांचे का नियमन करना आवश्यक होता है। इस सबंध में वाणिज्य बैंको की परिसंपत्ति में विशेष महत्व रखनेवाला मद बैंको द्वारा अपने ग्राहको को दी जानेवाली साख होती है, जो "ऋण" तथा बट्टे का योग होती है। बैंको की साख जुटाने की क्षमता उनकी नकद राशि पर (जिसमें उनकी रिजर्व बैंक के पास प्रारक्षित निधि भी शामिल होती है), निर्भर करती है। उनमें वृद्धि, बैंक के जमा साधनों में वृद्धि होने अथवा उनके रिजर्व बैंक से ऋण लेने से होती है। इसलिए रिजर्व बैंक द्वारा साख के नियमन का अर्थ होता है बैंको के प्रारक्षण की मात्रा का नियमन। यदि रिजर्व बैंक साख का विस्तार चाहता है तो उसे बैंको के प्रारक्षण में वृद्धि करने के उपाय करने पड़ेंगे, तथा इसी प्रकार यदि साख का सकोचन करना है, तो वह अपने प्रारक्षण को कम करने का प्रयत्न करेगा। बैंको द्वारा जुटाई गई साख का कुछ भाग अवश्य ही नकद (मुद्रा में) लिया जाता है तथा यह भाग अधिक होता है यदि देश के द्रव्य प्रदाय में जमा की अपेक्षा मुद्रा का महत्व अधिक हो।

बैंको की जमा का निर्माण दो प्रकार से होता है - निश्चेष्ट उत्पत्ति अथवा सचेष्ट उत्पत्ति द्वारा। निश्चेष्ट उत्पत्ति उस समय होती है जब बैंक अपने ग्राहकों के जमा खाते मूल्य की प्राप्ति - नकद रुपये अथवा दूसरे बैंको पर चेको के बदले खोलते हैं। दूसरी उत्पत्ति उस समय होती है जब बैंक ऋण देकर जमा का निर्माण करते हैं। पहली रीति से द्रव्य की मात्रा में वृद्धि नहीं होती यद्यपि उसके वितरण में अन्तर हो जाता है, परन्तु दूसरी रीति से द्रव्य का सभरण बढ़ जाता है। जब बैंक साख जुटाता है, उसके फलस्वरूप उसके अपने अथवा अन्य बैंकिंग सस्थाओं की जमा में वृद्धि होती है।

प्रगतिशील देशों में भी, जहाँ बड़ी सख्या में लोग बैंकिंग के अग्यस्त होते हैं, जमा विस्तार की क्रिया की सीमा होती है जो अनेक आर्थिक एवं सस्थानात्मक कारणों द्वारा निर्धारित होती है। अविक्वमित देशों में बैंको द्वारा साख के निर्माण करने का अवसर सुविकसित बैंकिंग प्रणालीवाले देशों की अपेक्षा बहुत कम होता है। भारत में द्रव्य सभरण का बहुत बड़ा अंश (लगभग दो तिहाई) मुद्रा है। इसका अर्थ यह है कि

बैंको द्वारा साख निर्माण की प्रत्येक दशा का फल अधिक मात्रा में मुद्रा की निकासी होगा, यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि उसी अनुपात में हो। नकद धन का एक बड़ा भाग जमा के रूप में बैंकिंग प्रणाली के पास लौटे बिना साधारणतया अर्थव्यवस्था में समा जाता है। इसके कारण बैंकिंग प्रणाली की प्रारक्षण में वृद्धि के आधार पर नई साख निर्माण करने की शक्ति बहुत कम हो जाती है तथा साथ ही उसकी बहुविध प्रसार की शक्ति सीमित हो जाती है।

यद्यपि यहा उन्नत अर्थव्यवस्थावाले देशों की अपेक्षा मुद्रा नीति के प्रभावपूर्ण प्रयोग का अवसर बहुत सीमित है, तथापि उसमें अर्थव्यवस्था की विभिन्न दिशाओं में विकास तथा निवेश और सगठित द्रव्य बाजार को उत्पत्ति के साथ वृद्धि हो रही है। रिजर्व बैंक इस निवेश तथा सगठित द्रव्य बाजार की उन्नति में सहायक हो रहा है।

भारतीय द्रव्य बाजार का ढांचा

एक सुविकसित द्रव्य बाजार प्रभावी मौद्रिक नीति का आधार है। द्रव्य बाजार की परिभाषा है - मुद्रा परिसंपत्ति में (मुख्यतः अल्पकालीन प्रकृति की) व्यवहार का केन्द्र; वह ऋण लेने वालों की अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा नकद ऋण देनेवालों को नकद रूपया जुटाता है। यह वह स्थान होता है जहाँ निवेश के लिये बैंकिंग तथा अन्य संस्थाओं तथा व्यक्तियों के पाम उपलब्ध अल्पकालीन निधियाँ, उधार चाहनेवाले, जिनमें संस्थाएँ, व्यक्ति तथा स्वयं सरकार भी शामिल होते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से रिजर्व बैंक का द्रव्य बाजार में निष्कट सबध रहता है। वास्तव में रिजर्व बैंक को द्रव्य बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग माना जा सकता है; प्रधानतः वह निधियों के सभरण का अंतिम स्रोत है तथा यह ही वह वस्तु है जो बैंक के कार्यों को महान महत्व देती है।

भारतीय द्रव्य बाजार का एक महत्वपूर्ण लक्षण उसका द्वन्द्व-भाजन (Dichotomy) है; उसमें सगठित व असगठित बाजारों का समावेश है, जिनके व्याज-दर के ढांचे भिन्न हैं। सगठित बाजार के अन्तर्गत रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, विदेशी बैंक तथा भारतीय मिश्रित पूंजी बैंक आते हैं। अर्ध-सरकारी संस्थाएँ तथा बड़ी मिश्रित पूंजी कंपनियाँ भी ऋण देनेवालों के रूप में द्रव्य बाजार की क्रियाओं में भाग लेती हैं, उनके द्वारा दिया गया ऋण साधारणतया गृह द्रव्य (House Money) कहलाता है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग दलाल होते हैं जैसे अविलम्ब ऋण (Call Loan) के दलाल, सामान्य वित्त तथा स्कन्धों के दलाल। भारतीय द्रव्य बाजार का केन्द्र अन्तर-बैंक अविलम्ब-राशि बाजार है। यद्यपि इस बाजार में आदान-प्रदान होनेवाली राशि की मात्रा बैंको के जमा साधनों की तुलना में अधिक नहीं है, तथापि यह द्रव्य बाजार का सबसे शीघ्र प्रभावित होनेवाला भाग है। स्टेट बैंक आफ इंडिया अविलम्ब-राशि बाजार में भाग नहीं लेता परन्तु अन्य बैंक इस बैंक से ऋण अथवा अग्रिम प्राप्त

करते हैं। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में बैंको ने निभाव प्राप्त करने की अपनी मार्गें रिज़र्व बैंक से अधिक पूरी की हैं। भारतीय प्रणाली में बिलों के लिये, व्यापारिक हो अथवा राज्य कोष के, कोई वास्तविक बाज़ार नहीं है, और न सकार व्यापार (Acceptance Business) ही है। किन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि भारतीय द्रव्य बाज़ार “प्रकारों के संगठित सबधों तथा विरोधोपयोजन की दृष्टि से अपेक्षित, सुविकसित है।”*

असंगठित बाज़ार में, जो स्वयं एक सा नहीं है, अधिकतर सराफ वगैरे का प्रभुत्व है। इस बाज़ार में अल्प-कालीन अथवा दीर्घ-कालीन वित्त में, तथा वित्त के उद्देश्यों में भी स्पष्ट भेद नहीं होता क्योंकि एक टुडी पर (जो देशी विनिमय बिल होती है) साधारणतया यह बताने के लिये कि वह व्यापार के अर्थ प्रबन्धन के लिये, या दूसरे शब्दों में वह वास्तविक व्यापारिक बिल है या वैयक्तिक कागज़ है, कुछ दिया नहीं होता। अधिकतर वे निभाव बिल होते हैं। व्यापारिक बिलों की कमी के कारण भारत में कोई बड़ा बाज़ार नहीं है, यद्यपि कुछ बैंक, विशेषतः विदेशी बैंक बिलों पर बट्टा लेते हैं। साधारणतया व्यापारिक बिल भुगतान की अंतिम तिथि तक कायम रहते हैं (जैसे आयात बिल), या लन्दन में पुनर्भुगतान हो जाते हैं (जैसे निर्यात बिल)। भारत में बिल बाज़ार की बढ़ोत्तरी को रोकने के बताने गये ये कारण हैं—देश के विभिन्न भागों में बिलों के लिखने की रीति में समानता न होना, निर्धारित समय की सीमा से रहित साख देने की प्रथा, जिसे यात्रा में बिक्री करनेवाले व्यक्ति वसूल करते हैं, बैंको से, जिनकी अनेक शाखाएँ होती हैं, उधार लेने के लिये नकद साख का अधिक प्रयोग, कुछ कार्य क्षेत्रों में नकद सौदों के लिये अधिक रुचि, कृषि पदार्थों को रखने के लिये भंडारण के पर्याप्त साधनों की कमी तथा सावधि बिलों पर ऊँचा स्टैम्प कर। इनमें कुछ कठिनाइयों पर, विशेषतः उन पर जो भंडारण के साधनों की उपलब्धि से संबंधित हैं, सरकारी प्रयास द्वारा काबू पाया जा रहा है। किन्तु इसमें सदेह है कि यहाँ एक बिल बाज़ार, जिसकी तुलना प्रगतिशील पश्चिमी देशों के बाज़ारों से, की जा सके, कमी स्थापित हो सकेगा, क्योंकि व्यापारिक रीतियों में लोचदार साख के प्रति दृढ़ अनुराग है तथा ग्रामों में निश्चित अर्द्ध के लिये ऋण लेने के प्रति विरोध है। वास्तव में नकद साख (Cash Credit) अथवा ओवर ड्राफ्ट की लोचदार एवं सुविधाजनक कलाविन्यास अन्य देशों में भी उधार लेने की मुख्य नीति है, तथा पोत सामग्री अनुसूचियों (Shipment Schedules) इत्यादि से संबंधित विशेष ऐतिहासिक सदर्भ के, जो कुछ सक्रिय बिल बाज़ार की उत्पत्ति को प्रोत्साहन देता था, अभिप्रायपूर्ण मात्रा में दुहराये जाने की संभावना नहीं है। न बिलों द्वारा दक्षित साख के रूप में ही इतनी स्वाभाविक विशिष्टता है कि बिल बाज़ार की कमी एक गंभीर न्यूनता तथा उसकी उत्पत्ति रिज़र्व बैंक की नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य समझा जाता रहे।

* मयली रिज़र्व बैंक ऑफ़ दी फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूयार्क, जुलाई १९५७

भारत में द्रव्य बाजार का ढांचा, यद्यपि वह शिथिल है, किन्तु विल्कुल असमन्वयित नहीं है। देशी बैंकों को स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य वाणिज्य बैंको से, जिनकी पहुँच रिजर्व बैंक के पास है, पुनर्भाजन की सुविधा प्राप्त है। देशी द्रव्य बाजार व्यवस्थित बाजार के साधनों का आश्रय प्रायः व्यस्त ऋतु में, जब फसल कटती है तथा कृषक से थोक व्यापारी के पास पहुँचाई जाती है, लेता है।

सहकारी साख सस्थाओं की स्थिति द्रव्य बाजार के व्यवस्थित तथा अव्यवस्थित भागों के लगभग मध्य में है। सहकारी साख सस्थाओं की स्थापना मुख्यतः ग्रामीण साख के देशी स्रोतों, विशेषतः साहूकारों को अनुपूरण करने के उद्देश्य से की गई थी, क्योंकि साहूकारों द्वारा उपलब्ध की गई साख में अनेक दोष थे जिनमें व्याज की उंची दरें मुख्य थीं। यद्यपि इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है, तथापि कुछ वर्षों में सहकारी साख प्रणाली को व्यवस्थित द्रव्य बाजार में समग्र करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। इस प्रकार रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी क्षेत्र को दी जानेवाली सहायता की मात्रा बढ़ती जा रही है। सहकारी सस्थाएँ व्यापारी बैंकिंग प्रणाली, विशेषतः स्टेट बैंक आफ इंडिया से, १ जुलाई सन् १९५५ में उसकी उत्पत्ति के समय से ही, निकट सम्पर्क में लाई जा रही हैं।

अब हम भारतीय बैंकिंग के ढांचे का संक्षेप में वर्णन करते हैं। रिजर्व बैंक के चालू होने के साथ ही भारत में मिश्रित पूँजी बैंको का वर्गीकरण - अनुसूचित तथा अन-अनुसूचित - दो मुख्य हिस्सों में हो गया। अनुसूचित-बैंक, जैसा कि इस शब्द से प्रत्यक्ष ही है, वे बैंक हैं जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की द्वितीय सूची में शामिल हैं तथा जिनकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका (U. S. A.) के सदस्य बैंको से की जा सकती है। उन्हें कुछ सुविधाएँ प्राप्त करने का अधिकार है, विशेषतया रिजर्व बैंक से निभाव प्राप्त करने की सुविधा। साथ ही रिजर्व बैंक के प्रति उनका उत्तरदायित्व भी है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा ४२(६)(अ) वह शर्तें निर्धारित करती है जो किसी बैंक को द्वितीय सूची में सम्मिलित होने के योग्य बनने के लिये पूरी करनी चाहिये। वे हैं :- (१) बैंक की चुकती पूँजी तथा प्रारक्षण का योग ५ लाख* रु. के मूल्य से कम नहीं होना चाहिये, (२) उसे रिजर्व बैंक को सतुष्ट करना होता है कि उसका संचालन इस प्रकार नहीं हो रहा है जो उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल हो तथा (३) वह कंपनी विधान, १९५६, की परिभाषा के अनुसार एक कंपनी, अथवा इस सदभं में केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित एक सस्था अथवा एक निगम या एक कंपनी जो भारत से बाहर किसी स्थान में चालू विधान द्वारा या उसके अन्तर्गत इन्कारपोरेट हुई हो, होना चाहिये। जब रिजर्व बैंक को बहियो तथा खातों के या अन्य तरीकों से निरीक्षण द्वारा संतोष हो जाय कि इन शर्तों का पालन हो गया है तो वह उस बैंक को द्वितीय सूची में शामिल किये जाने का आदेश दे सकता है। बैंक को

* दस लाख = एक मिलियन।

यह भी अधिकार है कि वह किसी बैंक को जिसकी चुकती पूंजी तथा प्रारक्षण के योग का मूल्य ५ लाख रु. से कम हो जाय, या जो बैंक की राय में अपना संचालन इस प्रकार कर रहा है जो जमाकर्त्ताओं के हितों के प्रतिकूल हो या जिसका परिभ्रमाण हो जाय या अन्य प्रकार से बैंकिंग व्यापार करना बन्द कर दे, सूची से अलग कर दे।

मार्च सन् १९५८ के अन्त तक देश में कुल मिलाकर लगभग ४०० काम कर रही बैंकिंग कंपनियों में से ९२ बैंक सूची में सम्मिलित थे। भारत में बैंकिंग व्यापार का अधिकतर कार्य अनुसूचित बैंकों द्वारा ही होता है, समस्त बैंकों की कुल जमा में उनका योग ९७ प्रतिशत है, तथा कुल चालू साख में भी लगभग उतना ही है। अनुसूचित बैंक एक मिश्रित समुदाय के रूप में हैं। उनमें स्टेट बैंक आफ इंडिया की अपनी अलग ही श्रेणी है, यह सब से बड़ा वाणिज्य बैंक है जिसकी निवल जमा मार्च सन् १९४८ के अंत में ४१९ करोड़ रु थी जो समस्त वाणिज्य बैंकों की निवल जमा १,३८२ करोड़ रु. की ३० प्रतिशत थी। इसका रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने निकट संपर्क है, तथा रिज़र्व बैंक का एजेंट होने के नाते इसकी अधिकतर शाखाओं में नकदी तिजोरियों की सुविधा प्राप्त है। अनुसूचित बैंकों के दूसरे वर्ग में सोलह विदेशी बैंक हैं, जिनकी विशेषता विदेशी व्यापार के लिये विचित्र-प्रवन्ध करना है, इन बैंकों ने अपनी क्रियाएँ आभ्यन्तर व्यापार एवं उद्योगों में भी प्रसारित की हैं तथा इस हद तक वे गृहच बैंकिंग प्रणाली का पूर्णतः एक अंग हैं। इन बैंकों की निवल जमा १९४ करोड़ अथवा कुल जमा की १४ प्रतिशत थी। भारतीय अनुसूचित बैंक (स्टेट बैंक आफ इंडिया के अतिरिक्त) सख्या में पचहत्तर हैं तथा आकार में १०० करोड़ रु से अधिक जमा वाले बैंकों से लेकर उन बैंकों तक जिनकी कुल जमा भुक्तिकल से कुछ लाख रुपये हैं तथा जिनकी चुकती पूंजी तथा प्रारक्षण ठीक उन्हें द्वितीय सूची में शामिल होने के लिये योग्यता प्राप्त करने के लिये ही पर्याप्त है, विचलन करते हैं। मार्च सन् १९५८ के अन्त में उनकी जमा ७६९ करोड़ रु या अनुसूचित बैंकों की कुल जमा की ५६ प्रतिशत थी।

अन-अनुसूचित बैंक, जैसा कि शब्दों में प्रगट है, वे बैंकिंग कंपनियाँ हैं जो रिज़र्व बैंक आफ इंडिया की द्वितीय सूची में सम्मिलित बैंकों के अतिरिक्त हैं। मार्च १९५८ के अन्त में इनकी सख्या लगभग ३०० थी। इनमें से अधिकांश छोटे आकार के हैं जिनका कार्यक्षेत्र छोटे स्थानों तक सीमित है। साधारणतया उनकी चुकती पूंजी तथा प्रारक्षण ५ लाख रु. से कम है, यद्यपि कुछ अन-अनुसूचित बैंक ऐसे हैं जिनकी चुकती पूंजी तथा प्रारक्षण इस रकम से अधिक है। कुछ अन-अनुसूचित बैंक स्वयं अपनी इच्छा से रिज़र्व बैंक के पास रोकड रखते हैं। साधारणतया अनुसूचित बैंकों की अपेक्षा यह बैंक अपनी जमा पर ऊँची दर पर ब्याज देते हैं, तथा उनके उधार देने की दरे भी ऊँची हैं। उनकी सावधि (Time) जमा कुल जमा की दो तिहाई है जब

कि उमकी तुलना में अनुसूचित बैंको की सावधि जमा कुल जमा के अनुपात में लगभग आधी है। मार्च सन् १९५८ के अंत में इन बैंको की कुल जमा केवल ४६ करोड़ रु. थी जब कि अनुसूचित बैंको की जमा १,३८२ करोड़ रु. थी।

सामान्य साख नियंत्रण के साधन

बैंक द्वारा साख प्रणाली के नियंत्रण का परिणियत आधार रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट तथा बैंकिंग कपनीज एक्ट में मूर्तिमान है। प्रथम एक्ट के अन्तर्गत बैंक को वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो साधारणतया केन्द्रीय बैंको को मिले होते हैं, तथा दूसरे के अन्तर्गत वाणिज्य बैंको के कार्यों को भीधे नियंत्रित करने के विधेय अधिकार दिये गये हैं। साधारण अथवा मात्रा सबधी साख नियंत्रण के नाम से प्रसिद्ध साधारण साधनो, जैसे बैंक दर, जिसे बट्टे की दर भी कहा जाता है, खुले बाजार की क्रियाओ तथा बढ़ने घटनेवाली प्रारक्षण की आवश्यकताओ (Variable Reserve Requirements) पर विचार करते समय इस मध्य पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि ये सब आपस में निकट रूप से सबधित हैं तथा इन साख नियंत्रण साधनो को परस्पर सहयोग से कार्यान्वित होना चाहिये। इन सब का बैंक के प्रारक्षण के स्तर पर प्रभाव पडता है। खुले बाजार की क्रियाये तथा प्रारक्षण आवश्यकताएँ 'प्रारक्षण आधार' पर सीधा प्रभाव डालती हैं जब कि बैंक दर अपना प्रभाव परोक्षत प्रारक्षण के प्राप्त करने के मूल्य में घटाव बढाव के द्वारा डालती है। किसी समय किसी एक अथवा दूसरे साधन के प्रयोग का निर्धारण स्थिति की प्रकृति तथा उसके द्वारा प्रभाव डालने के क्षेत्र तथा साथ ही परिवर्तन लाने की इच्छित गति द्वारा होता है। उदाहरण के लिये खुले बाजार की क्रियायें लघुतम मात्रा में भी दिन प्रतिदिन के समायोजन को कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त हैं। प्रारक्षण आवश्यकताओ का प्रभाव एकदम होता है, तथा उनका बैंको पर सामान्यत प्रभाव पडता है। बैंक दर का प्रभाव बैंकिंग प्रणाली तथा अल्पकालीन द्रव्य बाजार तक ही सीमित नहीं रहता, उसका देश की समस्त अर्थ व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पडता है।

बैंक दर

बट्टे की दर नीति की परिभाषा है, 'विस्तृत दृष्टिकोण से, उन अभिसमय एवं दशाओ में परिवर्तन करना, जिनके अंतर्गत बाजार की चुनी हुई अल्पकालीन परिसंपत्ति के बट्टे अथवा रक्षित अग्रिम के द्वारा केन्द्रीय बैंक से अस्थायी कर्ज ले सके।" इस प्रकार, बट्टे की नीति साख के मूल्य तथा उपलब्धि दोनों को प्रभावित करती है। साख की उपलब्धि अधिकतर बिलो के बट्टे के लिये तथा ऋणपत्रों की अग्रिम की समर्थक (Collateral) होने की उपयुक्ति में सबधित परिणियत आवश्यकताओ पर तथा अधिकतम अवधि पर जिसके लिये साख उपलब्ध हो, निर्भर करती है।

अनुसूचित बैंको को ऋण प्रदान करने से संबंधित रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धाराओं का अब विवरण दिया जा रहा है; सहकारी क्षेत्र को साथ उपलब्ध करने से संबंधित पर्यावलोकन पृथक रूप से छोटे परिच्छेद में किया जाएगा।

यह पहले कहा जा चुका है कि बैंक द्वारा साथ प्रसारण ग्राह्य विलो अथवा ग्राह्य ऋणपत्रों की जमानत पर अग्रिम का रूप लेता है। इससे संबंधित प्रावधान रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा १७ में अंकित है। पत्रों के प्रकार जो रिजर्व बैंक से पुनर्भजन के लिये ग्राह्य है नीचे लिखी उप-धाराओं में वर्णित है, उनके द्वारा बैंक को निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार प्राप्त है:—

१७ (२) (क) क्रय, विक्रय तथा पुनर्भजन उन विलो, विनिमय विलो तथा एक्को का जिनका लेखन तथा भुगतान भारत में हो तथा जो विश्वसनीय वाणिज्य अथवा व्यापार संबंधी व्यवहार के फलस्वरूप बने हो, उनके ऊपर दो या उससे अधिक विश्वसनीय हस्ताक्षर हो, जिनमें से एक अनुसूचित बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक हो, तथा जिनके परिपाक होने की अवधि इस प्रकार के त्रय अथवा पुनर्भजन के ९० दिन के अन्दर, अनुग्रह दिवसों (Days of Grace) के अतिरिक्त, हो,

१७ (२) (ख) क्रय, विक्रय तथा पुनर्भजन उन विनिमय विलो तथा एक्को का जिनका लेखन तथा भुगतान भारत में हो तथा जिन पर दो या उससे अधिक विश्वसनीय हस्ताक्षर हो, जिनमें से एक अनुसूचित बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक हो, तथा जिसका लेखन तथा प्रचालन ऋतुकालीन कृषि कार्यों या फसलों के विपणन (Marketing) के लिये वित्त व्यवस्था करने के लिये हो तथा जिसके परिपाक होने की अवधि इस प्रकार त्रय अथवा पुनर्भजन के पन्द्रह महीने के अन्दर, अनुग्रह दिवसों के अतिरिक्त, हो,

व्याख्या:—इस उप-धारा के लिये,

- (अ) 'कृषि कार्य' शब्द में पशुपालन तथा संबंधित क्रियाएँ जो कृषि कार्यों से साथ-साथ की गई हो सम्मिलित है;
- (आ) 'फसलो' में कृषि क्रियाओं द्वारा उत्पादित पदार्थ सम्मिलित है;
- (इ) 'फसलो के विपणन' शब्दों में विपणन से पूर्व कृषि उत्पादको अथवा इस प्रकार के उत्पादको की किसी सस्था द्वारा फसलो का विधायन (Processing) सम्मिलित है।

१७ (२) (ग) त्रय, विक्रय तथा पुनर्भजन उन विनिमय विलो तथा एक्को का जिनका लेखन तथा भुगतान भारत में हो तथा जिन पर किसी अनुसूचित बैंक के हस्ताक्षर हो तथा जिनका प्रचालन तथा लेखन केन्द्रीय सरकार अथवा

किसी राज्य सरकार के ऋणपत्रों के सधारण अथवा उनमें व्यापार करने के उद्देश्य से किया गया हो तथा जिनके परिपाक होने की अवधि इस प्रकार के क्रय, विक्रय अथवा पुनर्भजन से ९० दिन के अंदर, अनुग्रह दिवसों के अतिरिक्त, हो ;

१७ (३) (ख) क्रय, विक्रय तथा पुनर्भजन तथा उन विनियम बिलों का (भय राज्य कोष बिलों के) जिनका लेखन किसी भी स्थान पर तथा किसी भी ऐसे स्थान के ऊपर किया गया हो जो किसी भी ऐसे देश में हो जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का सदस्य हो तथा जिसके परिपाक होने की अवधि क्रय की तिथि के ९० दिन के अंदर हो : इस शर्त के साथ कि इस प्रकार का क्रय, विक्रय अथवा पुनर्भजन भारत में किसी अनुसूचित बैंक के अतिरिक्त किसी से नहीं किया जायेगा ।

ऊपरलिखित सभी उप-धाराओं में निर्देशित विनियम बिलों के लिये यह आवश्यक है कि उनकी परिपाक तिथि निश्चित हो, रिजर्व बैंक द्वारा क्रय या पुनर्भजन की तिथि से, अनुग्रह दिवसों के अतिरिक्त, ९० दिन से अधिक नहीं हो (ऋषि बिलों की १५ महीने) । दूसरे शब्दों में किसी विनियम बिल अथवा रुकौ के लिये यह आवश्यक है कि रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्भजन या क्रय के समय स्वयं उस विलेख (Instrument) में निश्चित चलन मूर्तिमान हो तथा यदि वह विलेख मांग पर अदा होनेवाला हो, तो इस धारा के अन्तर्गत स्वीकृत होने के पूर्व उसका विल/नोट अवधि में परिवर्तन होना आवश्यक है ।

किन्तु भलीभाँति विकसित तथा ठीक प्रकार आयोजित बिल बाजार की कमी के कारण पुनर्भजन के प्रकार्य का अभी तक बहुत कम उपयोग किया गया है । बैंकिंग प्रणाली को रिजर्व बैंक की सहायता मुख्यतः बैंक द्वारा अग्रिम की अन्य सुविधाओं द्वारा दी गई है । एक्ट की धारा १७(४) के अन्तर्गत अधिकृत अग्रिम मांग पर अथवा ९० दिन तक सीमित निश्चित अवधि पर पुनः देय है तथा उसका उद्देश्य अल्प-कालीन (ऋतुकालीन) व्यापारिक व्यवहार के लिये अर्थ-प्रबन्ध करना है । वे निम्न-लिखित समर्थकों के बदले में उपलब्ध हैं—

- (क) माल, निधि तथा ऋण पत्र (अचल संपत्ति के अतिरिक्त) जिनमें यूके (U.K.) की पार्लियामेंट के किसी विधान द्वारा अथवा भारत में उम समय चालू किसी कानून के द्वारा किसी न्यासधारी (Trustee) का न्यास के धन-विनियोजन का अधिकार हो (धारा १७ (४) (क)) ;
- (ख) सोना अथवा चादी अथवा उनके स्वत्व प्रलेख (धारा १४ (४) (ख)) ;
- (ग) ऐसे विनियम बिल तथा रुकौ जो बैंक द्वारा क्रय अथवा पुनर्भजन के लिये ग्राह्य हो अथवा जिनके पूर्णतः मूलधन के पुनः भुगतान की तथा व्याज के

भुगतान की जमानत किसी राज्य सरकार ने की हो (धारा १७ (४) (ग)) ;

- (घ) किसी अनुसूचित बैंक अथवा राज्य सरकारी बैंक के रक्के जो ऐसे स्वत्व प्रलेखों पर आधृत हो जिन्हें उस बैंक को वास्तविक वाणिज्य अथवा व्यापार के व्यवहार के लिये दिये गये अथवा ऋतुकालीन कृषि कार्यों या फसलों के विपणन के लिये दिये गये ऋण एवं अग्रिम के हेतु प्रतिभूति के रूप में हस्तान्तरित, निर्दिष्ट अथवा बधित किया गया हो (धारा १७ (४) (घ))। माल के स्वत्व प्रलेखों की भारतीय नेल आफ गुड्स एक्ट की धारा २ की परिभाषा के अनुसार इनमें पोत सामग्री बिल (Bill of Lading), बन्दरगाह प्रमाणपत्र (Dock Warrants), भंडागार रक्षक का प्रमाणपत्र (Warehouse Keeper's Certificate) तथा रेल की रसीद इत्यादि बिलेख शामिल हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस उप-धारा के अन्तर्गत बैंक केवल स्वत्व प्रलेखों से प्रमाणित रक्को पर ही अग्रिम दे सकता है, स्वयं माल पर नहीं, माल को ऋणधार के रूप में स्वीकार करने के फलस्वरूप प्रशासनिक कठिनाइयाँ होती हैं तथा यह बात केन्द्रीय बैंकिंग की सामान्य रीतियों के अनुकूल नहीं है।

सामान्यतः उपलब्ध इन माल सुविधाओं के अतिरिक्त, सकट काल में बैंक द्वारा केवल ग्राह्य ऋणधारों पर ही नहीं, परन्तु किसी भी ऐसे ऋणधार पर जिसे बैंक पर्याप्त समझे, बैंक द्वारा ऋण देने का एक्ट में प्रावधान है (धारा १८ (१) (३))। इस धारा का उद्देश्य यह है कि रिजर्व बैंक किसी भी बैंक को सकटकाल में जब बैंक के लिये यह आवश्यक अथवा उचित हो जाय कि बावजूद ग्राह्यता की आवश्यकताओं की सीमाओं के भीचे अग्रिम प्रदान करे या बढ़ा दे, अग्रिम प्रदान कर सके। सन् १९४९ में यह सक्कालीन प्रावधान अन-अनुसूचित बैंकों के लिए भी लागू कर दिया गया है।

परन्तु व्यवहार में अनुसूचित बैंकों द्वारा अग्रिम मुख्यतः धारा १७ की दो उप-धाराओं के प्रावधानों के अन्तर्गत ही दिये गये हैं—न्यासधारी (मुख्यतः केन्द्रीय सरकार) के ऋण पत्रों के आधार पर (धारा १७ (४) (क)) तथा सन् १९५२ में हुडी बाजार योजना के आरंभ में (जिसका विवरण बाद में दिया गया है), अनुसूचित बैंकों द्वारा लिखित तथा उनके सचदको के सावधि रक्को से अनुमोदित माग पर ऋणदान, हरेनवाले, दर्शनी, हुडी के आधार पर (धारा १७ (४) (ग))। पर्याप्त मात्रा में गोदामघर की सुविधाओं की कमी के कारण माल के स्वत्व प्रलेखों से अनुमोदित रक्को के आधार पर अग्रिम (धारा १७ (४) (घ)) अब तक बहुत कम दिया गया है।


रिजर्व बैंक की स्थापना के बहुत समय बाद तक, अनुसूचित बैंकों ने उमकी साख मुविधाओ का बहुत कम उपयोग किया। इस प्रकार के अन्य ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत औसत अप्राप्त रकम, जो अनुसूचित बैंको तथा राज्य सहकारी बैंको को बैंक द्वारा दी गई आर्थिक सहायता को प्रदर्शित करती है, सन् १९३८-३९ में केवल २ लाख रु. तथा १९४७-४८ में २१ लाख रु थी। यह स्थिति कुछ अंश तक बैंको की रिजर्व बैंक के पास पहुँचने में परम्पराप्राप्त झिझक के कारण थी तथा कुछ अंश तक सहज द्रव्य अवस्था (Easy Money Condition) के कारण थी जो बैंक के उद्घाटन के समय थी तथा जो युद्ध तथा युद्ध के पश्चात् के आरम्भिक वर्षों तक जारी रही तथा जिसने बैंक के इस प्रकार उपयोग को अनावश्यक कर दिया था। युद्ध के वर्षों में, बैंक ने सरकारी ऋणपत्र बड़ी मात्रा में जमा कर लिये। साथ ही, बैंक जमा में वृद्धि हुई थी तथा वैयक्तिक विनियोग के अवसर अत्यन्त सीमित होने के साथ, बैंको के पास बड़ी मात्रा में रोकड संपत्ति (Liquid Balance) इकट्ठी हो गई। युद्ध के पश्चात् के वर्षों में, जब साख के लिये मांग बढ़नी प्रारम्भ हुई तो बैंको ने रिजर्व बैंक से पुनर्भजन या हुडी के बट्टे पर ऋण लेने की अपेक्षा उमे ऋणपत्रों के विक्रय द्वारा, जिन्हे उस समय प्रचलित सस्ते द्रव्य की नीति के अनुसार बैंक ने तुरन्त ग्रहण कर लिया, पूरा करना अधिक अपेक्षाकृत समझा। केवल विलक्षण परिस्थितियों में ही बैंक ऋण के लिये रिजर्व बैंक तक पहुँचे और उन्होंने सरकारी ऋण पत्रों को बघक रख कर ऋण लिया, तथा इन ऋणों की मात्रा बहुत कम रही। किन्तु सन् १९५२ के प्रारम्भ से बैंक बड़ी मात्रा में निभाव प्राप्त करने के लिये रिजर्व बैंक का उपयोग कर रहे हैं। देश में आर्थिक विकास की तीव्र गति के कारण बढ़ती हुई साख की मांग के अतिरिक्त, उधार लेने के लिये बैंक का आश्रय अधिक लेने का कारण खुले बाजार की क्रियाओ में सबधित बैंक की नीति में परिवर्तन तथा साथ ही रिजर्व बैंक से बैंको द्वारा उधार लेने की सुविधा - हुडी बाजार की योजना का आरम्भ था।

नवम्बर सन् १९५१ के मध्य में साख के अत्यधिक प्रसार को रोकने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने बैंक दर ३ से बढ़ा कर ३ १/२ प्रतिशत कर दी, साथ ही उसने यह घोषणा भी की कि, विलक्षण परिस्थितियों के अतिरिक्त वह अनुसूचित बैंको की ऋणकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकारी ऋण पत्र नहीं खरीदेगा, परन्तु वह, जैसा सामान्यतः होता है, सरकारी एव अन्य अनुमोदित ऋणपत्रों के आधार पर बैंक दर पर अग्रिम देगा।

बिल बाजार की योजना जनवरी सन् १९५२ में चालू की गई। विस्तृत रूप से, उसने रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व प्रणाली का अनुसरण किया। इसके अन्तर्गत इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया व्यस्त ऋण में मुद्रा विभाग में आंतरिक बिलो अथवा हुडियों पर, जो वास्तविक व्यापार के अर्थ प्रबन्धन के लिये लिखी गई हो अथवा उसी उद्देश्य से दिये अग्रिमों को अवधि बिलो (Usance Bills) में परिवर्तित करके ऋण ले सकता था। इस योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने योग्य

अनुसूचित बैंको को उनके सघटको के सावधि रकमों के ऋणाधार पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा १७ (४) (ग) के अनुसार माग ऋण देने का उत्तरदायित्व लिया। इस कार्य के लिये बैंको को अपने सघटको से ऋण, "ओवर ड्राफ्ट" रोकड ऋण (Cash Credit) के बदले में प्राप्त किये हुए माग रकमों को ९० दिन के अन्दर पूरे होनेवाले सावधि बिलों में परिवर्तित करना होता है। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंको को स्वयं उनके रकमों पर जिन्हे उनके सघटको के माग रकमों का समर्थन प्राप्त हो अग्रिम देने पर प्रतिबन्ध है क्योंकि इस प्रकार के माग रकमों के धारा १७ (२) (क) के अन्तर्गत ग्राह्य पत्र नहीं है। दूसरे शब्दों में, इस व्यवस्था में रिजर्व बैंक आफ इंडिया से ऋण लेने के लिये बिलों को प्रतिभूति के रूप में बधक रखने का प्रावधान है किन्तु उससे उनके पुनर्भजन का नहीं है। इसलिये, ऋण लेनेवाले बैंको को यह छूट है कि बधक रखे किन्हीं बिलों को वापस ले लें तथा उनकी अन्य ग्राह्य बिलों द्वारा पूर्ति कर दें। इस प्रकार बैंको को यह अवसर मिलता है कि वे अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण लेकर तथा ऋण को कम करने के लिये राशि भेज कर अपने ध्याज के भार को कम कर सकें। बैंको के सघटको के लिये, इस व्यवस्था में रोकड ऋण प्रणाली तथा विनिमय बिलों, दोनों के लाभों का समावेश है, ऋण लेनेवालों को ऋण लेने तथा लौटाने का अवसर जितना पहिले था, अब भी प्राप्त है। इस प्रकार बिल बाजार प्रणाली, वर्तमान बैंकिंग की रीतियों को रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयास है।

बिल बाजार व्यवस्था पहिले प्रयोग के रूप में चालू की गई तथा आरंभ में १० करोड़ रु या उससे अधिक जमा वाले बैंको तक सीमित थी। इस व्यवस्था के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिये बैंक ने इस व्यवस्था के अन्तर्गत दिये जानेवाले ऋण पर ३ प्रतिशत व्याज लेना स्वीकार किया, जब कि बैंक दर ३ १/२ प्रतिशत थी तथा सरकारी ऋणपत्रों के आधार पर ऋण देने की भी यह ही दर थी (धारा १७ (४) (क))। बैंक ने बैंको द्वारा अपने सघटको के माग के रकमों को अवधि बिलों में परिवर्तित करने के लिये दिये टिकट कर का आधा मूल्य भी स्वयं देना स्वीकार कर लिया। यह टिकट कर की रियायत मार्च १९५६ में वापस ले ली गई। व्याज की दर सबधी विशिष्ट रियायत भी दो भ्रम में, १/४ प्रतिशत प्रत्येक वार, वापस ले ली गई, ऋण पत्रों के आमुख अग्रिम की दर इस ऋण पर नवम्बर सन् १९५६ से लागू कर दी गई। बिल बाजार व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित बैंको को उधार लेने की वास्तविक दर, सरकार द्वारा अवधि बिलों पर स्टैम्प कर बढ़ाने के फलस्वरूप, १ फरवरी सन् १९५७ से १/२ प्रतिशत और बढ़ गई। १६ मई सन् १९५७ से बैंक दर ३ १/२ प्रतिशत से ४ प्रतिशत बढ़ाई जाने के कारण तथा साथ में अवधि बिलों पर स्टैम्प कर १ प्रतिशत के पाचवे भाग तक कम हो जाने के कारण, इस व्यवस्था के अन्तर्गत ऋण लेने की वास्तविक दर इस समय ४ १/५ प्रतिशत है।



जनवरी मन् १९५२ में इसके आरभ के समय से, बिल बाजार व्यवस्था के अन्तर्गत लिये गये अग्रिम में प्रति वर्ष वृद्धि हुई है। अधिकतम अप्राप्त रकम, जो १९५२ में २९.६ करोड रु. थी, २३ मार्च, १९५७ को बढ़ कर ७३.८ करोड रु. हो गई। मार्च १९५८ के अंत में यह रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों को दिये कुल अप्राप्त अग्रिम का ६३ प्रतिशत थी।

इस स्थान पर बैंकों की रिजर्व बैंक द्वारा ऋण देने की सुविधाओं से संबंधित आम बातों की चर्चा करना उचित होगा। अनुसूचित बैंकों को साख देने में, साधारण आर्थिक स्थिति के अतिरिक्त बैंक, केवल ऋणाधार की प्रकृति पर ही नहीं (तथा बिलों के संबंध में ध्यक्लि के ठोसपन, जिस उद्देश्य के लिये वह विशेष सूचना माग सकता है अथवा स्वतंत्र खोज कर सकता है) प्रत्युत प्रार्थी बैंक की साधारण क्रियाओं के स्वरूप तथा उसके कार्य करने के ढंग पर भी विचार करता है। बिना कारण दिये ऋण देने से मना करने का भी बैंक को अधिकार है। अनुसूचित बैंकों को अल्पकालीन ऋण देने के अतिरिक्त, बैंक कृपि क्रियाओं के अर्थ प्रबन्धन के लिये, अथवा औद्योगिक अर्थ-प्रबन्धन के लिये ९० दिन में अधिक समय के लिये भी ऋण देता है, परन्तु इस प्रकार की साख साधारणतया अनुसूचित बैंकों के अतिरिक्त अन्य माध्यम द्वारा प्रसारित होती है - जैसे राज्य सहकारी बैंक तथा राज्य वित्त निगम।


अनुसूचित बैंको को उनके सघटको के सावधि रुको के ऋणाधार पर रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा १७ (४) (ग) के अनुसार मांग ऋण देने का उद्देश्य प्राप्त किया। इस कार्य के लिये बैंको को अपने सघटकों से ऋण, "ओवर ड्राफ्ट" रोकड़ ऋण (Cash Credit) के बदले में प्राप्त किये हुए मांग रुको को ९० दिन के अन्दर पूरे होनेवाले सावधि बिलों में परिवर्तित करना होता है। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंको को स्वयं उनके रुको पर जिन्हें उनके सघटको के मांग रुको का समर्थन प्राप्त हो अग्रिम देने पर प्रतिबन्ध है क्योंकि इस प्रकार के मांग रुके धारा १७ (२) (क) के अन्तर्गत ग्राह्य पत्र नहीं है। दूसरे शब्दों में, इस व्यवस्था में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया से ऋण लेने के लिये बिलों को प्रतिभूति के रूप में बधक रखने का प्रावधान है किन्तु उससे उनके पुनर्भोजन का नहीं है। इनलिये, ऋण लेनेवाले बैंको को यह छूट है कि बधक रखे किन्हीं बिलों को वापस ले लें तथा उनकी अन्य ग्राह्य बिलों द्वारा पूर्ति कर दे। इस प्रकार बैंको को यह अवसर मिलता है कि वे अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण लेकर तथा ऋण को कम करने के लिये राशि भेज कर अपने ब्याज के भार को कम कर सकें। बैंको के सघटको के लिये, इस व्यवस्था में रोकड़ ऋण प्रणाली तथा विनिमय बिलों, दोनों के लाभों का समावेश है, ऋण लेनेवालों को ऋण लेने तथा लौटाने का अवसर जितना पहिले था, अब भी प्राप्त है। इस प्रकार बिल बाजार प्रणाली, वर्तमान बैंकिंग की रीतियों को रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयत्न है।

बिल बाजार व्यवस्था पहिले प्रयोग के रूप में चालू की गई तथा आरम्भ में १० करोड़ रु. या उससे अधिक जमा बाले बैंको तक सीमित थी। इस व्यवस्था के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिये बैंक ने इस व्यवस्था के अन्तर्गत दिये जानेवाले ऋण पर ३ प्रतिशत ब्याज लेना स्वीकार किया, जब कि बैंक दर ३ १/२ प्रतिशत थी तथा सरकारी ऋणपत्रों के आधार पर ऋण देने की भी यह ही दर थी (धारा १७ (४) (क))। बैंक ने बैंको द्वारा अपने सघटको के मांग के रुको को अवधि बिलों में परिवर्तित करने के लिये दिये टिकट कर का प्राधा मूल्य भी स्वयं देना स्वीकार कर लिया। यह टिकट कर की रियायत मार्च १९५६ में वापस ले ली गई। ब्याज की दर संबंधी विशिष्ट रियायत भी दो क्रम में, १/४ प्रतिशत प्रत्येक बार, वापस ले ली गई, ऋण पत्रों के आमुल अग्रिम की दर इस ऋण पर नवम्बर सन् १९५६ से लागू कर दी गई। बिल बाजार व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित बैंको की उधार लेने की वास्तविक दर, सरकार द्वारा अवधि बिलों पर स्टेम्प कर बढ़ाने के फलस्वरूप, १ फरवरी सन् १९५७ से १/२ प्रतिशत और बढ़ गई। १६ मई सन् १९५७ से बैंक दर ३ १/२ प्रतिशत से ४ प्रतिशत बढ़ाई जाने के कारण तथा साथ में अवधि बिलों पर स्टेम्प कर १ प्रतिशत के पाचवे भाग तक कम हो जाने के कारण, इस व्यवस्था के अन्तर्गत ऋण लेने की वास्तविक दर इस समय ४ १/५ प्रतिशत है।

रिजर्व बैंक द्वारा

अनुसूचित तथा राज्य सहकारी

बैंकों तथा वित्तनिगमों को दिये गये अग्रिम की शतकालीन प्रवृत्तियों
१९५२-१९५८



जनवरी सन् १९५२ में इसके आरम्भ के समय से, बिल बाजार व्यवस्था के अन्तर्गत लिये गये अग्रिम में प्रति वर्ष वृद्धि हुई है। अधिकतम अप्राप्त रकम, जो १९५२ में २९.६ करोड़ रु थी, २३ मार्च, १९५७ को बढ़ कर ७३.८ करोड़ रु. हो गई। मार्च १९५८ के अंत में यह रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों को दिये कुल अप्राप्त अग्रिम का ६३ प्रतिशत थी।

इस स्थान पर बैंकों की रिजर्व बैंक द्वारा ऋण देने की सुविधाओं से संबंधित आम बातों की चर्चा करना उचित होगा। अनुसूचित बैंकों को साख देने में, साधारण आर्थिक स्थिति के अतिरिक्त बैंक, केवल ऋणाधार की प्रकृति पर ही नहीं (तथा बिलों के सबंध में व्यक्ति के ठोसपन, जिम उद्देश्य के लिये वह विशेष सूचना मांग सकता है अथवा स्वतंत्र खोज कर सकता है) प्रत्युत प्रार्थी बैंक की साधारण क्रियाओं के स्वरूप तथा उसके कार्य करने के ढंग पर भी विचार करता है। बिना कारण दिये ऋण देने से मना करने का भी बैंक को अधिकार है। अनुसूचित बैंकों को अल्पकालीन ऋण देने के अतिरिक्त, बैंक कृपि क्रियाओं के अर्थ प्रबन्धन के लिये, अथवा औद्योगिक अर्थ-प्रबन्धन के लिये ९० दिन से अधिक समय के लिये भी ऋण देता है, परन्तु इस प्रकार की साख साधारणतया अनुसूचित बैंकों के अतिरिक्त अन्य माध्यम द्वारा प्रसारित होती है - जैसे राज्य सहकारी बैंक तथा राज्य वित्त निगम।

जहाँ तक रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई साख के मूल्य का प्रश्न है, बैंक दर जो रिज़र्व बैंक आक इंडिया एक्ट की धारा ४९ के अनुसार "प्रमाणिक दर है जिस पर वह बैंक विनिमय बिलों अथवा अन्य ऋण करने के लिये ग्राह्य वाणिज्य पत्रों को खरीदने अथवा पुनर्भूत के लिये तैयार रहता है," प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग में नहीं आती। बैंक द्वारा दिये जानेवाले अग्रिम की दर ही महत्वपूर्ण है तथा इसको ही आम तौर से बैंक दर समझा जाता है। बैंक की निभाव दर के विस्तृत दृष्टिकोण से, हाल के वर्षों में बैंक दर का अधिक महत्व बढ़ता जा रहा है। इसका महत्व उम तथ्य में है कि यह उस दर की आधार होती है जिस पर बैंक विभिन्न प्रकार के ऋण लेनेवालों को, जिनमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें भी शामिल हैं, ऋण देता है। रिज़र्व बैंक की ऋण दरों का ढांचा अपेक्षात सादा है। कुछ केन्द्रीय बैंकों के समान यहाँ व्याज की अनेक दरें नहीं हैं। भारतीय प्रणाली में केन्द्रीय बैंक की ऋण दरों का मुख्य अंतर, जैसा कि छोटे परिच्छेद में विवरण है, कृपि साख के लिये कम दर पर ऋण देना है।

बैंक की स्थापना के समय से नवम्बर १९५१ के मध्य तक बैंक दर में परिवर्तन नहीं हुआ। उस समय तक यह स्पष्ट हो गया कि १९५०-५१ की व्यस्त ऋतु में बैंक की साख में अत्यधिक विस्तार तथा १९५१ की मंदी की ऋतु में बैंक साख की अधिक मांग के कारण व्यापारिक क्षेत्रों में सट्टे के निवेश को प्रोत्साहन मिला, इसने शायद अदायगी योग्य में घाटे को भी, जो १९५१ की दूसरी तिमाही से बढ़ता जा रहा था, और बढ़ाया। इन्हीं परिस्थितियों में रिज़र्व बैंक की नई मुद्रा नीति का १५ नवम्बर मन् १९५१ को सूत्रपात हुआ, बैंक दर ३ प्रतिशत से बढ़ाकर ३ १/२ प्रतिशत कर दी गई, तथा एक नई खुले बाज़ार की नीति का सूत्रपात किया गया। इन परिवर्तनों के प्रभाव व्याज दर में वृद्धि तथा बैंकों द्वारा सार्वजनिक ऋण के द्वयीकरण के द्वारा बैंकिंग प्रणाली के द्रवत्व (Liquidity) के स्वचालित विस्तार का रुक जाना हुआ। इसके फलस्वरूप बैंकों की साख की ऋतुकालीन मांग की पूर्ति के लिये रिज़र्व बैंक द्वारा दी हुई ऋण सुविधाओं का अधिक मात्रा में आश्रय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार १९५१ में रिज़र्व बैंक का बैंकिंग प्रणाली के ऊपर पहिले से अधिक नियंत्रण हो गया। बैंक दर—अथवा बिलों के ऋणाधार ऋण देने की दर १५ मई मन् १९५७ तक ३ १/२ प्रतिशत रही, तब उसको ४ प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। परन्तु जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अवधिवाले बिलों पर स्टैम्प कर में अधिक वृद्धि होने के कारण, जिसे वित्त मन्त्री ने "मौद्रिक इरादे से राजकोपीय कदम" बताया, १ फरवरी १९५७ से ऋण लेने की वास्तविक दर ४ प्रतिशत तक बढ़ गई। उसी तिथि से सरकारी ऋणपत्रों के आमुख रिज़र्व बैंक के अग्रिम की दर भी ४ प्रतिशत तक बढ़ा दी गई। १५ मई १९५७ से, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, बिलों के आमुख अग्रिम की दरों में वृद्धि के द्वारा, दरों में समानता स्थापित हो गई। अन्य बाज़ार की दरों पर इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। बैंक दर बाज़ार की दर के ढांचे का प्रधान नियमनकर्ता है।

इन वर्षों में बैंक ने अपने ऋण तथा खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा व्याज दर के स्तर में साधारणतया तथा अविलम्ब राशि तथा बाजार की बिल दरों में विशेषतः कमी करने में तथा व्याज की दरों में ऋतुकालीन उथलपुथल को, जो बैंक की स्थापना से पूर्व भारतीय मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण लक्षण रही है, कम करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है।

खुले बाजार की क्रियाएं

साख नियंत्रण के अन्य साधनों में, खुले बाजार की क्रियाओं, याने सरकारी ऋणपत्रों के क्रय-विक्रय का, रिजर्व बैंक द्वारा अधिक मात्रा में उपयोग किया गया है। भारत में वैधानिक एवं मस्थानात्मक स्थिति साधारणतया खुले बाजार की क्रियाओं के लिये अनुकूल है। धारा १७ की (८) तथा (८ क) उप-धाराओं के अनुसार बैंक को अधिकार प्राप्त है कि वह (अ) किसी भी अवधि के केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के ऋणपत्रों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय बॉर्ड की सिफारिशों पर निर्दिष्ट स्थानीय सत्ता के ऋणपत्रों का क्रय विक्रय करे; मूलधन तथा व्याज के लिये किसी सरकार अथवा सत्ता की पूर्णतः गारन्टी प्राप्त ऋणपत्र उम वाक्य खड के लिये उन सरकार अथवा सत्ता के ऋणपत्र माने जाते हैं; तथा (आ) स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा किसी भी अन्य बैंक अथवा वैयक्तिक मस्था के, जिसे इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने निर्दिष्ट किया हो, शेयरों तथा पूजी के क्रय-विक्रय में भाग ले। इस प्रकार, वर्तमान समय में, बैंक द्वारा खरीदे जानेवाले ऋणपत्रों की मात्रा अथवा अवधि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सरकारी ऋणपत्रों को खरीदने तथा रखने की प्रथा विस्तृत हो गई है, यद्यपि वह अधिकतर मस्थानात्मक विनियोग तक ही सीमित है, इनमें बैंक सबसे महत्वपूर्ण है तथा दूसरा नम्बर जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation) का आता है जिसको विधान के अन्तर्गत अपनी परिसंपत्ति का अधिकांश भाग सरकारी तथा अन्य न्यायधारी ऋणपत्रों में रखना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S A) तथा यू के (U.K) की प्रथा के विपरीत, भारत में सुविकसित राज्य कोप पत्र बाजार के न होने के कारण, खुले बाजार के सौदे मुख्यतः राज्य कोप पत्रों में होने के बजाय सरकारी बाडों में होते रहे हैं। मन्दी की ऋतु में, साधारणतया वाणिज्य बैंक अपनी बचत को सरकारी ऋणपत्रों में विनियोग करते हैं जिन्हें वे व्यस्त ऋतु में उद्योग तथा वाणिज्य के लिये साख का विस्तार करने के लिए बेच देते हैं, अथवा उनके आमुख ऋण लेते हैं। साधारणतया इन ऋणपत्रों में व्यापार करने के लिये रिजर्व बैंक तैयार रहता है। खुले बाजार की क्रियाओं का पथ प्रदर्शन साख की सामान्य स्थिति तथा बैंकों की आवश्यकताओं द्वारा ही नहीं होता, परन्तु सरकार द्वारा ऋण लेने की आवश्यकताओं द्वारा भी होता है। सरकार का बैंक होने के नाते बैंक का यह कर्तव्य है कि वह उत्तम ऋणपत्र (Gilt Edged) बाजार में सरकार द्वारा ऋण लेने तथा उनके भुगतान को पूरा करने के लिये अनुकूल

स्थिति पैदा करे। दूसरी ओर सरकार की ऋण सबधी क्रियाएँ इन प्रकार आयोजित होती हैं, जिन्हें जहाँ तक सम्भव हो सके, वे द्रव्य तथा पूँजी बाजारों की सामान्य स्थिरता के साथ समन्वय स्थापित कर सके।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व बैंक की लुले बाजार की क्रियाओं की मात्रा अपेक्षत कम थी। युद्ध काल में धन राशि के लिये अन्य विकास न होने के कारण, बैंक तथा अन्य सस्यानात्मक विनियोजक, सरकारी ऋणपत्रों में अपने निवेश बढ़ाते चले गये, तथा बैंक की क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य सरकारी ऋण प्राप्ति को सहायता देना था। युद्ध पश्चात् के वर्षों में, बैंकों की मात्रा विस्तार के लिये नकद राशि की आवश्यकता की पूर्ति के लिये, जो युद्ध काल में बहुत कम हो गई थी, बैंक की क्रियाएँ मुख्यतः ऋण-पत्रों की प्रय करने की दिशा में रही। बैंक की खरीद १९४८-४९ तथा १९५०-५१ में विशेषतः अधिक रही, अन्तिम वर्ष कोरिया के युद्ध के कारण व्यवसाय में तेजी का था। बैंक द्वारा ऋणपत्रों को अपेक्षत स्वतन्त्रपूर्वक प्रय करने की इस नीति में, जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, नवम्बर १९५१ के मध्य में परिवर्तन किया गया। यह सशोधित नीति लगभग पाँच वर्ष तक चली, तथा इस अवधि में बैंक लगभग ५० करोड़ रु के ऋणपत्रों की निवल बिक्री कर सका जब कि १९४८-५१ में उसकी कुल निवल खरीद २०० करोड़ रु से कुछ अधिक थी। परन्तु नवम्बर १९५६ से बैंक उत्तम ऋणपत्र बाजार को, मुद्रा बाजार में तनी को दूर करने के उद्देश्य से, विवेचनापूर्ण (Discriminating) सहायता देने लगा। सर्वथा क्रय-विक्रय के अतिरिक्त, बैंक विस्तृत रूप में सविमुक्त (Switch) क्रियाओं, अर्थात् आय का निर्यामित रूप बनाये रखने तथा विनियोजकों की, अवधि की वितरण नीति से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक ऋण को बँच कर दूसरे को खरीदने या इसके विपरीत क्रिया में सलग्न रहता है। परन्तु १९५७ के मध्य से फिर ऋण-पत्रों की बिक्री पर अधिक जोर दिया जा रहा है तथा बैंक द्वारा ऋणपत्रों की खरीदारी बिक्री में काफी ज्यादा रही है।

आस्थिर प्रारक्षण आवश्यकताएँ


रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट को धारा ४२ (१) के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों के लिये यह आवश्यक था कि वे रिज़र्व बैंक के पास अपने माग देयता (Demand Liability) का ५ प्रतिशत तथा मावधि देयता* का २ प्रतिशत नकद प्रारक्षण रखें। परन्तु १९५६ के संशोधित एक्ट से बैंक को, अनुसूचित बैंकों के माग देयता

* बैंकिंग कम्पनीय एक्ट १९४९ की धारा १८ के अनुसार अनुसूचित बैंकों के अतिरिक्त प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी के लिये भी आवश्यक है कि वह अपने पास अथवा रिज़र्व बैंक के पास अथवा दोनों के पास अपने मावधि देयता का न्यूनतम २ प्रतिशत तथा माग देयता का ५ प्रतिशत नकद प्रारक्षण रखे।

मे संबंधित आवश्यक प्रारक्षण को ५ तथा २० प्रतिशत के बीच तथा सावधि देयता से संबंधित प्रारक्षण को २ तथा ८ प्रतिशत के बीच परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली की लोचदार क्रिया को सहज करने के लिये, रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार दे दिया गया कि वह बैंको के लिये यह आवश्यक कर दे कि वे रिजर्व बैंक के पास अतिरिक्त नकद प्रारक्षण भी रखें, जिसे सावधि देयता तथा माग देयता (Demand Liability) की, रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किसी आधार तिथि को, इन ऋणों के स्तर से अधिकता के अनुसार निर्धारित किया जाय, इस प्रावधान के साथ कि किसी बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखा कुल प्रारक्षण उसके माग देयता के २० प्रतिशत तथा सावधि देयता के ८ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रावधान का उद्देश्य अतिरिक्त रक्षित निधि की क्रियाओं में जिस समय बैंको द्वारा नये निक्षेपों की प्राप्ति अति असम हो, स्थिरता की स्थापना करना है (Ensure Equity)। एकट में यह भी प्रावधान है कि रिजर्व बैंक अपने निर्णय पर प्रारक्षण की राशि पर जो माग देयता के न्यूनतम ५ प्रतिशत तथा सावधि देयता के दो प्रतिशत से अधिक हो, समय समय पर स्वयं अपने द्वारा निर्धारित दर अथवा दरो पर ब्याज दे। परन्तु ब्याज का भुगतान बैंक के लिये आवश्यक वैधानिक न्यूनतम आधिक्य (Balance) बनाये रखने पर अवलंबित है। अभी तक बैंकों के आवश्यक प्रारक्षण में परिवर्तन करने के इन प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया है। सभी अनुसूचित बैंक परिनियत अल्पिष्ट से अधिक आधिक्य रखते हैं, यह अधिकता स्वयं विभिन्न ऋतुओं में बदलती रहती है। (नीचे चित्र देखिए)।

विवेचनात्मक (Selective) एवं प्रत्यक्ष साख नियमन

पिछले अनुच्छेदों में पर्यालोचित साख नियंत्रण के साधन जिन्हें साधारणतया सामान्य अथवा मात्रा सबधी साख नियंत्रण के तरीको के नाम से पुकारा जाता है रिजर्व बैंक द्वारा साख की कुल मात्रा का नियमन करना सभव बनाते हैं, किन्तु आर्थिक क्रियाओं के किसी विशेष क्षेत्र को दी जानेवाली साख को नहीं। विशेष उद्देश्यों अथवा आर्थिक क्रियाओं की शाखाओं को दी जानेवाली साख का नियमन विवेचनात्मक अथवा गुणात्मक साख नियंत्रण कहलाता है। इसका उद्देश्य उन क्रियाओं को जो आवश्यक समझी जाती हैं अथवा विशेष रूप से वांछित हैं प्रोत्साहन देना तथा उनको जो अपेक्षित, अनावश्यक अथवा कम वांछित समझी जाती हैं हतोत्साहित करना है। आवश्यक अथवा वांछित होने का मापदंड, वास्तव में, सदा एक-सा नहीं रहता। पिछले वर्षों में अनेक केन्द्रीय बैंक विभिन्न प्रकार के विवेचनात्मक साख साधनों का, कभी स्वतंत्र रूप से तथा प्रायः सामान्य साख साधनों के साथ, प्रयोग कर रहे हैं। किन्तु प्राप्त अनुभव से विदित होता है कि उनकी सामान्य मात्रा सबधित (Quantitative) साख नियंत्रण के साथ प्रयोग होने से उनका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। विवेचनात्मक साख नियंत्रण के अतिरिक्त, अनेक देशों में केन्द्रीय बैंक



अलग अलग बैंकों तथा शाखा ही कुल बैंकिंग प्रणाली द्वारा दिए गए अग्रिम तथा विनि-
योनी की कुल मात्रा और साथ ही उसके वितरण पर प्रत्यक्ष नियमन के अधिकार
प्राप्त कर रहे हैं।

बैंकिंग कम्पनीज एक्ट की धारा २१ रिज़र्व बैंक को बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम
पर नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान करती है। धारा इस प्रकार है:

“(१) जब रिज़र्व बैंक सन्तुष्ट हो कि यह जनहित में आवश्यक है, तो वह
अग्रिम सबंधी बैंकिंग कम्पनियों की सामान्य नीति अथवा किसी विशेष बैंकिंग
कम्पनी की नीति को निर्धारित कर सकती है, तथा नीति निर्धारित होने पर सब
बैंकिंग कम्पनिया अथवा विशेष बैंकिंग कम्पनी इस प्रकार निर्धारित नीति पर
चलने के लिये बाध्य होगी।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक को प्राप्त अधिकार को रखा
को कम लिये बिना रिज़र्व बैंक बैंकिंग कम्पनियों को सामान्य रूप से अथवा किसी

एक बैंकिंग कंपनी अथवा कंपनियों के विशेष समुदाय को, उन उपयोगों से सब-धित जिनके लिये अग्रिम प्रदान किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता, रक्षित अग्रिम पर रखे जानेवाले अन्तर तथा अग्रिम की ब्याज की दर से सबधी, आदेश दे सकता है, तथा प्रत्येक बैंकिंग कंपनी दत्त प्रकार विधे गये आदेशों पर चलने के लिये बाध्य होगी।”

धारा ३५ (क) जिसका प्रारम्भ १९५७ में हुआ रिजर्व बैंक को अन्य बैंकों को आदेश देने के निम्नलिखित अधिकार प्रदान करती है

“(१) जब रिजर्व बैंक निश्चित हो जावे कि

(क) राष्ट्रीय हित में, अथवा

(ख) किसी बैंकिंग कंपनी का संचालन यदि जमा कर्ताओं के हित के प्रतिकूल हो अथवा बैंकिंग कंपनी के हितों के प्रतिकूल हो, तो उसे रोकने; अथवा

(ग) किसी बैंकिंग कंपनी का सामान्यतः अच्छा संचालन स्थापित करने के लिए,

सामान्यतः बैंकिंग कंपनियों को अथवा किसी विशेष बैंकिंग कंपनी को आदेश देना आवश्यक है, तो वह समय समय पर उचित आदेश दे सकता है तथा बैंकिंग कंपनियां अथवा बैंकिंग कंपनी उन आदेशों पर चलने के लिए बाध्य होगी;

(२) कहे जाने पर, अथवा स्वयं अपनी इच्छा से, रिजर्व बैंक यदि चाहे तो, उपधारा (१) के अन्तर्गत विधे गये आदेश में परिवर्तन अथवा उसे रद्द कर सकता है, तथा इस प्रकार किसी आदेश में परिवर्तन अथवा उसे रद्द करते समय वह उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है, तथा परिवर्तन अथवा रद्द होना उसके अधीन होगा।”

इसके अतिरिक्त उसी एक्ट की धारा ३६ (१) (क) के अन्तर्गत, “रिजर्व बैंक सामान्य रूप से बैंकिंग कंपनियों का अथवा किसी विशेष बैंकिंग कंपनी को किसी विशेष देन लेन अथवा किसी श्रेणी के देन लेन करने के धारे में सचेत कर सकता है अथवा उसे रोक सकता है, तथा किसी बैंकिंग कंपनी को सामान्य रूप से परामर्श दे सकता है।”

समय समय पर बैंक ने परिपत्रों (Circular Letter) द्वारा बैंकों को सामान्य रूप से ऋण देने अथवा सूचित माल तथा धोखों की प्रतिभूति पर ऋण देने में सचेत रहने के लिये आदेश दिया है। परन्तु लगभग १९५६ के मध्य से ही, बैंक ने बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अन्तर्गत आदेश देने के अधिकारों का नियमपूर्वक प्रयोग करना

प्रारम्भ किया है। १९५६ के प्रारम्भ में, यह विदित हुआ कि १९५५-५६ की व्यस्त ऋतु में बैंक द्वारा साख विम्भार का एक बड़ा भाग खेतीहर पदार्थों के सट्टे के लिये काम में लाया गया। इसलिये रिजर्व बैंक ने, आवश्यक देखरेख रखने के उद्देश्य से, बैंको को घुने हुए ऋणपत्रों के आमुख अग्रिम की रकम में मर्यादित सूचना माह में दो बार देने का आदेश दिया। बाद में मई १९५६ में बैंक ने बैंको को घान तथा चावल की प्रतिभूति पर अग्रिम को सीमित करने तथा इन पदार्थों के आमुख अधिक अन्तर (Margins) बनाये रखने का आदेश जारी किया।

१३ सितम्बर १९५६ को इस विवेचनात्मक नियंत्रण को विस्तृत करके उसे बैंको द्वारा अन्य अनाज, चना तथा दूसरी दालों, तथा रुई के उत्पादिक सामान के आमुख दिये जानेवाले अग्रिम पर भी लागू कर दिया गया। लोच, बैंक द्वारा साख नियंत्रण का लक्षण रहा है। इस तथ्य का प्रदर्शन नियंत्रण की विधियों को उनका जारी रहना अनावश्यक हो जाने पर वापस लेने अथवा उनमें आवश्यकतानुसार मशौघन करने द्वारा हुआ। इस प्रकार नवम्बर १९५६ में घान तथा चावल के आमुख अग्रिम सबधी आदेश, नई फमल के स्थानान्तरण (Movement) के हेतु अर्थ प्रबन्धन को सहज करने के उद्देश्य से वापस ले लिया गया, यह प्रतिबंध ९ फरवरी १९५७ को फिर लागू कर दिया गया। रुई के पक्के माल सबधी माल आदेश अपेक्षतः प्रयोग में आने के कुछ ही समय बाद वापस ले लिया गया। यद्यपि साधारणतया बैंको ने रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर दिये गये परामर्शों का पालन किया, परन्तु कुछ के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक को बैंकिंग कर्पनीज एक्ट की धारा ३६ (१) (क) द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करना पडा तथा उन बैंको द्वारा निश्चित अवधि के लिये रिजर्व बैंक की पूर्ण आज्ञा के बिना निश्चित मात्रा से अधिक अग्रिम देने पर प्रतिबन्ध लगाना पडा। यद्यपि विवेचनात्मक साख के क्षेत्र में बैंक का अनुभव बहुत सीमित है, तथापि यह विश्वास किया जा सकता है कि साख नियंत्रण साधनों के साथ साथ इन शक्तियों के उचित उपयोग द्वारा बैंक साख प्रणाली का नियमन कर सकेगा।

यह बताना आवश्यक है कि बैंक के विवेचनात्मक एव प्रत्यक्ष साख नियमन के अधिकार समान रूप में अनुसूचित तथा अन-अनुसूचित बैंको पर लागू होते हैं, क्योंकि बैंकिंग कर्पनीज एक्ट सभी कर्पनियों पर लागू होता है। किन्तु व्यवहार में यह आदेश अनुसूचित बैंको तथा कुछ बड़े अन-अनुसूचित बैंको को ही दिये गये हैं क्योंकि छोटे बैंको की एक बड़ी सख्या के नियंत्रण करने में प्रबन्ध सबधी समस्याओं का सामना करना पडता है।

नैतिक प्रभाव (Moral Suasion)

पूर्व लिखित साख नियमन के मात्रा सबधी एव गुणात्मक उपायों के अतिरिक्त, यह ध्यान देने योग्य है कि इस देश में नैतिक प्रभाव की दिशा में भी प्रयत्न किये गये।

सितम्बर १९४९ में रुपये के अवमूल्यीकरण के पश्चात्, बैंक के प्रबन्धकर्ता (Governor) ने प्रमुख बैंकिंग व्यवसाइयो की एक सभा का आयोजन किया जिसमें उनसे सट्टे की क्रियाओ के लिये अग्रिम देने पर रोक लगा कर अधिकारियो को सहयोग देने की प्रार्थना की गई। इसी प्रकार जून १९५७ में रिजर्व बैंक के प्रबंधकर्ता ने व्यापारिक बैंको को एक परिपत्र लिखा जिसमें उनसे उद्योगो को दी जानेवाली सहायता में कमी किये बिना, उनके विशेषतः सेती संबंधी पदार्थों के आमुख अग्रिम देने में निश्चित कमी करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके एक माह पश्चात् प्रबन्धकर्ता ने प्रमुख व्यवसायियो का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें अग्रिम के स्तर में अधिक मात्रा में (उस समय के ९३७ करोड रु. के स्तर से ८०० करोड रु. तक) कमी करने की आवश्यकता का महत्व उन्हें समझाया गया, कमी करने के उद्देश्य की प्राप्ति प्रायः हो गई। यद्यपि भारतीय बैंकिंग यू.के. के बैंकिंग के समान केन्द्रित नहीं है, तथापि जमा साधनो का अधिकांश भाग लगभग एक दर्जन बैंको में केन्द्रित होने के कारण बैंक के प्रबन्धकर्ताओं तथा बैंको में समय-समय पर अनौपचारिक विचार विमर्श होना संभव होता है तथा नैतिक प्रभाव द्वारा कुछ परिणामो की प्राप्ति हो जाती है।

साख नियमन के अधिकारो के अतिरिक्त बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बैंक को जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा तथा बैंकिंग प्रणाली के नियमबद्ध विकास के उद्देश्य से, प्रबन्ध तथा सामान्य नियमन संबंधी विस्तृत अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार रिजर्व बैंक में वे अनेक प्रकार्य सम्मिलित है जो संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) में अनेक संस्थाओ में वितरित है, जैसे फेडरल रिजर्व प्रणाली के प्रबन्धको के बोर्ड, मुद्रा के नियंत्रणकर्ता (Comptroller of Currency), सच जमा बीमा आयोग (Federal Deposit Insurance Corporation) (जो बीमा किये बैंको का निरीक्षण करता है) तथा बैंको के लिये राज्य निरीक्षण अधिकारी, तथा जो कुछ योरप के देशों में केन्द्रीय बैंको के रजिस्ट्रारो अपवा निरीक्षको में बँटे होते हैं। इन अन्य प्रकार्यों तथा बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अन्तर्गत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का द्विवरण अगले परिच्छेद में दिया गया है।

बैंकों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण

लाइसेंस देना (Licensing)

बैंकिंग कर्पनीज एक्ट एक विस्तृत विधान है जिसके अन्तर्गत बैंको तथा उनकी शाखाओं के खोलने के, उनके काम काज तथा परिसमापन (Liquidation) की चर्चा है। एक्ट की धारा २२ के अनुसार बैंको के लिये यह आवश्यक है कि वे भारत में बैंकिंग व्यापार को चलाने अथवा आरम्भ करने के लिये रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करें। इस आवश्यकता का उद्देश्य केवल उन बैंको की नित्यता तथा प्रगति को, जो ठीक प्रकार स्थापित हैं तथा कार्य कर रहे हैं, सभ्य करना तथा बैंकिंग कर्पनियो की अविचेकनापूर्ण स्थापना को हतोत्साहित करना (पूजी जारी पर नियंत्रण के सहयोग से) है। वे बैंक जो बैंकिंग कर्पनीज एक्ट के लागू होने से पूर्व कार्य कर रहे थे, जिस समय तक उन्हें लाइसेंस प्रदान करने को मना नहीं कर दिया जाय, अपना बैंकिंग व्यापार जारी रख सकते हैं। लाइसेंस देने से पूर्व, सामान्यतः रिजर्व बैंक बहियों तथा खातों तथा कार्य करने के तरीकों के निरीक्षण से यह देख लेता है कि बैंक अपने जमाकर्ताओं को, जब वे माग करे, पूरा रुपया दे सकता है तथा उसकी कार्य प्रणाली जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिबल नहीं है। विदेशों में इन्कारपोरेटेड बैंको के लिये एक अतिरिक्त आवश्यकता यह भी है कि उस देश में जिसमें उनका इन्कारपोरेशन हुआ हो उस देश का विधान अथवा सरकार भारत में इन्कारपोरेटेड बैंको के प्रति भेद की नीति नहीं बरतने हो। बैंकिंग कर्पनीज एक्ट के चालू होने के समय में ३१ मार्च, १९५८ तक ४७ अनुसूचित बैंको (Scheduled) तथा ६ अन-अनुसूचित बैंको (Non-Scheduled) को लाइसेंस दिया जा चुका है; यद्यपि यह सख्या अनुसूचित बैंको की लगभग आधी तथा अन-अनुसूचित बैंको का एक बहुत छोटा सा भाग है, तथापि स्टेट बैंक अफ इंडिया तथा तीन बड़े राज्य से संबंधित बैंको को, जिन पर लाइसेंस प्राप्त करने के प्रावधान लागू नहीं होते, मिला कर देश की कुल बैंकिंग कर्पनियो की जमा का ९३ प्रतिशत भाग इनके पास है।

बैंको को लाइसेंस देने में संबंधित नीति इस प्रकार है—

निरीक्षण के पश्चात् उनकी कार्य प्रणाली के दोषों की सूचना उन्हें दे दी जाती है तथा उन दोषों को दूर करने को उनसे कहा जाता है, तथा रिजर्व बैंक उनकी कार्य

प्रणाली के दोषों को दूर करने की प्रगति को देखने के लिये उनसे समय-समय पर रिपोर्ट मंगाता है। जहाँ आवश्यकता होती है, बैंको को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिये, बैंक से पूछ कर, बैंकिंग सलाहकारों की नियुक्ति करें। बैंकिंग कंपनीज (सशोधन) एक्ट (१९५६) के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि बैंको के मैनेजिंग डाइरेक्टर तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, अथवा पुन. नियुक्ति, अथवा वेतन से संबंधित प्रावधानों में सशोधन रिजर्व बैंक आफ इंडिया की अनुमति से हो। यदि आवश्यक हो तो बैंक अपने अधिकारियों को नियुक्त कर देता है कि वे अवलोककों के रूप में समय-समय पर स्वयं जाकर तथा डाइरेक्टरों के वॉर्ड की सभाओं में उपस्थित होकर, बैंकों का काम काज देखें। जब कोई बैंक तनिक भी प्रगति करता नहीं दिखाई पड़ता तो ऐसी गंभीर स्थिति में लाइसेंस न देने का कदम उठाया जाता है। इस प्रकार, ३१ मार्च १९५८ तक २ अनुसूचित बैंकों तथा १११ अन-अनुसूचित बैंकों को लाइसेंस देने से इन्कार किया गया। इनमें से एक अनुसूचित बैंक पुर्तगाली बैंक था जिसको लाइसेंस न दिये जाने का कारण, पुर्तगाल की सरकार का अपनी भारत की बस्तियों में भारतीय बैंको को शाखा खोलने से मना करने से उनके प्रति भेद की नीति बरतना था। निरीक्षण का पहिला दौर पूरा हो चुका है तथा कई बैंको का एक से अधिक बार निरीक्षण हो चुका है।

पूँजी, प्रारक्षण तथा रोक-परिसंपत्ति (Liquid Assets)

जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा बैंकों की न्यूनतम पूँजी तथा प्रारक्षण के निर्धारण द्वारा भी होती है। यह बैंकों की क्रियाओं के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार कम अधिक होते हैं। चुकती पूँजी तथा प्रारक्षण की न्यूनतम आवश्यकता इस प्रकार है—बैंक का कार्य-क्षेत्र बम्बई तथा कलकत्ते के अतिरिक्त किसी स्थान पर कार्यालय से (जब यह ५०,००० रु. होती है) राज्य की सीमाओं के बाहर विस्तार होने पर (५ लाख रुपये) तथा बम्बई तथा कलकत्ता नगरों में यह आवश्यकता न्यूनतम १० लाख रु. निश्चित की गई है।* एक अन्य नियंत्रण का प्रावधान नकदी तथा अन्य रोक-परिसंपत्ति के न्यूनतम स्तर को बनाये रखने से संबंधित है। जैसा कि इसमें पूर्व (२८ पृष्ठ पर) लिखा जा चुका है, अनुसूचित बैंको के लिये यह आवश्यक है कि वे बैंक के पास न्यूनतम शेष रोकड रखें तथा अन-अनुसूचित बैंको के लिये बैंकिंग कंपनीज एक्ट

* भारत से बाहर इन्कारपोरेटेड बैंकिंग कंपनी के लिये यह आवश्यक है कि उसकी चुकती पूँजी तथा प्रारक्षण का योग १५ लाख रु. से कम नहीं होना चाहिये, तथा यदि उसके व्यापार का स्थान बम्बई या कलकत्ता या दोनों नगर हैं तो वह रकम २० लाख रुपया होनी चाहिए, तथा इस रकम का नकद अथवा अवधित ग्राह्यऋण पत्रों के अथवा कुछ नकद तथा कुछ इस प्रकार के ऋणपत्रों के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा होना चाहिये।

के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि वे माग तथा सावधि देयता का क्रमानुसार ५ तथा २ प्रतिशत न्यूनतम नकद अधिग्रहण रखें। बैंकिंग कंपनी अधिनियम १९४७ के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि बैंकों के पास किसी भी दिन व्यापार की समाप्ति के समय भारत में अपने माग तथा सावधि देयता के योग का न्यूनतम २० प्रतिशत नकदी, सोना अथवा अवधित ग्राह्य ऋणपत्रों के रूप में हो। इस देश में व्यापार कर रहे विदेशी बैंकों के सम्बन्ध में इस बात का इतमीनात करने के लिये कि उनके भारत में प्राप्त किये साधन इसी देश में निवेश किये जाते हैं, धारा २५ के अन्तर्गत बैंकों के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक तिमाही के अन्त में भारत में उनकी परिसंपत्ति उनकी माग तथा सावधि देयता के पचहत्तर प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये। साथ ही, धारा १७ में यह प्रावधान है कि भारत में समामेलित प्रत्येक बैंकिंग कंपनी लाभांश की घोषणा करने से पूर्व अपने निबल लाभ का न्यूनतम २० प्रतिशत प्रारक्षित निधि में अन्तरण उस समय तक करे जब तक कि वह निधि उसकी प्राप्त पूंजी के बराबर न हो जाय।

शाखा विस्तार

बैंक द्वारा पर्यवेक्षण का दूसरा पहलू बैंकों की शाखाओं के विस्तार के ऊपर नियंत्रण से संबंधित है। एक्ट की धारा २३ के अनुसार बैंकों के लिये भारत या विदेश में नई शाखाएँ खोलने तथा स्थापित कार्यालयों के स्थान परिवर्तन के लिये रिजर्व बैंक की आज्ञा लेना आवश्यक है। यदि बैंक सतुष्ट हो कि संबंधित बैंक की अवस्था तथा प्रबन्ध ठीक है, शाखा द्वारा आय उपार्जन करने की काफी आशा है, तथा शाखा के खुलने अथवा स्थापित शाखा के स्थान परिवर्तन से जनहित को लाभ पहुँचेगा तो बैंक की इजाजत मिल जाती है। शाखा विस्तार के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता तब पड़ी जब द्वितीय युद्ध काल में अविवेचनापूर्ण शाखा विस्तार के कारण, बड़े बड़े नगरों में जमाव बढ़ता गया जब कि देश के मुख्य भाग बैंकिंग साधनों से वंचित थे अथवा वहाँ बैंकिंग साधन अपर्याप्त थे।

नियंत्रण के आरंभ से इस अनुचित विकास को ठीक करने का विचार रहा है। यह इस तथ्य से प्रत्यक्ष है कि तीन चौथाई से अधिक शाखाएँ, जिनके खोले जाने की अनुमति प्राप्त हुई है, उन स्थानों में हैं जिनकी जन संख्या ५०,००० या उससे कम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा विस्तार का निरुद्ध करना भी उचित होगा। इस बैंक पर यह उतरदायित्व है कि वह अपनी स्थापना से ५ वर्ष के अन्दर अथवा सरकार द्वारा बढ़ाई गई अवधि के अन्दर, उन ग्रामीण इलाकों में जहाँ व्यापारी बैंक पहुँचने के इच्छुक नहीं हैं, बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिये तथा साथ ही वार्षिक तथा मह-कारी बैंकों को प्रेषण की अधिक मात्रा में मुविधाएँ देने के उद्देश्य से ग्रामीण अथवा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में ४०० शाखाएँ खोले। राज्य कोष का व्यापार, वर्तमान बैंकिंग

मुविपाओ की मात्रा तथा भंडागार के माधनों की उपलब्धि नई शाखाएँ खोलने के केन्द्रों को चुनने के कुछ मुख्य आधार हैं। विदेशों में शाखाएँ खोलने पर नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाओं की अच्छी बैंकिंग परम्पराओं को बनाये रखना है। व्यवहार में, बैंक की शाखा विस्तार के नियंत्रण से संबंधित नीति कुछ समय में काफी नरम हो गई है, तथा नीति में इस प्रकार के विस्तार को प्रोत्साहन देने पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

निरीक्षण

शायद कानून द्वारा रिजर्व बैंक को पर्यवेक्षण सबंधी प्राप्त शक्तियों में सब से महत्वपूर्ण बैंकिंग कंपनियों का निरीक्षण करने की शक्ति है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट की धारा ३५ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक किसी बैंक का किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है; विशेषतः बैंक को निरीक्षण का, जांच करने अथवा एक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत निदिष्ट मामलों से संबंधित स्थिति के निर्धारण का अधिकार प्राप्त है। उदाहरण के लिए एक्ट की धारा ११ के अनुसार एजी के पर्याप्त होने, लाइसेंस प्राप्त करने के लिये उपयुक्त (धारा २२) शाखाओं के खोलने (धारा २३), ममामेलनों (Amalgamations) (धारा ४४(क)), व्यापार के स्थगन तथा ऋणदाताओं/मदस्यों के साथ समझौतों इत्यादि (धाराएँ ३७ तथा ४५), अथवा बैंक के आदेशों के पालन (धारा २१) के संबंध में अपनी सतुष्टि के ऊपर बैंक जोर दे सकता है।

निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य बैंकों का ध्यान उनके कामकाज के दोषों की ओर दिला कर उन्हें उत्तम बैंकिंग की परम्पराओं को विकसित करने में सहायता देना है। निरीक्षण के दौरान में रिजर्व बैंक, बैंक के काम काज का परीक्षण करता है। विशेष ध्यान, कार्य करने के तरीकों, निवेदा तथा उधार देने की नीतियों, परिसंपत्ति की दशा, संचालन के गुण तथा विभिन्न परिणियत प्रावधानों का कड़ा तक पालन किया है इत्यादि पर दिया जाता है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व को भलीभांति पूरा करने के लिये बैंक ने मार्च सन् १९५० से, एक्ट द्वारा संचालित समस्त बैंकिंग कंपनियों के समय-समय पर निरीक्षण के लिए प्रवन्ध कर रखा है। निरीक्षण के पश्चात् बैंकों की स्थिति तथा काम काज में अर्पेक्षित मात्रा में उन्नति करने के लिये बैंक द्वारा किए गए प्रवध का इससे पूर्व जिक्र किया जा चुका है। धारा २६ {१} {४} {५} के अन्तर्गत बैंक को, यदि वह आवश्यक समझे तो, किसी बैंक के संचालन में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। अत्यन्त गंभीर परिस्थितियों में जब बैंक की स्थिति में सुधार होना अमभव जान पड़े, तो रिजर्व बैंक जमा करनेवाली जनता के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उस बैंक के विरुद्ध प्रतिकूल क्रिया कर सकता है। इस प्रकार की प्रतिकूल क्रिया, जैसा कि पहिले

समझाया जा चुका है, लाइसेंस देने को मना करने, वर्तमान लाइसेंस को रद्द करने, केन्द्रीय सरकार द्वारा नई जमा को ग्रहण करने पर प्रतिबन्ध अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को न्यायालय में बैंकिंग कपनी के परिममाणन के लिये प्रार्थना पत्र देने के आदेश, का रूप ले सकती है।

निरीक्षणों की प्रणाली बैंकिंग प्रणाली की कमजोर इकाइयों की अनुचित बैंकिंग रीतियों तथा क्रियाओं को ठीक करने के लिये उपयोगी सिद्ध हुई है तथा उसने बैंको के संचालन के स्तर को ऊचा उठाने में सहायता दी है।

यह भी आशा की जाती थी कि बैंक इस स्थिति में होगा कि वह बैंकिंग कपनियों के छोटी के अधिकारियों की नियुक्ति में अनुमति दे तथा उनके अनुपात से अधिक ऊचे वेतन को, विशेषतः बड़े भारतीय बैंको में, जैसा कि बैंक एवार्ड आयोग ने दर्शाया था, नियमित करे। इस उद्देश्य के लिये बैंकिंग कपनीज़ (मशोधन) एक्ट में, जिसे संसद ने दिसम्बर १९५६ में पास किया, प्रावधान रखा गया। यह एक्ट बैंक को राष्ट्रीय हित में बैंको को निर्देश देने का अधिकार भी देता है।

समामेलन (Amalgamations)

बैंकिंग कपनीज़ एक्ट (धारा ४४क) में एक अन्य महत्वपूर्ण नियमन-सबधी प्रावधान समामेलन के बारे में है। बैंको के लिये यह अनिवार्य है कि समामेलन से पूर्व रिज़र्व बैंक की आज्ञा प्राप्त करे। एक्ट में यह विधि दी हुई है जिसका बैंको को समामेलन की योजना के सबंध में अनुसरण करना होता है, जैसे, सीअर होल्डरों की सभा बुलाना, अनिच्छुक सदस्यों को भुगतान तथा योजना का पर्याप्त प्रचार। इस सम्बन्ध में बैंक की नीति सामान्यतः बैंकिंग कपनियों के समामेलन को प्रोत्साहन देना है, यदि वह सन्तुष्ट हो कि समामेलन की योजना बैंक के जमाकर्ताओं के हित में है तथा समामेलित इकाई समामेलित बैंको के कार्य क्षेत्रों में बैंकिंग के ढांचे को मजबूत बनाने में सहायक हो सकेगी। एक बैंकिंग कपनी की परिमपत्ति एवं देयता की दूसरी के पास अन्तरण करके शक्तिशाली इकाइयों में समग्र करने को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। समामेलन तथा अन्तरण में मुख्य अन्तर यह है कि समामेलन के अन्तर्गत, समामेलित कपनी का अस्तित्व ही एकदम मिट जाता है, अन्तरण के अन्तर्गत अन्तरण करनेवाली कपनी को यह छूट रहती है कि यदि चाहे तो अपनी मनापति कर ले अथवा गैर-बैंकिंग व्यापार जारी रखे।

व्यवस्था की शर्तें

बैंकिंग कपनीज़ एक्ट की धारा ४५ के अनुसार कोई भी उच्च न्यायालय (High Court) किसी बैंकिंग कपनी तथा उसके ऋणदाताओं के बीच अथवा इस प्रकार

की कंपनी तथा उसके सदस्यों के बीच किसी समझौते अथवा प्रबंध को तब तक स्वीकृति नहीं दे सकता जब तक कि ऐसे समझौते अथवा प्रबंध को रिजर्व बैंक यह प्रमाणपत्र न दे दे कि वह उस कंपनी के जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल नहीं होगा।

परिसमापन (Liquidation)

रिजर्व बैंक द्वारा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के प्रयत्न बैंकों के जीवन-काल में उनकी क्रियाओं तक ही सीमित नहीं रहते वरन् उनके परिसमापन के बाद तक जारी रहते हैं। जुलाई १९५२ में भारत सरकार ने बैंकों के परिसमापनों की प्रगति का निरूपण (Review) करने तथा परिसमापन क्रियाओं को सहज करने तथा उनकी शीघ्र समाप्ति करने के लिये और अधिक प्रावधानों के बनाये जाने की आवश्यकता पर विचार करने के लिये बैंकों की परिसमापन क्रिया समिति की (Banks Liquidation Proceedings Committee) नियुक्त की। उस समिति की अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशें बैंकिंग कंपनीज (सशोधन) एक्ट १९५३ में जो दिसम्बर १९५३ से लागू हुआ, मूर्तमान है। सशोधित एक्ट में रिजर्व बैंक की प्रार्थना पर स्वयं उसके, स्टेट बैंक आफ इंडिया के अथवा किसी अन्य बैंक के जिसे केन्द्रीय सरकार ने निर्देशित किया हो किसी बैंक के परिसमापन अधिकारों के रूप में नियुक्त की व्यवस्था है तथा उसमें परिसमापन क्रिया की शीघ्र समाप्ति से संबंधित प्रावधान भी हैं।

बैंक की पूंजी के जारी करने पर नियंत्रण

अपने परामर्श देने से संबंधित प्रकार्यों के अधीन, बैंक केन्द्रीय सरकार को, पूंजी जारी करने के लिये बैंकिंग तथा निवेश कंपनियों के प्रार्थना पत्रों पर, परामर्श देता है। स्थापित बैंकिंग कंपनियों के पूंजी जारी करने के लिये दिये गये प्रार्थनापत्रों को जब उनके पूंजी के ढांचे, बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अन्तर्गत पूंजी की आवश्यकताओं, आर्थिक स्थिति तथा क्रियाओं की रीति इत्यादि के सदभं में होती है। नये उपक्रमों की जब उनके प्रारंभिक संचालकों (Promoter-Directors) के साधन तथा स्याति, प्रस्तावित स्थान तथा उसी स्थान में वर्तमान बैंकों के मुकाबले में व्यापार की आशा की कसौटी पर की जाती है। वर्तमान बैंकों को भारत सरकार यह स्पष्ट कर देती है कि पूंजी जारी करने की स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि १९४९ के बैंकिंग कंपनीज एक्ट की धारा २२ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लाइसेंस प्राप्त हो ही जावेगा। स्वीकृत पूंजी के अस्वीकृत (Unsubscribed) भाग को क्रय करने के लिये अवधि को बढ़ाने से संबंधित प्रार्थना पत्र परामर्श के लिये रिजर्व बैंक के पास भेजे जाते हैं।

बैंकिंग में प्रशिक्षण

बैंकिंग प्रबन्ध का स्तर अधिक मात्रा में बैंकों के गणों पर निर्भर करता है तथा बैंक कर्मचारियों के प्रशिक्षण का इस सदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्थान है। बैंकिंग प्रणाली की क्रियाओं के नियमन के अतिरिक्त उसके विकास एवं उन्नति से संबंधित प्रकार्यों के अन्तर्गत रिजर्व बैंक नें भारतीय बैंकों के पर्यवेक्षण करनेवाले कर्मचारियों को व्यवहारिक बैंकिंग में प्रशिक्षण देने के लिये, अपने व्यय पर, सन् १९५४ में एक बैंकरो के प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की। नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, एक बैंकर के प्रशिक्षण के विस्तृत दृष्टिकोण से, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों के मापणों का प्रबन्ध किया गया है। महाविद्यालय को चलाने में बैंक को एक सलाहकार समिति जिसमें बैंकिंग के क्षेत्र में प्रमुख मन्स्थाओं के प्रतिनिधि हैं, सहायता देती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि ८ सप्ताह से बढ़ा कर ९ सप्ताह कर दी गई है, अब तक महाविद्यालय में १८ पाठ्यक्रम पूरे किये गये हैं, जिनमें ४२२ बैंक अधिकारियों को प्रशिक्षण मिला।

बैंकिंग विकास

अद्यपि बैंकों का नियमन एवं पर्यवेक्षण रिजर्व बैंक के मुख्य प्रकार्य हैं, तथापि पिछले वर्षों में, बैंक ने बैंकिंग के विकास पहलू पर अधिक ध्यान दिया है। अक्टूबर १९५० में बैंक ने बैंकिंग विकास के एक नये विभाग की स्थापना की जिसको देश में बैंकिंग सुविधाओं के विकास को बढ़ाने तथा उसमें सहायता देने का कार्य सौंपा गया। अपेक्षित-उन इलाकों में जहाँ बैंकिंग का विकास बहुत ही कम हुआ है बैंकिंग के विकास की समस्याओं के प्रति सामान्य दृष्टिकोण ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति (Rural Banking Enquiry Committee) (१९५०) तथा बैंक द्वारा आयोजित ग्रामीण वित्त पर अनौपचारिक सम्मेलन (Informal Conference on Rural Finance) (१९५१) की सिफारिशों पर आधारित रहा। उनकी मुख्य सिफारिशें सामान्यतः व्यापारिक बैंकों द्वारा शाखा विस्तार से तथा विशेषतः इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया के शाखा विस्तार से संबंधित थी। इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसे भारतीय बैंकिंग विकास के एक नये परिच्छेद का प्रारंभ कहा जा सकता है। यह घटना इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया के व्यापार का अन्तर्ग्रहण करके १ जुलाई सन् १९५५ को स्टेट बैंक आफ इंडिया की स्थापना थी। शाखाओं का अत्यधिक विस्तार करना स्टेट बैंक आफ इंडिया के उन उद्देश्यों में था जिनकी प्राप्ति तुरन्त करनी थी। उसकी स्थापना करनेवाले विधान के अन्तर्गत बैंक के लिये यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया को सम्मति से निर्धारित स्थानों पर पांच वर्ष की अवधि में (जब तक कि इस अवधि को सरकार बढ़ा न दे) कम से कम ४०० शाखाएँ खोले। इसके अतिरिक्त

स्टेट बैंक ने खुलते समय ५१ शाखाओं को, जिनका विकास कार्य इम्पीरियल बैंक (Imperial Bank of India) के हाथ अधूरा था, अपने अधीन ले लिया। यद्यपि प्रारंभ में इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में प्रगति बहुत धीमी रही, किन्तु अब शाखा विस्तार का प्रबन्ध शीघ्रतापूर्वक हो रहा है। मार्च १९५८ के अन्त तक स्टेट बैंक आफ इंडिया ने १८२ शाखाएँ खोली थी, जिनमें १३८ सरकार द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा १६ (५) के अन्तर्गत स्वीकृत २७२ स्थानों की सूची में दिये गये स्थानों पर तथा ४४ इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया के कार्यक्रम में बची हुई ५१ स्थानों की सूची में दिये स्थानों पर थी। इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा रिजर्व बैंक में सीधा तथा निकट सम्पर्क रहता है। शाखाओं के लिये लाइसेंस देने से सर्वाधिक रिजर्व बैंक आफ इंडिया की सामान्य नीति, उन स्थानों पर जहाँ बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं अथवा अपर्याप्त हैं, सुविधाओं के विस्तार करने के सामान्य उद्देश्य पर आधारित है, उदाहरण के लिये ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अनिर्वक्त बैंक ने प्रेषण की सुविधाओं को प्रगतिशील रूप से महज करने के द्वारा बैंकिंग का विकास करने का प्रयत्न किया है।

(५)

सरकार का बैंकर

रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व सरकार के अधिक महत्वपूर्ण चालू वित्तिक सौदे भूतपूर्व इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया के द्वारा होते थे, यद्यपि लोक-ऋण कार्यालयों (Public Debt Offices) का प्रबन्ध भूतपूर्व इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया ही करता था, लोक-ऋण के प्रबन्ध का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व सरकार का ही था। सरकारी वित्त के ये दोनो पहलू अब रिजर्व बैंक में केन्द्रित कर दिये गये हैं। साथ ही रिजर्व बैंक केवल भारत सरकार के बैंकर का कार्य ही नहीं करता, भारतीय संविधान के सघनीय विशेषता (Federal Character) के कारण वह प्रदेश सरकारों के बैंकर का कार्य भी करता है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धाराएँ २०, २१ तथा २१(अ) इन प्रकार्यों का परिनिमित्त आधार हैं। प्रथम दो धाराओं के अन्तर्गत बैंक को यह अधिकार हैं, तथा उसका कर्तव्य भी है, कि वह भारत सरकार का बैंकिंग व्यापार करे तथा इसलिये वह भारत सरकार के लिये रुपया स्वीकार करता है, उसके रुपये को अदायगी करता है तथा नये लोक-ऋण का प्रबन्ध करना, विनिमय, प्रेषण तथा अन्य बैंकिंग प्रकार्य करता है। उनके साथ हुए सविदों के अन्तर्गत बैंक राज्य सरकारों के लिये भी उसी प्रकार के प्रकार्य करता है।

केन्द्रीय सरकार के साथ समझौता

वह शर्तें जिन पर बैंक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बैंकर का कार्य करता है उन सविदों में जो बैंक तथा सरकार के बीच हुए हैं, दी हुई हैं। इस प्रकार का प्रथम समझौता ५ अप्रैल सन् १९३५ को सपरिषद भारत मन्त्री (Secretary of State for India in Council) के साथ हुआ, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के स्थान पर अनुमति दी। यह समझौता अब तक जारी है, इसके अन्तर्गत बैंक को केन्द्रीय सरकार का सामान्य बैंकिंग व्यापार करना होता है तथा इस उद्देश्य से अपनी बहियों में वे सब खाते खोलने होंगे हैं जिनके लिये सरकार निर्देशन दे। केन्द्रीय सरकार का साधारण व्यापार करने के लिये बैंक को कोई परितोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। लोक-ऋण का प्रबन्ध तथा नये ऋण तथा केन्द्रीय सरकार के राज्य कोष पत्रों को जारी करने का कार्य भी बैंक के सुपुर्द है। लोक-ऋण के

प्रबन्ध के लिये बैंक को हर छमाही में उक्त छः माह के अन्त में लोक-ऋण की रकम पर २,००० रु. प्रति करोड़, प्रति वर्ष की दर से कमीशन लेने का अधिकार है। बैंक के लिये यह आवश्यक है कि वह सरकार द्वारा निश्चित स्थानों पर अपने प्रचालन विभाग की नकदी तिजोरियां रखें तथा इन तिजोरियों में, सरकार के व्यवहार के लिये तथा इन स्थानों पर जनता को प्रेषण की उचित सुविधायें प्रदान करने के लिये, पर्याप्त नोट तथा सिक्के रखें। समझौते के अन्तर्गत बैंक का यह भी कर्तव्य है कि वह भारत तथा लन्दन के बीच, भारत सरकार के खाते में, तार द्वारा प्रेषण की प्रचलित दरों पर, समय-समय पर आवश्यक रकमों का प्रेषण करे।

राज्य सरकारों के साथ समझौते

१ अप्रैल सन् १९३७ को प्रान्तों को सत्ता दिये जाने के पूर्व, (भूतपूर्व) प्रान्तीय सरकारों से बैंक के मीधे सम्बन्ध नहीं थे, बैंक पूर्णतः केन्द्रीय सरकार से कामकाज करता था तथा केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों की अर्थोपाय आवश्यकताओं (Ways and Means Requirements) की पूर्ति के लिये उत्तरदायी थी। प्रान्तों को सत्ता मिलने के बाद, प्रत्येक प्रान्त के लिये रिजर्व बैंक में एक अलग खाता खोलना आवश्यक हो गया, तथा इसलिये (उम समय प्रचलित) धारा २१ के अनुसार बैंक ने प्रान्तों के साथ पृथक समझौते किये, जिनमें उन शर्तों को निर्धारित किया गया, जिन पर बैंक प्रान्तीय सरकारों का बैंकिंग व्यापार करने के लिये तैयार हुआ। इस परिवर्तन का प्रभाव केवल खातों में अधिक मात्रा में रद्दोबदल होना ही नहीं हुआ, वरन् कई सैद्धान्तिक प्रश्न, विशेषतः प्रान्तों की अर्थोपाय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की रीतियों से संबंधित, भी उठे। इन समस्याओं का अगस्त १९३६ में आयोजित सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार, प्रान्तों के वित्त मंत्रियों तथा रिजर्व बैंक ने परीक्षण किया। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के सहयोग से लोक खातों के वर्गीकरण में संबंधित परिवर्तन सरलतापूर्वक हो गया। परन्तु नये सत्ता प्राप्त प्रान्तों को अपनी अर्थोपाय आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिये अनुभव प्राप्त करने को समय देने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया कि प्रान्तों को १९३७-३८ वर्ष की इन आवश्यकताओं के लिये केन्द्रीय सरकार ही उत्तरदायी रहे, प्रान्तों को उस वर्ष रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम शेष रोकड़ रखने से भी छूट दे दी गई। १ अप्रैल सन् १९३८ से, प्रत्येक प्रान्तीय सरकार ने अपनी अर्थोपाय आवश्यकताओं के लिये पूर्ण उत्तरदायित्व ले लिया तथा रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम शेष रोकड़ रखने के लिये भी तैयार हो गई। ऊपर दिये हुए समझौतों के अन्तर्गत, प्रान्तों के लिये यह आवश्यक था कि वे अपनी न्यूनतम शेष रोकड़ में अस्थायी कमी को अपने राज्य कोष पत्र जारी करके अथवा रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करके पूरा करे। कुछ बातों के अतिरिक्त जैसे कुल अर्थोपाय अग्रिम पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी, राज्य सरकारों से किये गये यह समझौते प्रायः केन्द्रीय सरकार तथा बैंक के बीच हुए समझौतों के

समान ही थे। बैंक को, किसी सरकार द्वारा उसकी सीमाओं के बाहर रकम का प्रेषण करने के लिये, उन दरों पर जो बैंक द्वारा अनुमूचित बैंकों से ली गईं दरों से अधिक न हों, मूल्य लेने का, समझौते में दिये हुए प्रावधानों के अतिरिक्त, अधिकार है।

जनवरी सन् १९५० में भारत के संविधान के लागू होने के साथ १९५१ में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट में धारा २१ अ के जोड़े जाने द्वारा भ्रूषण हुआ जिसके अन्तर्गत बैंक को समझौते से "ब" श्रेणी के राज्यों के बैंकर के रूप में कार्य करने का अधिकार प्राप्त हुआ। बैंक को "ब" श्रेणी के राज्यों का बैंकर नियुक्त करने का उद्देश्य "ब" श्रेणी के राज्यों में बैंकिंग तथा राज्य कोष प्रबन्धों को इसी प्रकार के "अ" श्रेणी के राज्यों के प्रबन्धों से समग्र करना था। "ब" श्रेणी के राज्यों से बैंक का सबंध बैंक तथा भारत सरकार या "अ" श्रेणी के राज्यों की सरकारों के बीच के सबंध से कुछ भिन्न था, जब कि वादवाली सरकारों के सबंध में, बैंक को रिज़र्व बैंक आफ इंडिया की धारा २१ के अनुसार बैंकिंग कार्य करने का अधिकार था, "ब" श्रेणी की सरकारों की विशेष परिस्थितियों के कारण नहीं धारा २१ अ को आज्ञा-नात्मक लक्षण प्रदान किया गया तथा उसके अन्तर्गत बैंक की उन राज्यों के बैंकर रूप में नियुक्ति उनसे समझौते पर निर्भर थी। राज्यों के पुनर्संघटन के साथ उनका "अ", "ब", "स" श्रेणियों में वर्गीकरण समाप्त हो गया तथा कुछ सच-प्रदेशों के अनिरीक्षित भव राज्य एक स्तर पर आ गये हैं। इनके फलस्वरूप बैंक के सब राज्यों से सम्बन्धों का आधार समान कर दिया गया, तथा राज्य पुनर्संघटन एक्ट, १९५६ द्वारा संशोधित नहीं धारा २१ अ के अनुसार बैंक का राज्यों के बैंकर के रूप में काम करने का अधिकार अथवा कर्तव्य उन राज्यों से समझौते के आधार पर हो गया। १ नवम्बर, १९५६ (राज्यों के पुनर्संघटन की तिथि) तक पेपसू (PEPSU) तथा राजस्थान के अतिरिक्त सभी भूतपूर्व "अ" तथा "ब" श्रेणी के राज्यों ने समझौते कर लिये। राज्यों के पुनर्संघटन के फलस्वरूप पेपसू पञ्जाब में विलीन हो गया तथा पञ्जाब और रिज़र्व बैंक के बीच का समझौता विस्तृत पञ्जाब पर लागू हो गया। रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने राजस्थान सरकार के बैंकर का कार्य १ नवम्बर सन् १९५६ से आरम्भ किया, जो १९५२ में शुरु किये गये भूतपूर्व "ब" श्रेणी के राज्यों के वैयक्तिक समझौते का अंतिम कदम था। अब जम्मू तथा कश्मीर राज्य के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक आफ इंडिया सब राज्य सरकारों का बैंकर है।

जहाँ तक रिज़र्व बैंक द्वारा लोक-ऋण के प्रबन्ध का प्रश्न है, १९४६ तक, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा जारी किये हुए ऋणपत्रों का प्रबन्ध भारतीय ऋणपत्र (Indian Securities Act) १९२० के अन्तर्गत होता था। १ मई, १९४६ से केन्द्रीय सरकार के ऋण पत्रों का प्रबन्ध लोक-ऋण (केन्द्रीय सरकार) एक्ट, १९४४ के अन्तर्गत होने लगा परन्तु प्रान्तीय ऋणपत्रों का नियमन भारतीय

ऋणपत्र एक्ट, १९२० के अन्तर्गत ही रहा। परन्तु अप्रैल १९४९ तक सब प्रान्तीय सरकारों "अ" श्रेणी के राज्यों ने प्रस्ताव पास कर लिये कि उनके लोक-ऋण का नियंत्रण भी लोक-ऋण (केन्द्रीय सरकार) एक्ट, १९४४ के अन्तर्गत हो, तथा उक्त विधान को लागू कर दिया गया। इसी प्रकार अक्टूबर सन् १९५६ तक सब "ब" श्रेणी के राज्यों ने प्रस्ताव पास कर लिये कि उनके लोक-ऋण का नियंत्रण भी उसी प्रकार हो। इन सब के फलस्वरूप अब रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार तथा सब राज्य सरकारों के लोक-ऋण का प्रबंध करता है।

प्रशासनिक व्यवस्थाएं

सरकार के बैंकर के नाते बैंक के कार्य को पूरा करने के लिये विभिन्न सरकारी विभागों के लिये रुपये का आदान प्रदान करना होता है। सरकारी व्यवहार संबंधी कार्यों को बैंक के लोक-खाते विभाग, जो बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर तथा नई दिल्ली में स्थित हैं, देखते हैं (विस्तार में परिच्छेद १० में देखिए)। परन्तु कानपुर में लोक-खाता विभाग नहीं है तथा सरकारी कार्य स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा होता है। सरकारी काम-काज का वास्तव में क्रियाकरण केन्द्रीय सरकार के राज्य कोष के अधिनियमों, राज्य सरकारों के राज्य कोष अधिनियमों तथा राज्य सरकारों के प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये हुए आदेशों के अन्तर्गत होता है।

ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति (Rural Banking Enquiry Committee) द्वारा बैंकिंग प्रणाली के समन्वय (Integration) के बारे में की गई सिफारिशों में से एक मुख्य राजधानियों में बैंक के कार्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में थी। इस सिफारिश के अनुसार बैंक का बंगलौर कार्यालय १९५३ में तथा नागपुर कार्यालय १९५६ में खोला गया। परन्तु यह महसूस किया गया है कि इपीरियल बैंक आफ इंडिया के स्टेट बैंक आफ इंडिया में परिवर्तित हो जाने के बाद, राज्यों की राजधानियों में रिजर्व बैंक की शाखाओं की स्थापना की उतनी आवश्यकता नहीं रह गई है जितनी उस समय थी जब ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति ने अपनी सिफारिश की थी।

त्रिन स्थानों में रिजर्व बैंक आफ इंडिया की शाखा अथवा कार्यालय नहीं है, वहा उसने सरकारी काम काज करने के लिये अभिकर्ताओं (Agents) को नियुक्त कर दी है। बैंक का मुख्य अभिकर्ता स्टेट बैंक आफ इंडिया है। वास्तव में, रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट में हाल ही में हुए एक संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक के लिये अब यह अनिवार्य हो गया है कि वह उन सब स्थानों में जहा उसके बैंकिंग विभाग की शाखा अथवा कार्यालय नहीं है तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा है,

स्टेट बैंक आफ इंडिया को अपना एकमात्र अभिकर्ता नियुक्त करे।* परन्तु इस संशोधन का भूतपूर्व "ब" श्रेणी के राज्यों की व्यवस्था पर, जो स्टेट बैंक आफ इंडिया एक्ट के लागू होने के पूर्व थी, प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकारों तथा बैंकों से हुए सम्झौतों के अन्तर्गत भूतपूर्व हैदराबाद † तथा मैसूर राज्यों में रही है। स्टेट बैंक आफ हैदराबाद तथा बैंक आफ मैसूर को उनके क्षेत्रों में अभिकर्ता प्रकार्यों का भार, सरकारी रुपये इत्यादि की रक्षा के लिये आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रख कर, सौंपा गया है। तीनों बैंकों के साथ किये गये अभिकर्ता-सम्झौते सामान्यतः एक से हैं। इनमें से प्रत्येक को उनके क्षेत्रों में सरकार के सामान्य बैंकिंग कार्यों को करने के लिये उत्तरदायी बनाया गया है तथा उसके बदले में उन्हें एक निश्चित कमीशन मिलता है। इसके लिये उन सब मुख्य स्थानों में जहाँ बैंकों की शाखाएँ स्थित हैं उन्हें नकदी-तिजोरियाँ दी गई हैं। ये अभिकर्ता बैंक सब अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा जनता को, रिजर्व बैंक की प्रेषण सुविधाओं के अनुसार, प्रेषण की सुविधाएँ प्रदान करते हैं। अभिकर्ता बैंकों के कुछ कार्यालय सरकारों द्वारा चालू किये हुए नये ऋण पत्रों के लिये रूपया भी स्वीकार करते हैं।

नये ऋण तथा राज्य कोष पत्रों का जारी करना

जैसा कि इसने पूर्व कहा जा चुका है, रिजर्व बैंक लोकऋण का प्रवन्ध करता है तथा नये ऋण के जारी करने के लिये उत्तरदायी है। ‡ बैंक के उद्घाटन के समय से, केन्द्रीय सरकार के रुपये ऋण का स्कन्ध प्रमाणपत्रों (Stock Certificates) तथा ढक्को के रूप में निर्गमन बैंक के लोक-ऋण कार्यालयों द्वारा हो रहा है। राज्य सरकारों ने भी नये ऋण को जारी करने के लिये बैंक द्वारा प्रदान की गयी सुविधाओं का लाभ उठाया है। नये ऋण के जारी करने में, अपने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बैंक होने की स्थिति के कारण बैंक उनके ऋण लेने के कार्यक्रमों में समन्वय स्थापना करने तथा इस प्रकार अनार्थिक प्रतिस्पर्धा के खतरे को न्यूनतम करने में सफल होता है। सरकारों के ऋण प्राप्त करने के कार्यों को पूरा करने में बैंक का प्रयत्न यह

* साथ ही स्टेट बैंक आफ इंडिया एक्ट १९५५, के अन्तर्गत स्टेट बैंक के लिये यह अनिवार्य है ऐसे स्थानों पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अभिकर्ता का कार्य करे।

† राज्य पुनर्संघटन के फलस्वरूप हैदराबाद राज्य के अ-समग्र हो जाने के कारण, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद एक्ट की धारा २४(४) में यह प्रावधान है कि स्टेट बैंक आफ हैदराबाद उन सब स्थानों पर तथा उन्हीं शर्तों पर जिन पर वह २२ अक्टूबर १९५६ से पूर्व रिजर्व बैंक के अभिकर्ता का कार्य कर रहा था, यत्र भी अभिकर्ता का कार्य करता रहे।

‡ लोक-ऋण कार्यालयों का सघटन विस्तार से दसवें परिच्छेद में दिया हुआ है।

होता है कि एक ओर वह इन क्रियाओं के द्रव्य एवं सरकारी ऋण-पत्र बाजार पर प्रभाव को कम से कम कर सके तथा दूसरी ओर सबधित सरकारों के लिये सर्वोत्तम शर्तें प्राप्त कर सके।

जब कभी आवश्यक होता है रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार के राज्य कोप पत्रों को साप्ताहिक नीलामों में बेचता है; राज्य कोप पत्र ९१ दिन के चलन के लिये निर्गमित होते हैं। राज्य कोप पत्रों की बिक्री सरकार के लिये अल्पकालीन वित्त उपलब्ध करती है तथा मुद्रा बाजार में अतिरिक्त धन को भी सोखती है। मुद्रा के वर्षों से पूर्व राज्य कोप पत्रों की बिक्री मदी के समय में, जब रुपये की बहुतायत होती थी, की जाती थी तथा व्यस्त समय में उसे बन्द कर दिया जाता था, परन्तु मुद्रा के बाद से राज्य कोप पत्रों की बिक्री, मुख्यतः द्रव्य बाजार में मुद्रा की कमी (Tightness) की सामान्य प्रवृत्ति के दृष्टिकोण में, लची अवधियों के लिये स्थगित की गई है। इस प्रकार अप्रैल १९५६ तथा जुलाई १९५८ के बीच राज्य कोप पत्रों की बिक्री नहीं हुई।

राज्य सरकारों, अर्ध-सरकारी विभागों तथा विदेशी केन्द्रीय बैंकों को अल्पकालीन निवेशों की सुविधायें देने के लिये बैंक केन्द्रीय सरकार के लिये तदर्थ (Ad-hoc) राज्य कोप पत्रों का, जिनका चलन भी ९१ दिन होता है, प्रचालन करता है। इस सुविधा को जारी करने का उद्देश्य राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, साप्ताहिक नीलाम हो या न हो, पर्याप्त मात्रा में राज्य कोप पत्र उपलब्ध करना था। यह उद्देश्य भी है कि बट्टे की दर में अनुचित उतार-चढ़ावों को जो, यदि राज्य सरकारें साप्ताहिक नीलामों में राज्य कोप पत्रों की सीमित मात्रा को प्राप्त करने के लिये स्थायी निवेशकों, जैसे बैंकस् तथा बीमा कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करे तो होना स्वाभाविक है, दूर किया जाय। ये तदर्थ बिल केन्द्रीय सरकार के पिछले नीलाम की थोक दर में ०.०१६ रु. जोड़ कर आई हुई दर पर बेचे जाते हैं। बैंक, राज्य सरकारों, बैंकों तथा अन्य अनुमोदित सस्थाओं के लिये राज्य कोप पत्रों का पुनर्भजन भी करता है।

इन पत्रों को बेचने के लिये साधारणतया अपनाई जानेवाली विधि का संक्षेप में विवरण देना लाभप्रद होगा। राज्य कोप के साप्ताहिक निविदों (Tender) की सूचना, जिसमें बिक्री की रकम तथा वह तिथियां जिन पर निविदा देना है तथा भुगतान करना है, दी होती है, उसी प्रेस विज्ञप्ति में शामिल होती है जिसमें पिछले नीलाम के परिणाम की घोषणा होती है। पत्रों के लिये प्रार्थनापत्र की कम से कम रकम २५,००० रु अथवा उसका अपवर्त्य (Multiple) होना चाहिये। स्वीकृत निविदों की अदायगी नकद बैंक अथवा परिपाक हो रहे राज्य कोप पत्रों द्वारा हो सकती है। इन पत्रों के लिये निविदें साधारणतया बैंकों से लिये जाते हैं, परन्तु निवेदनकर्ताओं की श्रेणी संवधी कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथा समाज का कोई भी सदस्य

प्रार्थना पत्र दे सकता है। ऊँची दर पर निविदे, जिनमें उतनी ही बट्टे की दर कम होती है, जहाँ तक सम्भव होता है स्वीकार कर लिये जाते हैं तथा इम प्रकार स्वीकृत और अर्पण की हुई रकमों का अन्तर अगले कम ऊँची दरवालों में अनुपातिक आवंटन (Proportional Allotment) द्वारा पूरा कर दिया जाता है। सफल निविदें देनेवालों को साधारणतया प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के तीसरे दिन अदायगी करनी होती है। अवधि की समाप्ति पर बैंक के उन कार्यालयों अथवा शाखाओं पर जहाँ से उनका प्रचालन हुआ हो राज्य कोष पत्रों की अदायगी कर दी जाती है।

बैंक राज्य सरकारों के लिये भी राज्य कोष पत्रों को जारी करता है परन्तु ऐसे अवसर अधिक नहीं आते तथा १९५० से राज्य सरकारों के राज्य कोष पत्रों की विक्री नहीं हुई।

अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances)

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा १७ (५) के अनुसार बैंक को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को उन अर्थोपाय अग्रिमों के देने का, जिनकी अदायगी अग्रिम देने के अधिक से अधिक तीन माह बाद तक होनी है, अधिकार है। ब्याज की दर अथवा अग्रिम की न्यूनतम रकम सबधी कोई परिनिमित्त प्रवधान नहीं है। किन्तु इन मामलों का नियमन बैंक द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के साथ किये गये समझौतों अथवा प्रदन्धों के आधार पर होता है। इनके अनुसार बैंक सचिपित सरकारों को उस दर पर जो बैंक दर से अधिक न हो अग्रिम देने को तैयार रहता है। वास्तव में ब्याज की दर बैंक दर से १ प्रतिशत कम रही है। प्रत्येक अग्रिम पर कम से कम मान दिन की अवधि का ब्याज लिया जाता है। केन्द्रीय सरकार के बारे में यह आवश्यक है कि इस प्रकार के चालू अग्रिम का योग किसी समय उस न्यूनतम शेष धन से, जिसे उसने बैंक के पास बनाये रखना स्वीकार किया है, अधिक नहीं होना चाहिये तथा राज्य सरकारों के सम्बन्ध में यह उनके न्यूनतम निश्चित शेष धन के स्तर से दोगुना होना चाहिये। चालू अग्रिम की पूर्णतः अदायगी प्रारम्भिक अग्रिम के तीन माह के अन्दर हो जानी चाहिये। यह अग्रिम बिना किसी समर्थक के दिये जाते हैं। इनके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार के ऋण-पत्रों के समर्थन पर अग्रिम देता है। युद्ध के वर्षों में बड़ी मात्रा में नकद धन जमा हो जाने के कारण सन् १९४३-४४ से केन्द्रीय सरकार ने रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय उधार नहीं लिया। किन्तु सन् १९५४-५५ से पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत घटते हुए विकास-व्यय को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने अधिक मात्रा में बैंक से निभाव प्राप्त किया है, किन्तु इसका रूप अर्थोपाय उधार के स्थान पर बैंक को तदर्थ राज्य कोष पत्रों (Ad-hoc) की विक्री रहा है।

भारत के उच्च आयोग (High Commission) को सहायता

बैंक यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्च-आयोग को, जो परंपरागत रूप से केन्द्रीय सरकार का विदेशों में मुख्य उगाहने वाला तथा वैक्तिक अभिकर्ता (Agency) रहा है, पर्याप्त मात्रा में सहायता देता है। वास्तव में, हाल के वर्षों में आयोग की क्रियाओं का क्षेत्र, उसके द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा अर्ध-सरकारी सस्थाओं द्वारा स्थापित योजनाओं के लिये विदेशों में कलों की खरीदारी के कारण, बहुत विस्तृत हो गया है। इन खरीदारियों के खर्चों की पूर्ति तथा साथ ही योरोप में हमारे दूतावासों के स्थापन व्यय के लिये बैंक, सरकार के रुपये खाते के नाम लिख कर, उसे स्टर्लिंग मुद्रा बेचता है तथा उसे अपने लन्दन के कार्यालय में जमा के रूप में रखता है। इस प्रकार लन्दन कार्यालय में जमा की हुई राशि को उच्च-आयोग सरकार के लिये किये गये आयात तथा अन्य बातों के लिये भुगतान करने के लिये व्यय करता है। लन्दन कार्यालय द्वारा की गई सेवाओं में वारिशगटन में भारतीय सभरण मडल तथा विदेशों में भारतीय विदेश नीति मडल के पात भेजने के लिये लन्दन के विदेशी विनिमय बाजार में डालर तथा अन्य गैर स्टर्लिंग मुद्रा खरीदने का कार्य भी शामिल है। जब सरकार को माल बेचनेवाले चाहते हैं तो लन्दन कार्यालय साख तथा गारन्टी पत्रों को जारी करने का प्रबध कर देता है। बैंक का लन्दन कार्यालय यू.के. में अदा होनेवाले सरकारी ऋण पत्रों पर ब्याज की मागों की अदायगी को भी देखता है। बैंक भारत की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा विधि तथा पुनर्निर्माण एव विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की (International Bank for Reconstruction and Development) सदस्यता के सबध में सरकार के अभिकर्ता का कार्य करता है।

वैक्तिक मामलों में सरकार का सलाहकार

देश के केन्द्रीय बैंक होने, बैंको तथा द्रव्य बाजार से निकट सपर्क होने तथा देश की वारिण्य एव वैक्तिक राजधानी में स्थित होने के कारण रिजर्व बैंक बैंकिंग तथा वैक्तिक मामलों पर सरकार को सलाह दिया करती है। नये ऋण के चालू करने तथा अल्प बचत प्रस्तावों आदि से सबधित मामलों के अतिरिक्त, नये ऋण के चालू करने, निधियों के निवेशीकरण, कृषिसाख, सहकारिता, औद्योगिक वित्त, बैंकिंग तथा साख पर प्रभाव डालनेवाले विधानों तथा आयोजन एव विकास से संबधित वैक्तिक पहलुओं इत्यादि के विषय में सरकारें अक्सर बैंक से सलाह लेती हैं। बैंक के सलाह देने के कार्य के सम्बन्ध में फिर नवे तथा दसवे परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

(६)

रिज़र्व बैंक तथा ग्रामीण साख

अन्य केन्द्रीय बैंको की तुलना में रिज़र्व बैंक के कार्य ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण हैं। इस क्षेत्र में बैंक के उत्तरदायित्व का मुख्य कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता तथा कृषि क्षेत्र में साख की सुविधाओं के विस्तार तथा समन्वय की अति आवश्यकता है। बैंक को इस महत्वपूर्ण कार्य को करने योग्य बनाने के लिये स्वयं रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा ५४ के अंतर्गत यह प्रावधान है कि बैंक एक विशेष कृषि साख विभाग की स्थापना करे, जिसके मुख्य प्रकार्य इस प्रकार हो;

“(क) कृषि साख से संबंधित समस्त समस्याओं के अध्ययन के लिये विशेषज्ञ कर्मचारी रखना तथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, राज्य सहकारी बैंको तथा अन्य बैंकिंग संस्थाओं को परामर्श देने के लिये उपलब्ध रहना,

(ख) कृषि साख तथा स्टेट सहकारी बैंको, अन्य बैंको अथवा कृषि साख व्यापार में सलग्न संस्थाओं के संबंधों के बारे में बैंक की क्रियाओं में समन्वय कराना”।

एक्ट की धारा ५५(१) (जिसे अब रद्द कर दिया गया है) के अंतर्गत बैंक के लिये यह आवश्यक था कि वह ३१ दिसम्बर १९३७ से पूर्व केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट दे जिसमें, यदि आवश्यक हो तो, निम्नलिखित मामलों पर विधान बनाये जाने के सुझाव हो,

(क) अनुसूचित बैंको से संबंधित प्रावधानों का उन व्यक्तियों अथवा फर्मों तक, जो अनुसूचित बैंक न हों, ब्रिटिश भारत में बैंकिंग व्यापार में सलग्न हो, विस्तार।

(ख) कृषि उपक्रम तथा बैंक की क्रियाओं में निकट सहयोग स्थापित करने के लिये कृषि साख तथा रीतियों से संबंधित साधनों में सुधार।

कृषि साख नीतियों का उद्भव

अप्रैल १९३५ में बैंक की स्थापना के साथ साथ ही कृषि साख विभाग को भी स्थापित किया गया। बैंक के उद्घाटन के पूर्व केन्द्रीय सरकार ने सहकारी वित्त से संबंधित विभिन्न मामलों पर रिपोर्ट देने तथा कृषि साख विभाग की रचना पर विचार प्रगट करने के लिये सर मालकम डारलिंग की नियुक्ति की थी। बैंक को यह रिपोर्ट जून १९३५ में मिली तथा उसके तथा अन्य सामग्री के परीक्षण के पश्चात् प्रारंभिक कदम के रूप में बैंक ने (उस समय की) प्रान्तीय सरकारों, सहकारी समितियों, देशी बैंकरो इत्यादि से विस्तार में सूचना मगाने का निश्चय किया जिससे वह एकट की धारा ५५(१) के अनुसार कृषि साख के क्षेत्र में अपनी नीति निर्धारित कर सके। इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा दो गई दो रिपोर्टों — १९३६ में प्रारंभिक रिपोर्ट तथा १९३७ में परिणित रिपोर्ट—में कृषि वित्त की विशेषताओं तथा साथ ही उसको उपलब्ध करने में सरकार, व्यापारी बैंको, साहूकारो तथा सहकारी बैंको आदि विभिन्न संस्थाओं के योग का वर्णन था। इन रिपोर्टों ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को दर्शाया कि भारत में कृषकों की लगभग कुल वित्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति साहूकारो द्वारा होती थी तथा सहकारी आन्दोलन की सहायता नहीं के बराबर थी। साहूकारों द्वारा दी गई धन राशि पर व्याज की दर बहुत ऊँची होती थी, साथ ही साहूकारो को इस बात में तनिक भी दिलचस्पी नहीं थी कि कर्ज लेनेवाले कृषक धन का उपयोग किस प्रकार करते हैं। रिपोर्ट ने, ऋण देने की प्रिया का नियमन करने के लिये, विधान बनाये जाने का सुझाव दिया तथा मत प्रगट किया कि कृषि वित्त के पूर्ति के लिये सहकारी आन्दोलन सर्व श्रेष्ठ साधन था तथा यद्यपि इस देश में सहकारी आन्दोलन ने प्रत्याशाओं को पूरा नहीं किया, तथापि यदि उसका पुनर्निर्माण किया जाय तथा पुनः शक्ति प्रदान की जाय तो वह अर्थव्यवस्था के ग्रामीण क्षेत्र को साख सुविधायें देने की दिशा में नमूचित योग दे सकता है। उस समय से, विभिन्न राज्यों में सहकारी संघटन से संबंधित कार्यविधिक तथा प्रशासनिक सुधार किये गये तथा उमे रिजर्व बैंक से अधिक परिणित साख सुविधायें प्राप्त हुईं, परन्तु, अधिकांश रूप में कृषि साख का ढाचा सामान्यतः वैसा ही रहा जैसा कि १९३०-४० के मध्य में था। यह शक्ति भारतीय ग्रामीण वित्त आपरीक्षण की निर्देशन समिति (The Committee of Direction of the All India Rural Credit Survey) की दिनाम्बर १९५४ में प्रकाशित हुई रिपोर्ट में विदित हुआ। वास्तव में आपरीक्षण (Survey) ने, जं १९५१-५२ में हुआ था, अन्दाज लगाया कि सहकारी साख कृषकों के कुल ऋण की ३ प्रतिशत में कुछ अधिक थी तथा सरकारी साख भी लगभग उतने ही प्रतिशत थी; व्यापारी बैंको द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्यक्ष वित्त प्रदानकर्ताओं के रूप में दी गई साख भी नाम मात्र को ही थी। अपने ऋण के बड़े भाग के लिये कृषकों को वैयक्तिक साख देनेवाली — साहूकारो तथा व्यापारियों पर ही, जो कुल मिलाकर कृषकों की ७० प्रतिशत से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, निर्भर

रहना पड़ता था। सहकार ऊँची दरों पर व्याज लेते थे तथा ऋण के उद्देश्य की ओर बिलकुल ध्यान नहीं देते थे। बैंक द्वारा १९३७ में पेग की गई परिनिवृत रिपोर्ट में भी यही कहा गया है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख आपरीक्षण की निर्देशन समिति ने इन शब्दों में कृषि साख की स्थिति का संक्षेप में वर्णन किया "यह पर्याप्त मात्रा से कम है, ठीक प्रकार की नहीं है, ठीक उद्देश्य को पूरा नहीं करती तथा आवश्यकता की दृष्टि से (साख प्राप्त करने की योग्यता के दृष्टिकोण की भी उपेक्षा न करके) अक्सर ठीक व्यक्तियों के पान नहीं पहुँच पाती"। समिति के अनुसार ग्रामीण साख का निर्देशन अधिक उत्पादन के लिये होना चाहिये, उसे दीर्घ, मध्यम तथा अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये, उनका पर्यवेक्षण होना चाहिये तथा वह ऋण प्राप्त करने के योग्य सभी व्यक्तियों को साधारण दर पर उपलब्ध होनी चाहिये। जैसी कि ग्रामीण साख समिति ने सिफारिश की है नीति का प्रधान उद्देश्य उन परिस्थितियों को वास्तव में तथा इच्छापूर्वक उत्पन्न करना है जिनमें महकारी साख को सफलता प्राप्त करने का उचित अवसर मिल सके। समिति के अनुसार ग्रामीण साख के क्षेत्र में रिजर्व बैंक की नीति इन उद्देश्यों की शीघ्र से शीघ्र प्राप्ति की ओर निर्देशित होनी चाहिये।

ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति, अनीपचारिक सम्मेलन तथा अखिल भारतीय ग्रामीण साख आपरीक्षण समिति की सिफारिशें :-

बैंकिंग सुविधाओं के सामान्यतः विस्तार तथा विनियमन ग्रामीण क्षेत्र में साख के प्रभाव को बढ़ाने के मामले में बैंक के लिये आवश्यक हो गया कि वह नया दृष्टिकोण अपनाये तथा जिसने निश्चित तरीका उत्तम तथा भली प्रकार ग्रहण किया हुआ हो, बैंक ने १९४९ में भारत सरकार की ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति की नियुक्ति का सुझाव दिया। ग्रामीण वित्त में अपने योग सम्बन्धी पर्यालोचन के लिये बैंक ने फरवरी १९५१ में एक अनीपचारिक सम्मेलन भी आयोजित किया। ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने ग्रामीण बैंकिंग के विस्तार के लिये अनेक सिफारिशों को, जैसे प्रेरणा की सुविधाओं का विस्तार तथा उन्हें सस्ता करना, नोटों तथा मिक्कों के विनिमय के लिये अधिक अच्छी सुविधाएँ प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की आधुनिक सुविधाओं के विस्तार में रुकावटों को दूर करना, ग्रामीण बचत नगञ्जन सम्बन्धी ग्रामीण वित्त व्यवस्था को उत्तम करना तथा ग्रामीण साख का विस्तार एवं भंडागारी का विकास आदि। समिति ने सुझाव दिया कि इंपीरियल बैंक आफ इंडिया 'अ' तथा 'स' श्रेणी के राज्यों में रिजर्व बैंक का एकमात्र अभिभूत बनना चाहिये तथा उने राज्य कोष के कार्यों को सँभालने के हेतु अनेक नये कार्यालय खोलने के लिये प्रेरित करना चाहिये। उक्त समय में इनमें से अनेक सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं। समिति तथा सम्मेलन की सिफारिशों सबसे अच्छी तरह ग्रामीण बैंक जाँच समिति द्वारा निर्धारित बैंकिंग विस्तार के प्रति 'तीन ओर में पहुँच' तथा

अनौपचारिक सम्मेलन में अनुमति प्राप्त ग्रामीण वित्त की 'तीन ओर से पहुँच' से संबंधित रूप में संक्षेप में दी जा सकती है। समिति ने सिफारिश की थी कि— (i) सहकारी बैंको द्वारा अपनी क्रियाओं के नगरों से परे ग्रामों में तथा वाणिज्य बैंकों द्वारा बड़े नगरों से परे छोटे नगरों में अपनी क्रियाओं के विस्तार, (ii) श्पीरियल बैंक द्वारा अपनी शाखाओं के जाल के बैंकिंग राज्य कोषों के परे गैर-बैंकिंग राज्य कोषों तक विस्तार तथा (iii) रिजर्व बैंक द्वारा मुख्य राज्यों की राजधानियों में कार्यालयों की स्थापना के लिये समुचित परिस्थितियाँ उत्पन्न की जावे। अनौपचारिक सम्मेलन में, जिसका पहिले जिक्र किया जा चुका है, कृषि साख के सदर्भ में उनके उपायों पर विचार विनिमय हुआ तथा उन्हें स्वीकार कर लिया गया। इन का उद्देश्य था (i) रिजर्व बैंक को वर्तमान ढाँचे के अन्दर अधिक प्रभावपूर्ण प्रकार्य करने योग्य बनाना, (ii) इस ढाँचे का उस हद तक विस्तार करना जहाँ तक उसके बारे में तुरन्त निश्चय हो सके तथा उसे पूरा किया जा सके, तथा (iii) सहकारी सस्थाओं की स्थापना के लिये एक समन्वयित ढाँचे का निर्माण करना, जिसके लिये ग्रामीण वित्त की एक विस्तृत एवं यथार्थ आपरीक्षण की आवश्यकता समझी गई। सामान्यतः कहने के लिये, इस क्षेत्र में रिजर्व बैंक की क्रियाएँ विधान द्वारा अल्प-कालीन कृषि साख तक सीमित थीं; व्यवहार में ये क्रियाएँ उन राज्यों तक ही पुनः सीमित थी जिनमें पिरामिड के समान त्रिकोण ढाँचा अपेक्षित. मुविकसित हो, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर राज्य सहकारी बैंक हो, मध्यम स्तर पर केन्द्रीय बैंक हो तथा जड़ में प्रारम्भिक समितियाँ हो। सम्मेलन ने महसूस किया कि विधान तथा सघटन की सीमाओं के अंदर भी विधि सम्बन्धी विस्तारपूर्ण बातें थी जिनमें सुधार हो सकता था तथा कृषि साख के स्वतंत्र एवं अधिक प्रभावपूर्ण प्रवाह को निश्चित करने के लिये अन्य सुधार किये जा सकते थे। सिफारिशों के प्रथम समुदाय में सुधार एवं उन्नति के वे मुद्दाव शामिल थे जो वर्तमान ढाँचे के अन्दर हो सकते थे। द्वितीय श्रेणी में वैधानिक एवं ढाँचे सम्बन्धी सीमाओं का जिक्र था; सम्मेलन ने वर्तमान विधान में सशोधन की सिफारिश की जिससे कुछ अन्य क्षेत्रों में, जैसे मध्य-कालीन कृषि साख तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिये अल्प-कालीन साख में, बैंक की क्रियाओं की सीमा बढ़ाई जा सके। सम्मेलन ने उन राज्यों में जहाँ वह अपेक्षित: कम विकसित था तथा जहाँ उसके पुनर्वास की आवश्यकता थी सहकारी साख के ढाँचे के पुनर्संघटन की सिफारिश की। सम्मेलन ने यह महसूस किया कि इस आधार पर वर्तमान ढाँचे का विस्तार रिजर्व बैंक को कृषि वित्त के क्षेत्र में उसकी क्रियाओं के लिये अधिक अवसर देगा। अन्त में नये ढाँचे के निर्माण की प्रारम्भिक क्रिया के रूप में, सम्मेलन ने विज्ञेपत्रों की छोटी सी समिति के अन्तर्गत एक अखिल भारतीय ग्रामीण साख आपरीक्षण (All India Rural Credit Survey) के आयोजन तथा कार्य करने की सिफारिश की। यह आपरीक्षण १९५१ के अन्त के लगभग प्रारम्भ किया गया, प्राथमिक कार्य १९५२ तक पूरा हुआ तथा रिपोर्ट का सिफारिशों से संबंधित भाग दिसम्बर १९५४ में

पेश किया गया। इस रिपोर्ट में, जैसा कि पहिले जिक्र किया जा चुका है, बताया गया कि कृषि साख न पर्याप्त थी, न ठीक प्रकार की थी तथा उपयुक्त व्यक्ति के पास पहुँचने में असफल रहती थी, तथा "सहकारिता अमफल रही है परन्तु सहकारिता अवश्य ही सफल होनी चाहिये"। इस समिति द्वारा निर्धारित भविष्य की नीति का आधार उन परिस्थितियों को उत्पन्न करना था जिनमें सहकारी साख को सफलता प्राप्त करने का समुचित अवसर मिल सके। इस उद्देश्य के लिये उसने तीन आधार-भूत सिद्धान्तों पर आधारित एक समग्र ढाँच की स्थापना की सिफारिश की। यह मूल सिद्धान्त इस प्रकार थे:—सहकारी क्षेत्र के विभिन्न स्तरों पर सरकार से माझेदारी, साख तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं, विशेषतः विपणन एवं विधायन (Processing) के बीच समन्वय तथा पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मचारियों द्वारा प्रशासन जो ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक हो। साख की समग्र योजना में रिजर्व बैंक को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त वैक्तिक सहायता

रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी संस्थाओं को आज कल दी जाने वाली साख सुविधाओं का संक्षेप में विवरण देना उचित होगा। इन सुविधाओं में अनौपचारिक सम्मेलन तथा अखिल भारतीय ग्रामीण साख आपरोक्षण रिपोर्ट की अनेक सिफारिशें शामिल हैं।

अपने इन्कारपोरेशन विधान के अन्तर्गत बैंक को कृषकों को संश्लेषे साख देने का अधिकार नहीं है, व्यापारियों तथा उत्पादकों को सहायता केवल अनुसूचित बैंकों तथा वैक्तिक निगमों के द्वारा दी जाती है, परन्तु सहकारिता आन्दोलन को निभाव राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से ही दिया जाता है। रिजर्व बैंक से प्राप्त वैक्तिक निभाव की सुविधाओं का प्रयोग करने से पूर्व यह आवश्यक है कि राज्य सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के पास प्रति दिन औसत शेष रोकड़ बनाये रखे जिसकी रकम उनके माप देयता के २ १/२ प्रतिशत तथा भारत में सादृशिय देयता के १ प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये। राज्य सहकारी बैंक इस उद्देश्य के लिए निश्चित सूचना तालिका के रूप में समय-समय पर रिजर्व बैंक के पास भेजते हैं तथा बैंक द्वारा अपने बहो-खाती के निरीक्षण के लिये भी सहमत हो गये हैं।

जैसा अनुसूचित बैंकों के सम्बन्ध में है, राज्य सहकारी बैंकों को अधिम तथा पुनर्भजन के रूप में अल्प-कालीन ऋण देने का प्रावधान है। बैंक, राज्य सहकारी बैंकों को धारा १७(२) (क), (ख) तथा (खख) के अन्तर्गत पुनर्भजन के रूप में निभाव (Accommodation), तथा धारा १७ (४) (ग) के अन्तर्गत ग्राह्य विलों के आमुख अधिम तथा धारा १७ (४) (क) के अन्तर्गत सरकारी तथा न्यायाधारी (Trustee) ऋणपत्रों के आमुख (मध्य केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों (Land Mortgage Banks) के डिबैंचरों के जो सर्वाधिक राज्य

सरकारो द्वारा प्रत्याभूत हो) अग्रिम प्रदान कर सकता है। धारा १७ (२) (क) में वास्तविक (Bonafide) वाणिज्य अथवा व्यापारिक व्यवहार के फलस्वरूप बननेवाले ऋकों तथा बिलों के, जिनकी अवधि ९० दिन के अन्दर हो, पुनर्भजन का प्रावधान है। धारा १७(२) (ख) में उन ऋको तथा बिलो के पुनर्भजन का प्रावधान है जो ऋतुकालीन कृषि क्रियाओं अथवा फमलो के विपणन के लिये लिखे गये हों तथा जिनकी अवधि १५ माह के अन्दर हो। परन्तु वास्तविक व्यवहार में इस धारा के अन्तर्गत मिति काटे (Rediscount) का समय सामान्यतः १२ महीने से अधिक नहीं होता। इस धारा के अन्तर्गत कृषि की मिली जुली क्रियाएं तथा कृषि उत्पादको अथवा इन उत्पादको के किसी सगठन द्वारा विपणन से पूर्व फमलो का विधायन (Processing) शामिल है। धारा १७(२) (खख) में उन ऋको तथा बिलों के पुनर्भजन का प्रावधान है जो १२ महीने के अन्दर परिपाक (Mature) होते हो तथा जो बैंक द्वारा अनुमोदित लघु उद्योगो के उत्पादन अथवा विपणन की अर्थव्यवस्था के उद्देश्य से लिखे अथवा जारी किये गये हों, यदि उनके मूलधन तथा व्याज की अदायगी राज्य सरकारो द्वारा पूर्णतः प्रत्याभूत हो। धारा १७(४) (घ), जिसमें माल के स्वत्वप्रलेखो के आमुख अग्रिम देने का प्रावधान है, जैसा कि तीसरे परिच्छेद में बताया जा चुका है, देश में लाइसेंस प्राप्त भंडागारों की कमी के कारण अभी तक कार्यान्वित नहीं हो सकी। धारा १७(४) (ग) में ग्राह्य विनियम बिलो तथा ऋको के आमुख अग्रिम देने का प्रावधान है। उन राज्यों में जहां सहकारी आन्दोलन का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, बैंक, राज्य सहकारी बैंको को संबंधित राज्य सरकारो से पूर्णतः प्रत्याभूत ग्राह्य बिलो तथा ऋको के आमुख ऋण देता है। यद्यपि डम धारा के अन्तर्गत दिये गये अग्रिम की अदायगी माँग पर होनी चाहिये, रिजर्व बैंक अदायगी के अधिकार को छोड़े बिना सामान्यतः अग्रिम की निधि के १२ महीने के अन्दर इस अधिकार का प्रयोग नहीं करता। इस धारा के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंको को दी हुई अल्पकालीन साख सुविधायें वाणिज्य बैंको के लिये बिल बाजार योजना के समान हैं। अन्तर केवल यही है कि कृषि क्रियाओं में अधिक समय लगने के कारण इस क्षेत्र में पुनः अर्थ-प्रबन्धन स्वभावतः वाणिज्य बैंको की अपेक्षा लम्बी अवधि के लिये होता है।

धारा १७ (४ क) में राज्य सहकारी बैंको की राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन क्रियाओं) तथा राष्ट्रीय साख (स्थायीकरण) निधियों से मध्यकालीन ऋण देने तथा केन्द्रीय भूमि बंधक बैंको को राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन क्रियाओं) निधि से दीर्घकालीन ऋण देने का प्रावधान है। कुटीर एव लघु उद्योगो को अल्पकालीन वित्त तथा सहकारी बैंको को माध्यमिक साख देने के प्रावधान अपेक्षत हाल ही में हुए हैं। इस सम्बन्ध में यह भी बताना उचित होगा कि कृषि कार्यों के लिये रिजर्व बैंक की साख जो राज्य सहकारी बैंको द्वारा पहुँचाई जाती है, सहकारी समितियों के

पजीयक से सिफारिश प्राप्त 'ग' (C) "श्रेणी" की सस्थाओं* के अतिरिक्त केवल 'क' (A) तथा 'ख' (B) श्रेणी की सहकारी सस्थाओं तक सीमित है। इसका कारण यह है कि एक्ट में यह आवश्यक है कि राज्य सहकारी बैंक के अतिरिक्त कम से कम एक दूसरा "अच्छा" हस्ताक्षर होना चाहिए तथा उसे केवल यह सस्थाए ही दे सकती है। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक आफ इंडिया राज्य सरकारों को सहकारी सस्थाओं की पूजी में योग देने के लिए दीर्घकालीन ऋण देता है (धारा ४६ (क) (२) (अ)) निभाव प्रदान करने से संबंधित विभिन्न प्रावधान इस परिच्छेद के अन्त में सारिणी रूप में दिए हुए हैं।

बैंक से अल्पकालीन निभाव प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित हैं.— प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी बैंक, अपने राज्य सहकारी बैंक तथा सहकारी समितियों के पजीयक के द्वारा, रिजर्व बैंक से साख की सीमा निश्चित करने के लिये प्रार्थना करता है। साख की सीमा १ जुलाई से आरम्भ होकर ३० जून को अन्त होनेवाले वर्ष के लिए होती है। पजीयकों को यह निर्देश है कि वे इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों को आवश्यक विस्तृत सूचना के साथ, उम वर्ष के जिसके लिये वित्त सीमा की प्रार्थना की गई है, प्रारम्भ होने से एक माह पूर्व, आगे भेज दे। इस बात को निश्चित करने के लिये कि प्रार्थना पत्र में दी हुई सूचना एक सी है तथा उसमें कोई आवश्यक सूचना छोड़ी नहीं गई है, प्रार्थना पत्र की एक विधि (Form) निश्चित की गई है। बैंको को भी इन प्रार्थना पत्रों के साथ अपनी अंतिम वित्तीय स्थिति की सूचना तथा पिछले तीन वर्षों के अकेक्षित तुलन पत्र भेजने होते हैं। साख की सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक ऋण लेनेवाले को पूरे १२ महीने की तथा विलक्षण स्थितियों में १५ महीने तक की अवधि मिलती है। कुछ राज्यों में (उदाहरण के लिये पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में) जहाँ केन्द्रीय सहकारी बैंक स्वयं निभाव प्राप्त करने की शक्ति नहीं रखते, राज्य सहकारी बैंको को धारा १७ (४) (ग) के अन्तर्गत संबंधित सरकारों द्वारा मूलधन तथा ब्याज के भुगतान की जमानत देने पर साख प्रदान की जाती है। बैंक केवल इस प्रकार की जमानत द्वारा रक्षित ऊपरी सीमा को निर्धारित करता है। साधारणतया "क" श्रेणी के केन्द्रीय बैंको को उनकी अपनी निधियों (चुकती पूजी तथा प्रारक्षित निधि के योग) से तीन गुनी तथा विलक्षण परिस्थितियों में चार गुनी साख सीमा प्रदान की जाती है; "ख" श्रेणी के केन्द्रीय सहकारी बैंको के लिये, यह सीमा उनकी अपनी निधियों से दो गुनी तथा विलक्षण स्थितियों में तीन गुनी होती है। "ग" श्रेणी के केन्द्रीय सहकारी बैंक, पजीयक (Registrar) की विशेष सिफारिश पर, अपनी निधियों से दो गुनी साख सीमा प्राप्त कर सकते हैं।

* समितियों का वर्गीकरण अकेक्षक (Auditor) की रिपोर्ट पर आधारित होता है। इस वर्गीकरण के मापदंड कृषि साख पर स्थिर सलाहकार समिति (Standing Advisory Committee) की सिफारिशों पर जिसका बाद में जिक्र है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा सुझाए गए हैं।

बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में तथा सस्ती दरों पर कृषि वित्त को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व लिया है। रिज़र्व बैंक, राज्य सहकारी बैंकों को कम दर पर, जो बैंक दर से २ प्रतिशत कम है, अल्प तथा मध्यकालीन अग्रिम देता है, अर्थात् मई १९५७ में बैंक दर की ४ प्रतिशत तक वृद्धि के बाद से अब राज्य सहकारी बैंकों से २ प्रतिशत की दर पर ब्याज लिया जाता है। यह दर तब ही लागू होती है जब अल्पकालीन ऋण से संबंधित वित्त का ऋतुकालीन कृषि क्रियाओं अथवा फसलों के विपणन के लिये तथा मध्यकालीन अग्रिम का कृषि के लिये उपयोग होता है। अन्य आवश्यकताओं के लिये अग्रिम, बैंक दर पर दिये जाते हैं। यह छूट १९४२ से लागू है जब बैंक दर ३ प्रतिशत थी तथा फसलों के विपणन से संबंधित रियायती दर २ प्रतिशत थी (अर्थात् बैंक दर से १ प्रतिशत कम थी)। १९४४ में इस योजना को ऋतुकालीन कृषि क्रियाओं पर लागू करने के लिये विस्तृत किया गया। १९४६ में छूट को १ प्रतिशत से बढ़ा कर १ १/२ प्रतिशत कर दिया गया जिसके कारण रियायती दर कम होकर १ १/२ प्रतिशत रह गई। सन् १९५१ में यद्यपि बैंक दर बढ़ा कर ३ १/२ प्रतिशत कर दी गई, रियायती दर १ १/२ प्रतिशत पर ही स्थिर रहने दी गई (अर्थात् बैंक दर से २ प्रतिशत कम)।

बैंक द्वारा रियायती दर पर निभाव देने के बावजूद भी, ग्रामीण ऋण लेनेवाले को ६ १/४ से १२ प्रतिशत पर ऋण मिलता है। मद्रास जैसे राज्य में, जहाँ सहकारी आन्दोलन ने बहुत प्रगति की है, केन्द्रीय सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंक से २ १/२ प्रतिशत पर रुपया लेते हैं तथा प्रारम्भिक समितियों को ४ १/२ प्रतिशत पर उधार देते हैं तथा अन्त में कृषक के पास वह वित्त लगभग ६ १/४ प्रतिशत पर पहुँचता है। बैंक तथा राज्य सरकारें सहकारी साख के विस्तार तथा अभिनवीकरण (Rationalization) द्वारा कम से कम ब्याज पर रुपये के प्रबन्ध करने का प्रयत्न कर रही हैं। इन साधनों के द्वारा वैकल्पिक (Alternative) साख की उपलब्धि ने सहकारी आन्दोलन की क्रियाओं के प्रत्यक्ष क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र में ब्याज दर में कमी करने में सहायता की है।

हाल के वर्षों में ऋतुकालीन कृषि क्रियाओं तथा फसलों के विपणन के लिये रियायती दर पर अर्थ-प्रबन्धन के लिये राज्य सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा दी जानेवाली अल्पकालीन साख की मात्रा तेजी से बढ़ी है, इन ऋणों में लगी हुई रकम जून १९५२ के अन्त में ६.४५ करोड़ रु. में बढ़ कर मार्च १९५८ के अन्त तक ३०.९३ करोड़ रु. हो गई।

कृषि के लिये मध्य अवधि की साख की उपलब्धि अपेक्षित हाल ही की घटना है। मध्य-अवधि के ऋणों के सम्बन्ध में, १९५३ में किये गये रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट में सशोधन द्वारा १५ माह से ५ वर्ष तक की अवधि वाले ऋणों के लिये अनुमति मिली। इस सशोधन को कार्यान्वित करने के लिये रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने फरवरी

१९५५ में एक्ट की धारा १७ (४) (क) के अन्तर्गत ३ वर्ष की अवधि के स्थिर ऋण देने प्रारंभ किये। बैंक, ऋण के २५ प्रतिशत भाग को ५ वर्ष की अवधि के लिये देने को तैयार हो गया है। ब्याज की दर बैंक दर से २ प्रतिशत कम रखी गई है, संबन्धी राज्य सरकारों की जमानते तथा ऋण लेनेवाले केन्द्रीय सहकारी बैंको अथवा समितियों द्वारा लिखित रुकके इन अग्रिमों के लिए ऋणाधार है। इन उद्देश्यों में जिनके लिये मध्य अवधि के ऋण दिये जा सकते हैं - भूमि का कृष्यकरण, वन्ध बाधना तथा भूमि में अन्य सुधार, मवेशियों की खरीदारी, कृषि के लिये आवश्यक औजार तथा फलों की खरीदारी तथा खेत पर मकानों तथा मवेशियों के स्थान बनाना, शामिल है। मार्च १९५८ के अन्त में राज्य सहकारी बैंको के पास मध्यकालीन ऋण से संबंधित ₹. ६१ करोड़ रु. थे। हाल ही में यह निश्चय किया गया है कि छोटे तथा मध्य स्थितिवाले कृषकों को सहकारी शक्कर मिलों के शेयर खरीदने के लिये रुपया उपलब्ध करने के लिये राज्य सहकारी बैंको की सहायता की जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंको को मध्यकालीन के अग्रिम देगा जिनकी अवधि कम से कम १५ माह तथा अधिक से अधिक ४ वर्ष होगी तथा यह अग्रिम बैंक दर पर होंगे। इन ऋणों के मूलधन तथा ब्याज की पूर्णतः अदायगी के लिये संबंधित राज्य सरकारें गारन्टी देंगी तथा ऋणाधार भी अन्य मध्यकालीन ऋणों के समान ही होंगे।

यहां रिजर्व बैंक आफ इंडिया (मशौघन) एक्ट १९५५ के प्रावधान के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा फरवरी १९५६ में राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि में तथा जून १९५६ में राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायीकरण) निधि की स्थापना का जिक्र करना ठीक होगा। यह स्थापना मध्य एवं दीर्घकालीन कृषि साख की व्यवस्था से संबंधित अखिल भारतीय ग्रामीण साख आपरीक्षण की एक सिफारिश के आधार पर हुई। दीर्घकालीन क्रिया निधि की स्थापना (1) राज्य सरकारों को अधिक से अधिक २० वर्ष की अवधि के लिये दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम देने के लिये जिससे वे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहकारी साख संस्थाओं की पूंजी में शेयर ले सकें, (11) राज्य सहकारी बैंको को कृषि क्रियाओं के लिये (जिनका जिक्र किया जा चुका है) मध्यकालीन ऋण (१५ महीने तथा ५ वर्ष के बीच) देने के लिये, (111) अधिक से अधिक २० वर्ष की अवधि के लिये केन्द्रीय भूमि बंधक बैंको को दीर्घकालीन ऋण देने के लिये, तथा (1V) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा केन्द्रीय भूमि बंधक बैंको के डिबैंचर खरीदने के लिये, हुई है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस निधि में १० करोड़ रु. की प्रारंभिक राशि जमा की, तथा जून १९५६ से अगले पांच वर्षों में उसका वार्षिक योग कम से कम ५ करोड़ रुपया निश्चित किया गया है; जून १९५८ के अन्त में इस निधि के शेयर धन की रकम २५ करोड़ रु. थी। स्थायीकरण निधि का उपयोग केवल राज्य सहकारी बैंको को मध्यकालीन के ऋण तथा अग्रिम प्रदान करने के लिये किया जा सकता है जिससे कि वे वर्षा की कमी, अकाल

तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आवश्यकता पड़ने पर अपनी अल्पकालीन साख को मध्यकालीन की साख में परिवर्तित कर सके। इस निधि में प्रति वर्ष रिजर्व बैंक के योग की रकम जमा की जाएगी। जून १९५६ से अगले पाँच वर्षों में प्रति वर्ष यह रकम कम से कम १ करोड़ रु होगी। जून १९५८ के अन्त में इस निधि में शेष धन की रकम ३ करोड़ रु थी।

जहाँ तक दीर्घकालीन के वित्त का सम्बन्ध है, १९४८ में रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया कि केन्द्रीय भूमि बंधक बैंको द्वारा जारी किये गये डिबैंचरो में, यदि उनके मूलधन तथा ब्याज के भुगतान के लिये संबंधित राज्य सरकारें जमानत दे, वह १० प्रतिशत तक योग देगा। १९५० में इस प्रकार के डिबैंचरो में बैंक के योग का भाग बढ़ा कर २० प्रतिशत कर दिया गया। १९५३ में इस योजना में फिर प्रगति हुई जब बैंक ने भूमि बंधक बैंको के डिबैंचरो में सयुक्त योग की योजना स्वीकार कर ली। इस योजना के अनुसार योगदान जारी किये गये डिबैंचरो का ४० प्रतिशत अथवा जनता-द्वारा अभिदान में कमी के बराबर, इन दोनों में जो कम हो, होना था जिसमें आधा योग केन्द्रीय सरकार के बजाय (संबंधित राज्य सरकार से प्रबन्ध करके) तथा आधा बैंक के नाम से होना था। इन सुविधाओं का उपयोग करनेवाले केन्द्रीय भूमि बंधक बैंको ने उत्पादन के लिये, एक वर्ष के अन्दर केन्द्रीय सरकार तथा बैंक के सयुक्त अभिदान की राशि के कम से कम आधे के बराबर तक, ऋण देना स्वीकार कर लिया। किन्तु सयुक्त त्रय की योजना अप्रैल १९५६ से स्थगित कर दी गई क्योंकि सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दीर्घकालीन कृषि साख के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा है तथा रिजर्व बैंक जारी हुए डिबैंचरो के २० प्रतिशत तक अभिदान देता है। यहाँ यह भी बताना ठीक होगा कि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने सहकारी भूमि बंधक बैंको द्वारा जारी किये हुए डिबैंचरो में अभिदान देने की नीति प्रारंभ की है। रिजर्व बैंक को केन्द्रीय भूमि बंधक बैंको को अधिक से अधिक २० वर्ष की अवधि के लिये तथा राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सहकारी साख सस्थाओं की शेष पूंजी में अभिदान देने के लिये ऋण तथा अग्रिम देने का अधिकार है। यहाँ रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा धारा १७ (४) (क) के अन्तर्गत भूमि बंधक बैंकों के डिबैंचरो के आमूख राज्य सहकारी बैंको को अग्रिम देने की सुविधा का जिक्र करना भी ठीक होगा, इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में इन बन्धों का प्रवर्तन होता है।

सहकारी बैंकों का निरीक्षण

अधिक मात्रा में बैंक द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के कारण तथा अनौपचारिक सम्मेलन की एक सिफारिश के अनुसार रिजर्व बैंक ने स्वयं ही सहकारी बैंको के निरीक्षण की योजना स्वीकार की है, विशेषतः उन बैंको के निरीक्षण की जो उससे ऋण

लेते हैं। यह योजना दिसम्बर १९५२ में लागू की गई तथा इस प्रकार बनाई गई है कि वह निर्माणात्मक हो तथा सामान्यतः विभागीय अकेक्षण एवं प्रशासनिक पर्यवेक्षण के लिये राज्य सरकारों के अन्तर्गत सहकारी समितियों के पंजीयको द्वारा किये गये निरीक्षण की पूरक हो। बैंक द्वारा निरीक्षण का लक्ष्य सहकारी साख के कला-विन्यास तथा क्रियाओं में सुधार के विस्तृत उद्देश्य को पूरा करना है। इस योजना के चालू होने के समय में सभी राज्य सहकारी बैंकों का निरीक्षण हो चुका है तथा उनमें से कुछ का एक से अधिक बार भी निरीक्षण हुआ है। बैंक का विचार है कि वह इस योजना को सहकारी साख के ढाँचे के अन्य क्षेत्रों तक विस्तृत करे।

कृषि साख के लिये स्थायी सलाहकार समिति

बैंक द्वारा १९५१ में आयोजित अनौपचारिक सम्मेलन ने एक ओर सहकारी संस्थाओं के कार्यों से तथा दूसरी ओर रिजर्व बैंक आफ इंडिया की नीतियों तथा क्रियाओं में निकट रूप से समन्वय स्थापित करने का सुझाव दिया था, तथा इसी सन्दर्भ में कृषि साख के लिए स्थायी सलाहकार समिति की स्थापना की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुसार १४ सदस्यों की स्थायी सलाहकार समिति की जुलाई १९५१ में स्थापना की गई। इसका उद्देश्य "कृषि साख विभाग की समस्याओं पर तथा उनसे संबंधित विषयों पर" बैंक को सलाह देना था। प्रारंभ से ही समिति ने सहकारी बैंकिंग तथा प्रशासन के विभिन्न पहलुओं जैसे तरल साधनों को बनाये रखने, अकेक्षण के हेतु वर्गीकरण में समानता इत्यादि से संबंधित उपयुक्त आदर्शों का निर्माण किया है तथा इस देश में सहकारी आंदोलन की प्रगति से संबंधित विभिन्न विषयों पर सलाह दी है। हाल ही में ग्रामीण साख आपरीक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार इस समिति का ६ सदस्यों की एक छोटी सी संस्था के रूप में पुनर्संघटन किया गया। यह भी प्रावधान है कि यह समिति किसी अवधि के लिये अथवा किसी विशेष सभा के लिये अतिरिक्त सदस्यों को सम्मिलित कर सकती है।

पुनर्संघटन की योजनाओं का निर्धारण

हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों द्वारा सहकारी आन्दोलन के योजनाबद्ध पुनर्संघटन की योजनाओं के निर्धारण में सहायता देने के लिये १९५२-५४ में अपने प्राधिकारियों को विभिन्न राज्यों में क्रम रूप से जाने का प्रवन्ध किया है। सहकारी विकास के अपर्याप्त होने का पता इसी बात से चल सकता था कि १९५२-५३ तक केवल सात राज्य सहकारी बैंकों ने रिजर्व बैंक द्वारा दी जानेवाली आधिक निभाव सबधी सुविधाओं का उपयोग किया था।

कुछ राज्यों में राज्य सहकारी बैंक था ही नहीं, तथा कुछ अन्य राज्यों के शिखर बैंको के पर्याप्त मात्रा में आर्थिक एवं प्रशासनिक पुनर्संघटन की आवश्यकता थी जिससे कि वे रिजर्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के योग्य बन सकें। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अथवा जिला बैंको तथा स्वयं प्रारंभिक साख समितियों के पुनर्संघटन की आवश्यकता थी। प्राधिकारियों के विभिन्न राज्यों में जाने का उद्देश्य सहकारी ढाँचे के पुनर्संघटन तथा उन राज्यों में जहाँ शिखर बैंक नहीं थे उनकी स्थापना के लिये मुझाव देना था। इन संयुक्त विचार-विमर्शों के फलस्वरूप जो कदम उठाये गये थे उनके उदाहरण कई राज्यों में राज्य सहकारी बैंको की स्थापना (जिनमें सौराष्ट्र, मध्यभारत, राजस्थान, त्रावणकोर-कोचीन, पेंसू तथा हिमाचल प्रदेश शामिल थे) तथा कुछ राज्यों जैसे पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, मैसूर तथा पंजाब में राज्य सहकारी बैंकों का पुनर्संघटन था। समस्या चाहे शिखर बैंक की स्थापना की थी अथवा वर्तमान बैंको के पुनर्संघटन की, बैंक ने प्रत्येक उपयुक्त मामले में राज्यों को शेषर पूजी में योग देने की सलाह दी। साथ ही योजनाओं का निर्धारण राज्य सहकारी बैंको की स्थापना अथवा पुनर्संघटन के साथ ही समाप्त नहीं हो गया, समस्त सहकारी साख ढाँचा ही उनके अन्तर्गत था, जिसमें केन्द्रीय वित्तिक संस्थाओं का अभिनवीकरण तथा प्रारंभिक साख समितियों की, जो आन्दोलन के आधार हैं, विस्तृत स्थापना के मुझाव शामिल थे। इन दिशाओं में प्रगति का अनुमान इस तथ्य से हो सकता है कि ३१ मार्च, १९५८ तक १७ राज्य सहकारी बैंको ने बैंक द्वारा दी जानेवाली आर्थिक सहायता का उपयोग किया। नये केन्द्रीय भूमि बंधक बैंको की स्थापना तथा वर्तमान बैंकों के पुनर्संघटन की योजनाएँ भी निर्धारित की गईं। उस समय से भूतपूर्व सौराष्ट्र तथा हैदराबाद राज्यों में तथा आसाम, केरल, पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में नये केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों की स्थापना हो चुकी है।

सहकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण

कई राज्यों में सहकारी आन्दोलन की तीव्र प्रगति में मुख्य बाधक सुयोग्य एवं प्रशिक्षित सहकारी कर्मचारियों की कमी रही है, तथा यह कमी स्वयं प्रशिक्षण की अपर्याप्त सुविधाओं के फलस्वरूप थी। इसलिये अपनी विभिन्न प्रवर्तनात्मक एवं विकास-नात्मक क्रियाओं के अन्तर्गत बैंक सहकारी कर्मचारियों की प्रशिक्षण-संस्थाओं की स्थापना में सक्रिय भाग ले रहा है। बैंक ने १९५२ में बम्बई प्रान्त में सहकारी इन्स्टीट्यूट के सहयोग से सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय पूना में सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये एक अखिल भारतीय प्रशिक्षण केन्द्र का संगठन किया। इस केन्द्र में सहकारी विभाग तथा सहकारी संस्थाओं के उच्च तथा मध्यम श्रेणी के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ माध्यमिक कक्षा में कुछ प्राइवेट विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। परन्तु यह अनुभव किया गया कि

धारा	उद्देश्य	ऋण देने का प्रकार	अवधि
१७ (२) (क)	वास्तविक वाणिज्य एव व्यापारिक व्यवहार का अर्थ-प्रबन्ध	इस उद्देश्य से भारत पर लिखित तथा भुगतान होनेवाले विनिमय बिलों तथा एक्को का क्रय अथवा पुनर्भजन	जिनकी अवधि ऋ अथवा पुनर्भजन की तिथि से ९० दिन के अन्दर समाप्त होती हो।
१७ (२) (ख)	ऋणकालीन कृषि क्रियाओं तथा फसलों के विपणन का (जिसमें मिश्रित कृषि क्रियाएँ तथा विपणन से पूर्व फसलों को विक्री योग्य बनाना भी शामिल है) अर्थ-प्रबन्ध करना है।	इस उद्देश्य से भारत में लिखित तथा भुगतान होने वाले विनिमय बिलों तथा एक्को का क्रय अथवा पुनर्भजन	१५ माह। व्यवहार में साख की अवधि १२ माह तक सीमित रहती है।
१७ (२) (खख)	बैंक से अनुमति प्राप्त कुटीर एव लघु उद्योगों की उत्पादन तथा विपणन की क्रियाओं का अर्थ-प्रबन्धन	इस उद्देश्य से भारत में लिखित तथा भुगतान होनेवाले विनिमय बिलों तथा एक्को का क्रय अथवा पुनर्भजन।	जिनकी अवधि ऋ अथवा पुनर्भजन की तिथि से १२ माह के अंदर समाप्त होती हो।
१७ (४) (क)	सामान्य बैंकिंग व्यापार अथवा राज्य सहकारी बैंकों के नकद साधनों में वृद्धि करना।	ऋण तथा अग्रिम	जिनकी अदायगी माँग पर अथवा ९० दिन की अवधि के अंदर हो।
	ऋणकालीन कृषि क्रियाओं तथा फसलों के विपणन वा अर्थ-प्रबन्धन	ऋण तथा अग्रिम	यद्यपि ऋण का भुगतान माँग पर होना चाहिए, किन्तु साधारणतया बैंक १२ माह से पूर्व माँग नहीं करता।

संचालन करनेवाले प्रावधान

ऋणाधार	व्याज की दर*	टिप्पणी
वाणिज्य अथवा व्यापारिक बिल जिन पर दो या उससे अधिक उत्तम हस्ताक्षर हो जिनमें एक किसी अनुमूचित बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक का हो।	बैंक दर	
कृषि पत्र जिन पर दो या उससे अधिक उत्तम हस्ताक्षर हों जिनमें एक किसी अनुमूचित बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक का हो।	बैंक दर से २ प्रतिशत कम, अर्थात् इस समय २ प्रतिशत।	
कुटीर एवं लघु उद्योगों के भारत में भुगतान होनेवाले बिल जिन पर दो या उससे अधिक उत्तम हस्ताक्षर हो जिनमें से एक किसी राज्य सहकारी बैंक अथवा राज्य वित्त निगम का होना चाहिए यदि मूल्यांकन तथा व्याज के भुगतान की पूर्णतः जमानत सम्बन्धित राज्य सरकार ने की हो।	बैंक दर से १ १/२ प्रतिशत कम।	हाथ करपा उद्योग को इस उद्देश्य के लिये अनुमति प्राप्त है।
रुग्ध (Stocks) निधिपत्र तथा ऋणपत्र (अचल-संपत्ति के अतिरिक्त) जिनमें वित्तियोग करने का न्यासधारी को अधिकार है।	बैंक दर	इस धारा के लिये संबंधित राज्य सरकारों की जमानत प्राप्त भूमि वधक बैंकों के डिबैन्चर सरकारों ऋणपत्रों के बराबर माने गये हैं।
	बैंक दर से २ प्रतिशत कम।	

बैंक द्वारा कृषि साख प्रदान का

धारा	उद्देश्य	ऋण देने का प्रकार	अवधि
१७ (४) (ग)	वास्तविक वाणिज्य एवं व्यापार के व्यवहार का अर्थ-प्रबन्धन ऋतुकालीन कृषि क्रियाओं तथा फसलों के विपणन का अर्थ-प्रबन्धन	ऋण तथा अग्रिम " "	जिनका भुगतान माँग पर अथवा ९० दिन की अवधि के अंदर हो। यद्यपि ऋण की अदायगी माँग पर होनी चाहिये परन्तु साधारणतया बैंक १२ माह से पूर्व माँग नहीं करता। "
१७ (४) (घ)	वास्तविक वाणिज्य एवं व्यापार तथा/अथवा कृषि क्रियाओं तथा फसलों के विपणन के व्यवहार का अर्थ-प्रबन्धन	ऋण तथा अग्रिम	जिनका भुगतान माँग पर अथवा ९० दिन की अवधि के अंदर हो।
१७ (४क) धारा ४६ क २(क) के अन्तर्गत निर्दिष्ट	प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सहकारी साख सस्थाओं की पूंजी में शेर लेने के लिये।	राज्य सरकारों को ऋण तथा अग्रिम	जिनकी अदायगी ऋण देने की तिथि से २० वर्ष के अन्दर हो। व्यवहार में, ये ऋण १२ वर्ष की अवधि तक सीमित हैं।

संचालन करनेवाले प्रावधान

ऋणाधार

व्याज की दर*

टिप्पणी

घटकों के रुके जो राज्य सहकारी बैंक के माँग रुकों से प्रमाणित हो।

बैंक दर

”

बैंक दर से २ प्रतिशत कम

उन राज्यों में जहाँ सहकारी आन्दोलन का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, ऋण राज्य सरकार की जमानत पर दिए जाते हैं।

घटकों के रुके जो राज्य सहकारी बैंक के माँग रुकों से प्रमाणित हो यदि उनके मूलभूत तथा व्याज के भुगतान की पूर्णतः जमानत सर्वाधिक राज्य सरकार ने की हो।

बैंक दर में १ १/२ प्रतिशत कम।

हाथ करघा उद्योग को इस उद्देश्य के लिये अनुमति प्राप्त है।

किसी अनुसूचित अथवा राज्य सहकारी बैंक के रुके जो इस प्रकार के बैंक को अतिरिक्त अभिहस्ताकित (Assigned) अथवा बंधक रखे गये स्वत्व-प्रलेखों से प्रमाणित हो।

वाणिज्य तथा व्यापारिक व्यवहार सम्बन्ध में बैंक दर। ऋण-कालीन कृषि कार्यों अथवा फसलों के विपणन के लिये बैंक दर से २ प्रतिशत कम।

इस प्रकार का ऋण देना लाइसेन्स प्राप्त भंडारों की कमी के कारण प्रयोग में नहीं आ सका है।

प्रथम २ वर्ष—कुछ नहीं
अगले ३ वर्ष—२ १/२%
अगले ४ वर्ष—२ १/२%
अगले ३ वर्ष—३%

ऋण राष्ट्रीय साख (दीर्घकालीन क्रियाएँ निधि) से दिए जाते हैं।

विलक्षण मामलों में १२ वर्ष से ऊपर, तथा १४ वर्ष से ऊपर अगले २ वर्षों में

क मा - न सा र ३% तथा ३ १/२% व्याज की दरों में परिवर्तन किया जा सकता है।

*विशिष्ट कम दर राज्य सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में ही लागू होती है।

धारा	उद्देश्य	ऋण देने का प्रकार	अवधि
४६ क २ (ख)	कृषि कार्यों के लिये जिनमें भूमि का कृष्यकरण, बन्ध बाधना तथा अन्य सुधार, फल बाटिकाओं तथा बागों (Plantations) के लिये भूमि तैयार करना, सिंचाई के साधन, मवेशियों, बीजारो, कलो तथा यातायात के सामान का क्रय इत्यादि शामिल हैं, तथा अन्य ऐसे कृषि से सम्बंधित कार्यों के लिये जिन्हें केन्द्रीय बोर्ड समय-समय पर, नियमन अथवा अन्य रीति से निश्चित करे।	राज्य सहकारी बैंको का ऋण	१५ माह तथा ५ वर्ष के दरम्यान की अवधि के लिये व्यवहार में ऋण ३ वर्ष की अवधि के लिये प्रतिबंधित हैं किन्तु २५ प्रतिशत ऋण, यदि इच्छा हो, तो ५ वर्ष तक के लिये दिये जा सकते हैं।
४६ क २ (ग)	केन्द्रीय भूमि वधक बैंको का ऋण तथा अग्रिम देना	ऋण तथा अग्रिम	२० वर्ष तक की निश्चित अवधि के लिये।
४६ क २ (घ)	केन्द्रीय भूमि वधक बैंको के डिविन्चरो का क्रय	डिविन्चरो का क्रय	
१७ (४क) धारा ४६ (ख) के अन्तर्गत निश्चित	राज्य सरकारी बैंको की सहायता जिससे वे धारा १७ (२) तथा १७ (४) के अन्तर्गत प्राप्त किये निभाव के बकाया का, जिसे अनावृष्टि दुर्भिक्ष तथा अन्य प्रकृति के कोपो के कारण अदा नहीं कर पाये, भगतान कर सके।	ऋण तथा अग्रिम	१५ माह से ५ वर्ष तक

संचालन करनेवाले प्रावधान

ऋणाधार	व्याज की दर*	टिप्पणी
प्रत्येक के लिये निश्चित ऋणाधार ऋणों के लिए राज्य सरकारों की जमानत आवश्यक है।	कृषि कार्यों के लिए बैंक दर से २ प्रतिशत कम; कृषि क्रियाओं से संबंधित कार्यों के लिये बैंक दर।	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के कृषकों द्वारा सहकारी चीनी मिलों में शेयर खरीदने को इस विषय में अनुमति प्राप्त है।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मूलधन तथा व्याज के भुगतान की जमानत।

”

राज्य सरकार की जमानत

इस उद्देश्य के लिये राष्ट्रीय कृषि बाल (दीर्घ कालीन क्रियाएँ) कोष से अभी तक ऋण नहीं लिया गया है।

ऋण राष्ट्रीय कृषि बाल (स्वायीकरण) विधि से दिए जाते हैं।

* विशिष्ट कम दर राज्य सहकारी बैंकों के सवध में ही लागू होती है।

इन सुविधाओं द्वारा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की बहुत कम मात्रा में पूर्ति होती थी। इसलिये सन् १९५३ में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के सहकारी प्रशिक्षण की योजना को विस्तृत करने के प्रश्न पर भारत सरकार से विचार विमर्श हुआ तथा उसी वर्ष नवम्बर के महीने में रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार ने मिल कर सहकारी प्रशिक्षण की केन्द्रीय समिति की स्थापना की जिसका उद्देश्य उच्च, माध्यमिक तथा नीचे स्तर पर सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की मिश्रित योजना का निर्देशन तथा उसे कार्यान्वित करना था। रिजर्व बैंक का कृषि माख विभाग केन्द्रीय समिति के सचिवालय का कार्य करता है। रिजर्व बैंक ने उच्च तथा माध्यमिक श्रेणी के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का आर्थिक उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है।

केन्द्रीय समिति द्वारा निर्देशित योजना के अनुसार उच्च सहकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण अब भी सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय पूना में होता है। यहाँ प्रति छ माह लगभग ४० अधिकारी प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं। मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों का प्रशिक्षण पांच क्षेत्रीय केन्द्रों में हो रहा है जिनमें पूना, मद्रास, राची, इंदौर तथा मेरठ शामिल हैं तथा जो २२० विद्यार्थियों को प्रति वर्ष प्रशिक्षण देते हैं। इस दीर्घकालीन निश्चित पाठ्य क्रम के अतिरिक्त पाचो क्षेत्रीय केन्द्रों में सहकारी विपणन में अल्पकालीन विशेष पाठ्यक्रम चल रहे हैं जिनका उद्देश्य विपणन के क्षेत्र में विकास के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। क्षेत्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास में भूमि वधक बैंकिंग में एक विशेष पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। सामुदायिक विकास क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खड्डों में प्रशिक्षित अधिकारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये केन्द्रीय समिति ने खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय तथा सामुदायिक विकास प्रणाली की प्रार्थना पर आठ केन्द्रों में क्षेत्रीय स्तर के सहकारी अधिकारियों के लिये एक पृथक पाठ्यक्रम आयोजित किया है। इन केन्द्रों में प्रति वर्ष ७००-८०० व्यक्ति प्रशिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर के सहकारी अधिकारियों के ये आठ प्रशिक्षण केन्द्र हिमायत सागर (हृदराबाद के निकट), त्रिपुरी (आंध्र प्रदेश), भावनगर (बम्बई), कल्याणी (पश्चिमी बंगाल), धुरी (पंजाब), फौजाबाद (उत्तरप्रदेश), सागर-तट-वर्ती-गोपालपुर (उड़ीसा) तथा कोटा (राजस्थान) हैं। इन केन्द्रों का अर्थप्रबन्ध भारत सरकार करती है।

छोटी श्रेणी के सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध, जिसका उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है, समिति की योजना के अन्तर्गत अलग अलग राज्यों के आधार पर होता है तथा देश भर में इस समय भी ४६ विद्यालयों में कार्य हो रहा है। इन विद्यालयों का अर्थ-प्रबन्धन केन्द्रीय सरकार की निश्चित सहायता से सर्वाधिक राज्य सरकारों द्वारा होता है।

रिज़र्व बैंक तथा औद्योगिक वित्त

औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में रिज़र्व बैंक का बढ़ता हुआ योग भारतीय केन्द्रीय बैंकिंग का एक अन्य लक्षण है। एक ओर शीघ्रतर औद्योगीकरण की आवश्यकता तथा दूसरी ओर आंतरिक पूंजी बाज़ार में पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण औद्योगिक क्षेत्र की मध्य तथा दीर्घकालीन साख की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सस्थानात्मक ढाँचे को अपनाने तथा विस्तृत करने की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। अवधि साख को जुटाने के लिये विशेष मस्थाओं - भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा विभिन्न राज्य वित्त निगमों की स्थापना में बैंक ने क्रियाशील योग दिया है; बैंक ने इन मस्थाओं को उनकी पूंजी का एक भाग तथा ऋण लेने की सुविधायें प्रदान की हैं तथा उन्हें, विशेषतः राज्य वित्त निगमों को, उनके संगठन तथा कार्य क्रम में बहुत सहायता दी है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation)

औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना १९४८ में हुई। उसका निश्चित उद्देश्य सार्वजनिक सीमित देयतावाली कर्पणियों तथा सहकारी मस्थाओं के लिये मध्य तथा दीर्घकालीन साख को सरलता पूर्वक उपलब्ध करना है, विशेषतः उन परिस्थितियों में जहाँ सामान्य बैंकिंग निर्भाव अपर्याप्त हो अथवा बाज़ार में पूंजी जारी करना संभव न हो। बैंक ने निगम को वैक्तिक तथा सस्थानात्मक दोनों प्रकार की सहायता दी है। इस प्रकार निगम की ५ करोड रु. की चुकती पूंजी में पाचवे भाग में अधिक बैंक ने दी है; बैंक ने नियम द्वारा जारी किए हुए बाड भी खरीदे हैं। निगम की वैक्तिक स्थिति को दृढ बनाने के लिये बैंक ने तथा भारत सरकार ने भी पुनर्निर्माण एवं विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के मुस्ताव पर निगम में अपने शेयरों पर लाभांश न लेना स्वीकार किया। यह लाभांश उस समय तक एक विशेष प्रारक्षित निधि में जमा होते रहेगे जब तक इस प्रकार जमा की गई राशि का योग ५० लाख रु. से अधिक न हो जाए। इसके अतिरिक्त, १९५३ में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट में हुए एक संशोधन के अन्तर्गत बैंक को अल्प तथा मध्यमकालीन के ऋण तथा अग्रिम निगम

को देने का अधिकार है। धारा १७ (४ ख) में निगम को ऋण तथा अग्रिम देने का प्रावधान है।

- (अ) “जिनका भुगतान मांग पर अथवा निश्चित अवधि की समाप्ति पर, जो इस प्रकार के ऋण अथवा अग्रिम की तिथि से ९० दिन से अधिक नहीं होनी चाहिये, होना हो तथा जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के ऋणपत्रों के आमुख हो; अथवा
- (आ) “जिनका भुगतान निश्चित अवधि की समाप्ति पर, जो इस प्रकार के ऋण अथवा अग्रिम की तिथि से १८ माह बाद से अधिक न हो, होता हो, तथा जो केन्द्रीय सरकार की किसी भी अवधि के ऋण पत्रों अथवा उक्त निगम द्वारा जारी किये तथा केन्द्रीय सरकार से गारन्टी प्राप्त तथा उक्त ऋण अथवा अग्रिम की तिथि से १८ माह के अन्दर परिपाक, होनेवाले बाडों तथा डिबेंचरों के आमुख हो,

इस प्रावधान के साथ कि धारा खड (आ) के अन्तर्गत दिये गये ऋण तथा अग्रिम की रकम कुल मिलाकर किसी भी समय तीन करोड़ रुपये से अधिक न होगी”।

इस प्रकार, सरकारी ऋणपत्रों के आमुख चालू अल्पकालीन निभाव के लिये तो (जिसका भुगतान ९० दिन के अन्दर करना हो) एकट में अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है, परन्तु मध्यमकालीन सहायता (जिसका भुगतान १८ माह के अंदर करना हो) किसी भी दिन ३ करोड़ रु. से अधिक नहीं होनी चाहिये।

निगम की शेरर पूजी में बैंक का हिस्सा होने के कारण, बैंक द्वारा नियुक्त किये दो व्यक्ति निगम के सचालको के बोर्ड में बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें निगम की केन्द्रीय समिति में कार्य करते का भी अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त बैंक ने अनेक महत्वपूर्ण नीति संबंधी मामलों पर निगम को सलाह देकर उसकी सहायता की है तथा कुछ बार निगम में उत्तरदायित्वपूर्ण स्थानों पर काम करने के लिये अपने प्रबन्ध-अधिकारियों की सेवाएँ उपलब्ध की हैं। इस प्रकार प्रथम व्यवस्था निदेशक (Managing Director) बैंक का एक प्राधिकारी था तथा वर्तमान सामान्य व्यवस्थापक भी इसी प्रकार बैंक का एक प्राधिकारी है। निगम की स्थापना के समय से मार्च १९५८ के अन्त तक बैंक द्वारा अनुमोदित ऋण का योग ५७.४२ करोड़ रु. था जिसमें से ३२.०३ करोड़ रु. का वितरण हो चुका था, सन् १९५७-५८ में वितरित ऋण की रकम ७.९३ करोड़ रु. थी। मार्च १९५८ के अन्त में ऋण तथा अग्रिम की चालू रकम २६.३० करोड़ रु. थी जो निगम की कुल परिसंपत्ति की ७७ प्रतिशत थी, जिसमें कि निगम औद्योगिक विकास के लिये रुपये की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति कर सके। केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में निगम को २२.२५ करोड़ रु. तक देना स्वीकार किया है; १९५६-५८, दो वर्षों में निगम ने १५ करोड़ रु. इस सुविधा के अन्तर्गत लिये। इसके अतिरिक्त औद्योगिक

वित्त निगम एक्ट, १९४८ में सशोधन किया गया है जिससे कि निगम अपनी पूंजी तथा प्रारक्षित निधि के योग से दस गुनी रकम ऋण में ले सके जब कि अब तक यह सीमा पांच गुनी रकम तक थी। इस सीमा में निगम द्वारा सरकारी ऋणपत्रों के आमुख रिज़र्व बैंक से प्राप्त अल्प कालीन ऋण की रकम तथा विदेशी मुद्रा में ऋण की रकम शामिल नहीं है।

राज्य वैत्तिक निगम (State Financial Corporations)

औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना से मध्यम तथा लघु उद्योगों की दीर्घकालीन साख की आवश्यकताएं पर्याप्त मात्रा में पूरी नहीं हुईं। इसलिये १९५१ में राज्य वैत्तिक निगम एक्ट बना। यह योग्यता प्रदान करनेवाला विधान था जिसमें राज्य सरकारों द्वारा उनकी सीमा में स्थित इस प्रकार के उद्योगों की अर्ध-साख की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वैत्तिक निगमों की स्थापना का प्रावधान था। इस प्रकार के निगम तीन राज्यों—मद्रास, मैसूर तथा जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों के कार्य कर रहे हैं। मद्रास में मद्रास औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड (Madras Industrial Investment Corporation Ltd.) जिसकी स्थापना कंपनीज एक्ट के अन्तर्गत १९४९ में हुई थी, राज्य वैत्तिक निगम के समान कार्य कर रहा है।

बैंक ने विभिन्न वैत्तिक निगमों की चुकती शेयर पूंजी में १० से २० प्रतिशत तक योग दिया है; अब तक बैंक का योग कुल मिला कर २ करोड़ रु हो गया है। रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट में बैंक द्वारा राज्य वैत्तिक निगमों को भी ऋण देने का प्रावधान रखा गया है। एक्ट की धारा १७ (४) के अन्तर्गत ऋण तथा अग्रिम के रूप में अल्प कालीन निभाव प्रदान करने के अतिरिक्त, धारा १७ (२) (ख) के अन्तर्गत बैंक को उन निनिमय बिलों तथा रुकों के—जिन पर दो या उससे अधिक उत्तम हस्ताक्षर हों, (जिनमें से एक राज्य वैत्तिक निगम का हो) तथा जो बैंक से अनुमति प्राप्त कुटीर एव लघु उद्योगों की उत्पादन अथवा विपणन की क्रियाओं के अर्थ-प्रबन्धन के लिये लिखे अथवा जारी किये गये हों तथा १२ माह के अन्दर परिपाक (Mature) होनेवाले हों, यदि इन बिलों अथवा रुकों के मूलधन तथा ब्याज की अदायगी की संबंधित राज्य सरकार ने पूर्णतः गारन्टी दी हो—ऋय, विक्रय तथा पुनर्भजन का अधिकार है। निगमों को बैंकिंग की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं तथा वे केवल बैंक में ही नहीं, उसके अभिकर्ताओं के साथ भी खाते खोल सकते हैं।

प्रत्येक राज्य वैत्तिक निगम के संचालक बोर्ड में रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त किया एक व्यक्ति है जो उसकी प्रबन्धक समिति में भी कार्य कर सकता है। व्यवस्था निर्देशकों की नियुक्ति के संबंध में राज्य वैत्तिक निगम सामान्यतः बैंक की सलाह लेते रहे हैं तथा व्यवस्था निर्देशकों के पद पर काम करने के लिये बैंक द्वारा अपने

प्राधिकारियों के भेजे जाने की भी मिसालें हैं। इन निगमों से बैंक के सबंध विशेषतः निकट हैं। उस परिनिमित्त प्रावधान के अतिरिक्त जिसमें निर्देश है कि अपनी पूंजी में वृद्धि करने के उद्देश्य से निगमों द्वारा बाढ़ो अथवा डिबैंचरो के जारी करने, अथवा राज्य वैक्तिक निगम एक्ट के अन्तर्गत नियम बनाने से पूर्व बैंक की सलाह लेनी आवश्यक है, निगम सामान्यतः नीति संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में, जैसे उनकी निधियों का निवेशीकरण, बैंक की सलाह तथा सहायता लेते हैं। राज्य वैक्तिक निगम एक्ट में यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकारों के लिये यह आवश्यक है कि नीति संबंधित प्रश्नों पर निगमों को निर्देश देने के बारे में वे बैंक से परामर्श कर लें। बैंक निगमों को उनके प्रकारों में सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता देता है। इस सम्बन्ध में बैंक प्रति वर्ष राज्य वैक्तिक निगमों, भारतीय वित्त निगम तथा अन्य संबंधित हितों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का आयोजन करता है जिसमें सभी के हितों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर वाद विवाद तथा आपसी विचार विमर्श हो सके। एक सम्मेलन में वाद विवाद के दौरान में निगमों ने अपने कार्यों तथा बड़ी खातों के बैंक द्वारा परिनिमित्त निरीक्षण के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया तथा यह स्वीकार किया कि जब तक एक्ट में संशोधन न हो जाय, इस प्रकार का निरीक्षण स्वयं अपनी इच्छा में होना चाहिये। राज्य वैक्तिक निगम एक्ट में संशोधन हो गया है तथा अब बैंक को केन्द्रीय सरकार की अनुमति से राज्य वैक्तिक निगमों का निरीक्षण करने का अधिकार है। सरकार ने वार्षिक निरीक्षणों के लिये सामान्य अनुमति दे दी है तथा इन्हे बैंक की क्रियाओं का नियमित अंग बनाने का विचार है।

ये निगम तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भी बैंक को अपनी क्रियाओं से संबंधित कुछ नियतकालिक विवरण देते हैं। बैंक को अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा अकेलित खातों के विवरण देने के अतिरिक्त निगमों के लिये यह आवश्यक है कि औद्योगिक वित्त निगम प्रति वर्ष तथा राज्य वैक्तिक निगम वर्ष में चार बार, अथवा उतनी बार जितनी कि बैंक चाहे, अपने ऋण तथा निवेशों, गारंटी ग्रहीत ऋण तथा हामीदारी इकरारनामों (Under Writing Agreement) के वर्गीकरण का विवरण बैंक को दे।

१२ राज्यों* में वैक्तिक निगमों के कार्यों से यह विदित होता है कि उनमें अनुमति प्राप्त ऋण धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं तथा वितरित रकमों का योग अनुमति प्राप्त ऋणों की रकम के आधे से अधिक है। २८ मार्च १९५८ को उनकी चुकती पोस्टर-पूजी १३ करोड़ रु. ने अधिक थी। उसी तिथि को उनके द्वारा वितरित ऋणों की अप्रामा रकम ९ ३५ करोड़ रु. थी। किन्तु कुछ वैक्तिक निगमों द्वारा दिये गये अधिम अपेक्षत कम हैं। इसका एक मुख्य कारण उन केन्द्रों में जहाँ उद्योग स्थित हैं, ऋण के वितरण तथा ऋणाधार प्राप्ति सुविधाओं का न होना है। दूसरी ओर

* मद्रास औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड सहित।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों को दिये गये महत्वपूर्ण स्थान तथा उनके अर्थ-प्रबन्धन के लिये अपर्याप्त सुविधाओं के कारण उनके लिये पर्याप्त साख सुविधाओं उपलब्ध करने की समस्या को ठोस रीति से सुलझाना आवश्यक हो गया है। इस उद्देश्य में स्टेट बैंक आफ इंडिया ने रिजर्व बैंक की अनुमति से एक मार्ग-दर्शक योजना बनाई है जिसका उद्देश्य लघु उद्योगों की वैक्तिक आवश्यकताओं को पूरा करनेवाली विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में वास्तविक समन्वय स्थापित करना है। यह आशा की जाती है कि मार्ग दर्शक योजना को कार्यान्वित करने में प्राप्त अनुभव के आधार पर साख की समन्वयपूर्ण उपलब्धि को एक सामान्य योजना जिसके अन्तर्गत प्रत्येक संस्था को एक निश्चित प्रकार का मिला होगा, बनाई जा सकेगी तथा लघु उद्योगों की साख सुविधाओं में प्रत्यक्ष विस्तार संभव हो सकेगा।

विभिन्न वैक्तिक निगमों के कार्यों के साथ बैंक के निकट संपर्क ने उनकी क्रियाओं में कुछ हद तक समन्वय स्थापित कराने में सहायता दी है। इस प्रकार एक प्रथा स्थापित हो गई है जिसके अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम मामान्यतः १० लाख रु. से अधिक रकम वाले प्रारंभिकपत्रों को लेता है तथा राज्य वैक्तिक निगम उनके विधानों द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर तथा किसी भी दशा में केवल १० लाख रु तक की मांगों पर ही विचार करते हैं।

बैंक तथा औद्योगिक वित्त

इन निगमों तथा भारतीय औद्योगिक साख एवं वित्तियोग निगम की स्थापना में नि सन्देह ही उद्योगों की वैक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कुछ सहायता मिली है। किन्तु देश में औद्योगिक विकास की योजनाओं की विरासत का ध्यान में रखते हुए औद्योगिक वित्त की उपलब्धि के संस्थानात्मक कला विन्यास को दृढ़ करना होगा, विशेषतः जहाँ तक मध्यकालीन वित्त का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में वाणिज्य बैंकों का योग, उनके उद्योग एवं वाणिज्य के साथ विस्तृत संपर्क तथा उनकी क्रियाओं के लोचदार होने के कारण, विशेष महत्व रखता है।

भारतीय बैंकों द्वारा उद्योगों के मध्यकालीन, यदि दीर्घकालीन न हो सके, अर्थ-प्रबन्धन के क्षेत्र में क्रियाओं के विस्तार की संभावना पर भारत में (जैसा अनेक अन्य देशों में भी हुआ है) बैंकिंग प्रणाली के उद्भव के दौरान ही विभिन्न अवस्थाओं में विचार हो चुका है। बीस वर्षों से अधिक हुए केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति ने इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया था तथा उसके सदस्यों के बहुमत ने भारतीय बैंकों द्वारा उद्योगों के अर्थ-अर्थ-प्रबन्धन के विरुद्ध मत दिया था। हाल ही में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये वित्त समिति (Committee of Finance for the Private Sector) ने बैंकों द्वारा मध्य तथा दीर्घकालीन औद्योगिक अर्थ-प्रबन्ध में परोक्ष रूप से भाग लेने का सुझाव दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि मिशन ने भी, जो १९५३ में इस देश में आया था इसी प्रकार की सिफारिश की।

यद्यपि अर्द्धि ऋण इस देश में अधिक प्रचलित नहीं है किन्तु यह बात निश्चित है कि अन्य देशों के बैंकों के समान ही भारतीय बैंक भी अपने अग्रिम के बड़े भाग को शीघ्र न भागने की प्रथा (Practice of rolling over a substantial part of their advances) का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार वास्तव में, यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से ही भारतीय बैंक कुछ मध्यकालीन साख उपलब्ध करते रहे हैं, तथापि कुछ समय से यह प्रथा अधिक विस्तृत हो गई है। यह बात एक ओर तो उद्योगों के लिये मध्यकालीन साख के सभरण के संस्थानात्मक प्रबन्धों में कमी का प्रमाण है, तथा दूसरी ओर बैंकों के द्रव्यत्व की रक्षा के दृष्टिकोण से भी शीघ्र हल ढूढने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करती है। मध्यम तथा लघु औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्राप्त करने में विशेष कठिनाई होती है। लघु उद्योगों को प्राप्त आर्थिक सुविधाओं को विस्तृत करने के लिये सरकार विशेष प्रयत्न कर रही है। औद्योगिक विकास की अत्यन्त आवश्यकता के कारण प्रकार्यों का कुछ हद तक सम्मिश्रण अथवा बैंकिंग ढांचे की बहु उद्देश्यीय बढोत्ती अवश्यभावी प्रतीत होती है तथा वर्तमान भारतीय परिस्थितियों में सर्वोत्तम परिणाम प्रदान कर सकती है, यदि इस प्रणाली को बैंकिंग प्रणाली के द्रव्यत्व की रक्षा करते हुए ठीक प्रकार कार्यान्वित किया जाय।

किन्तु समस्या केवल द्रव्यत्व तक ही सीमित नहीं है। बैंकों के साधनों को बढाने के उपायों पर विचार करना आवश्यक होगा तथा कम से कम प्रारम्भ में बैंकों से यह आशा करना व्यर्थ होगा कि वे अपने स्वयं के (अल्पकालीन) साधनों को इस कार्य के लिये प्रयोग करेंगे। गैर-सरकारी क्षेत्र के अर्थ-प्रबन्धक के लिये समिति ने सुझाव दिया था कि विल बाजार योजना की समाज सुविधाओं के द्वारा उचित सावधानी के साथ रिज़र्व बैंक की सहायता का प्रबन्ध करके बैंकों के मध्यकालीन वित्त उपलब्ध करने के साधनों में वृद्धि करने के उपायों की खोज सभव हो सकती है। वाणिज्य बैंकों के साधनों में योग देने का सिद्धान्त जिससे कि वे मध्यकालीन साख देने के योग्य बन सकें, अब स्वीकार कर लिया गया है, यद्यपि जिस रूप में बैंकों को सहायता देने का निश्चय किया गया है वह समिति के सोचे गये रूप से भिन्न है।

उद्योगों के लिये पुनः वित्त प्रबन्ध करनेवाला निगम (Refinance Corporation for Industry)

उद्योगों के लिये पुनः वित्त प्रबन्धन करनेवाले निगम निजी लिमिटेड की जो कपनीज एक्ट १९५६ के अन्तर्गत पंजीयत हुआ, ५ जून १९५८ को स्थापना हुई। उसकी प्रारम्भिक निर्गमित पूँजी* १२.५ करोड़ रु. थी जिसमें रिज़र्व बैंक ने

* निगम की अधिकृत पूँजी २५ करोड़ रु. है।

(५ करोड़ रु.), स्टेट बैंक आफ इंडिया ने (२.३० करोड़ रु.), जीवन बीमा निगम ने (२.५० करोड़ रु.), तथा १४ बड़े अनुसूचित बैंकों ने (२.७० करोड़ रु.) का योग दिया। १४ बड़े बैंकों को भारत में उनकी जमा के आधार पर निर्धारित श्रेणियों के अनुसार शेयर दिये गये हैं, प्रति बैंक का अलग अलग योग १० से १५ लाख रु तक है। भारत सरकार ने इस निगम के पास लगभग २६ करोड़ रु की रकम रखनी स्वीकार की है (४० वर्ष के व्याज देनेवाले ऋण के रूप में), यह रकम भारत-सयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) के समझौते के अनुसार दिये गये कृषि पदार्थों की बिक्री से प्राप्त हुई है। निगम को उपलब्ध कुल ३८.५ करोड़ रु का उपयोग सदस्य बैंकों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की छोटी इकाइयों को दिये गये मध्यकालीन ऋण के आमुख पुनः ऋण देने की सुविधाओं की उपलब्धि के लिये किया जायगा। यह आवश्यक है कि बैंकों द्वारा दिया गया ऋण उत्पादन बढ़ाने के लिये होना चाहिये, विशेषतः उन उद्योगों से जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना अथवा बाद में आनेवाली योजनाओं में शामिल हों।

३८.५ करोड़ रु की कुल राशि में से प्रत्येक भाग लेनेवाले अनुसूचित बैंक का अम्यश (Quota) निर्धारित कर दिया गया है जिसके अन्दर वह बैंक निगम को पुनः वित्त प्रबन्धन के लिये कुछ प्रकार के ऋण दे सकता है। इन अम्यशों के आबटन के लिये, बैंक उनके भारत में जमा के आकार के अनुसार चार श्रेणियों में विभक्त कर दिये गये हैं। अम्यश की न्यूनतम सीमा १ करोड़ रु तथा अधिकतम सीमा ३ करोड़ रु है। किन्तु स्टेट बैंक आफ इंडिया को ५ करोड़ रु. का अम्यश मिला है। प्रत्येक बैंक द्वारा उसके अम्यश के उपयोग के आधार पर हर छः माह बाद अम्यशों की पुनः जाच की जाएगी। निगम द्वारा पुनः वित्त प्रबन्धन के लिये ग्राह्य होने के लिये ऋण ३ से ७ वर्ष के लिये होने चाहिये। ऋण मध्य-आकार की औद्योगिक संस्थाओं को दिये जाने चाहिये अर्थात् उन्हें जिनकी चुकती पूजी तथा प्रारक्षण (कर देने के हेतु प्रारक्षण तथा साधारण ह्रास प्रारक्षणों के अतिरिक्त) २१२ करोड़ रु से अधिक न हो। ऋण मध्यम-आकार की रकमों में दिये जाने चाहिये जिससे कि किसी एक ऋण लेनेवाले को अधिकतम ऋण ५० लाख रुपये में ऊपर न मिले। निगम को पुनः वित्त प्रबन्धन के लिये दिये गये ऋण पर ऋण देनेवाले बैंक पूर्णतः साख की जोखिम उठाएंगे।

निगम का प्रबन्ध सात सदस्यों वाले सचालकों के एक बोर्ड को सौंपा गया है; रिजर्व बैंक का प्रबन्धक उसका अध्यक्ष है, तथा अन्य सदस्य—रिजर्व बैंक का उप-प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इंडिया का अध्यक्ष, जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष तथा निगम में भाग लेनेवाले बैंकों के तीन प्रतिनिधि हैं। बैंक के औद्योगिक वित्त विभाग का मुख्य प्राधिकारी निगम का सामान्य व्यवस्थापक है।

यह आशा की जाती है कि यह योजना चुने हुए अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योगों को औपचारिक अवधि ऋण देने के अबसर प्रदान करेगी तथा निगम बैंकों को मिले अम्यश की सीमा तक उनके द्वारा दिये गये ग्राह्य ऋण के आमुख द्रव्यत्व प्रदान करने का प्रमुख साधन होगा।

(८)

विनिमय नियंत्रण

रुपये का बाहरी मूल्य बनाये रखना बैंक के प्रमुख केन्द्रीय बैंकिंग प्रकार्यों में से है तथा इस कार्य के लिये बैंक अपने पास राष्ट्र का अधिकांश विदेशी विनिमय प्रारक्षण रखता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का सदस्य होने के नाते जो कर्तव्य पूरे करने हैं उनमें एक यह भी है कि रुपये का मूल्य सोने के मूल्य में सूचित किया जाय तथा वर्तमान दर निबल सोने के २.८८ ग्रेन प्रति रुपया अथवा ६२ ५० रु प्रति तोला है। किन्तु दिन प्रति दिन के विनिमय प्रबन्धन के लिये यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अर्थ-प्रबन्ध के लिये सामान्यतः प्रयोग में लाई जानेवाली किसी एक प्रमुख मुद्रा से सम्बन्ध स्थापित किया जाय। भारत के लगभग ७० प्रतिशत विदेशी सौदो का अर्थ-प्रबन्धन स्टर्लिंग में, लगभग १० प्रतिशत डालर में तथा शेष रुपयों में होता है। देश के अन्तर्राष्ट्रीय सौदो के अर्थ-प्रबन्ध के लिये स्टर्लिंग पर अधिक निर्भर होने, यू.के. के साथ परम्परा प्राप्त वैयक्तिक मन्धो तथा लन्दन बाजार में वित्त की सुविधाओं की उपलब्धि के कारण रुपये का पौण्ड स्टर्लिंग से संबन्ध बनाये रखना आवश्यक हो गया है। १९२७ में रुपये—स्टर्लिंग की विनिमय दर १ शिलिंग ६ पेन्स प्रति रुपया निर्धारित की गई थी तथा यह दर अब तक कायम है।

बैंक के विनिमय संबंधी कर्त्तव्य

बैंक के विदेशी विनिमय संबंधी कर्त्तव्य रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा ५० में दिये गये हैं, वे इस प्रकार हैं —

“बैंक किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांग किये जाने पर बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली अथवा मद्रास, अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य शाखा में केन्द्रीय सरकार की सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनिमय दर तथा दत्तों पर, जहाँ तक विनिमय दर का प्रश्न है अपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रति कर्त्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, क्रय विक्रय करेगा।

यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को दो लाख रुपये से कम के मूल्यकी विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय करने की मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

व्याख्या - इस धारा के अनुसार 'प्राधिकृत व्यक्ति' वह व्यक्ति है जिसे १९४७ के विदेशी विनिमय नियम के द्वारा अथवा अन्तर्गत अपनी माँग संबंधी विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है।

बैंक तत्स्थान (Spot) तथा वायदे पर (Forward) (६ माह की अवधि तक) स्टैलिंग उन अनुसूचित बैंकों से जिन्हें विदेशी मुद्रा में देन लेन करने का अधिकार प्राप्त होता है, १ शिलिंग ६ पेन्स की दर पर खरीदता है। बैंक स्टैलिंग की तत्स्थान बिक्री १ शिलिंग ५-६३।६४ पेन्स की दर पर करता है, वायदे के स्टैलिंग दर १।६४ पेन्स प्रति रुपया कम होती है। बैंक द्वारा स्टैलिंग की तत्स्थान क्रय विक्रय की दरों के बीच कम अन्तर तथा बहुत कम दर पर वायदे के सौदे के प्रबन्ध द्वारा अधिकार प्राप्त व्यापारियों को रुपये को स्टैलिंग में बदलने तथा स्टैलिंग को रुपये में बदलने का अति सरल कला-विन्यास प्राप्त है, वे उत्तम (Fine) दरों पर स्टैलिंग की क्रय विक्रय सम्बन्धी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, तथा इस प्रकार रुपये के बाहरी मूल्य की दिन प्रति दिन की स्थिरता बनी रहती है। अनुसूचित बैंकों की, जनता के साथ सौदों के लिये स्टैलिंग की क्रय विक्रय की दरों भी विनिमय बैंकों की समिति, रिजर्व बैंक की सम्मति से इन दरों के अनुसार निश्चित करती है।

स्टैलिंग क्षेत्र में प्रबन्ध

पौड स्टैलिंग के अतिरिक्त अन्य मुद्राओं में देश के विदेशी सौदों के केवल एक छोटे से भाग का वित्त प्रबन्धन होता है। विभिन्न केन्द्रीय बैंकों द्वारा लगभग समान (Parity) स्तर पर किये गये पोषण के कारण स्टैलिंग क्षेत्र में इन मुद्राओं की अप्रतिबन्धित परिवर्तनीयता (Convertibility) बनी रहती है तथा इस के द्वारा भारत के अधिकार प्राप्त व्यापारी उन बैंकों से लन्दन में अथवा सबन्धित स्टैलिंग क्षेत्र में उत्तम दरों पर आवरण (Cover) प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ तक स्टैलिंग क्षेत्र के बाहर की मुद्राओं की विनिमय दरों का प्रश्न है, वे सामान्यतः लन्दन की दरों द्वारा निर्धारित होती हैं; अधिकार प्राप्त व्यापारी अपनी गैर-स्टैलिंग बालू आवश्यकताओं तथा अग्रिम विनिमय को लन्दन विनिमय बाजार अथवा जिस मौद्रिक क्षेत्र के चलन का वे क्रय अथवा विक्रय करना चाहते हैं, वहाँ के बैंकों द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। भारत के बैंक अपनी स्वयं की दरों की घोषणा करने के लिये स्वतंत्र नहीं हैं किन्तु वे स्वाभाविक रूप में विदेशी केन्द्रों की दरों के बराबर ही रहती हैं।

भारत 'स्टैलिंग क्षेत्र' के नाम से सर्वोपिहित देशों के समूह का एक सदस्य है, इस 'समूह' का केन्द्रीय देश यूनाइटेड किंगडम है। इस 'समूह' के मुख्य लक्षण, जो लम्बी अवधि में विकसित हुए हैं, इस प्रकार हैं (अ) सदस्य देशों के मौद्रिक प्रारक्षण के बड़े भाग को स्टैलिंग में रखा जाना, (आ) तत्स्थान तथा वायदे की क्रियाओं द्वारा निजी मुद्रा की स्टैलिंग के साथ विनिमय समानता बनाये रखना, (इ) स्टैलिंग क्षेत्र से

बाहर के देशों की मुद्राओं, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (U.S.A.) तथा कनाडा के डालरों का संचय किया जाना। युद्ध से पूर्व रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के स्टैलिग जो देश के मुख्य प्रारक्षण थे, द्वितीय युद्ध के वर्षों में प्राप्त स्तर की अपेक्षा बहुत कम थे। जून १९४५ से पिछले ५ वर्षों में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया की परिमंपत्ति १५२ करोड़ रु से बढ़ कर १,४४२ करोड़ रु. हो गई। इस बढ़ोती का कारण भारत द्वारा सामान तथा सेवाओं के रूप में भिन्न देशों के युद्ध प्रयत्नों में योग देने के कारण अदायगी शेष में बचत थी। विमानन तथा यू. के. के साथ हुए अनेक समझौतों के परिणाम स्वरूप, जिनके अन्तर्गत सुरक्षा के सामान की खरीदारी, पेंशन की विज्ञप्ति तथा अदायगी शेष की कमी को पूरा करने के लिये स्टैलिग को निकालने के कारण, बैंक की विदेशी परिमंपत्ति बाद के वर्षों में बहुत कम हो गई तथा मार्च १९५८ के अन्त में वे २६७ करोड़ रु. थी तथा इसके अतिरिक्त सोने के प्रारक्षण ११८ करोड़ रु. के मूल्य के थे।

स्टैलिग क्षेत्र के कलाविन्यास के अन्तर्गत यू. के. के अतिरिक्त अन्य देशों की विनिमय निधियां स्टैलिग के रूप में जमा होती हैं तथा ऐसी रीति बन गई है कि उनके अधिकांश विदेशी व्यापार का वित्त प्रबन्धन स्टैलिग में होता है। स्टैलिग क्षेत्र से बाहर की बची हुई मुद्राएं सदस्य देशों के व्यापारी बैंकों द्वारा उनके इस्तेमाल के लिये तथा/अथवा राष्ट्रीय मुद्रा-अधिकारियों को पुनः बेचने के लिये स्टैलिग के बदले में लन्दन को बेच दी जाती हैं। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भी स्टैलिग प्रारक्षण के बनाये रखने के कारण वास्तव में लन्दन में स्टैलिग क्षेत्र से बाहर की मुद्राएं जमा हो जाती थी, परन्तु युद्ध काल में तथा युद्ध के पश्चात् के वर्षों में स्थापित किये प्रबन्धों से एक महत्वपूर्ण दिशा में परिवर्तन हुआ। युद्ध से पूर्व सदस्य देशों को यू. के. से स्टैलिग क्षेत्र से बाहर की मुद्राओं खरीदने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। परन्तु युद्ध के वित्त प्रबन्धन के लिये स्टैलिग क्षेत्र से बाहर की मुद्राओं को बचाने की आवश्यकता तथा युद्ध के पश्चात् स्टैलिग क्षेत्र से बाहर के देशों के साथ सौदों के लिये मुद्रा की आवश्यकता की पूर्ति करने में स्टैलिग क्षेत्र की कठिनाइयों के कारण स्टैलिग-क्षेत्र से बाहर की मुद्राओं, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (U.S.A.) के डालरों का खर्च काफी हाथ रोक कर करने की आवश्यकता पड़ी। यद्यपि इसके परिणाम स्वरूप डालर क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के माल को आयात करने की नीतियों में भेदभाव होता है तथापि इस भेदभाव की मात्रा अलग अलग सदस्य देशों में अलग अलग होती है तथा प्रत्येक सदस्य देश द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारित होती है।

विनिमय नियंत्रण—उद्देश्य

मुद्रा के बाहरी मूल्य का सधारण (Maintenance) मुख्यतः उचित मौद्रिक तथा राजकोपीय नीतियों (Fixed Policies) द्वारा होता है, परन्तु युद्ध तथा युद्ध के पश्चात् के वर्षों में असाधारण परिस्थितियों के कारण अनेक देशों ने, जिनमें भारत भी शामिल है, अपने निवासियों की विदेशी विनिमय की मांग तथा उनके

द्वारा अर्जित विदेशी विनिमय के व्यय पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना आवश्यक समझा। भारतीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में, जब कि आर्थिक योजनाएं क्रम रूप से कार्यान्वित हो रही हैं, इस प्रकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण का विशेष महत्व है। भारत में यह नियमन, व्यापार (आयात तथा निर्यात) नियंत्रण तथा विनिमय नियंत्रण द्वारा होता है।

बैंक द्वारा संचालित विनिमय नियंत्रण के अन्तर्गत आयात निर्यात का प्रत्यक्ष नियमन नहीं होता। यह उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग के मंत्रालय (Ministry) का है। किन्तु बैंक आयात के लिये भुगतान की निश्चित रीतियों तथा निर्यात द्वारा प्राप्त मुद्रा को देश में लाने पर पर्यवेक्षण रखता है। अदृश्य कहे जाने वाले सौदों से संबंधित नियमों का प्रबन्ध बैंक करता है।

भारत में विनिमय नियंत्रण द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ से रहा है। उस समय यह भारत रक्षा नियमों के वैश्विक प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त असाधारण अधिकारों के आधार पर लागू किया गया था। युद्ध के अंतिम वर्षों तथा युद्ध पश्चात् के वर्षों में, भारत के अदायगी शेष में अधिक मात्रा में घाटा रहा है। यह महसूस किया गया कि भुगतानों पर नियंत्रण सदा आवश्यक रहेगा, यद्यपि उसकी मात्रा में समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है। इसलिये नियंत्रण को स्थायी बनाने का निश्चय किया गया तथा विदेशी विनिमय नियमन एक्ट, १९४७ बनाया गया। इस एक्ट का संचालन बैंक, उसकी सहमति से सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य नीति के अनुसार करता है। युद्ध कालीन नियंत्रण स्टॉलिंग क्षेत्र से बाहर के देशों के साथ सौदों तक ही सीमित था। स्टॉलिंग पावनों (Balances) के बड़ी मात्रा में जमा हो जाने के कारण स्टॉलिंग क्षेत्र में सौदों के लिये पूर्ण स्वतंत्रता संभव थी। १९४७ के मध्य में यू. के. तथा भारत के बीच आर्थिक समझौते के अन्तर्गत स्टॉलिंग पावनों के बड़े भाग पर रोक लगा देने के निश्चय के पश्चात्, उपलब्ध विदेशी विनिमय की बचत के उद्देश्य से स्टॉलिंग क्षेत्र के देशों (पाकिस्तान के अतिरिक्त) तक नियंत्रण का विस्तार करना आवश्यक हो गया। २७ फरवरी १९५१ से ही विनिमय नियंत्रण पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान पर भी लागू हो गया, पाकिस्तानी रुपया हर दृष्टि से लका अथवा बर्मा के रुपये के समान विदेशी मुद्रा समझा जाने लगा। योजना द्वारा प्रेरणा मिलने के फलस्वरूप बढ़ती हुई आयात तथा उसके भुगतान के लिये विदेशी मुद्रा के अपर्याप्त अर्जन के दृष्टिकोण से विदेशी मुद्रा का विवेकपूर्ण वितरण (Ration) आवश्यक हो गया है जिससे कि प्रतिस्पर्धी आयात मांगों के बीच उसे इस प्रकार वितरित किया जा सके जिससे राष्ट्र को अधिकतम लाभ पहुँचे।

अधिकार प्राप्त व्यापारी

विदेशी विनिमय नियमन एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों को प्रयोग में लाकर बैंक ने कुछ वाणिज्य बैंकों को विदेशी विनिमय में व्यापार करने का लाइसेंस दिया है। इन लाइसेंस प्राप्त बैंकों में, जिन्हें विदेशी विनिमय के अधिकार प्राप्त व्यापारी

कहा जाता है, वे बैंक जो द्वितीय युद्ध के प्रारंभ से पूर्व विनिमय व्यापार कर रहे थे तथा कुछ अन्य बैंक जिन्हें उन तिथि के बाद विदेशी विनिमय में व्यापार करने का लाइसेंस दिया गया, शामिल हैं। इन लाइसेंस प्राप्त बैंकों में से कुछ को केवल स्टर्लिंग क्षेत्र की मुद्राओं में व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ है परन्तु अधिकतर को बैंक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सब विदेशी मुद्राओं में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है। जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, लाइसेंस प्राप्त व्यापारी तत्स्थान एवं वायदे के सौदों का आवरण स्थानीय बाजार भाव पर, लन्दन विनिमय बाजार में अथवा संबंधित मुद्रा के देश के बैंकों द्वारा कर सकते हैं तथा यह तत्स्थान भाव बैंक आफ इंग्लैंड की क्रय तथा विक्रय की सरकारी (Official) दरो के बीच घट बढ सकते हैं क्योंकि भारत स्टर्लिंग क्षेत्र का सदस्य है, इसलिए अधिकार प्राप्त व्यापारियों द्वारा प्राप्त की गई समस्त अधिक विदेशी मुद्रा लन्दन बाजार में स्टर्लिंग के आमूख बेच दी जाती है, तथा इसके फलस्वरूप मिलनेवाली मुद्रा बैंक को स्टर्लिंग की विक्री द्वारा इस देश को वापस कर दी जाती है।

विदेशी विनिमय में प्रेषण

विदेशों को किये जाने वाले भुगतान निम्नलिखित धेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं -

आयात के लिये भुगतान - विदेशी विनिमय के अधिकार प्राप्त व्यापारी माल पत्र (Letters of Credit) दे सकते हैं अथवा यदि माल को आयात लाइसेंस की सम्प्रमाण विनिमय नियंत्रण प्रति का अथवा खुले सामान्य लाइसेंस का आवरण प्राप्त हो तो भारत के आयात के बदले धन का विदेश को प्रेषण कर सकते हैं। उत्पादक माल (Capital Goods) को आयात के अतिरिक्त, जब विदेशी उत्पादकों के पाम धन जमा करना आवश्यक होता है, धन के पेशगी प्रेषणा की आज्ञा साधारणतया नहीं मिलती।

गैर-सरकारी प्रेषणा - भारत के अतिरिक्त स्टर्लिंग क्षेत्र के किसी अन्य देश के लोग जो अस्थायी (Temporary) निवासी हो परन्तु भारत के अध्युषित (Domiciled) न हों, अपनी चालू आय में से अपने परिवारों के पालन के लिये, बीमे की किश्त का भुगतान करने इत्यादि के लिये स्टर्लिंग क्षेत्र की किसी मुद्रा में निश्चित अधिकतम रकम* तक प्रेषणा कर सकते हैं, तथा अधिकार प्राप्त व्यापारी रिजर्व बैंक

* पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी अन्य देश को प्रेषणा किए गए धन का कुल योग प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति के लिये १५० पाँड से अधिक नहीं होना चाहिये। भारत में रहनेवाले पाकिस्तानी अधिवासियों को, तथा भारतीय अधिवासियों को जिनके पाकिस्तान में आश्रित हैं, उनके पालन के लिये ५० रु प्रति माह तक रकम भेजने का अधिकार है।

से पूछे बिना इस प्रकार का प्रेषण कर सकते हैं। विदेशियों को भी, जो भारत के अस्थायी निवासी हों, उनके परिवारों के पालन इत्यादि के लिये इसी प्रकार की उचित प्रेषणा सुविधायें मिल जाती हैं।

यात्रा व्यय — व्यापारिक यात्रा, विदेशों में शिक्षा तथा डाक्टरी चिकित्सा के लिये निश्चित मात्रा में उचित विनिमय सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

अन्य उद्देश्य — भारत के बाहर किसी अन्य देश में रहनेवाले उपकारग्राही स्वामियों (Beneficiary Owners) को भाड़े, लाभ, लाभांश तथा ब्याज का प्रेषण स्वतंत्रतापूर्वक किया जा सकता है। चालू प्रकृति के अन्य सब प्रेषणों की भी आज्ञा है।

पूँजी प्रेषणा — स्टलिंग क्षेत्र के लोगों को, जो अस्थायी निवासी हैं, परन्तु भारत में अध्युपित (Domiciled) नहीं हैं, पद-परित्याग के समय स्टलिंग क्षेत्र के किसी भी देश को अपनी समस्त सम्पत्ति को भेजने का अधिकार है। अन्य विदेशियों को, जो भारत में रहते हैं, परन्तु अध्युपित नहीं हैं, अपने पद-परित्याग के समय स्थानान्तरित हो सकनेवाली अपनी समस्त चालू परिसंपत्ति को अपने देश को स्थानान्तरित करने का अधिकार है। भारतीय देशवासी (Indian Nationals) तथा अध्युपित (Persons Domiciled) भारत के बाहर किसी भी देश में प्रवास करते समय एक निश्चित मात्रा में अपनी परिसंपत्ति का प्रेषण कर सकते हैं।

भारत को पूँजी की प्रेषणा

भारत में पूँजी विनियोग करने तथा उसके वापस भेजने के प्रार्थना पत्रों पर बैंक की पूर्व-अनुमति की आवश्यकता होती है। स्टलिंग क्षेत्र तथा स्केन्डिनेवियन देशों में रहनेवालों को वापस भेजने (Repatriation) की सुविधायें स्वतंत्रतापूर्वक प्रदान की जाती हैं। अन्य देशों के निवासियों को वापस भेजने की सुविधायें केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं में १ जनवरी १९५० के पश्चात् किये निवेशों के सम्बन्ध में मिलती हैं।

सोना चांदी

विनिमय-नियंत्रण के अन्तर्गत बैंक से लाइसेंस प्राप्त किये बिना सोने तथा चांदी के भारत में आयात तथा सोने के निर्यात पर प्रतिबन्ध है। वर्तमान समय में बैंक सोने को निर्यात अथवा सोने चांदी की आयात के लिये लाइसेंस नहीं देता, सिवाय तिब्बत में चालू चांदी के मिक्को के आयात के जिन्हें ३ मई, १९५६ से भारत-तिब्बत व्यापार को सुविधा देने के उद्देश्य से स्वतंत्रतापूर्वक लाइसेंस दिया गया है। चांदी को निर्यात के लिये निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिकारियों से लाइसेंस लेना आवश्यक है।

निर्यात नियंत्रण

नेपाल, तिब्बत तथा भूटान के अतिरिक्त अन्य देशों को इस देश से माल की निर्यात द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा भी विदेशी विनिमय नियंत्रण के अन्तर्गत आती है। विदेशों को माल को निर्यात करने की आज्ञा मिल जाती है यदि निर्यातकर्ता तट कर-संग्रह कर्ता (Collector of Customs) को निर्दिष्ट फार्म पर यह घोषणा लिख कर दे कि माल के पूरे मूल्य की विदेशी मुद्रा बैंक द्वारा निश्चित रीति तथा समय के अन्दर उपयोग में लाई गई है अथवा लाई जावेगी। निर्यात पर नियंत्रण का उद्देश्य यह निश्चित करना है कि निर्यात द्वारा प्राप्त विदेशी विनिमय भारत भेज दिया जाता है तथा विदेशों में रोक नहीं लिया जाता, साथ ही यह भी देखना है कि निर्यात का वित्त प्रबन्धन उन्हीं निश्चित रीतियों से होता है जिससे निर्यात द्वारा देश को अधिकतम प्राप्ति हो। यह प्रणाली तट-कर अधिकारियों के सहयोग से कार्यान्वित होती है तथा बैंको तथा जहाज वालों के लिये माल के मूल्य तथा वित्त प्रबन्धन की रीति का विवरण देनेवाले वयानों को पूरा करना आवश्यक होता है। तट-कर अधिकारी जहाज द्वारा माल भेजने के फार्म को प्रस्तुत किये बिना निश्चित देशों को माल भेजने की आज्ञा नहीं देते। आज्ञा प्राप्त होने के पश्चात् ये फार्म बैंक के पास भेज दिये जाते हैं। जहाज द्वारा माल को भेजने के फार्म की अन्य प्रतियां जहाजवाले निर्यात के आवरण बिलों को भुनाने (Negotiate) के समय अपने बैंको को दे देते हैं। ये रिज़र्व बैंक के पास भी भेज दिये जाते हैं तथा यह इन फार्मों को मूल फार्मों से मिलाता है तथा इस प्रकार यह निश्चय करता है कि समस्त भेजे गये माल का विवरण प्राप्त है। चाहे जहाज द्वारा माल एक निश्चित विक्रय समझौते के अन्तर्गत भेजा जाय अथवा प्रेषण (Consignment) पर, कार्य करने की रीति वही रहती है, केवल बादवाली स्थिति में विनिमय नियंत्रण विभाग जहाज वाले से वास्तविक विक्रय मूल्य जानने का प्रबन्ध करता है जिससे कि विदेशी विनिमय की भारत में पूर्णतः प्राप्ति हो।

आभूषणों, मुद्रा नोटों तथा ऋणपत्रों की निर्यात

विनिमय नियंत्रण नियमों के अन्तर्गत आभूषणों तथा मुद्रा नोटों की निर्यात, जिस पर अनेक प्रतिबन्ध हैं, तथा ऋणपत्रों की निर्यात भी आती है। इन ऋणपत्रों में केवल स्कन्ध, शेयर, बाड तथा डिबेंचर, सरकारी ऋणपत्र, लाभांश अथवा ब्याज के कूपन अथवा अधिपत्र ही शामिल नहीं हैं, वरन् जीवन बीमा पालिसिया तथा ऋणपत्रों, इकाई ट्रस्ट (Unit Trust) की इकाइयों अथवा उप-इकाइयों से संबंधित जमा रसीदें भी शामिल हैं। बैंक से लाइसेंस प्राप्त किये बिना ऋणपत्रों के निर्यात पर प्रतिबन्ध है तथा जो व्यक्ति अन्तरण, विक्रय इत्यादि के लिये ऋणपत्रों को विदेश में भेजना चाहते हैं, उन्हें अनुमति प्राप्त विदेशी विनिमय-व्यापारी के द्वारा बैंक के

पास लाइसेंस प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र देना होता है। रुपये के ऋणपत्रों का अन्तरण अथवा विदेश में रहनेवाले व्यक्तियों के पक्ष में या हित में रुपये के ऋणपत्रों का निर्माण (Creation of Interest) बैंक की सामान्य अथवा विशेष शाखा के बिना वर्जित है। इसी प्रकार भारत के रजिस्ट्रो से विदेशों के रजिस्ट्रो में ऋणपत्रों का अन्तरण तथा भारत में पंजीयित अथवा पंजीयित होनेवाले ऋणपत्रों का भारत से बाहर रहनेवालों के लिये, भारत में अथवा विदेश में प्रचालन, बैंक की पूर्व अनुमति के बिना वर्जित है।

सांख्यिकीय विवरण

अधिकार प्राप्त व्यापारियों द्वारा विदेशी विनिमय की बिक्री के ऊपर उचित पर्यवेक्षण रखने के उद्देश्य से बैंक ने अधिकार प्राप्त व्यापारियों के लिये आवश्यक कर दिया है कि वे संबंधित प्रार्थनापत्रों के साथ निर्धारित पत्रों (Forms) पर अपनी विदेशी विनिमय की बिक्री का विवरण प्रस्तुत करें; इनका बैंक के विनिमय नियंत्रण विभाग में परिनिरीक्षण होता है जिससे कि यह निश्चय हो जाय कि विनिमय परि-नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। बैंक अधिकार प्राप्त व्यापारियों से विदेशी विनिमय की प्राप्ति सबधी विवरण भी लेता है। यह निश्चित करने के अतिरिक्त कि परिनियमों का पालन हो रहा है ऊपर लिखित विवरणों द्वारा भारत के अदायगी शेष सम्बन्धी अंकड़ों का संकलन होता है। यह कार्य बैंक का अनुसंधान एवं सांख्यिकी विभाग करता है।

आर्थिक एवं सांख्यिकीय अनुसन्धान

मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा उसे कार्यान्वित करना, जो बैंक का सब से महत्वपूर्ण प्रकार्य है, बहुत हद तक यथार्थ, विस्तृत तथा नवीनतम पृष्ठभूमि सूचनाओं को तुरन्त उपलब्ध तथा उनके शीघ्र विश्लेषण पर निर्भर करता है। अनुसंधान एवं सांख्यिकी विभाग का संगठन इस प्रकार किया गया है जिससे कि वह बैंक की समस्त महत्वपूर्ण कर्मात्मक (Operational) क्रियाओं के अनुसंधान प्रतिरूप का केंद्र बन सके। कर्मात्मक, समस्याओं को अनुसंधान के फलों द्वारा प्रभावित करना तथा परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बैंक की उचित मुद्रा तथा साख नीतियों के निर्धारण में सहायता देना इस विभाग का सामान्य प्रकार्य है। इस प्रकार, उदाहरण के लिये, इस विभाग का बैंकिंग अनुसंधान खंड अनुसंधान के क्षेत्र में बैंकिंग क्रियाओं, बैंकिंग विकास एवं औद्योगिक वित्त विभागों का प्रतिरूप है तथा अपने कार्यों का उनकी क्रियाओं से समन्वय बनाये रखता है; मुद्रा अनुसंधान खंड का विस्तृत कार्य क्षेत्र मुद्रा तथा लोक ऋण प्रदध के केन्द्रीय बैंकिंग प्रकार्यों के बीच है जिन्हे क्रमानुसार मुख्य लेखा-प्राधिकारी के कार्यालय तथा सचिव के कार्यालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है; विभाग का अन्तर्राष्ट्रीय वित्त खंड अपने अदायगी शेष के अनुमानों के लिये अधिकतर आकड़े (Data) विनिमय नियंत्रण विभाग से प्राप्त करता है तथा उसकी क्रियाओं से निकट सम्पर्क बनाये रखता है; ग्रामीण अर्थ-शास्त्र खंड के अन्तर्गत अध्ययन तथा कार्य का क्षेत्र है जो कृषि साख विभाग का पूरक है तथा सांख्यिकी खंड बैंक के सब कार्यों के सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व तथा संबंधित सूचना क्षेत्रों को भेजता है। इस विभाग का यह कर्तव्य है कि बैंक के अधिकारियों को आर्थिक क्षेत्र की घटनाओं की सामान्यतः तथा वैश्विक तथा मौद्रिक क्षेत्रों की घटनाओं को विशेष रूप में सूचना देता रहे। केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक को समय-समय पर विभिन्न आर्थिक एवं वैश्विक समस्याओं के बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श देना होता है, तथा उनकी कुछ आर्थिक तथा वैश्विक नीतियों के निर्धारण में सामान्यतः सहायता भी देनी होती है। इसके लिये आवश्यक होता है कि लगातार तथा विस्तृत रूप में आर्थिक, वैश्विक तथा बैंकिंग आकड़ों को एकत्र तथा समग्र किया जाय, मौद्रिक तथा संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाय तथा देश तथा विदेश की प्रवृत्तियों तथा घटनाओं पर सामान्यतः दृष्टि रखी जाय; तथा यह सब अनुसंधान विभाग के सामान्य कार्य का अंग है। यह विभाग अपने कुछ अनुसंधान कार्य के

नतीजों को बैंक की मासिक समाचार पत्रिका (Bulletin) द्वारा जनता तक पहुँचाता है तथा अनेक सरकारी रिपोर्टें भी प्रकाशित करता है, जैसे मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति तथा प्रगति पर रिपोर्ट, बैंक की क्रियाओं पर केन्द्रीय बोर्ड के संचालकों की रिपोर्ट तथा भारत के बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारिणियाँ (ग्यारहवाँ परिच्छेद देखिए)।

यह विभाग बैंक के प्रमुख सलाहकार के सामान्य निर्देशन के अन्तर्गत कार्य करता है, जिसे आर्थिक सलाहकार तथा सांख्यिकीय सलाहकार सहायता देते हैं। आजकल विभाग के पांच खंड हैं, प्रत्येक खंड एक अनुसंधान संचालक के अन्तर्गत है। मुद्रा अनुसंधान के खंड का सम्बन्ध आन्तरिक वित्त से संबंधित समस्याओं के अध्ययन से है जिनके अन्तर्गत मुद्रा तथा द्रव्य सभरण, द्रव्य एवं पूँजी बाजार, बचत तथा राजवित्त (Public Finance) जिसमें कर तथा लोक ऋण भी शामिल हैं, तथा कीमते तथा औद्योगिक उत्पादन आदि विषय आते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य साख नियंत्रण के साधनों के प्रयोग के नीति पक्ष, जैसे बैंक दर इत्यादि का इस खंड में विशेष अध्ययन होता है, यह खंड सामान्य आर्थिक समाचार प्राप्त करने के कार्य (Intelligence Work) को भी देखता है। बैंकिंग अनुसंधान खंड बैंकिंग मासिकी पर अनेक आपरीक्षण (Surveys) करता है जिनका उद्देश्य बैंक को उनकी बैंकिंग तथा साख नीतियों के निर्धारण तथा विवेचनात्मक (Selective) साख नियंत्रण को कार्यान्वित करने में सहायता देना है। इसके अतिरिक्त यह खंड बैंकिंग की समस्याओं पर अनुसंधान करता है तथा बैंकिंग के क्षेत्र में विदेशों में प्रवृत्तियों तथा घटनाओं से तथा विशेषतः मौद्रिक नीतियों में परिवर्तनों से निकट सम्पर्क बनाये रखता है। यह खंड बैंकों के लिये प्रारक्षण आवश्यकताओं में परिवर्तन करने की बैंक की शक्ति को प्रयोग करने के अवसर देने के लिये उत्तरदायी होगा। बैंकिंग क्रियाओं, बैंकिंग विकास तथा औद्योगिक वित्त विभागों के क्षेत्र की समस्याओं के विस्तृत पक्ष के अध्ययन पर यह खंड विशेष ध्यान देता है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त का खंड भारत के अदायगी क्षेत्र सम्बन्धी सांख्यिकी के सग्रह एवं शुद्धिकरण (Refinement) के लिये जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यापार, पूँजी के सौदे, विदेशी विनिमय प्रारक्षण तथा देश के विदेशी देयता एवं परिसंपत्ति में परिवर्तनों के आकड़े भी शामिल हैं, उत्तरदायी है। खंड का मुख्य कार्य बैंक के विनिमय नियंत्रण विभाग से प्राप्त आकड़ों का विधायन (Process) करना तथा उनको आर्थिक विश्लेषण तथा आर्थिक नीति के निर्धारण के लिये उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के (I.B.R.D.) द्वारा निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना है। खंड के कार्य का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र अन्य देशों की आर्थिक स्थिति के निरूपण, विशेषतः भूगतान तुला से संबंधित है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त की बढ़ती हुई किस्मों तथा समस्याओं की सीमा में विस्तार के कारण, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय ऋण तथा विदेशी विनियोग भी

शामिल है, इस खंड के, जिसका नाम पहिले अदायगी रोप खंड था, कार्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। ग्रामीण अर्थ-शास्त्र का खंड कृषि उत्पादन, विपणन तथा कीमतों की प्रवृत्तियों तथा भूमि पट्टा प्रणाली (Land Tenure) एवं भूमि सबंधी कानूनों के बारे में अध्ययन करता है। वह ग्रामीण साख एवं वित्त में सबंधित समस्याओं का भी अध्ययन करता है। इस खंड ने बैंक द्वारा १९५१ में किये गये अखिल भारतीय ग्रामीण वित्त आपरीक्षण से सबंधित कार्य में सक्रिय भाग लिया। उसका सबसे महत्वपूर्ण चालू प्रकार्य ग्रामीण साख आपरीक्षण समिति की सिफारिशों को पूरा करने में प्रगति का निरूपण करने तथा आंकने के लिये आपरीक्षण जारी रखना है। सांख्यिकीय खंड बैंक के प्रकाशनों के लिये आकड़ें सग्रह करने तथा बैंक के आन्तरिक उपयोग तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के उपयोग के लिये उत्पादन तथा कीमतों आदि पर महत्वपूर्ण सामान्य सांख्यिकीय सूचना देने के लिये उत्तरदायी है। यह खंड उत्तम ऋणपत्रों तथा औद्योगिक ऋणपत्रों के मूल्यों तथा औद्योगिक ऋणपत्रों पर लाभ दर सबंधी सूचक अंकों (Index Numbers) की शृंखला प्रकाशित करता है। वह अन्य खंडों द्वारा किये गये आपरीक्षणों में विशेषतः उनमें जो नमूने लेने (Sampling) तथा अन्य तांत्रिक कार्य से संबंधित हों, भाग लेता है। कर्पणियों के खातों का विश्लेषण इस खंड का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यह खंड समय-समय पर विशेष अध्ययनों का आयोजन भी करता है।

बैंक का आन्तरिक संघटन

बैंक का वर्तमान आन्तरिक संघटन बैंक के कार्यों के आकार तथा प्रसीमा में उसकी स्थापना के समय से, तथा विशेषतः पिछले लगभग दस वर्षों में, निश्चित प्रसार ढाँचे का भी विस्तार करना पड़ा। युद्ध के पश्चात् बैंक के कार्यों में विस्तार का कुछ अनुमान बैंक में नौकरी करनेवाले व्यक्तियों की संख्या से लग सकता है; यह संख्या ३० जून १९३९ को २,५७४ थी तथा ३१ मई १९५८ तक बढ़ कर ८,७८३ हो गई। पर्याप्त समन्वय के साथ प्रकार्यों की विशेषज्ञता (Specialization) बैंक के आन्तरिक संघटन का मुख्य पहलू है। यह पहिले ही बताया जा चुका है कि बैंक के नोट प्रचालन तथा सामान्य बैंकिंग व्यापार सबधी प्राथमिक प्रकार्य दो अलग अलग विभागों - बैंकिंग तथा प्रचालन विभाग, द्वारा होते हैं। बैंकिंग तथा प्रचालन विभाग, 'स्थानीय' कार्यालयों/बैंक की शाखाओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। बैंकों के निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, बैंकिंग तथा साख सुविधाओं के विस्तार, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार से संबंधित नीतियों के निर्धारण, विनिमय नियंत्रण तथा आर्थिक एव वैक्तिक मामले पर सरकार को परामर्श देने आदि के बैंक के प्रकार्य मुख्यतः उसके बम्बई में स्थित मुख्यालय (Head Quarter) अथवा केन्द्रीय कार्यालय में पूरे किये जाते हैं। केन्द्रीय कार्यालय में अब दस कार्यालय/विभाग हैं। वे इस प्रकार हैं :-

१. सचिव का कार्यालय,
२. मुख्य लेखा-अधिकारी का कार्यालय,
३. निरीक्षण विभाग,
४. कानून विभाग,
५. कृषि साख विभाग,
६. बैंकिंग क्रियाओं का विभाग,
७. बैंकिंग विकास विभाग,
८. औद्योगिक वित्त विभाग,
९. विनिमय नियंत्रण विभाग तथा

१०. अनुसंधान एवं सांख्यिकीय विभाग (संगठनात्मक मानचित्र देखिये)। बैंक के संगठन के इस अत्यधिक विस्तार ने बैंक के गौण (Secondary) अथवा विकासनात्मक प्रकार्यों को, विशेषतः बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में, आदि विधान के अन्तर्गत उसे सौंपे हुए प्रारम्भिक अथवा परम्परा प्राप्त तथा निबल नियमात्मक कार्यों से, अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।

बैंक के कार्यालय* तथा शाखाएं

बैंकिंग तथा प्रचालन विभाग बैंक की प्रमुख कर्मात्मक इकाइया है, पहिले इनके संघटनात्मक ढांचे का विवरण देना उचित होगा। जैसा कि पहिले कहा जा चुका है बैंक के बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, नागपुर तथा नई दिल्ली में स्थानीय कार्यालय/शाखाएं हैं। प्रत्येक कार्यालय/शाखा में बैंकिंग तथा प्रचालन विभाग है। बैंकिंग विभाग मैनेजर के अन्तर्गत है, तथा यद्यपि प्रचालन विभाग सीधे मुद्रा अधिकारी के अन्तर्गत कार्य करता है, समस्त कार्यालय मैनेजर के सामान्य रक्षण के अन्तर्गत है। विनिमय नियंत्रण विभाग, बैंकिंग क्रियाओं के विभाग तथा कृषि साख विभाग की शाखाएं तथा कलकत्ता का अनुसंधान विभाग भी बैंकिंग विभाग से सम्मिलित हैं। बम्बई के मुख्यालय में यह विभाग केन्द्रीय कार्यालय का अंग है। अन्य केन्द्रों में, यद्यपि ये कार्यालय पृथक अधिकारियों के, जो अपने संबंधित केन्द्रीय कार्यालय विभागों से निर्देश प्राप्त करते हैं, अन्तर्गत हैं, तथापि वे मैनेजर के प्रशासनिक रक्षण में हैं।

बैंक ने अप्रैल १९३६ में लन्दन में भारत के उच्च आयोग (High Commission) का खाता रखने, तथा भारत सरकार के लन्दन में भुगतान होने वाले रुपये के ऋण के प्रबन्ध के लिये लन्दन में एक कार्यालय स्थापित किया।

बैंकिंग विभाग

बैंक के बैंकिंग विभाग को बैंक के सरकार तथा अन्य बैंकों के बैंकर के रूप में कर्तव्यों के अन्तर्गत होनेवाले सौदों के लिये उत्तरदायी बनाया गया है। जैसा बताया जा चुका है बैंक के बैंकिंग विभाग के सात कार्यालय हैं तथा प्रत्येक कार्यालय एक मैनेजर के आधीन है। इसके अतिरिक्त एक कार्यालय लखनऊ में भी खोला गया है जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रचालित हानिपूरक बांडों (Compensation Bonds) से संबंधित कार्यों को देखना है। बैंकिंग विभाग चार विभागों

* बैंक के 'कार्यालय' तथा 'शाखा' शब्दों में अंतर है। चार केन्द्र — बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली, जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की प्रथम सूची में दिये हुए विभिन्न क्षेत्रों के मुख्य स्थानों पर हैं तथा जहाँ स्थानीय बोर्ड स्थापित हैं, कार्यालय कहलाते हैं, शेष केन्द्रों को शाखाएँ कहा जाता है।

में पुन विभाजित है—लोक खाते विभाग, लोक-ऋण कार्यालय (कानपुर तथा नागपुर के अतिरिक्त), जमा खाते विभाग तथा ऋणपत्र विभाग (कानपुर तथा नागपुर के अतिरिक्त)। बम्बई के कार्यालय ने चादी के आयात तथा सरकार के लिये सोने चादी की बिक्री को लाइसेंस देने से संबंधित कार्य भी बैंकिंग विभाग में ही होते हैं।

लोक खाते

लोक खाते विभाग केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा विभिन्न सरकारी विभागों के, जिनमें रेल विभाग भी शामिल है, जमा खातों को रखता तथा उनका क्रियाकरण करता है। वह उनके स्थान पर रुपया स्वीकार तथा वितरित करता है तथा उनके विनिमय एवं प्रेषण सौदे पूरे करता है।

लोक ऋण

केन्द्रीय सरकार के लोक ऋण का प्रबन्ध करना रिजर्व बैंक का परिणियत उत्तरदायित्व है। राज्य सरकारों के लोक ऋण का प्रबन्ध भी उनके साथ किये गये समझौते के अनुसार बैंक ही करता है। नये ऋणों की अवधि एवं शर्तों, प्रचालन की रकम, तिथि तथा रीति इत्यादि से संबंधित नीति के मामलों तथा विभिन्न सरकारों के ऋण चालू करने (Loan Flotations) के समन्वयन को सचिव का कार्यालय देखता है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लोक ऋण के केन्द्रीयकरण तथा समन्वय से संबंधित कार्य तथा नवीन ऋणों के चालू करने के प्रारम्भिक प्रबन्ध केन्द्रीय ऋण भाग के द्वारा, जो बैंक के सचिव के अन्तर्गत कार्य करता है, होते हैं। निपुणता पूर्वक प्रबन्ध करने के उद्देश्य से, कुछ भूतपूर्व "ब" श्रेणी के राज्यों द्वारा चालू किये हुए कुछ ऋणों के अतिरिक्त लोक ऋण से संबंधित वास्तविक व्यवहार का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है तथा उसे बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली में स्थित लोक ऋण कार्यालयों के अधीन कर दिया गया है। मार्च १९५४ में एक लोक ऋण कार्यालय लखनऊ में भी स्थापित किया गया, किन्तु यह कार्यालय केवल उत्तरप्रदेश जमींदारी उन्मूलन के हानिपूर्वक ढाड़ों के प्रबन्ध को ही देखता है। नवम्बर १९५६ में हैदराबाद में भी एक लोक ऋण कार्यालय खोला गया जो भूतपूर्व हैदराबाद सरकार द्वारा अप्रैल १९५३ से पूर्व प्रचालित ऋणों का प्रबन्ध करता है तथा हैदराबाद में जारी किये गये (Bifaced) केन्द्र तथा राज्य सरकार के ऋणों पर ब्याज देता है। सरकारी ऋण पत्रों से संबंधित कानून १९४४ के लोक ऋण एक्ट तथा १९४६ के लोक ऋण नियमों में है तथा सरकारी ऋणों के प्रचालन, परिवर्तन, पुन. जारी करने, ब्याज के भुगतान इत्यादि से संबंधित विधियाँ (Procedure) केन्द्रीय सरकार के अधिकार के अन्तर्गत जारी की गई सरकारी ऋणपत्रों की पुस्तिका में दी हुई है।

लोक ऋण कार्यालय के मुख्य प्रकार्यों में सरकारी ऋण की किराँतें लेना तथा ऋण प्रमाणपत्रों (Scrips) का जारी करना सरकारी ऋणपत्रों पर अर्ध-वर्षीय ब्याज का भुगतान करना, ब्याज के भुगतान के लिये राज्य कोषों अथवा उप-राज्य कोषों इत्यादि में ऋणपत्रों को पेश करना, विभिन्न प्रकार के सरकारी ऋणपत्रों को पुनः जारी करना, उनका परिवर्तन, एकीकरण, तथा विभाजन, अवधि पूर्ण होनेवाले ऋणों का भुगतान, ऋणपत्रों से संबंधित अनिश्चित स्वत्वों की जाँच करना, तथा खोये हुए, चोरी गये अथवा नष्ट हुए ऋण प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियों का जारी करना शामिल है। यह विभाग अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले राज्य कोषों के सरकारी ऋण से संबंधित कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है तथा राज्य कोषों द्वारा किये गये ब्याज के भुगतान का अन्वेषण करता है।

वर्तमान समय में लोक ऋण कार्यालय द्वारा प्रचालित सरकारी ऋणपत्रों के दो रूप हैं—स्वन्ध प्रमाण पत्र (Stock Certificates) तथा रक्के (Promissory Notes)। किसी ऋण के रक्के स्वन्ध प्रमाण पत्रों में बदले जा सकते हैं अथवा स्वन्ध-प्रमाण पत्र रक्कों में बदले जा सकते हैं। स्वन्ध प्रमाणपत्रों पर ब्याज लोक ऋण कार्यालय द्वारा प्रचालित अधिपत्रों (Warrants) के द्वारा होता है, स्वन्ध प्रमाणपत्रों को पेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किन्तु रक्कों पर ब्याज के अधिपत्रों के प्रचालन के लिये यह आवश्यक है कि स्वयं रक्कों को लोक ऋण कार्यालय में पेश किया जाय।

निर्धारित शर्तों के अधीन बड़े मस्थानात्मक विनियोजक जैसे अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा वीमा कर्पनिया लोक ऋण कार्यालय के सहायक सामान्य लेखा खातों (Subsidiary General Ledger Accounts) में सरकारी ऋणपत्रों को रख सकते हैं। यह विशेष सुविधा मस्थानात्मक मधारकों (Holders) तथा बैंक दोनों की आसानी के लिये चलाई गई है तथा बैंक में जमा किये हुए ऋणपत्रों के लिये लगभग 'चालू खाते' के समान काम में आती है। इसके कारण किसी एक लोक ऋण कार्यालय में एक सहायक सामान्य प्रपत्ती खाते से दूसरे में तथा दो पृथक कार्यालयों द्वारा रखे गये खातों में पुस्तक प्रविष्टियों द्वारा ऋणपत्रों का प्रेषण करना संभव होता है, तथा इस प्रकार स्थान परिवर्तन में हानि होने का खतरा बच जाता है। स्वन्ध प्रमाण पत्रों की तरह उन पर ब्याज का भुगतान लोक ऋण कार्यालय द्वारा जारी किये गये अधिपत्रों द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त बैंक केन्द्रीय सरकार के लिये, लघु बचत योजना के अंश के रूप में, दस वर्षीय राज्य कोष वचन जमा-प्रमाणपत्रों तथा पंद्रह वर्षीय वार्षिक-वृत्ति (Annuity) प्रमाण पत्रों का प्रचालन करता है।

औद्योगिक वित्त निगम एक्ट, १९४८ की धारा २१ के अन्तर्गत प्रचालित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बाडों के प्रबन्ध से संबंधित कार्य भी लोक ऋण कार्यालय को सौंपा गया है। इन बाडों से संबंधित प्रचालन, प्रेषण, पुनः जारी करने, ब्याज के

भुगतान आदि की विधियाँ औद्योगिक वित्त निगम (बाडों के प्रचालन) अधिनियमों, १९४९, में दी हुई हैं।

जमा खाते

जमा खाता विभाग बैंक के आन्तरिक खाते, अनुसूचित बैंकों के परिणियत आधिक्य (Balances) तथा अन-अनुसूचित तथा सहकारी बैंकों के जमा रखता है। वह कुछ सार्वजनिक संस्थाओं जैसे वैक्तिक निगमों, विदेशी केन्द्रीय बैंकों तथा अन्त-राष्ट्रीय संस्थाओं के चालू खाते भी रखता है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की धारा १७ (१३) के अनुसार, बैंक आज कल अनेक विदेशी केन्द्रीय बैंकों तथा दो अन्तर्राष्ट्रीय वैक्तिक संस्थाओं — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण एव विकास के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक को रुपये के चालू खाते की सुविधायें प्रदान करता है।

यह विभाग अनुसूचित तथा राज्य सहकारी बैंकों तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वैक्तिक निगमों के ग्राह्य बिलों का पुनर्भजन करता है तथा उन्हें ऋण तथा अग्रिम प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, बैंक के धन के प्रेषणा की योजना के अंतर्गत वह बैंक ड्राफ्ट जारी करके तथा डाक तथा तार द्वारा प्रेषणा करके केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, बैंकों, देशी बैंकों तथा जनता के लिये निधियों का प्रेषण करता है। बैंक के लन्दन कार्यालय में भुगतान होनेवाले स्टॉक के ड्राफ्ट तथा डाक और तार द्वारा प्रेषणा केवल सरकारी विभागों को ही मिलती है। यह विभाग स्टॉक के क्रय विक्रय राज्य कोष-पत्रों के निविदों (Tenders) से संबंधित कार्य के कुछ भाग को भी देखता है।

क्रमानुसार बैंकिंग क्रियाओं के विभाग के केन्द्रीय कार्यालयों तथा बम्बई में स्थित कृषि साख विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य निर्देशनों के अंतर्गत जमा खाते विभाग अनुसूचित तथा राज्य सहकारी बैंकों को आधिक निभाव प्रदान करता है।

इन प्रशासनिक प्रकार्यों के अतिरिक्त जमा खाते विभाग विभिन्न केन्द्रों के समाशोधन-गृहों (Clearing Houses) के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करता है। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व भारत के प्रमुख केन्द्रों जैसे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास, के समाशोधन-गृहों के सदस्य इस उद्देश्य से इपीरियल बैंक आफ इंडिया के स्थानीय कार्यालयों में रखे गये खातों द्वारा अपने समाशोधन अन्तर तय करते थे। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्थापना तथा एक्ट की धारा ४२ के अनुसार अनुसूचित बैंकों द्वारा बैंक में परिणियत खाते खोले जाने के साथ, यह प्रबन्ध किया गया कि ऊपर दिये केन्द्रों में समाशोधन-गृहों के सदस्य अपने समाशोधन अन्तर रिजर्व बैंक में अपने खातों पर चेक लिख कर तय करे। यद्यपि एक्ट की धारा ५८ (२) (त) के अंतर्गत रिजर्व बैंक को समाशोधन गृहों के नियमन के लिये अधिनियम बनाने का अधिकार है,

बैंक ने अभी तक अधिनियम बनाने की आवश्यकता नहीं समझी तथा समाशोधन-गृह अभी तक अपना पिछला हस्तक्षेप रहित (Autonomous) लक्षण बनाये हुए हैं। किन्तु बैंक ने अधिकतर केन्द्रों में जहाँ उसके कार्यालय अथवा शाखाएँ हैं, समाशोधन के कार्य का पर्यवेक्षण करना स्वीकार किया है। आज कल वह बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, नागपुर तथा नई दिल्ली के समाशोधन-गृहों के अधिकार का संचालन कर रहा है।

ऋणपत्र

ऋणपत्र विभाग मुख्यतः बैंक के पास अपनी अधिकारीय स्थिति में सरकारी अधिकारियों द्वारा तथा स्थानीय सत्ताओं द्वारा जमा किये गये ऋणपत्रों के क्रय, विक्रय तथा सुरक्षित रखने का कार्य करता है। सरकारी अधिकारियों से प्राप्त ऋणपत्रों में न्यास (Trust) निधियाँ, न्यायालयों के प्रबन्ध के अन्तर्गत नाबालिगों की जायदादें तथा ठेकेदारों की जमा तथा स्थानीय सत्ताओं से प्राप्त ऋणपत्रों में उनके प्रावधाय निधि (Provident Fund) सग्रहों तथा अन्य निधियों जैसे दान-न्यासों से संबन्धित स्वयं उनके निवेश शामिल हैं। ऋणपत्रों का क्रय विक्रय अनुमति प्राप्त अनुसूचित दलालों द्वारा होता है। यह विभाग बैंक द्वारा प्रचालन तथा बैंकिंग विभागों के लिये सधारण किये ऋणपत्रों, बीमा कंपनियों तथा भारत में कार्य कर रही विदेशी बैंकिंग कम्पनियों द्वारा परिचालित जमा के रूप में रखे गये ऋणपत्रों तथा बैंकों द्वारा ऋण के आवरण के तथा बैंक की गारन्टी योजना के अन्तर्गत गारन्टियों के रूप में तथा वैतिक निगमों द्वारा ऋण के आवरण के रूप में जमा किये हुए ऋणपत्रों को भी सुरक्षित रखने के लिये स्वीकार करता है। इन ऋणपत्रों पर ब्याज सग्रह किया जाता है तथा संबन्धित सधारकों के पास भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वह रिजर्व बैंक में खाते रखनेवाले विदेशी केन्द्रीय बैंकों के राज्य कोष-पत्रों का पुनर्भजन करता है तथा ऋणपत्रों का क्रय विक्रय करता है।

प्रचालन विभाग

जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है नोट प्रचालन के व्यवसाय के कुशल प्रबन्ध (अर्थात् नासिक में स्थित इंडियन सिक्वोरिटी प्रेम से नोटों को प्राप्त करने तथा उनका राज्य कोषों, उप-राज्य कोषों तथा बैंक के नकदी तिजोरिया रखनेवाले अभिकर्ताओं में वितरण करने तथा तिजोरियों से पुराने तथा बेकार नोटों को हटाने तथा उचित समय में परीक्षण के पश्चात् उन्हें नष्ट करने इत्यादि) के लिये भारत सच को प्रचालन के सात क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रचालन विभाग की प्रत्येक शाखा दो पृथक विभागों सामान्य विभाग तथा नकदी विभाग, में बँटी हुई है। सामान्य विभाग साधन (Resource) क्रियाओं, अर्थात्, इंडियन सिक्वोरिटी प्रेम से नोटों

के संभरण का प्रवन्ध करने, उनको नकदी तिजोरियों में भेजने, प्रचालन विभाग की परिसंपत्ति तथा संचालन (Circulation) खातों के रखने, को देखता है। नकदी विभाग नकद सौदों तथा बैंक तथा नकदी तिजोरियों के बीच वास्तविक प्रेषण को सम्हालता है। नकदी विभाग एक कोषाध्यक्ष के अधीन रहता है। अधिकतर कार्यालयों में जहाँ प्रचालन तथा बैंकिंग विभाग एक ही इमारत में स्थित हैं, दोनों विभागों के लिये एक ही कोषाध्यक्ष होता है। प्रचालन-कार्य के अतिरिक्त, नकदी विभाग सरकार तथा बैंकों द्वारा लिखे बैंक पर लिखे चेकों को भुनाता है तथा उनसे जमा भी स्वीकार करता है।

सामान्य विभाग कई भागों में बँटा हुआ है। उदाहरण के लिये पजीयन शाखा ऊँचे मूल्य के नोटों के प्रचालन के रजिस्टर रखती है तथा इन रजिस्ट्रो में नोटों के रद्द होने का हिसाब लिखती है। रद्द किये नोटों के सत्यापन (Verification) की शाखा भुगतान तथा रद्द किये नोटों* को ले लेती है, उनकी मूल्य तथा गुण सम्बन्धी जाँच करती है तथा सत्यापन के अधिपत्र जारी करती है। स्वत्व शाखा (Claims Branch) बैंक के नोटों के प्रत्यर्पण (Refund) के अधिनियमों के अनुसार खोये, चुराये गये, खराब हुए, बदले हुए तथा अन्य दोषपूर्ण नोटों के भुगतान के लिये दिये गये प्रार्थना पत्रों को तथा जाली तथा स्वत्व रहित (Unclaimed) नोटों के मामले को भी देखती है। साधन शाखा (Resource Branch) नकदी तिजोरियों के कलाविन्यास द्वारा विभिन्न केंद्रों में मुद्रा के संभरण का तथा सामान्य आवश्यकताओं से अधिक मुद्रा को हटाने का प्रवन्ध करती है। वह कम मूल्य के सिक्कों के गोदामों (Depots) के खाते भी रखती है।

केन्द्रीय कार्यालय विभाग

अब हम बम्बई में स्थित केन्द्रीय कार्यालय के संस्थानात्मक ढाँचे को ले सकते हैं। जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है, केन्द्रीय कार्यालय में दस कार्यालय/विभाग हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई को सौंपे हुए कार्य का संक्षेप में नीचे वर्णन दिया जाता है।

सचिव का कार्यालय

सचिव का कार्यालय सामान्यतः बैंक की नीति को प्रभावित करनेवाले विभिन्न मामलों से संपर्क रखता है। वह विशेषतः बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के ऋण तथा राज्य कोष पत्रों से संबंधित सामान्य मामलों,

* अर्थात् वे नोट जो पुराने तथा मँले होने के कारण और अधिक चलन के लिये अनुपयुक्त होते हैं तथा जिन्हें नकदी विभाग रद्द कर देता है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को अल्पकालीन अग्रिम मंजूर करने, सरकारों की अतिरिक्त रकमों के विनियोजन से संबंधित मामलों, तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण एवं विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में रिज़र्व बैंक के व्यवहारों से संबंधित कार्यों को देखता है। वह जनता से प्राप्त किये जानेवाले ऋण के सम्बन्ध में स्थानीय सत्तारो, नगरपालक निगमों इत्यादि को परामर्श देता है। उसके अन्य प्रकार्य केन्द्रीय बोर्ड तथा उसकी समितियों की सभाओं से संबंधित सचिवादि कार्य तथा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से उनके शेष धन तथा ऋण क्रियाओं की नीति से संबंधित मामलों पर पत्र-व्यवहार है। केन्द्रीय ऋण अनुभाग भी जिसके कार्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के ऋणों को चालू करना, लोक ऋण का प्रबन्ध तथा बैंक के लोक ऋण कार्यालयों का पर्यवेक्षण है, सचिव के अधीन कार्य करता है।

मुख्य लेखा अधिकारी का कार्यालय

मुख्य लेखा अधिकारी का कार्यालय प्रधानतः प्रचालन तथा वैकिंग विभागों में बैंक के खातों को सही रखने तथा उनके पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायी है तथा साथ ही बैंक का प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय है। वह बैंक के विभिन्न कार्यालयों तथा विभागों के व्यय पर संचालन रखता है। यह कार्यालय के कर्मचारियों की भर्तियाँ तथा उनकी सेवाओं की शर्तों को निश्चित करने तथा कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित सामान्यतः सभी मामलों के लिये उत्तरदायी है। इन सब मामलों पर बैंक के समस्त कार्यालयों तथा विभागों को समय-समय पर निर्देश दिये जाते हैं। मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय के कुछ लेखा सम्बन्धी प्रकार्य बैंक के कलकत्ता स्थित वैकिंग विभाग से उपयोजित केन्द्रीय लेखा भाग द्वारा किये जाते हैं। केन्द्रीय लेखा भाग केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा रेलों के प्रमुख खातों रखता है, सरकार को अल्पकालीन अग्रिम प्रदान करने तथा उसे वसूल करने तथा आधिक्य निधियों के विनियोजन को देखता है तथा बैंक की प्रेषणा सुविधाओं की योजना संचालन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

निरीक्षण विभाग

निरीक्षण विभाग, जिसके प्रकार्य बैंक के निरीक्षक के अन्तर्गत किये जाते हैं, बैंक के विभिन्न कार्यालयों तथा विभागों का नियत समय पर आन्तरिक निरीक्षण करता है तथा इन कार्यालयों में सामान्यतः चल रहे कार्य के बारे में मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय को रिपोर्ट देता है। निरीक्षण विभाग के अतिरिक्त एक केन्द्रीय अन्वेषण भाग भी है जिसे बैंक के खातों के विस्तृत अन्वेषण का कार्य सौंपा गया है। इन प्रबंधों का उद्देश्य यह देखना है कि ये कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित सही प्रशासनिक विधियों का अनुसरण करें।

कानून विभाग

पिछले वर्षों में बैंक के उत्तरदायित्व बढ़ने के कारण १९५१ में एक प्रभारी अधिकारी के नियंत्रण में कानून विभाग की स्थापना आवश्यक हुई। कानून विभाग का मुख्य प्रकार्य बैंक के विभिन्न विभागों को कानूनी मामलों, मुख्यतः रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, विदेशी विनियम नियमन एक्ट, लोक ऋण एक्ट तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा बैंकों से संबंधित किसी अन्य विधान की व्याख्या तथा प्रयोग पर परामर्श देना है। कानून विभाग को एक तो बैंक से संबंधित मामलों पर विधान तथा वैधानिक गशोधनों के विकर्षण (Drafting) का तथा साथ ही अधरिक्त विधान (Subordinate Legislation) जैसे नियम, परिनियम, तथा वैधानिक सूचनाओं तथा ऊपर लिखे एक्टों के अन्तर्गत दी गई आज्ञाओं के विकर्षण का कार्य भी सौंपा गया है।

विनियम नियंत्रण विभाग

विनियम नियंत्रण विभाग मितम्बर १९३९ में द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ होने के पश्चात् स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य विनियम, सोना चादी तथा ऋण पत्रों में विदेशी सौदों के नियंत्रण में संबंधित कार्य को, जिसे केन्द्रीय सरकार ने भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक को सौंपा था, देखना था। उसके बाद सम्बन्धित प्रावधानों को विदेशी विनियमन नियमन एक्ट, १९४७ के द्वारा परिनियत रूप दे दिया गया। रिज़र्व बैंक आफ इंडिया तथा भारत में विनियम नियंत्रण के सामान्य प्रबन्धको को इस एक्ट के अन्तर्गत मिले अधिकारों का निरूपण आठवे परिच्छेद में किया गया है। बैंक का प्रबन्धक नियंत्रणकर्ता (Controller) है तथा उसे उप-नियंत्रण कर्ता, जो बम्बई में स्थित इस विभाग के केन्द्रीय कार्यालय का प्रभारी अधिकारी है (Officer-in-Charge) सहायता देना है। इस विभाग के बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास तथा नई दिल्ली में शाखा-कार्यालय हैं।

बैंकिंग विकास का विभाग

बैंकिंग विकास विभाग की स्थापना १९५० में हुई। उसका मुख्य उद्देश्य अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार तथा ग्रामीण वित्त की समस्याओं पर एकाग्र रूप में ध्यान देना था। इस विभाग की स्थापना ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति १९५० की सिफारिशों के पश्चात् हुई। इस समिति ने ग्रामीण वित्त को प्रोत्साहन देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक तथा इपीरियल बैंक आफ इंडिया के कार्य क्षेत्र को विस्तृत करने के कुछ सुझाव दिये थे। यह विभाग स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा

स्टेट बैंक आफ हैदराबाद से निकट एव अति-परिचित संपर्क रखता है तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया एक्ट १९५५, तथा स्टेट बैंक आफ हैदराबाद एक्ट, १९५६ के प्रशासन से संबंधित समस्त मामलो को, जिनका भारत सरकार अथवा रिज़र्व बैंक से संबंध है, देखता है। यह विभाग अनेक प्रश्नों, जैसे, कम दरों पर प्रेषणा—सुविधाओं के विस्तार, नोटों तथा सिक्कों के विनिमय की उत्तम सुविधाओं की उपलब्धि, राज्य कोषों तथा उप-राज्य कोषों में मुधार तथा व्यापारी बैंकों के, विशेषतः अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, विस्तार के मार्ग में रुकावटों को सामान्यतः दूर करने आदि प्रश्नों पर लगातार ध्यान देता है। वह भूतपूर्व “ब” श्रेणी के राज्यों के बैंकिंग तथा राज्य कोष प्रबन्धों को वाकी देश के प्रबन्धों के साथ समग्र करने के सभी महत्वपूर्ण मामलो को तथा बड़े राज्य सहायक बैंकों के भविष्य के ढाँचे से, तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा छोटे राज्य-सहायक बैंकों की इच्छा से उनके व्यापार को हस्तगत करने से संबंधित समस्त मामलो को देखता है। यह विभाग रिज़र्व बैंक तथा लघु बचत आंदोलन के बीच संबंध स्थापित करता है तथा विभाग का मुख्य अधिकारी भारत सरकार की लघु बचत योजना से संबंधित विभिन्न मामलो को समन्वयित करने तथा निर्णय लेने के लिये सरकार द्वारा स्थापित लघु योजना बोर्ड के सदस्य के रूप में बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी क्रियाओं में भंडागारों के सम्बन्ध में व्यापारिक बैंकों के योग तथा व्यापारिक बैंकों के कर्मचारियों के व्यवहारिक बैंकिंग में प्रशिक्षण की सुविधाओं की उपलब्धि से संबंधित रिज़र्व बैंक के कार्यों में समन्वय करना भी शामिल है। इस विभाग का कार्य तीन खंडों में बाँटा गया है—बैंकिंग विस्तार खंड, प्रशासनिक तथा सामान्य खंड तथा योजना एव विस्तार खंड।

औद्योगिक वित्त विभाग

औद्योगिक वित्त की समस्याएँ तथा मध्यम एव लघु उद्योगों के लिये वित्त प्रबन्धन, जिनका सातवें परिच्छेद में जिक्र किया जा चुका है, तथा साथ ही राज्य वैज्ञानिक निगमों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण बैंकिंग विकास विभाग के कार्य क्षेत्र के अंग थे, परन्तु इस विभाग के कार्य की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण सितम्बर १९५७ में औद्योगिक वित्त विभाग नामक नये विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग को औद्योगिक वित्त से संबंधित समस्त विषय सौंपे गये हैं जिनमें राज्य वैज्ञानिक निगमों की क्रियाएँ भी शामिल हैं। यह विभाग उद्योगों के पुनः-वित्त प्रबन्ध निगम प्राइवेट लिमिटेड (Refinance Corporation for Industry Private Limited) के, जिसकी स्थापना चुने हुए अनुसूचित बैंकों के द्वारा वैज्ञानिक क्षेत्र में मध्यम आकार के उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से हुई थी, कार्यों को भी देखता है।

कृषि साख विभाग

कृषि साख विभाग की स्थापना अप्रैल १९३५ में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट धारा ५४ के प्रावधानों के अनुसार हुई। उसके आदि परिणियत प्रकार्य कृषि साख से संबंधित प्रश्नों के अध्ययन के लिये विशेषज्ञ कर्मचारियों को रखना तथा कृषि साख के क्षेत्र में बैंक की क्रियाओं का राज्य सहकारी बैंको तथा कृषि साख के प्रदाय में लगी अन्य सस्याओं की क्रियाओं के साथ समन्वय कराना था। ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में बैंक की क्रियाओं के लगातार विस्तार के साथ साथ, जिसका विवरण छोटे परिच्छेद में दिया हुआ है, कृषि उपज (विकास तथा भंडागार) निगम एक्ट, १९५६ के बनने के समय से यह विभाग कृषि उपज के विधायन तथा विपणन को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भंडागारों के देशव्यापी समूहन की स्थापना के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सहयोग भी दे रहा है। अभी विभाग का कार्य चार खंडों में संगठित किया गया है, अर्थात् (i) वित्त एवं निरीक्षण, (ii) आयोजन तथा पुनर्मगठन, (iii) सहकारी प्रशिक्षण एवं प्रकाशन तथा (iv) हाथ करघा वित्त प्रबन्धन, प्रत्येक खंड एक उप-मुख्य अधिकारी के अन्तर्गत है। क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली में भी स्थापित किये गये हैं।

बैंकिंग क्रियाओं का विभाग

बैंकिंग क्रियाओं के विभाग का मुख्य प्रकार्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली का पर्यवेक्षण है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट, १९४९ के अन्तर्गत तथा रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक को समस्त बैंकों के ऊपर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अति विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। इस विभाग के द्वारा बैंक व्यापारिक बैंकों के कार्यों पर समीप से चौकसी रखता है। उसके कर्तव्यों में बैंकों के बैंकिंग व्यापार को प्रारंभ करने तथा जारी रखने के लिये अथवा नये कार्यालय खोलने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये प्रार्थनापत्रों का परीक्षण, भारत सरकार द्वारा आये पूजा के प्रचालन के लिये बैंकों के प्रार्थना पत्रों को निपटाना तथा नियत समय पर बैंकों का निरीक्षण शामिल है। यह विभाग बैंकों के ऋण के लिये प्रार्थना पत्रों को भी देखता है तथा बैंकिंग तथा बैंकिंग मामलों पर बैंकों तथा सरकारों को परामर्श देता है। इस विभाग के शाखा कार्यालय कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली तथा त्रिवेन्द्रम में हैं।

अनुसंधान एवं सांख्यिकी विभाग

जैसा कि पिछले परिच्छेद में समझाया गया है, अनुसंधान एवं सांख्यिकी विभाग का मुख्य प्रकार्य बैंक को उसकी नीति निर्धारित करने में तथा आर्थिक एवं बैंकिंग मामलों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने के उसके प्रकार्य में सहायता

देना है। इस कार्य के लिये यह विभाग भारत तथा विदेशों की चालू आर्थिक एवं वित्तीय घटनाओं से निकट संपर्क रखता है। यह विभाग पांच खंडों में बँटा हुआ है— मौद्रिक अनुसंधान, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त, बैंकिंग अनुसंधान, ग्रामीण अर्थ-शास्त्र तथा सांख्यिकी खंड।

साप्ताहिक आवेदन, तुलन-पत्र (Balance Sheet) तथा प्रकाशन

बैंकरो के बैंक, सरकार के बैंकर तथा देश के विनिमय प्राधिकारी के रूप में रिजर्व बैंक की क्रियायें बैंक के साप्ताहिक खातों के आवेदन तथा वार्षिक तुलन-पत्र विवरण में प्रदर्शित होती हैं। एक्ट की धारा ५३ के अनुसार, बैंक के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रति शुक्रवार तक का प्रचालन तथा बैंकिंग विभाग का साप्ताहिक लेखा निश्चित रूप में तैयार करे तथा उसे केन्द्रीय सरकार के पास भेजे; यह साप्ताहिक आवेदन अथवा तुलन-पत्र केन्द्रीय बोर्ड की समिति की साप्ताहिक सभा के पश्चात्, जो साधारणतया बुधवार को होती है, प्रकाशित किया जाता है। बैंक का वार्षिक तुलन-पत्र भी उसी रूप में प्रकाशित होता है जिस रूप में साप्ताहिक आवेदन होता है, केवल हानिलाभ खाते का आवेदन उसके अतिरिक्त होता है। बैंक का लेखा-वर्ष १ जुलाई से ३० जून तक चलता है।

बैंक के साप्ताहिक आवेदन तथा अनुसूचित बैंकों की सपिडित स्थिति के साप्ताहिक आवेदन, जिनको भी बैंक ही जारी करता है, द्रव्य प्रदाय में गति, बैंक साख, सरकार की बचत संबंधी क्रियाओं तथा अदायगी क्षेत्र में प्रदर्शित अर्थ-व्यवस्था की वित्तिक प्रवृत्तियों का, संक्षेप रूप में, सामान्यतः आलेखन (Portray) करते हैं। दर्शनार्थ आवेदन जिनमें तीन तिथियों की संख्याएँ एकत्रित हैं तथा १०४, १०५, १११, ११२ पृष्ठों पर दिये हुए हैं। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आवेदनो के विभिन्न मद पहिले नीचे समझाये गये हैं तथा इसके पश्चात् संख्याओं में विभिन्नता की व्याख्या दी गई है। इसीप्रकार अनुसूचित बैंकों के साप्ताहिक आवेदन के विभिन्न मदो तथा अकों में विभिन्नता को समझाया गया है।

रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आवेदन

प्रचालन विभाग — देयता

पहिले प्रचालन विभाग को देखने से यह पता चलेगा कि देयता में दो प्रकार के मद हैं—बैंकिंग विभाग के पास नोट तथा संचालन में नोट। यह दोनों मिल कर कुल प्रचालित नोटो के बराबर होते हैं।

जहाँ तक प्रचालन विभाग का सम्बन्ध है, कुल प्रचालित नोट, जो इस विभाग के देयता होते हैं, महत्वपूर्ण हैं। बैंकिंग विभाग के पास के नोट बैंकिंग विभाग की सुरक्षा की मुद्रा-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बैंक की नकद राशि के अंग होते हैं। सचलन के नोटों में रिज़र्व बैंक के बाहर के नोट, अर्थात् देश के अन्दर जनता, बैंको, राज्यकोषों इत्यादि के पास के नोट तथा साथ ही देश के बाहर के नोट विशेषतः फारस की खाड़ी के क्षेत्र के, जहाँ कुछ शेखों (Sheikhdoms) के राज्यों में भारतीय रूपया विधिग्राह्य (Legal Tender) मुद्रा की तरह चलता है, शामिल हैं।

प्रचालन विभाग की परिसंपत्ति

प्रचालन विभाग की परिसंपत्ति में सोने के सिक्के, सोना चादी, विदेशी ऋणपत्र, रुपये के सिक्के तथा रुपये के ऋणपत्र शामिल हैं। भारत में भुगतान होनेवाले विनिमय बिल तथा रुकके भी, जो बैंक द्वारा क्रय किये जाने के लिये ग्राह्य हो, परिसंपत्ति के अंग हो सकते हैं। जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है, वर्तमान कानून के अन्तर्गत, सोने तथा विदेशी ऋणपत्रों के न्यूनतम सधारण (Holdings) २०० करोड़ रु. के मूल्य के बराबर निर्धारित किये गये हैं, इनमें से ११५ करोड़ रु. के मूल्य का सोना होना चाहिये। बैंक के सोने के समस्त सधारण, जिनमें धातु तथा गिभिया शामिल हैं, बैंक के लिये प्रचालन विभाग के कार्यालयों में तथा भारत सरकार की टकसाल में जमा रहते हैं। विदेशी ऋणपत्रों में किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के सदस्य देश की मुद्रा में भुगतान होनेवाले ऋणपत्र आते हैं तथा उनमें (१) किसी बैंक के पास जो उस विदेश का प्रमुख मुद्रा अधिकारी हो, अथवा, यदि ऐसा बैंक न हो, तो उस देश में इनकारपोरेटों किसी बैंक के पास प्रचालन विभाग के जमा शेष धन, (२) विनिमय बिल जिन पर दो या उससे अधिक उत्तम हस्ताक्षर हो, उस विदेश के किसी स्थान में लिखे गये तथा भुगतान होनेवाले हों तथा जिनकी परिपाक होने की अवधि नब्बे दिन से अधिक न हो तथा (३) पाँच वर्ष के अन्दर परिपाक होनेवाले उस विदेश के सरकारी ऋणपत्र, शामिल हैं। यद्यपि ऊपर लिखे ऋणपत्रों में विनियोग करने का बैंक को अधिकार है, तथापि अब तक प्रचालन विभाग द्वारा संचारित विदेशी ऋणपत्रों में केवल यू. के. (U.K.) सरकार के अल्पकालीन ऋणपत्र ही शामिल हैं।

प्रचालन विभाग के रुपये के सिक्कों में बैंक के कार्यालयों तथा राज्य-कोष एजेन्सियों सहित उसकी एजेन्सियों में रखी नकदी तिजारियों के कुल रुपये शामिल हैं। जुलाई १९४० से रुपये के सिक्के के सधारणों में मुद्रा अध्यादेश (Ordinance), १९४० (१९४० के न. चार) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रचालित एक रुपये के नोट शामिल हैं। रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा ३६ के अनुसार प्रचालन विभाग में रुपये के सिक्कों की रकम ५० करोड़ रु. अथवा कुल परिसंपत्ति का छठा

रिजर्व बैंक आफ इन्डिया की देयता तथा परिसम्पत्ति

प्रचलन तथा बैंकिंग विभाग सम्मिलित

मार्च के अन्तिम शुक्रवार को


एक लाख रुपये में

देयता



रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देयता का प्रचलन

परिसम्पत्ति



रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परिसम्पत्ति का प्रचलन

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परिसम्पत्ति का प्रचलन

हिस्सा, इनमें जो अधिक हो, रखी जाती है। अधिकता अथवा कमी को विधिग्राह्य (Legal Tender) मूल्य के भुगतान के आमुख (बैंक के नोटों, सोने अथवा ऋणपत्रों के रूप में) केन्द्रीय सरकार को अधिक रकम के दे देने अथवा कमी को उससे प्राप्त कर लेने के द्वारा ठीक कर लिया जाता है। ५ करोड़ रु. से अधिक के स्थानान्तरण संबंधित व्यक्तियों की स्वीकृति से होते हैं। बैंक के पास रुपये के सिक्कों का आवेदन सप्ताह के अन्त में पूरी की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार केवल बैंक के द्वारा ही रुपये के सिक्कों का प्रचालन अथवा संचालन करती है, तथा बैंक भी संचालन अथवा ऊपर दी हुई रीति से सरकार को देने के अतिरिक्त रुपये के सिक्कों को किसी प्रकार इस्तेमाल नहीं करता। इस धारा के कार्यान्वित होने के फलस्वरूप तथा रुपये के सिक्कों के संचालन से वापस होने के कारण प्रचालन विभाग में बैंक द्वारा संचालित रुपये के सिक्कों की मात्रा बराबर बढ़ रही है, ४ अप्रैल १९५८ को यह संख्या १२७.६ करोड़ रु. थी।

रुपये के ऋणपत्रों में राज्य कोष पत्र तथा सार्वजनिक ऋण से संबंधित किसी भी अवधि के केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रचालित ऋणपत्र शामिल है।

बैंकिंग विभाग—देयता

बैंकिंग विभाग के आवेदन में, देयता की तरफ, प्रथम दो मद चुकती पूंजी तथा प्रारक्षित निधि है। प्रारंभ से ही बैंक की पूंजी ५ करोड़ रु. ही रही है तथा १ जनवरी, १९४९ से इस समस्त पूंजी पर भारत सरकार का स्वामित्व रहा है। कुछ समय पूर्व तक प्रारक्षित निधि ५ करोड़ रु. थी जिसका अंशदान एक्ट की धारा ४६ के अनुसार सरकार ने सरकारी ऋणपत्रों के रूप में किया था, किन्तु प्रचालन विभाग द्वारा संचालित सोने के अवटूबर १९५६ में पुनः मूल्यांकन के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार की अनुमति से, पुनः मूल्यांकन के फलस्वरूप होनेवाले ७७.७ करोड़ रु. के लाभ में से ७५ करोड़ रु. की रकम प्रारक्षित निधि में स्थानान्तरित कर दी गई तथा इस प्रकार ३० जून, १९५७ से प्रारक्षित निधि बढ़ कर ८० करोड़ रु. हो गई।

अगले दो मद राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन क्रियायें) निधि तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायीकरण) निधि है जो एक्ट की धारा ४६ क तथा ४६ ख के अन्तर्गत स्थापित हुए तथा जिनमें बैंक को वार्षिक अंशदान देना आवश्यक होता है। जून १९५८ के अंत में इन निधियों के कोष धन क्रमानुसार २५ करोड़ रु. तथा ३ करोड़ रु. थे।

बैंक के पास जमा का वर्गीकरण तीन समूहों में होता है—सरकार की, बैंको तथा दूसरों की जमा। सरकार की जमा, जिन्हें बैंक एक्ट की धाराओं २०, २१ तथा २१ क के अन्तर्गत रखता है, पुनः केन्द्रीय सरकार की जमा तथा अन्य सरकारी

जमा में विभाजित है। अन्य सरकारी जमा राज्य सरकारों के जमा खातों को प्रद-
 शित करती है। केन्द्रीय सरकार की जमा अप्रैल १९४६ में अपनी ५३३ करोड़ रु. की
 चर्म सीमा तक पहुँच गई। सरकारी शेष धन में विभिन्नता केवल जनता के साथ
 सौदों को ही प्रतिबिम्बित नहीं करती, वरन् स्वयं रिज़र्व बैंक के साथ तथा कभी कभी
 विदेशी सरकारों तथा एजेंसियों के साथ किये सौदों को भी प्रतिबिम्बित करती है।

बैंकों की जमा में एकट की धारा ४२ (१) के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों के परिणियत
 शेष धन, उन अन-अनुसूचित बैंकों के, जिन्हें रिज़र्व बैंक में खाते खोलने की आज्ञा
 मिल गई है, शेष धन, तथा उन राज्य, सहकारी बैंकों के शेष धन, जो बैंक का वैक्तिक
 निभाव प्राप्त करने के उद्देश्य से किये गये समझौतों के अनुसार शेष धन रखते हैं,
 शामिल हैं। यह देखा गया है कि बैंक सामान्यतः परिणियत न्यूनतम से अतिरिक्त
 शेष धन रखते हैं, अनुसूचित बैंकों के उन अतिरिक्त जमा में उतार-चढ़ाव द्रव्य
 बाज़ार की परिस्थितियों को भलीभाँति दर्शाते हैं। सामान्यतः, व्यस्त समय (नवम्बर-
 अप्रैल) में अतिरिक्त शेष धन घटते हैं जबकि मन्दी की ऋतु (मई-अक्टूबर) में उनकी
 प्रवृत्ति बढ़ोतरी को धीरे होती है। हाल के वर्षों में अनुसूचित बैंकों के अतिरिक्त
 प्रारक्षण घटे हैं जब कि रिज़र्व बैंक से लिये उनके ऋण में वृद्धि हुई है।

बैंक के पास अन्य जमा में नाना प्रकार के मद जैसे (i) भारतीय औद्योगिक वित्त
 निगम तथा राज्य वैक्तिक निगमों आदि अर्ध-सरकारी सस्थाओं की जमा, (ii)
 रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों की प्रावधायि (Provident), पेन्शन तथा गारंटी
 निधियां, (iii) विदेशी केन्द्रीय बैंको तथा सरकारों के शेष धन तथा (iv) अन्तर्राष्ट्रीय
 मुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण एवं विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के खाते शामिल हैं।
 बैंक बिना कुछ लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के लिये रुपये के दो चालू खाते तथा
 पुनर्निर्माण एवं विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के लिये एक खाता रखता है। न. १
 खाते का उद्देश्य, जिसमें भारत के अभ्यंश (Quota) का १० प्रतिशत जमा किया
 गया है, देश के विनिमय सौदों को पूरा करना है। निधि के लिये प्राप्त हुआ रुपया
 भी इसी खाते में जमा कर दिया जाता है। इस खाते में भारत के अभ्यंश का न्यूनतम
 एक प्रतिशत शेष धन सदा रखना आवश्यक है। निधि का न. २ खाता क्रियाशील
 खाता है जिसका प्रयोग बैंक द्वारा किये गये निधि के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने
 तथा निधि द्वारा उसके प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यकताओं के हेतु धन निकालने के
 लिये होता है। कोप के मचालन व्यय को पूरा करने के लिये नियत अवधि पर न.
 एक खाते से छोटी रकमें स्थानान्तरित करके इस खाते में जमा कर दी जाती है।

बैंकिंग विभाग के देयता पार्श्व में शेष शीर्षक भुगतान करनेवाले बिल तथा अन्य
 देयता है। भुगतान करने वाले बिलों में मुख्यतः बैंक के कार्यालयों द्वारा एक दूसरे
 के ऊपर, बैंक की एजेंसियों द्वारा बैंक के कार्यालयों के ऊपर तथा राज्य-कोप कार्यालयों
 द्वारा एक दूसरे के, स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य एजेंट बैंकों के ऊपर लिखे अदत्त

(Outstanding) सरकारी तथा बैंक ड्राफ्ट शामिल है। अन्य देयता में बैंकों के कार्यालय के बीच मार्गस्थ मदों से संबंधित निलम्बित-लेखों में लिखी रकमों तथा लेखा-वर्ष के अन्त में सरकार को हस्तान्तरण करने से पूर्व विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत बैंक के लाभ जैसे व्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन इत्यादि शामिल है।

बैंकिंग विभाग—परिसंपत्ति

परिसंपत्ति पार्श्व में पहिले तीन मद नोट, रुपये के सिक्के तथा छोटे सिक्के होते हैं जो सब मिल कर बैंकिंग विभाग के नकद सधारणों की रचना करते हैं। यहाँ दिखाई नोटों की रकम प्रचालन विभाग के देयता पार्श्व में दिए मद—बैंकिंग विभाग में संधारित नोटों—के बराबर होती है, जब कि क्रय तथा बट्टे पर लिये बिल राज्यकोष पत्रों तथा पुनर्भोजन किये व्यापारी बिलों को दर्शाते हैं; यह मद सामान्यतया छोटा होता है, इसमें मुख्यतः केन्द्रीय सरकार के राज्यकोष पत्र रहते हैं।

विदेशों में संधारित शेष धन में प्रधानतः नकदी (मुख्यतः बैंक आफ इंग्लैंड के पास शेष धन) तथा बैंक आफ इंग्लैंड के पास संधारित अल्पकालीन ऋणपत्र शामिल हैं; उनमें रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान, फेडरल रिज़र्व बैंक आफ न्यूयार्क तथा बैंक के लदन स्थित कार्यालय में रखे कार्यरत शेष धन भी शामिल है।

सरकार को ऋणपत्र तथा अग्रिम केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को अर्थोपाय उधार के रूप में प्रदान किये अल्पकालीन निभाव को दर्शाते हैं। इस शीर्षक के अन्तर्गत एकट की धारा ४६ क के अनुसार राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन क्रियाओं) निधि से राज्य सरकारों को प्रदान किये गये ऋण तथा अग्रिम तथा राज्य सरकारों को दिये गए अस्थिर ओवर ड्राफ्ट भी शामिल हैं।

अन्य ऋण तथा अग्रिमों में धारा १७ की अनेक उपधाराओं के अन्तर्गत, जो रिज़र्व बैंक को अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वैयक्तिक निगमों की वैयक्तिक निभाव प्रदान करने का अधिकार देती है, बैंक द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं। पिछले ६-७ वर्षों में इन अग्रिमों की प्रवृत्ति सामान्यतः बढ़ोतरी की ओर रही है।

निवेशों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के रुपये के ऋणपत्र तथा अन्य अनुमति प्राप्त ऋणपत्र जैसे स्टेट बैंक आफ इंडिया, राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य वैयक्तिक निगमों के शेयर, तथा भूमि बंधक बैंको के डिबेंचर शामिल हैं। धारा १७ (८) के अन्तर्गत बैंक को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के किसी भी अवधि के ऋणपत्रों तथा बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्य के लिये निश्चित किसी स्थानीय सत्ता के ऋणपत्रों को क्रय विक्रय तथा बैंकिंग विभाग में धारण करने का अधिकार है। बैंक को स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा इस कार्य के लिये केन्द्रीय

रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट, १९३४ के अनुसार मार्च २८, १९५८, अप्रैल

देयता	२८ मार्च, १९५८ को रु.	४ अप्रैल, १९५८ को रु.	५ अप्रैल, १९५७ को रु.	प्रचालन
बैंकिंग विभाग में सधारित नोट	१०,२१,१४	७,९४,४३	७,८८,२९	
संचालन में नोट	१५७९,१३,३९	१६१९,६८,८२	१५६३,५६,९०	
कुल प्रचालित नोट	१५८९,३४,५३	१६२७,६३,२५	१५७१,४५,१९	
कुल देयता	१५८९,३४,५३	१६२७,६३,२५	१५७१,४५,१९	
				बैंकिंग
चुक्ती पूजी	५,००,००	५,००,००	५,००,००	
प्रारंभित निधि	८०,००,००	८०,००,००	५,००,००	
राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घ-कालीन श्रियाएं) निधि ..	२०,००,००	२०,००,००	१५,००,००	
राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायी-करण) निधि	२,००,००	२,००,००	१,००,००	
जमा :-				
(अ) सरकार				
(१) केन्द्रीय सरकार	४८,३३,३१	५५,२७,२२	६०,५९,४४	
(२) अन्य सरकार	५४,८५,०१	७,२३,८९	७,९०,३१	
(ब) बैंक	६७,८३,२७	८१,०५,८६	५९,९९,६५	
(स) अन्य	११७,५१,५२	११६,३२,४६	७४,४९,०९	
भुगतान होनेवाले बिल ..	२९,४१,०८	२५,६६,०९	१७,९३,८३	
अन्य देयता	४१,०४,७३	४०,३७,०६	११६,३६,४९	
कुल देयता	४६५,९८,९२	४३२,९२,५८	३६३,२८,८१	

भाक इंडिया

४, १९५८ तथा अप्रैल ५, १९५७ को पूरे होनेवाले सप्ताहों का लेखा।

(००० छोड़े हुए)

परिसम्पत्ति	२८ मार्च, १९५८ को रु.	४ अप्रैल, १९५८ को रु.	५ अप्रैल, १९५७ को रु.
विभाग			
क. सोने के सिक्के तथा सोना चारी :-			
(अ) भारत में संचारित	११७,७६,०३	११७,७६,०३	११७,७६,०३
(ब) विदेशों में संचारित	-	-	-
विदेशी ऋणपत्र	१७१,१९,४३	२१६,०६,९३	४१२,५१,९१
क का योग	२८८,९५,४६	३३३,८२,९६	५३०,२७,९४
घ. रुपये के सिक्के	१२९,२८,६६	१२७,५७,३८	१२६,२०,०६
भारत सरकार के रुपये के ऋणपत्र	११७१,१०,४१	११६६,२२,९१	९१४,९७,१९
मासिक विनिमय बिल तथा अन्य व्यापारिक पत्र	-	-	-
कुल परिसंपत्ति	१५८९,३४,५३	१६२७,६३,२५	१५७१,४५,१९
विभाग			
नोट	१०,२१,१४	७,९४,४३	७,८८,२९
रुपये के सिक्के	१०,६८	३,९८	४,४७
छोटे सिक्के	२,७६	२,७३	५,६९
धन तथा ऋण पर लिए बिल			
(अ) वास्तविक	-	-	-
(ब) बाहरी	-	-	-
(घ) सरकारी राज्य कोष पत्र	७,६७,८९	१२,७१,७४	१५,२३,६३
विदेशों में संचारित कोष पत्र*	९५,८१,०३	६८,३४,२९	११२,८२,३१
सरकार को ऋण तथा अग्रिम	२१,२३,२४	३७,६३,०८	१५,६५,४६
अन्य ऋण तथा अग्रिम	७८,४०,१२	७३,९२,३५	१०६,०४,३४
निवेश	२३८,४४,४७	२१८,११,०९	११,९७,४९
अन्य परिसंपत्ति	१४,०७,५९	१४,१८,८९	१३,५७,१३
कुल परिसंपत्ति	४६५,९८,९२	४३२,९२,५८	३६३,२८,८१

* इनमें नकदी तथा अल्पकालीन ऋणपत्र शामिल हैं।
† इनमें राज्य सरकारी को दिए गए अस्थायी ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं।

सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य बैंक अथवा वित्तिक संस्था के शेयरों तथा पूजी में विनियोग करने का तथा उन्हें बेचने का अधिकार प्राप्त है।

अन्य परिसंपत्ति में मुख्यतः भू-नूहावि, फरनीचर, फिटिंग, लेखन-सामग्री, बैंक द्वारा किये गये व्यय को प्रदर्शित करनेवाले शीर्षकों के नाम आधिक्य तथा सग्रह के दौरान में मद आदि शामिल हैं।

एक सप्ताह में विभिन्नता की व्याख्या

पिछले अनुच्छेदों में बैंक के साप्ताहिक आवेदन में लिखे जाने वाले विभिन्न मदों की प्रकृति का वर्णन किया गया है। किन्हीं दो क्रमानुसार सप्ताहों की तुलना से, जैसा कि साथ दिये हुए दृष्टान्त में है, यह पता चल जावेगा कि किस प्रकार देयता में परिवर्तन के अनुरूप परिसंपत्ति में भी परिवर्तन होते हैं तथा किस प्रकार प्रचालन विभाग के किसी खाते से बैंकिंग विभाग में अथवा उसके विपरीत स्थानान्तरण के परिणाम स्वरूप समायोजन (Adjustments) होते हैं। अधिक अवधि जैसे एक वर्ष के अन्तर के आवेदनों की तुलना से वित्तिक प्रवृत्तियों तथा देश की सामान्य आर्थिक परिस्थिति पर अधिक प्रकाश पड़ेगा।

१०४, १०५ पृष्ठों पर दिये आवेदनों से यह देखा जा सकता है कि ४ अप्रैल, १९५८ को समाप्त होनेवाले सप्ताह में — एक अवधि जिसमें वित्तिक वर्ष के अन्त के सौदे आते हैं — संचालित नोटों में ४०.६ करोड़ रु. की वृद्धि हुई, दूसरी ओर बैंकिंग विभाग में संचारित नोटों में २.३ करोड़ रु. की कमी हुई तथा इस प्रकार प्रचालन विभाग के कुल देयता में ३८ करोड़ रु. के लगभग निवल वृद्धि हुई। इसके अनुरूप परिसंपत्ति पारबं में ३८ करोड़ रु. की निवल वृद्धि हुई तथा जिसमें विदेशी ऋणपत्रों में ४५ करोड़ रु. की वृद्धि तथा रुपये ऋणपत्रों तथा रुपये के सिक्कों में क्रमानुसार ५ करोड़ रु. तथा २ करोड़ रु. की कमी व्याप्त थी। उस सप्ताह में ३९ करोड़ रु. के तदर्थ (Ad hoc) राज्य-कोष पत्रों की (जिन्हें रु. के ऋणपत्रों में दिखाया गया है) अवधि पूरी हो गई है। इनमें से १५ करोड़ रु. की पूर्ति नये तदर्थ बिलों की सृष्टि द्वारा हो गई तथा शेष २४ करोड़ रु. की स्थानापत्ति, जो निवल मिटाने की क्रिया (Cancellations) को प्रदर्शित करते थे, बैंकिंग विभाग से २० करोड़ रु. के विदेशी ऋणपत्रों तथा ४ करोड़ रु. के, रुपये के ऋणपत्रों के स्थानान्तरण द्वारा हुई। इसके अतिरिक्त संचालन में नोटों में विस्तार को बैंकिंग विभाग से प्रचालन विभाग को २५ करोड़ रु. के विदेशी ऋणपत्रों तथा १५ करोड़ रु. के रुपये के ऋणपत्रों को स्थानान्तरित करके ढाँका गया। संचालन में, नोटों में विस्तार राज्य सरकारों द्वारा बड़ी मात्रा में किये गये व्यय के कारण हुआ, जिसे उन्होंने अपने रिज़र्व बैंक के पास नकद आधिक्य को निकाल कर तथा बैंक से अर्थाप्राय ऋण लेकर पूरा किया। बैंक के पास राज्य सरकारों की जमा में ४८ करोड़ रु. की कमी हो गई, किन्तु उसने अर्थाप्राय उधार द्वारा १६

करोड़ रु. के ऋण को ढँक लिया; और यदि इस तथ्य को जोड़ा जाता है तो राज्य सरकारों के शेष धन में कुल ६४ करोड़ रु. की कमी हुई। केन्द्रीय सरकार के शेष धन में, तदर्थ राज्य-कोष पत्रों की रद्द करने की निबल क्रिया के कारण २४ करोड़ रु. नाम लिखे जाने के पश्चात्, ७ करोड़ रु. की वृद्धि हुई। लन्दन में भारत के उच्च आयुक्त के कहने पर स्टर्लिंग के स्थानान्तरण द्वारा २२ करोड़ रु. की रकम जमा होने के पश्चात् भी विदेशों में संधारित शेष धन में २७ करोड़ रु. की कमी हो गई। यहाँ यह बताना ठीक होगा कि निधि का यह स्थानान्तरण बैंक के पास केन्द्रीय सरकार की जमा में वृद्धि के लिये मुख्यतः उत्तरदायी था। परन्तु, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, विदेशों में संधारित शेष धन में अधिकांश कमी बैंकिंग विभाग से प्रचालन विभाग में स्थानान्तरणों के कारण हुई। विदेशी परिसंपत्ति पर इन सौदों का सम्मिलित प्रभाव साधारण हुआ — केवल ४ करोड़ रु. की कमी हुई।

उस सप्ताह में बैंकिंग विभाग में देखे गये दो अन्य परिवर्तन बैंक की जमा में १३ करोड़ रु. की वृद्धि तथा अन्य ऋण तथा अप्रिमों में, जो मुख्यतः अनुसूचित तथा राज्य सहकारी बैंकों के पास चालू साख को दिखाते हैं, ४ करोड़ रु. की कमी थी।

यह पहिले भी लिखा जा चुका है कि प्रचालन तथा बैंकिंग विभागों का अन्तर आयातभूत महत्व का नहीं है। यह भी देखा जा चुका है कि प्रचालन तथा बैंकिंग विभागों की परिसंपत्ति का समय-समय पर स्थान-परिवर्तन होता रहता है। इसलिये सदा यह उचित है कि किसी अवधि में विस्तृत मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रवृत्तियों पर विचार करने के लिये दोनों विभागों की सम्मिलित देयता तथा परिसंपत्ति में परिवर्तनों, अर्थात् पूरे बैंक का एक साथ, अध्ययन किया जाय। जैसा कि उचित ही है, इस प्रकार एक विभाग से दूसरे में परिसंपत्ति के स्थान परिवर्तन की उपेक्षा हो जावेगी। यह बैंक के रूपों के ऋणपत्रों तथा विदेशी परिसंपत्ति के सधारणों पर विशेषतः लागू होता है।

एक वर्ष में विविधता का विश्लेषण

मह कथन कि रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक आवेदन अर्ध-व्यवस्था की वृत्तिक प्रवृत्तियों को सामान्यतः प्रतिबिम्बित करते हैं, एक सप्ताह से अधिक लम्बी अवधि, जैसे एक वर्ष, के आवेदनों की तुलना करने में, स्पष्ट हो जावेगा। यदि वर्ष को ४ अप्रैल, १९५८ तक बढ़ा कर देखा जाय तो विदित होगा कि बैंक के देयता तथा परिसंपत्ति में हुए मुख्य परिवर्तन इस प्रकार थे—सर्वालिज नोटों में ५६ करोड़ रु. की वृद्धि हुई, केन्द्रीय सरकार की जमा में ५ करोड़ रु. की तथा राज्य सरकारों की जमा में ०.७ करोड़ रु. की अल्प कमी हुई। प्रत्यक्ष रूप में इन अल्प विभिन्नताओं ने इन सरकारों तथा रिज़र्व बैंक के बीच वर्ष में हुए बड़े सौदों को ढाक लिया। इसका पता बैंक के रूपों के निवेशों तथा राज्य सरकारों को दिये ऋणों तथा अप्रिमों में सार्थक वृद्धि से चलता है। उस वर्ष में बैंक के रूपों के निवेशों में ३७७ करोड़ रु. की वृद्धि हुई,

२५१ करोड़ रु. की प्रचालन विभाग में तथा १२६ करोड़ रु. की बैंकिंग विभाग में। यह निवल स्थिति ४४१ करोड़ रु. की तदर्थ राज्य कोष पत्रों (जिनके आमुख उतनी ही मात्रा में, मुख्यतः द्वितीय योजना के बढ़ते हुए विकासनात्मक व्यय के वित्त प्रबन्ध के लिये, केन्द्रीय सरकार को साख दी गई) तथा ६७ करोड़ रु. की बैंक के रूप्ये के ऋण-पत्रों की खुले बाज़ार में बिक्री को जोड़ने के पश्चात् है।

रिज़र्व बैंक द्वारा सधारित विदेशी परिसंपत्ति में २४१ करोड़ रु. की कमी हो गई, यह इस अवधि के मूल लक्षण, अदायगी शेष में घाटे की सूचक थी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से ३४.५ करोड़ रु. के निवल ऋण तथा यू. के. से पेन्शन वार्षिक-वृत्ति (Annuity) निधि के आधिक्य (Excess) के पूर्व भुगतान के अन्तर्गत २२ करोड़ रु. की प्राप्ति को हिसाब में लेने के पश्चात् भी प्रचालन विभाग के विदेशी ऋणपत्रों में १९६ करोड़ रु. की तथा बैंकिंग विभाग के विदेशों में सधारित शेष धनो में ४५ करोड़ रु. की कमी हो गई; पहिले वाला सौदा, जिसने अपने अनुरूप बैंक की देयता को जन्म दिया, बैंक के पास अन्य जमा में वृद्धि के रूप में प्रतिबिम्बित हुआ (४१.८ करोड़ रु.)। बाद वाले सौदे ने केन्द्रीय सरकार के रिज़र्व बैंक के पास जमा में अपने बराबर वृद्धि कर दी। रिज़र्व बैंक आफ इंडिया (संशोधन) एक्ट, १९५६, के अनुसार प्रचालन विभाग में सधारित सोने के पुनः मूल्यांकन से प्राप्त ७७.७ करोड़ रु. के लाभ में से, (प्रचालन विभाग में सधारित सोने में उतनी ही वृद्धि हुई) लेखा वर्ष के अन्त में (७५ करोड़ रु.) प्रारक्षित निधि खाते में तथा (२.७ करोड़ रु.) केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित करने के कारण अन्य परिसंपत्ति में ७६ करोड़ रु. की कमी हो गई। इस प्रकार संवलिप्त नोटों में विस्तार, जिसका पहिले जिक्र किया जा चुका है, मुख्यतः वजट में ठोस घाटे के कारण हुआ जिसे उस अवधि में हुए अदायगी शेष (Balance of Payments) के भारी घाटे द्वारा पूरा किया गया।

अनुसूचित बैंकों की संपिंडित स्थिति के साप्ताहिक आवेदन

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा ४३ के अनुसार बैंक प्रति सप्ताह एक आवेदन तैयार तथा प्रकाशित करता है जिसमें अनुसूचित बैंकों के भारत में व्यापार की संपिंडित स्थिति के मुख्य मद होते हैं। यह आवेदन धारा ४२ (२) के अन्तर्गत शुक्रवार को व्यापार बन्द होने के समय तक के (अथवा यदि शुक्रवार की छुट्टी हो तो उसके पहिले कार्य के दिन तक के) अनुसूचित बैंकों द्वारा दिए हुए आकड़ों पर आधारित होता है, तथा सामान्यतः अगले शुक्रवार तक छपने के लिये दिया जाता है। यह उस सप्ताह में अनुसूचित बैंकों के मुख्य परिसंपत्ति तथा देयता में विस्तृत परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। साप्ताहिक प्रेस विज्ञप्ति को तैयार करते समय उन बैंकों के संबन्ध में जो अंतिम विवरण देने में असमर्थ रहे हों, अस्थायी अंकों का प्रयोग किया जाता है, परन्तु बाद में अंतिम अंक प्राप्त हो जाते हैं तथा उन्हें बैंक के पत्र तथा साख एव वित्त पर रिपोर्ट में प्रकाशित आकड़ों में समामेलित कर दिया जाता है। समस्त

वाणिज्य बैंको, अर्थात् भारतीय अनुसूचित बैंको, विदेशी बैंकों तथा सूचना देनेवाले अन-अनुसूचित बैंकों की भारत में परिसंपत्ति तथा देयता के सम्पूर्ण ढाँचे से संबंधित पूरे आंकड़े भी रिज़र्व बैंक द्वारा प्रति मास प्रकाशित होते हैं। यह आंकड़े उन विवरणों पर आधारित होते हैं जिन्हें बैंकिंग कंपनीज एक्ट की धारा २७ (१) के अनुसार बैंको को निर्धारित रूप* में रिज़र्व बैंक को देना होता है। भारतीय बैंको की विदेशों में परिसंपत्ति तथा देयता से संबंधित सांख्यिकी, प्रति वर्ष नियत समय पर बैंक के पत्र में छपे लेखों में प्रकाशित होती है। साप्ताहिक प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित होनेवाले विभिन्न मद नीचे समझाये गये हैं।

मांग देयता में वे सब देयता शामिल हैं जिनका भुगतान मांगने पर करना होता है, उदाहरण के लिये मांग जमा, तार तथा डाक द्वारा चालू स्थानान्तरण, मांग ड्राफ्ट, मांग पर भुगतान होनेवाले बचत के जमा, कालातीत सावधि जमा, देय बिल, लाभांश के अदत्त अधिकार पत्र, तथा बैंको से मांग ऋण (रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा इस सदस्यों में अधिसूचित किसी अन्य बैंक के अतिरिक्त)।

मियादी देयता में सावधि जमा (रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अधिसूचित बैंक के अतिरिक्त), बैंको से लिये सावधि ऋण, तथा अन्य बाहरी देयता जिनका भुगतान मांग पर होना नहीं होता, शामिल है। चुकती पूंजी, प्रारक्षित निधि, लाभ हानि खाते में जमा आधिक्य आदि मद, जो बाह्य देयता नहीं है, मांग अथवा सावधि देयता में शामिल नहीं होते।

बैंकों से ऋण (स्टेट बैंक आदि के अतिरिक्त) जून १९४८ से पृथक दिखाये जा रहे हैं।

स्टेट बैंक तथा/अथवा सूचित किये बैंक से ऋण उनके द्वारा अनुसूचित बैंको को प्रदान की साख को दिखाते हैं। रिज़र्व बैंक से प्राप्त ऋणों में धारा १७ (४) (क) तथा धारा १७ (४) (ग) के अन्तर्गत बैंक द्वारा प्रदान किये अग्रिम आते हैं; धारा १७ (४) (ग) के अन्तर्गत अग्रिम, जो बिल बाजार योजना के अन्तर्गत अग्रिमों को दर्शाते हैं, पृथक कोष्ठकों (Brackets) में दिखाये जाते हैं। रिज़र्व बैंक से लिये ऋण से संबंधित आंकड़े धारा ४२ (२) के अन्तर्गत नहीं मांगे जाते, वरन् रिज़र्व बैंक के अभिलेखों से तैयार किये जाते हैं।

नकदी में चालू नोट तथा सिक्के, जिन्हें जमा किये धन के रूप में रखा जाता है (Maintained as till money) शामिल है; विदेशों की मुद्रायें शामिल नहीं की जाती।

* निर्धारित रूप बैंकिंग कंपनीज एक्ट १९४९ के अन्तर्गत बने नियमों के साथ दिया तेरहवाँ फार्म है।

रिज़र्व बैंक के पास शेष धन वे होते हैं जिन्हें रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा ४२ (१) के अनुसार अनुसूचित बैंक रखते हैं। बैंकिंग कम्पनीज़ एक्ट, १९४९ की धारा ११ (२) के अनुसार विदेशों में इनकारपोरेट बैंको द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखे नकद जमा, इस मद में शामिल नहीं किये जाते।

चालू खाते में अन्य बैंको के पास शेष धन अन्य बैंको के पास सधारित माँग जमा को प्रदर्शित करते हैं, इस मद के अंक नवम्बर १९५१ से उपलब्ध हैं।

अविलम्ब तथा अल्पसूचना पर राशि (Money at call and short notice) में प्रधानतः अन्य बैंको को उनकी प्रार्थना पर उपलब्ध होनेवाली निधियाँ जिनका पुनः भुगतान ऋणदाता बैंको की इच्छा के अनुसार अविलम्ब अथवा अल्प सूचना (पन्द्रह दिन अथवा उससे कम) पर हो, शामिल हैं। ये आकड़े, जो पहिले अग्रिमों के अन्तर्गत शामिल किये जाते थे, नवम्बर १९५१ से अलग उपलब्ध हैं।

सरकारी ऋणपत्रों में निवेश केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के ऋणपत्रों के, जिनमें राज्य-कोष पत्र, राज्य-कोष जमा की रसीदें, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र तथा राज्य-कोष धचत जमा प्रमाणपत्र शामिल हैं, बहियों में लिखे मूल्य (Book Value) को प्रदर्शित करते हैं। बैंकिंग कम्पनीज़ एक्ट १९४९ की धारा ११ (२) के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक में जमा की हुई केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के ऋण-पत्रों (मय राज्य-कोष पत्र के) इस मद के अन्तर्गत शामिल हैं। इस शीर्षक के अन्तर्गत आकड़े नवम्बर १९५१ से मँगाये जा रहे हैं।

अग्रिमों में ऋण, ओवर ड्राफ्ट, नकद साख, अन्य बैंको की प्रार्थना पर उन्हे दिया ऋण जिसका भुगतान पन्द्रह दिन के पश्चात् होना हो, शामिल हैं।

खरीदे तथा बट्टा किये स्वदेशी-बिलों में भारत में लिखे गये तथा भुगतान होनेवाले बिल, मय खरीदे हुए माँग ड्राफ्ट के, आते हैं। खरीदे हुए स्वदेशी-बिल नवम्बर १९५१ तक अग्रिमों के अन्तर्गत दिखाये जाते थे।

खरीदे तथा बट्टा किये विदेशी-बिलों में आयात तथा निर्यात के सब ही विदेशी बिल शामिल हैं। मई १९५४ से पूर्व भारत में खरीदे तथा बट्टा किये आयात बिल अग्रिमों के अन्तर्गत दिखाये जाते थे लेकिन खरीदे तथा बट्टा किये निर्यात बिलों से संबंधित आँकड़े उमी महिने से ही मँगाये जाने लगे।

रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों में प्रयोग किये गये शब्द 'बैंक साख' अग्रिमों के योग तथा खरीदे और बट्टा किये स्वदेशी तथा विदेशी बिलों को दर्शाते हैं।

शुक्रवार, ४ अप्रैल १९५८ को व्यापार के बन्द होने तक अनुसूचित बैंकों की स्थिति का आवेदन, पिछले सप्ताह के शुक्रवार को तथा पिछले वर्ष के उसी शुक्रवार को बैंकों की स्थिति के तुलनात्मक आवेदन के साथ

	४-४-१९५८*	२८-३-१९५८*	५-४-१९५७
	रु.	रु.	रु.
००० छोड़े हुए			
१. भारत में माँग देयता			
(i) स्टेट बैंक तथा अधिसूचित बैंकों के अतिरिक्त बैंकों से ऋण (क) ..	१५,९५,१३	१५,२६,१८	७,८९,४६
(ii) अन्य माँग देयता	७५१,५३,५८	७२९,९९,००	७१८,१४,५३
२. भारत में मियादी देयता			
(i) स्टेट बैंक तथा अधिसूचित बैंकों के अतिरिक्त बैंकों से ऋण (क) ..	१५,०२,००	१४,८५,५०	२,०९,००
(ii) अन्य मियादी देयता ..	७२८,०८,७८	७१९,६४,२२	४७८,५४,४४
३. स्टेट बैंक तथा/अथवा अधिसूचित बैंक से भारत में ऋण			
(i) माँग देयता ..	१०,३६,३२	१०,७७,५४	१०,७६,५५
(ii) मियादी देयता ..	९५,००	९०,००	-
४. भारत में रिजर्व बैंक आफ इंडिया से ऋण (ख) ..	३७,९४,१७ (२४,१९,००)	४२,००,२६ (२६,५८,१६)	८१,९६,३७ (५८,३२,३०)
५. भारत में नकदी ..	४१,७४,१२	३७,२०,९२	४२,१८,४५

	००० छोड़े हुए		
	४-४-१९५८*	२८-३-१९५८*	५-४-१९५७
	रु.	रु.	रु.
६. भारत में रिज़र्व बैंक के पास शेष धन ..	८३,०७,७६	६७,७८,१०	६१,२७,६९
७. भारत में अन्य बैंकों के पास चालू खातों में शेष धन	१२,२७,५१	११,१६,७०	११,१५,२८
८. भारत में अविलम्ब तथा अल्प सूचना पर राशि	४३,२८,९८	४१,६८,२६	१२,६०,१७
९. भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के ऋणपत्र, मय राज्य-कोष पत्रों तथा राज्य-कोष की जमा रसीदों में निवेश (बहियों में लिखे मूल्य पर) ..	४४०,५५,९०	४४०,३५,९२	३४७,२३,८२
१०. भारत में अग्रिम ..	८०८,४९,०४	८०५,८८,९३	७१६,५२,४५
११. भारत में खरीदे तथा बट्टा किये स्वदेशी बिल	१२०,६३,२२	११६,५९,६०	१२४,३८,६५
१२. भारत में खरीदे तथा बट्टा किये विदेशी बिल	४०,२९,१६	३९,८४,४०	५८,७०,६२

* उन बैंकों के जो अंतिम विवरण नहीं भेज सके अस्थिर अंक शामिल किए गए हैं।

नोट क - रिज़र्व बैंक से ऋण के भी अतिरिक्त

ख - कोष्ठको (Brackets) में अंक रिज़र्व बैंक से मियादी बिलों तथा/अथवा रुककों के आमुख ऋणों को दर्शाते हैं।

साप्ताहिक तथा वार्षिक विभिन्नताओं की व्याख्या—

यह बताने के लिये कि किस प्रकार देयता में परिवर्तनों के अनुरूप अनुसूचित बैंको की परिसंपत्ति में भी परिवर्तन होते हैं, इन आवेदनों में दिये हुए अंकों में साप्ताहिक तथा वार्षिक विविधताओं को मक्षेप में समझाना यहाँ उचित होगा। ४ अप्रैल, १९५८ को समाप्त होनेवाले सप्ताह में निबल मांग देयता (अर्थात् बैंको से लिये ऋण के अतिरिक्त) में २२ करोड़ रु. की एकदम वृद्धि हुई। बुद्ध मियादी देयता में भी लगभग ८ करोड़ रु. की वृद्धि हुई। इस प्रकार कुल निबल देयता में ३० करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। सप्ताह में साख प्रदान करने में केवल ७ करोड़ रु. का विस्तार हुआ, जिससे बैंकों ने अपने अतिरिक्त साधनों का उपयोग अपने नकद प्रारक्षणों में २० करोड़ रु. की वृद्धि करने में तथा रिजर्व बैंक से लिये अपने ऋण में ४ करोड़ रु. की कमी करने में किया, २ करोड़ रु. की कमी विल बाजार योजना के अन्तर्गत हुई। उस सप्ताह में बैंको ने अपने अपने निवेशों में भी कुछ वृद्धि की।

४ अप्रैल १९५८ को समाप्त होनेवाले वर्ष में, निबल जमा देयता में एकदम २८३ करोड़ रु. की वृद्धि हुई, सबसे अधिक वृद्धि (२५० करोड़ रु.) मियादी देयता में हुई। जमा देयता में उस वर्ष वृद्धि पिछले वर्ष में हुई वृद्धि (१३६ करोड़ रु.) से दोगुनी से अधिक थी। परन्तु, यह बताना आवश्यक है कि वर्ष में मियादी देयता में दोगुनी से अधिक वृद्धि का एक भाग विशेष लाइसेंस (P.L. 480) के अन्तर्गत समुक्त राष्ट्र, अमेरिका (U.S.A.) से माल के आयात से संबंधित प्रतिरूप निधियों (Counterpart Funds) के कारण हुआ। वर्ष में, चालू साल (Credit Outstanding) में केवल ७० करोड़ रु. की वृद्धि हुई, तथा इसके परिणाम स्वरूप बैंक अपने सरकारी ऋणपत्रों में ९३ करोड़ रु. की वृद्धि कर सके, रिजर्व बैंक से लिये अपने पिछले ऋणों में से ४४ करोड़ रु. का भुगतान कर सके (जिनमें से ३४ करोड़ रु. विल बाजार योजना के अन्तर्गत थे) तथा अपनी नकद प्रारक्षणों में २१ करोड़ रु. की वृद्धि कर सके। वर्ष में दूसरे परिवर्तन परिसंपत्ति पार्श्व में अविलम्ब तथा अल्प-सूचना पर प्राप्त होनेवाली राशि में ३१ करोड़ रु. की बड़े परिमाण में वृद्धि तथा देयता पार्श्व में अन्तर-बैंक ऋणों में २१ करोड़ रु. की वृद्धि थी। वर्ष में अग्रिम-जमा अनुपात ७५.२ प्रतिशत से कम होकर ६५.५ प्रतिशत हो गया, यह तुलनात्मक दृष्टि से अनुसूचित बैंकों की अच्छी स्थिति का द्योतक है। किन्तु नकद अनुपात (Cash Ratio) ८.७ प्रतिशत से कम होकर ८.४ प्रतिशत हो गया, जब कि निवेश-जमा अनुपात २९.० प्रतिशत से बढ़ कर २९.८ प्रतिशत हो गया।

रिजर्व बैंक का आय-व्यय

यहाँ रिजर्व बैंक की अर्जित आय तथा लाभ की प्रवृत्तियों का मक्षेप में जिक्र करना उचित होगा। बैंक की आय रुपये तथा स्टॉक के ऋणपत्रों पर तथा बैंको

को दिये अग्रिमो इत्यादि पर ब्याज, स्टलिंग तथा रुपये राज्य कोष पत्रों तथा आन्तरिक बिलों पर अर्जित बट्टे, विनिमय शीर्षक के अन्तर्गत बैंको को स्टलिंग की बिल्ली, तथा प्रेषणा की सुविधाओं की योजना के अन्तर्गत सरकार के लिये स्टर्लिंग के स्थानांतरण तथा ड्राफ्टों के जारी करने, तार द्वारा स्थानान्तरण इत्यादि से प्राप्त, तथा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण के प्रबन्ध करने तथा भरवार तथा दूसरों के लिये ऋणपत्रों के क्रय विक्रय से अर्जित कमीशन, से होती है। युद्ध के बाद से बैंक की आय, परिनियत तथा अन्य नियोजन करने के पदचात, लेखा वर्ष १९४०-४१ में ३ ८२ करोड़ रु से बढ़ कर १९५६-५७ में ३६ २१ करोड़ रुपये हो गई। उसी अवधि में बैंक का व्यय, जिसमें प्रशासन के खर्च तथा अनेक देयता तथा सभावनाओं के लिये किये गये प्रबन्ध शामिल हैं, १ ०३ करोड़ रु से बढ़ कर ६ २० करोड़ रु हो गया। राष्ट्रीयकरण से पूर्व निवल लाभ में से ३ १२ प्रतिशत प्रति वर्ष लाभांश (१९४२-४३ से ४ प्रतिशत) शेयर होल्डरों को दिया जा रहा था तथा शेष लाभ एक्ट की धारा ४७ के अनुसार केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित कर दिया जाता था, परन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद से कुल लाभ सरकार को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। सरकार को हस्तान्तरित किये निवल लाभ की रकम १९४०-४१ में २ ६२ करोड़ रु से बढ़ कर १९५६-५७ में ३० ० करोड़ रु हो गई।

बैंक के प्रकाशन

बैंक अनेक नियतकालिक (Periodical) प्रकाशन निकालता है जिनमें बैंक की क्रियाओं तथा बैंकिंग तथा वैश्विक क्षेत्रों में प्रवृत्तियों तथा घटनाओं (Developments) से संबंधित विस्तार सांख्यिकीय सूचना तथा व्यापक लेखा रहता है। ये प्रकाशन देश में आर्थिक एवं वैश्विक घटनाओं तथा बैंक के कार्यों के महत्व को समझाने तथा उसे निर्धारित करने का प्रयत्न करते हैं, तथा सार्वजनिक इस्तेमाल के लिये अधिक मात्रा में तथ्यों को दर्शानेवाले (Factual) आंकड़ों को उपलब्ध करते हैं। बैंक के नियमित प्रकाशनों में (१) प्रतिमाह जारी होनेवाला रिज़र्व बैंक आफ इंडिया का पत्र (Bulletin) तथा उसका साप्ताहिक सांख्यिकीय परिशिष्ट, (२) बैंक द्वारा निर्गमित अनेक वार्षिक रिपोर्टें, जैसे सचालकों के केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट, मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट, भारतीय बैंकिंग में प्रवृत्तियां तथा प्रगति, तथा भारत में सहकारी आन्दोलन का निरूपण तथा (३) विभिन्न सांख्यिकीय संग्रह, जैसे भारत में बैंको में संबंधित सांख्यिकीय सारिणी तथा भारत में सहकारी आन्दोलन से संबंधित सांख्यिकीय आवेदन, शामिल हैं। बैंक ने समय-समय पर विशेष प्रकाशन भी निकाले हैं। इनमें (१) विद्वेष समस्याओं को मुलज्ञान के लिये बैंक के अन्तर्गत स्थापित की गई तदर्थ (Ad hoc) विशेषज्ञ समितियों जैसे अखिल भारतीय कृषि साख्त आपरीक्षण की निर्देशन समिति, तथा वैयक्तिक क्षेत्र के लिये वित्त पर समिति (२) कृषि साख्त, सहकारिता तथा अदायगी शेष में संबंधित अनेक समस्याओं में

अनुसंधानों को प्रकाशित करनेवाले अनेक लेख (Monographs) (३) भारत के बैंकिंग तथा मौद्रिक सांख्यिकी पुस्तक का संग्रह, शामिल है। प्रमुख प्रकाशनों में दिये विषयों का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया जाता है।

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया का पत्र (Reserve Bank of India Bulletin) देश में चालू आर्थिक प्रवृत्तियों की प्रतिरूप (Pattern) को चित्रित करने के उद्देश्य से संक्षेप में सांख्यिकीय तथा अन्य सूचना देता है। उसमें बैंक द्वारा तथा विशेषतः अनुसंधान एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा किये गये विभिन्न अध्ययनों तथा अनुसंधानों के परिणाम भी दिये होते हैं। उसके सूची पत्र में आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों का मासिक निरूपण, चालू आर्थिक समस्याओं पर लेख, भारत तथा विदेशों की वर्तमान घटनाओं पर टिप्पणियाँ, तथा वित्त एवं बैंकिंग से संबंधित विधान, शामिल रहते हैं। इस पत्र में एक सांख्यिकीय खंड भी होता है जिसमें चालू मौद्रिक तथा आर्थिक सांख्यिकी होते हैं। इनमें से कुछ सांख्यिकी जो साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध हैं, पत्र के साप्ताहिक सांख्यिकी परिशिष्ट में भी प्रकाशित होते हैं।

संचालकों के केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट (Report of the Central Board of Directors) मुख्यतः जून को समाप्त होनेवाले वर्ष में बैंक की क्रियाओं तथा नीतियों का निरूपण करती है तथा रिज़र्व बैंक आफ इंडिया एक्ट की धारा ५३(२) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को पेश की जाती है। उसमें देश की सामान्य आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों पर संक्षिप्त परामर्शोचना भी होती है।

मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट (Report on Currency and Finance) रिज़र्व बैंक की स्थापना से पूर्व मुद्रा के नियंत्रण-कर्ता द्वारा प्रकाशित मुद्रा रिपोर्टों का कुछ विस्तृत रूप में निरन्तर भाव (Continuation) है। यह रिपोर्ट अधिक माना में सांख्यिकीय सूचना के माध्यम, विदेशों में आर्थिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में, विशेषतः उत्पादन, कीमतों, द्रव्य प्रपाय, बैंकिंग पूँजी तथा मोने-वादी के आजारों, राज-वित्त (Public Finance) तथा अदायगी शेष के सदर्भ में, मार्ग को समाप्त होनेवाले वर्ष की, जिससे कि वह संबंधित है, भारतीय अर्थ-व्यवस्था का विस्तृत निरूपण करती है।

भारतीय बैंकिंग की प्रवृत्ति तथा प्रगति पर रिपोर्ट (Trend and Progress of Banking in India) जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट की धारा ३६ (२) के अनुसार जारी की जाती है, केलेन्डर वर्ष में बैंकिंग की प्रगति तथा बैंकिंग की नीति के क्षेत्र में बड़ी घटनाओं का निरूपण करती है तथा उसमें देश की बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के सुझाव भी रहते हैं।

भारत में सहकारी आन्दोलन का निरूपण (Review of the Co-operative Movement in India) जो दो वर्ष में एक बार प्रकाशित

होता है, भारत में सहकारी आन्दोलन की प्रगति तथा समस्याओं का सविस्तार ब्यौरा प्रस्तुत करता है तथा उसमें अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सहकारी साख के ढाँचे, सहकारी विपणन, उपभोक्ताओं की सहकारी सस्थाओं, सहकारी भवन निर्माण तथा सहकारी क्रियाओं के अन्य पहलुओं पर अलग अलग परिच्छेद होते हैं।

भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारिणियों (Statistical Tables relating to Banks in India) में भारत में कार्य कर रहे भारतीय तथा विदेशी बैंकों के कार्यों पर विस्तृत आकड़े दिये होते हैं। इस प्रकाशन में दी हुई एक परिचयात्मक सूचना बाद में दी हुई सांख्यिकीय सारिणियों को संक्षेप में समझाती है। सारिणिया दो वर्गों में विभाजित होती है— संक्षेप तथा सामान्य, पहिले वर्ग में मुख्यतः विभिन्न वर्गों के बैंकों के स्थिति विवरणों की संपिन्डित स्थिति दी हुई होती है तथा दूसरे वर्ग में अलग अलग बैंकों के स्थिति विवरणों की विशिष्ट बातें होती है। इस प्रकाशन में परिशिष्ट भी होते हैं जिनमें भारत संघ के नगरों में कार्य कर रहे बैंकों के नाम तथा विदेशों में भारतीय बैंकों की स्थिति दी होती है।

भारत में सहकारी आन्दोलन के बारे में सांख्यिकीय सारिणियां (Statistical Tables relating to the Co-operative Movement in India) प्रस्तावना से आरम्भ होती हैं जिसमें संबंधित वर्ष में सहकारी आन्दोलन की घटनाओं का संक्षिप्त निरूपण होता है। सांख्यिकीय आवेदन तीन भागों में विभाजित होते हैं। सामान्य आवेदनो में भारत संघ के सभी सघटक राज्यों में विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं के सविस्तार सांख्यिकी दिये होते हैं। माराश (Abstract) सारिणिया सामान्य आवेदनो में दिये हुए महत्वपूर्ण आकड़ों को संक्षेप में एक साथ प्रस्तुत करती है। परिशिष्टों में कुछ वर्षों के तुलनात्मक अंक दिये होते हैं।

भारत के बैंकिंग तथा मौद्रिक सांख्यिकी (Banking and Monetary Statistics of India) जिनका प्रकाशन १९५४ में हुआ, भारत से संबंधित महत्वपूर्ण बैंकिंग, मौद्रिक तथा वैक्तिक सांख्यिकी को, जिस समय से वे उपलब्ध हैं तब से १९५२ तक, एक पुस्तक में एक साथ रखने का प्रयास रूप है। इस पुस्तक में १२ खंड हैं जिनमें रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंको, सहकारी समितियों, चेको के समाशोधन, मुद्रा दर तथा ऋणपत्र बाजार, लघु बचत, राज-वित्त तथा लोक ऋण, मुद्रा एव सिक्को, प्रेषणा, सोने-चादी की आयात निर्यात तथा बीमा कंपनियों के बारे में सविस्तार सांख्यिकी दी हुई है। प्रस्तावनाओं में आकड़ों का क्षेत्र तथा सीमायें समझाई गई हैं तथा ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि भी दी हुई है।

निष्कर्ष

रिज़र्व बैंक को स्थापित हुए लगभग २५ वर्ष हो गये। एक केन्द्रीय बैंक के लिये यह लम्बी अवधि नहीं है। रिज़र्व बैंक के लिये ये वर्ष घटनापूर्ण रहे हैं। स्थापना के पश्चात् पहिले चार वर्षों में बैंक मुख्यतः सगठन की समस्याओं में तथा नोट प्रचालन अधिकारी तथा सरकार के बैंकर के रूप में अपने प्रकार्यों के संपिडन में सलग्न रहा। उसके बाद के सात वर्षों में, विश्व-व्यापी युद्ध के झटकों तथा संविधान की सीमाओं का, जो देश की पूर्ण वैक्तिक स्वतंत्रता में बाधक थी, बैंक के सामान्य उद्भव (Evolution) पर बहुत प्रभाव पड़ा। युद्ध के वित्त प्रबन्धन की अनेक समस्याएँ, अनेक सरकारी ऋणों को सफलतापूर्वक जारी करना, स्टैलिंग, ऋण का भुगतान तथा विनिमय नियंत्रण का आयोजन तथा प्रबन्ध—इन सब ने बैंक का ध्यान इतना उलझाये रखा कि बैंक के एक भूतपूर्व गवर्नर के शब्दों में 'एक केन्द्रीय बैंक के अधिक सामान्य प्रकार्यों के पालन के लिये कलाविन्यास को परिपूर्ण करने का बहुत कम अवसर मिल सका'।*

शान्ति कालीन अर्थ-व्यवस्था में पुनः लौटने के लिये राज्यों द्वारा सचित प्रारक्षणों में से सरकारी ऋणपत्रों को बेचकर राज्यों के विकासनात्मक व्यय का अर्थ-प्रबन्ध करना आवश्यक हो गया। युद्ध की समाप्ति से केवल दो वर्ष बाद ही देश के विभाजन से नई समस्याएँ खड़ी हो गईं जैसे विस्थापितों का पुनर्निवास तथा देश के कुछ भागों में, जहाँ विभाजन के कारण बहुत दंगे हुए, बैंकिंग में गभीर सफट। उसके एक वर्ष बाद ही, यह कहा जा सकता है कि, बैंक ने ठोस तथा पर्याप्त बैंकिंग तथा साख ढाँचे का, जिसका प्रारम्भ उसने अपनी स्थापना के तुरन्त बाद कर दिया था तथा जिसमें युद्ध होने के कारण विघ्न पड़ा, फिर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। इन वर्षों में बैंक ने व्यापारी बैंकिंग क्षेत्र के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की प्रणाली उन्नत की है तथा बैंकिंग क्षेत्रों में संस्थानात्मक साख की बढोत्तरी के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में भी बैंक का योग लगातार बढ रहा है।

बैंक की इन क्रियाओं ने देश के लिये उपयुक्त बैंकिंग भवन की मजबूत नींव रखने में योग दिया है। इस नींव की शक्ति की परीक्षा आनेवाले वर्षों में होगी जब

* अगस्त १९४८ में रिज़र्व बैंक के शेयर होल्डरों की चौदहवीं वार्षिक सामान्य सभा में श्री सी. डी. देशमुख के भाषण से।

बैंक को देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योग देना होगा। बैंक के योग के लिये यह आवश्यक होगा कि वह प्रवर्तन तथा नियमन, दोनों रूप में ही, नियमन की आवश्यकता सार्थक मात्रा में घाटे के वित्त प्रबन्धन के सदृश में पड़ेगी, जो अब प्रायः होनेवाली है। साधक साख नियमन के लिये रिज़र्व बैंक की स्थिति अच्छी है क्योंकि उसके अन्तर्गत अनेक साधन हैं जैसे—गुण तथा मात्रा सम्बन्धी साख नियंत्रण तथा बैंकिंग प्रणाली पर सीधे पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के विस्तृत अधिकार। इस प्रकार बैंक ने अपेक्षित द्रुत आर्थिक विकास के युग में अधिक स्थिरता बनाये रखने के कार्य में योग देने का प्रयत्न किया है। यद्यपि द्रव्य पर आधारित अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र (Monetised Sector) में विस्तार तथा बैंकिंग आदत की लगातार बढ़ोतरी से, मुद्रा-नीति को कार्यान्वित करने के अधिक अवसर मिलते हैं, तथापि मुद्रा नियंत्रण की सीमा में विस्तार होने से उनके कारण बड़ी समस्याएँ भी खड़ी हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण वचत को काम में लगाने तथा ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रों की विनियोगीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने से संबंधित बैंकिंग प्रणाली के कार्य अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। आनेवाले वर्षों में रिज़र्व बैंक के लिये एक महत्वपूर्ण कार्य, ऐसे बैंकिंग ढाँचे के निर्माण का, प्रवर्तन करना है जिसमें पर्याप्त अवसर तथा सीमा हो, तथा साथ ही जो गुणों में सुधरा हुआ तथा मात्रा में बढ़ा हुआ हो, जिसमें विविध प्रकार की साख-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सस्याओं के वित्त प्रबन्धन के विभिन्न (Diversified) रूप हों, तथा आजकल की अपेक्षा देश की ग्रामीण अन्तर्वर्ती भूमि (Hinterland) की सेवा करने में भौगोलिक दृष्टि में अधिक विस्तृत हो।

GLOSSARY

*Terms in
English*

*Equivalents
in Hindi*

Advances
Agents
Agreement
Agricultural credit
Agricultural Credit Department
All-India Rural Credit
Survey Committee
Amalgamation
Assets
Authorised dealers

अग्रिम
एजेंट
समझौता
कृषि साख
कृषि साख विभाग

अखिल भारतीय ग्रामीण वित्त आपरीक्षण
समिति
समामेलन
परिमर्पति
अधिकार प्राप्त व्यापारी

Balance sheet
Bank
Bank rate
Bankers Training College
Banking
Banking and Monetary
Statistics of India
Banking Department
Bill Market Scheme
Bills of exchange
Board of Directors
Central
Local
Branches/offices

तुलन-पत्र
बैंक
बैंक दर
बैंकों का प्रशिक्षण महाविद्यालय
बैंकिंग
बैंकिंग तथा मुद्रा सम्बन्धी भारतीय
सांख्यिकी
बैंकिंग विभाग
बिल बाजार योजना
विनिमय बिल
सचालक बोर्ड
केन्द्रीय
स्थानीय
शाखाएँ/कार्यालय

Call money
Call money market
Capital

अविलम्ब राशि
अविलम्ब-राशि बाजार
पूँजी

<i>Terms in English</i>	<i>Equivalents in Hindi</i>
Capital Market	पूजी बाज़ार
Cash	नकद
Cash reserves	नकद प्रारक्षण
Central Board of Directors	केन्द्रीय संचालक बोर्ड
Central Debt Section	केन्द्रीय ऋण अनुभाग
Central Government	केन्द्रीय सरकार
Central land mortgage banks	केन्द्रीय भूमि बचक बैंक
Central Office	केन्द्रीय कार्यालय
Chief Accountant	मुख्य लेखा-अधिकारी
Chief Accountant's Office	मुख्य लेखा-अधिकारी का कार्यालय
Circles of issue (of notes)	नोटों के प्रचालन के क्षेत्र
Clearing House	समाशोधन-गृह
Consolidated position of scheduled banks	अनुसूचित बैंकों की संपिंडित स्थिति
Co-operation	सहकारिता
Co-operative banks	सहकारी बैंक
Co-operative movement	सहकारी आन्दोलन
Co-operative societies	सहकारी समितियाँ
Cottage and small-scale industries	कुटीर एव लघु उद्योग
Credit	साख
Credit control	साख नियंत्रण
Credit policy	साख नीति
Currency	मुद्रा
Currency chests	नकदी तिजोरियाँ
Debentures	डिबेंचर
Department	विभाग
Deposits	जमा
Fixed (Time)	सावधि
Current (Demand)	माँग
Deputy Governor	उप-गवर्नर
Directives to banks	बैंकों को निर्देश
Discount	बट्टा
Discount market	बट्टा बाज़ार
Discount rate	बट्टे की दर

Terms in English

Equivalents in Hindi

Economy Exchange Control Department	अर्थ-व्यवस्था विनिमय नियंत्रण विभाग
Finance Foreign banks Foreign exchange Foreign trade Functions	वित्त विदेशी बैंक विदेशी विनिमय विदेशी व्यापार कार्य
General credit control Gold coin and bullion Government Governor	सामान्य साख नियंत्रण स्वर्ण मुद्रा एव स्वर्ण सरकार गवर्नर
High Commission of India Hyderabad State Bank	भारत का उच्च आयोग हैदराबाद स्टेट बैंक
Imperial Bank of India Income and expenditure Indigenous bankers Industrial Credit and Investment Corporation of India Industrial finance Industrial Finance Corporation Industrial Finance Department Informal Conference on Rural Finance Inspection Instruments of credit control	इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया आय और व्यय देशी बैंक भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम औद्योगिक वित्त औद्योगिक वित्त निगम औद्योगिक वित्त विभाग ग्रामीण वित्त पर अनौपचारिक सम्मेलन निरीक्षण साख नियंत्रण के साधन

<i>Terms in English</i>	<i>Equivalents in Hindi</i>
Interest rates	व्याज दर
Internal organisation	आंतरिक संगठन
International Bank for Re- construction and Deve- lopment	पुनर्निर्माण एव विकास का अन्तर्राष्ट्रीय बैंक
International Monetary Fund	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि
Issue Department	प्रचालन-विभाग
Investments	निवेश
Land mortgage banks	भूमिदधक बैंक
Liabilities	देयता
Licensing	लाइसेन्स देना
Liquidation	परिममाण
Loan floatations	नये ऋण को जारी करना
Loans	ऋण
Long-term	दीर्घकालीन
Short-term	अल्पकालीन
Local Boards	स्थानीय बोर्ड
Monetary and credit policies	मुद्रा एव साख नीतियाँ
Money market	द्रव्य बाजार
Moneylenders	साहूकार
Money supply	द्रव्य सभरण
Moral suasion	नैतिक प्रभाव
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घ कालीन क्रियाएँ) निधि
(Stabilisation) Fund	(स्थायीकरण) निधि
Non-scheduled banks	अन-अनुसूचित बैंक
Note issue	नोट प्रचालन
Notes in circulation	संचलन में नोट
Open market operations	खुले बाजार की क्रियाएँ

<i>Terms in English</i>	<i>Equivalents in Hindi</i>
Paid-up capital	चुकती पूजी
Press Communique	प्रेस विलिपि
Primary Credit Society	प्रारम्भिक साख समिति
Promissory notes	रुक्के
Public Accounts	लोक-खाता
Public Accounts Department	लोक-खाता विभाग
Public debt	लोक-ऋण
Public Debt Offices	लोक-ऋण कार्यालय
Publications	प्रकाशन
Rediscount	पुनर्भजन
Refinance Corporation for Industry	उद्योगों के लिए पुन वित्त प्रबंध का नियम
Remittance facilities	प्रेषण की सुविधाये
Report of the Central Board of Directors	केन्द्रीय सचालक बोर्ड की रिपोर्टें
Report on Currency and Finance	मुद्रा एव वित्त पर रिपोर्टें
Research	अनुसन्धान
Reserve Bank of India	रिजर्व बैंक आफ इन्डिया
Reserve fund	प्रारक्षित निधि
Reserve requirements	प्रारक्षण आवश्यकताएँ
Review of the Co-operative Movement in India	भारत में सहकारी आन्दोलन का निरूपण
Rupee Coin (Notes)	रुपये के निकके (नोट)
Rural Banking Enquiry Committee	ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति
Rural credit policies	ग्रामीण साख-नीतियाँ
Rural credit	ग्रामीण साख
Scheduled banks	अनुसूचित बैंक
Seasons	ऋतु
Busy	ब्यस्त
Slack	मदी

<i>Terms in English</i>	<i>Equivalents in Hindi</i>
Seasonal variations	ऋतुकालीन उतार-चढ़ाव
Second Schedule to the Reserve Bank of India Act	रिज़र्व बैंक आफ इन्डिया की द्वितीय सूची
Secretary's Office	सचिव का कार्यालय
Securities	ऋण पत्र
Selective and direct credit regulation	विवेचनात्मक एवं प्रत्यक्ष साख नियमन
Small coin depots	छोटे सिक्को के गोदाम
Standing Advisory Committee on Agricultural Credit	कृषि साख के लिए स्थायी सलाहकार समिति
State Bank of India	स्टेट बैंक आफ इन्डिया
State co-operative banks	राज्य सहकारी बैंक
State Financial Corporations	राज्य वैत्तिक निगम
State Government	राज्य सरकार
Statistics	सांख्यिकी
Statistical Statements relating to the Co-operative Movement in India	भारत में सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धी सांख्यिकीय सारिणियाँ
Statistical Tables relating to Banks in India	भारत में बैंको से सम्बन्धित सांख्यिकीय सारिणियाँ
Sterling	स्टर्लिंग
Supervision	पर्यवेक्षण
Training	प्रशिक्षण
Treasuries and sub-treasuries	राज्य-कोष तथा उप राज्य-कोष
Treasury bills	राज्य-कोष पत्र
Usance bills	सावधि बिल
Warehousing facilities	भंडागार की सुविधायें
Ways and means advances	अर्थोपाय अग्रिम
Weekly statements	साप्ताहिक आवेदन

अनुक्रमणिका

पृष्ठ संख्या

जखिल भारतीय ग्रामीण वित्त आपरीक्षण समिति अग्रिम	५१, ५२, ५३, ५४, ५८, ६०
अनुसूचित बैंको को	२१-२५, १०९
ग्राह्य ऋणपत्रों के आमुख .. .	२०-२२, २३-२४, ५५
ऋतुकालीन कृषि क्रियाओं तथा फसलों के विपणन के लिए ..	५५, ५७
रुको के आमुख	२२, २४
स्वत्व प्रलेखों के आमुख .. .	२२, ५५
वित्त निगमों को	६९-७१
सरकारी ऋणपत्रों के आमुख ..	२२, २४, ५४, ७०
सरकारों को (अर्धोपार्जित उधार देखिये)	
सहकारी बैंकों को	५४-६१, ६२-६७
सावधि बिलों के आमुख .. .	२२, २३, २४
अविलम्ब राशि वाजार	१५, २७
अन-अनुसूचित बैंक	१७, १८, २२, ३२, ३४, १०९
अनुसूचित बैंक	
द्वितीय सूची से अलग करना	१७
द्वितीय सूची में शामिल करना	१७
प्रा रक्षण आवश्यकताये	७, २८-२९, ३५, १०२
वर्गीकरण	१७
रिजर्व बैंक से ऋण	२१-२५, १०३, १०९, ११३
अनुसूचित बैंको की सर्पिडित स्थिति	
मदों का विवरण .. .	१०८-११०, ११३
मिसाली आवेदन .. .	१११-११२
विविधता की व्याख्या	११३
अनुपातिक प्रारक्षण प्रणाली	९
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि	९, २१, ४९, ७६, ८६, ९१, ९४, १००, १०२
इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया	१, २३, ४०, ४१, ४५, ९१, ९५

उप-गवर्नर	३, ४, ७५
उद्योगों के लिए पुन वित्त प्रबन्ध का निगम	७४-७५, ९६

औद्योगिक वित्त

उद्योगों के लिए पुन वित्त प्रबन्धक निगम	७४-७५, ९६
की मुविधाये	६९-९६
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	६९-७१
में बैंको का योग	७३-७५
राज्य वैत्तिक निगम	२५, ६९, ७१-७३, ९६
औद्योगिक वित्त निगम एक्ट, १९४८	७१, ९०
औद्योगिक वित्त विभाग	७५, ८७, ९६

कृषि साख, उपलब्धि

अल्पकालीन	५३, ५४-५८, ६२-६७
दीर्घकालीन	५५, ५८-५९, ६४-६५, ६६-६७
मध्यकालीन	५५-५९, ६२-६७
कृषि साख पर स्थायी सलाहकार समिति	६०
कृषि साख विभाग	४, ५०, ५१, ६८, ८४, ९७
कुटीर एवं लघु उद्योग, अल्पकालीन वित्त	५३, ५५
केन्द्रीय कार्यालय	८७, ९३-९८
केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंक, को वैत्तिक महायता	५८, ५९, ६२-६७
केन्द्रीय सचालक बोर्ड	२, ३, ४
केन्द्रीय सरकार	
ऋण	४६
की जमा	४८, ८९, १०१-१०२, १०६-१०८
को अग्रिम	२६, ४८, १०३
राज्य-बोप पत्र	४६, ४७, ४८, १०८
रिजर्व बैंक के साथ समझौता	४२, ४३, ४८
केन्द्रीय ऋण अनुभाग	८९, ९४
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के ऋण जारी करना	४६, ४९

गुले बाजार की क्रियाये

७, १९, २३, २७-२८, ९३, १०८

	पृष्ठ सख्या
गवर्नर	३, ४, ३३, ७५, ९५
ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति	४०, ४५, ५२, ९५
ग्रामीण वित्त पर अनौपचारिक सम्मेलन	४०, ५२-५४, ६०
ग्रामीण साख प्रदान संबंधी प्रावधान	६२-६७
ग्रामीण साख नीतियों का उद्भव	५१-५२
छोटे सिक्के	१०
छोटे सिक्कों के गोदाम	१०, ९३
जनता के पास द्रव्य सभरण	७, १४, १५
द्रव्य बाजार	१५-१८, २७-२८, ४७
देयता	
अनुसूचित बैंक	१०९
प्रचालन विभाग	९९-१००
बैंकिंग विभाग	१०१-१०३
देशी बैंकर	१७
नये ऋण तथा राज्य-कोष पत्रों का प्रचालन निरीक्षण	४३, ४६, ४८
बैंकिंग कम्पनियों का	१७, ३४, ३७-३८, ९७
राज्य वैतिक नियमों का विभाग	७२, ९६
सहकारी बैंकों का	८७, ९४
५४, ५९-६०	
निवेदा	
बैंकों के (घकों को देखिये)	
रिजर्व बैंक के	१०३, १०६
नैतिक प्रभाव	३२-३३

नोट

बैंकिंग विभाग में संघारित	१००, १०३, १०६
संचालन में	१०-११, १००, १०६-१०८
नोट प्रचालन से संबंधित परिणियत प्रावधान	८-९
नोटों के प्रत्यर्पण के नियम	९३

परिसम्पत्ति

अनुसूचित बैंक	१०८-११०
बैंकिंग विभाग	१०३, १०६
प्रचालन विभाग	.	.	.	८, ११, १००-१०१
प्रचालन के क्षेत्र (नोटों के)	९२
प्रचालन विभाग	..	.	४, ८-११, ८७, ८८, ९२-९३, ९९-१०१	

प्रशिक्षण

बैंकिंग कर्मचारियों का	४०, ९६
सहकारी कर्मचारियों का	६१, ६८

प्रारक्षण आवश्यकतायें

अन-अनुसूचित बैंकों की	२८, ३५
अनुसूचित बैंकों की	७, २८, ३५
राज्य-सहकारी बैंकों की	५४

प्रारक्षित निधि

बैंकों की	३६
रिज़र्व बैंक की	१०१, १०८

प्रेषण सुविधायें

..	१०, ४१, ४३, ४६, ९६
----	----	---	---	--------------------

पुनर्निर्माण एवं विकास का अन्तर्राष्ट्रीय बैंक

..	४९, ६९, ८५, ९१, ९४, १०२
----	----	---	---	-------------------------

बट्टा बाज़ार

(बिल बाज़ार देखिये)

बट्टे की दर

(बैंक दर देखिये)

व्याजदर

रिज़र्व बैंक की रियायती दरें	२४, ५७, ६२-६७
सहकारी बैंकों की	५७
बिल बाज़ार	१६, २१

पृष्ठ संख्या

बिल बाजार योजना	२३-२५, ५५, ७४, १०९, ११३
बैंक दर	१९, २३, २६, ५७
बैंक का आन्तरिक संगठन	४, ५, ८७-९८
बैंक के प्रारक्षण (नकद प्रारक्षण देखिये)	
बैंक	
अन-अनुसूचित	१७, १८, २२, ३२, ३४, १०९
अनुसूचित	१७, १८, २३, २४, २५, २६, ३२, ३४, ३५, ४४, ५४, ५५, ७५, १०८-११३
औद्योगिक वित्त में भाग लेना	७३-७५
ऋण तथा अग्रिम	१४, १५, २३, ३०, ३२, ७४, ११०, ११३, ११४
जमा	१४-१५, १८, २३, २८-२९, १०९, ११३
द्रव्य	२६, ३५-३६
नकदी	१५, १०९, ११३
निरीक्षण	१७, ३४, ३७-३८, ९७
निवेश	२६-२८, ३०, ११०, ११३
परिसमापन	३८, ३९
पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण	३४-४१, ९७
पूजी तथा प्रारक्षण	३५, ३६, ३९
रिज़र्व बैंक के पास शेष धन	२८, २९, ३५, १०२, ११०
रिज़र्व बैंक से ऋण	१६, २१-२५, २६, १०९, ११३
लाइसेंसिंग	३४, ३५, ३७, ३८, ३९
व्यवस्था की शर्तें	३७, ३८-३९
विदेशी	१६, १८, ३४, १०९
शाखायें	३४, ३५, ३६, ३७, ४०-४१
समामेलन	३८
बैंकों का परिसमापन	३८, ३९
बैंकों का समामेलन	३८
बैंकों की जमा (बैंकों को देखिये)	
बैंकों के नकद प्रारक्षण	१४, २८-२९, ३५, ११०, ११३
बैंकों के प्रबन्ध की योजनायें	३७, ३८, ३९
बैंकों को निर्देश	३०-३२
बैंकों को लाइसेन्स देना	३४, ३५, ३७, ३८, ३९
बैंकिंग कम्पनीज (संशोधन) एक्ट, १९५३	३९
" " " १९५६	३५, ३७

बैंकर्स का प्रशिक्षण महाविद्यालय	४०
बैंकिंग तथा मुद्रा सबधी भारतीय साख्यिकी	११६
बैंकिंग विभाग	.. ४, ८, १०, १२-१३, ८८-९३, १०१-१०६	
भडागार सुविधायें	१६, २२, ३७, ५२, ५५, ९६, ९७
भारत के उच्च आयोग को सहायता	४९
भारतमें बैंको से सबधित साख्यिकीय सारिणिया	८५, ११६
भारत में सहकारी आदोलन का निरूपण	६, ११५, ११६
भारत में सहकारी आदोलन से सबधी साख्यिकीय सारिणिया	११६
भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम	७३
भारतीय मुद्रा एव साखपर शाही आयोग	१
भूमिवधक बैंको के डिबेन्चर, रिज़र्व बैंक का योग	५८, ५९, ६२-६७
मुख्य लेखा-अधिकारी का कार्यालय	४, ८७, ९४
मुद्रा		
तिजोरी	१०-११, ४३, ९२, ९३
नियमन	७-९
प्रचालन	७-९
प्रारक्षण आवश्यकतायें	८-९
सकुचन तथा विस्तार	११-१३
मुद्रा तथा साख नीतिया	७, १५, २६, ७८
राष्ट्रीय कृषि साख		
(दीर्घकालीन क्रियायें) निधि	५५, ५८, ६४-६७
(स्थायीकरण) निधि	५५, ५८, ६४-६७
राज्य-कोष तथा उपराज्य कोष	१०, ९०, ९२, ९६
राज्य-कोष पत्र	१६, २१, २७, ४७-४८, १०३, १०६, १०७, ११०	
राज्य-कोष पत्रों का पुनर्भजन	४७, ९२
राज्य वैत्तिक निगम	६९, ७१-७३

राज्य सरकारो

अर्थोपाय उधार	४३, ४८
जमा	१०२, १०६-१०७
राज्य-कोष पत्र	४३, ४८
रिजर्व बैंक में दीर्घकालीन ऋण		५६, ५८, ५९, १०३
रिजर्व बैंक में समजोते		४३-४५, ४६, ४८
सहकारी बैंको के लिये गारन्टी		५४-५५, ५६, ५८, ६२-६७

राज्य सहकारी बैंको

का निरीक्षण	५४, ५९-६०
को रिजर्व बैंक में वैत्तिक महायता	२५, ५१, ५४-६१, ६२-६७
को लागू होनेवाली रिपायती दरें		५७, ६२-६७

रिजर्व बैंक आफ इंडिया

(संशोधन) एक्ट्स १९५३-५५-५६		९, २८, ५७, ५८, ६९
(संशोधन) अध्यादेश १९५७		९
(राष्ट्रीयकरण) एक्ट १९४८		३
(द्वितीय संशोधन) एक्ट १९५७		९

रिजर्व बैंक आफ इंडिया की द्वितीय सूची .. १७-१८

रिजर्व बैंक का तुलनपत्र (साप्ताहिक आवेदन भी देखिये) १९

रिजर्व बैंक का लाभहानि खाता ९९, ११३-११४

रिजर्व बैंक का सपटन .. ४-५, ८७-९८

रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण .. २-३, ११४

रिजर्व बैंक के उपकार्यालय १०

रिजर्व बैंक के एजेंट्स .. ४, १०, ४५, ४६

रिजर्व बैंक के कार्यालय/शाखायें .. ४, १०, ४५, ८७-८९

रिजर्व बैंक के प्रकाशन .. ८५, ११४-११६

रिजर्व बैंक के पास जमा

अन्य	९१, १०२-१०३, १०८
बैंकों की	२८-२९, ३५-३६, ९३, १०२, १०९
सरकारों की	४८, ८९, १०१-१०२, १०६-१०७

रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आवेदन

भदों का वर्णन	९९-१०३, १०६
मिराली सारिणी	१०४-१०५
विषयताओं की व्याख्या	१०६-१०८
रिजर्व बैंक की आयव्यय	११३-११४

रिज़र्व बैंक की चुकती पूंजी तथा प्रारक्षण	१०१
रिज़र्व बैंक से ऋण (वैक्तिक निभाव देखिये)	
रिपोर्ट	
केन्द्रीय संचालक बोर्ड की	६, ८५, ११४, ११५
मुद्रा वित्त पर	६, ८५, १०८, ११४, ११५
सर मालकाम डालिंग की	५१
मुद्रा वित्त पर	६, ८५, १०८, ११४, ११५
रुक्के	
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के	४६, ९०
बैंक के द्वारा किये करने के लिये ग्राह्य	२०-२२
माग	२४
सावधि	२२, २४
रूपये के	
केन्द्रीय सरकार के ऋण	४६
बैंक के साथ खाते	४९, ९१, १०२
बाहरी मूल्य को कायम रखना	७६, ७७
ऋण पत्र	९९, १०१, १०३, १०६-१०८, ११४
समान मूल्य	७६
सिक्के (नोट)	८, १०, ९९-१०१, १०३, १०६
ऋतुकालीन विविधताये	
मुद्रा संचालन में	११-१३
रिज़र्व बैंक के पास अनुसूचित बैंकों के शेषधन में	३०, १०२
ऋण तथा अग्रिम	
अनुसूचित बैंकों के (बैंकों को देखिये)	
रिज़र्व बैंक के (अग्रिमों को देखिये)	
ऋण देने का नियमन	५१
ऋण-पत्र विभाग	८९, ९२
लघु एवं गृह उद्योगों को अल्पकालीन वित्त	५३, ५५
लोक खाता विभाग	४५, ८९
लोक ऋण कार्यालय	४२, ४६, ८९-९१
लोक ऋण का प्रबन्ध	४२-४३, ४४, ४६, ८९, ९४, ११४

लोक ऋण (केन्द्रीय सरकार) एक्ट, १९४४
लोक ऋण नियम, १९४६

४४, ८९, ९५
.. ८९

वित्त निगमो द्वारा दिये गये ऋण

७०, ७२, ७३

विदेशी बैंक

.. १६, १८

विदेशी विनिमय के अधिकार प्राप्त व्यापारी

७६-७७, ७९, ८०, ८३

विदेशी विनिमय परिनियम एक्ट १९४७

७७, ७९, ९५

विदेशी विनिमय प्रारक्षण

८-९, ७८, १००, १०३

विदेशी व्यापार, का वित्त प्रबन्धन

१८, ७६, ७७, ७८, ८२

विदेशी विनिमय में प्रेषणा

८०-८१

विनिमय बिल

२०, २१, ७१

क्रय, विक्रय तथा पुनर्भोजन

.. २०, ५५

कृषि

.. १६, २३

देसी (हुडी)

राज्य-कोष (राज्य-कोष पत्र देखिये)

१६, २३, ५५, १०३

वाणिज्य

.. १६, २१, २३

सावधि

४, ५, ८२, ८४, ८५, ८७, ९५

विनिमय नियंत्रण विभाग

विभाग

अनुसंधान एवं सांख्यिकी विभाग

४, ८४-८६, ८८, ९७-९८, ११५

बैंकिंग क्रियाओं का विभाग

४, ८४, ८७, ९७

बैंकिंग विकास

४, ४०, ८४, ८७, ९५-९६

विवेचनात्मक एवं प्रत्यक्ष माल नियमन

वैत्तिक निभाव

.. २९-३२

अनुमूचित बैंको को

२५, ५१, ५४-६१, ६२-६७

राज्य सहकारी बैंको को

६९-७१, ९१, १०२

वैत्तिक निगमो को

.. ७४, ११४

वैयक्तिक क्षेत्र के लिए वित्त पर सगिति

शाखा बैंकिंग

३६, ३७, ४०-४१

शाखायें/कार्यालय रिजर्व बैंक के

४, १०, ४५, ८७-८९

सचिव का कार्यालय	४, ८४, ८७, ८९, ९३-९४
समझौता		
केन्द्रीय सरकार के साथ	४२-४३, ४८
राज्य सरकारों के साथ	४३-४५, ४६, ४८
सरकार		
की ऋण सवधी क्रियायें	२८, ४२, ४६, ८९, ९३
जमा	४८, ८९, १०१-१०२, १०६-१०७
पाकिस्तान का बैंकर	२
वर्मा का बैंकर	२
सरकारों को अर्थोपाय उधार	८, ४३, ४८
सहकारी ब्यान्दोलन, पुनसंघटन की योजना	५१, ५३, ६०-६१
सहकारी प्रशिक्षण की केन्द्रीय समिति	६८
सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पूना	६१
सहकारी बैंक		
केन्द्रीय बैंक	५३, ५६-५७, ६१
निरीक्षण	५४, ५९-६०
प्रारम्भिक साख्त समितियाँ	५३, ५७, ६०, ६१
बैंक को दी गई रियायती दरे	५७, ६२-६७
राज्य	२०, २२, ५०, ५३, ५५, ६१, ६२-६७, ९७, १०३	
सहकारी समितियाँ वर्गीकरण	५५-५६
सर मालकमम डालिग की रिपोर्टें	५१
समाशोधन गृह	९१-९२
स्टालिग		
ऋण पत्र	१२, ११४
का त्रय विक्रय	४९, ७७, ८०, ११४
प्रारक्षण (शेषधन)	७७-७८
क्षेत्र	७७-८१
स्थानीय बोर्ड, सविधान तथा प्रकार्य	३, ४
स्वर्ण मुद्रा तथा सोना चादो	८-९, ७८, ८१-८२, १००
स्टेट बैंक आफ इन्डिया	.. ४, १०, १७-१८, ३६-३७, ४०, ४५, ७५, ९५, ९६	
स्टेट बैंक आफ इन्डिया एक्ट, १९५५	४०, ४६, ९६

साख नियंत्रण

विलेख	१९, २९-३२, ११८
विवेचनात्मक एवं प्रत्यक्ष (गुणात्मक) २९-३२
सामान्य (मात्रानुसार) १९, २९-३२
साख नियंत्रण के साधन	१९, २९-३२, ११८
साख नीति (भुद्रा तथा साख नीतियां देखिये)		
सामान्य साख नियंत्रण १९, २९-३२
सावधि बिल १६, २१, २३
साहूकार १७, ५१
सोने का पुनः मूल्यांकन ९, १०१, १०८
संचालक बोर्ड		
केन्द्रीय २, ३, ४
स्थानीय ३
हिल्डन यग कमीशन १